राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 06] पन्द्रहवीं विधान सभा के छठे सत्र का बीसवां दिवस [संख्या: 08

सोमवार,

01 मार्च 2021

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न। श्री फूल सिंह मीणा।

उदयपुर ग्रामीण में किसानों को नि:शुल्क बीज वितरण

111. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2019 से 2020 तक विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में किसानों को बीज वितरण किया गया है? यदि हां, तो कितना-कितना?

(2) उक्त बीज वितरण किस मापदंड से किया गया व किस-किस ग्राम पंचायत में कितने किसानों को बीज वितरित किया गया? ग्राम पंचायतवार किसानों की संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त बीज कितनी शुद्धता का है व कितनी मात्रा में कौन-कौनसी पंचायतों में वितरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार द्वारा उक्त विधान सभा क्षेत्र में बीपीएल परिवारों एवं गरीबी रेखा से नीचे के स्तर पर जीवनयापन करने वाले परिवारों को नि:शुल्क बीज वितरण किया जा रहा है? यदि हां, तो कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

कृषि मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में किसानों को वर्ष 2019 से 2020 में मक्का, गेहूं, चना, उड़द, सरसों, मूंग, सोयाबीन, जौ आदि फसलों का 1413.54 क्विंटल बीज 20 हजार 647 कृषकों को वितरित किया गया है।

(2) उक्त बीजों का वितरण संबंधित योजनाओं के दिशा-निर्देशों के

(कृषि मंत्री)

अनुरूप करवाया गया है। इस हेतु निर्धारित मापदंडों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। ग्राम पंचायतवार लाभान्वित कृषकों की संख्या का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) उक्त बीज भारतीय बीज प्रमाणीकरण मानकों के अनुरूप शुद्धता का वितरित किया गया है। बीज वितरण का पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में विशेष केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम एवं कोरोना महामारी (कोविड-19) से राहत हेतु सहायता कार्यक्रम के तहत 8 हजार 183 बीपीएल परिवारों को 537.87 क्विंटल चना, गेहूं एवं मक्का का निशुल्क बीज वितरण करवाया गया। बीपीएल श्रेणी के लाभान्वित परिवारों का पंचायतवार विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं, मेरा विधान सभा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र में आता है और कितनी ग्राम पंचायतें ट्राइबल की हैं और कितनी पंचायतों में आपने बीज वितरण किया है? साथ ही, क्या वर्ष 2019-20 में किसी ने ग्राम पंचायत सरू में ताला तोड़कर बीज वितरण किया है? यदि हां, तो क्या थाने में रिपोर्ट दी है, कौनसे थाने में दी है और किन-किनके खिलाफ दी? क्या सरकार ने उनके ऊपर कोई कार्यवाही की? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैंने पंचायतवार विवरण आपको दे रखा है, आप उसमें देख लें। जो बात आपने चोरी की कही है, वह शिकायत अभी तक हमारे पास नहीं है। यदि आपके पास कोई शिकायत हो तो निश्चित तौर पर आप दें, उस पर हम कार्यवाही करवाएंगे। आपके यहां उदयपुर ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में एक हजार 413 क्विंटल बीज की मात्रा 20467 किसानों को हमने दी है। यह उदयपुर ग्रामीण का आंकड़ा है, डी-लिमिटेशन में शायद आपकी पंचायतें बढ़ी हैं, जैसा मुझे ध्यान है। फिर भी, आपको कोई शिकायत है तो आप मुझे बताएं, निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): अध्यक्ष महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में 52 ग्राम पंचायतें हैं और उसमें इन्होंने केवल और केवल 27 ग्राम

(श्री फूल सिंह मीणा)

पंचायतों में बीज वितरण किया है। उसमें भी 264 किसानों को बीज वितरण किया और वह भी दो ग्राम पंचायतों में...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): वही पूछ रहा हूं, अध्यक्ष महोदय। दो पंचायतों में 102 किसानों को दिया और बाकी 25 पंचायतों में 154 किसानों को ही क्यों दिया? उनके अंदर ऐसी क्या थी कि दो पंचायतों में तो आपने 109 किसानों को दे दिया, बाकी को क्यों नहीं दिया?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, नहीं-नहीं।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य बता रहे हैं, जिन ग्राम पंचायतों की ये चर्चा कर रहे हैं। मैंने सारा डाटा इनको दे रखा है पर फिर भी मैं यह मानता हूं कि उदयपुर ग्रामीण की जो भौगोलिक स्थिति है, वहां पहाड़ी क्षेत्र है। जो डिमांड आई और जो पंचायतों की कमेटी ने हमको भेजा, वे पैकेट हमने वितरित किये हैं। यदि आपके पास कोई सूचना है कि वहां कुछ गलतियां हुई हैं तो आप निश्चित तौर पर मुझे बताएं, मैं कार्यवाही करवाऊंगा।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, उसके परिशिष्ट 13 में आपने लिखा है जनजाति उप-योजना क्षेत्र में जनजाति परिवारों को नि:शुल्क बीज वितरण होता है। मैं यह जानना चाहता था कि यह जो आपने परिशिष्ट-2 दिया है, उसमें आपने उड़द का जो वितरण बताया है, ये सारी पंचायतें ट्राइबल हैं। बारां में 6 लोगों को मिला, बारापाल में 7 को मिला, बछार में 7 को मिला। इसी तरह आपने देखा होगा, मक्के के बारे में खरपीणा 95 परसेंट ट्राइबल है, इसमें केवल 4 किसानों को मिला। जब आपका नियम यह कहता है कि शिड्यूल्ड एरिया में सारे किसानों को नि:शुल्क बीज मिलता है तो फिर केवल 4, 1, 3 और 7 इनको ही ये बीज उपलब्ध, अलग-अलग का अलग-अलग है, पूरा लम्बा चौड़ा चार्ट है। ऐसा क्यों हुआ या किस कारण से इन लोगों को, सबको नहीं मिला?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उदयपुर संभाग से जो डिमांड आती है, उसमें ज्यादातर मक्का की आती है। सरपंच की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई जिसमें वार्ड पंच भी होता है और वहां का

(श्री लालचन्द कटारिया)

कृषि पर्यवेक्षक भी होता है। यदि उन्होंने उड़द की डिमांड भेजी है तो उड़द ही दी जाएगी, ज्यादातर उदयपुर की जो डिमांड है, अधिकतर ग्राम पंचायतों में मक्का की है और उसी के अनुरूप हमने वह सप्लाई की है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): नहीं, मैंने जो प्रश्न पूछा है, वह यह पूछा है कि आपका जो मोटे अनाज का मतलब, इसमें सामने लिखा हुआ है, मक्का-मक्का-मक्का। यह जो खरपीणा है, वह 99 परसेंट ट्राइबल है। इसी तरह से बारां का भी ऐसा ही है, इसी तरह से बछार का भी है। आपने इनमें दिया 4 को और 8 किसानों को, जबकि जो ट्राइबल पंचायतें नहीं हैं 100 प्रतिशत, उनको आपने दिया है। जैसे बूझड़ा को दिया 44, इसमें 80 परसेंट ट्राइबल नहीं है। जो ट्राइबल नहीं है वहां तो 44 किसानों को मिला और जो पंचायत ट्राइबल है, उसको केवल 4 और 8 को क्यों दे रहे हो? इसका कारण समझाओ।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, उड़द के जो टारगेट आते हैं, उसी के अनुसार जो हमारे लक्ष्य हैं। जहां किसी पंचायत में किन्हीं 10 व्यक्तियों ने मांगा और उस पूरे क्षेत्र के अंदर, जिन लोगों ने टारगेट में कम दिया, उन्हीं टारगेट के अनुसार, फिर उनमें मल्टीप्लाई करके देते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, माननीय प्रतिपक्ष के नेता का प्रश्न यह है कि वहां जो ट्राइबल पंचायतें हैं, यह सुविधा ट्राइबल परिवार को है, जिन परिवार में 90 परसेंट ट्राइबल है, उनमें तो बीज मिल रहा है 2 आदमी को, जिन पंचायत में ट्राइबल और नोन-ट्राइबल का 40:60 है, वहां 60 परसेंट पापुलेशन है, उसको मिल रहा है, तो उनके कहने का मतलब है कि ये जो योजना है केवल मात्र ट्राइबल के लिए है तो क्या विभाग यह एंश्योर करेगा कि जो ट्राइबल है, जो खेती कर रहा है, उस ट्राइबल को पूरा का पूरा पहले मिले, उसके बाद दूसरों को मिले तो सही, ये एल्युमनाई नहीं आई।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो बात कही है, निश्चित तौर पर मैं इसको दिखवा लेता हूं और इसकी पूरी जानकारी लेकर मैं आपको सूचित कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री सतीश पूनियां।

अवैध खनन के प्रकरण

112. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सतीश पूनियां)

(1) जनवरी, 2020 से जनवरी, 2021 तक प्रदेश में अवैध खनन के कितने-कितने प्रकरण किस-किस किस्म के कहां-कहां प्रकाश में आए? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु क्या-क्या प्रयास किए गए हैं तथा उक्त के संबंध में सरकार की कोई योजना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

खान मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) 1 जनवरी, 2020 से 31 जनवरी, 2021 तक प्रदेश में विभिन्न खनिजों के अवैध खनन के 639 प्रकरणों में खान विभाग द्वारा कार्यवाही कर पंचनामें बनाये गए। खनिजवार, स्थानवार, जिलेवार संख्या सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) राज्य सरकार द्वारा अवैध खनन पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु द्वारा निम्न प्रभावी प्रयास किए गए हैं:

1. खनिज रियायतों के आबंटन/नियमन के सम्बन्ध में वैधानिक प्रावधान:

(1) नदियों से बजरी खनन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की रोक से राजकीय निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए। इस हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 28.12.2017 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में संशोधन करते हुए राजकीय निर्माण कार्यों हेतु खातेदारी भूमि में बजरी की एसटीपी जारी करने का प्रावधान किया गया।

(2) अप्रधान खनिजों की उपलब्धता बढाने एवं खातेदार को खनन पट्टा आबंटन में प्राथमिकता देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 25.06.2018 से राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में संशोधन कर खातेदारी भूमि में एक से चार हैक्टेयर क्षेत्रफल के खनन पट्टे सम्बन्धित खातेदार को स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया। खातेदारी भूमि में बजरी के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.11.2018 से रोक हटने के पश्चात् उक्त अधिसूचना दिनांक 25.06.2018 के तहत बजरी के खनन पट्टे आबंटित करने की आगामी कार्यवाही हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 08.01.2019 से निर्देश जारी किए गए।

(3) प्रदेश में बजरी के दीर्घकालीन विकल्प के रूप में मैन्यूफैक्चर्ड सेण्ड (एम-सेण्ड) को बढावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.01.2021 से राजस्थान एम-सेण्ड नीति, 2020 जारी की गई तथा इस सम्बन्ध में

(खान मंत्री)

राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 में आवश्यक संशोधन किए गए।

(4) दिनांक 10.10.2017 से खनन पट्टों से खनिज का निर्गमन ऑनलाइन ई-रवन्ना के माध्यम से होने के कारण अवैध खनन/निर्गमन पर अंकुश लगा है।

2. अधिक से अधिक खनिज रियायतों का आबंटन: बाजार में खनिजों की आपूर्ति बढ़ाने एवं खनिज उपलब्धता वाले क्षेत्रों में अवैध खनन पर अंकुश लगाने हेतु अधिक से अधिक खनिज रियायतों के आबंटन हेतु निम्न प्रयास किये गये:-

(1) राजकीय निर्माण कार्यों के लिए खनिज बजरी की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के नियम 51 के तहत खातेदारी भूमि में एस.टी.पी. जारी की जा रही है।

(2) शासन की अधिसूचना दिनांक 25.06.2018 के तहत दिनांक 22.02.2021 तक खातेदारी भूमि में अप्रधान खनिजों की कुल 2041 एल.ओ.आई. जारी की गई, जिनमें से 687 खनन पट्टे प्रभाव में आ चुके हैं।

(3) प्रदेश की राजकीय भूमि में अप्रधान खनिज के 1315 प्लाट की ई-नीलामी की गई, जिनमें 935 प्लाट पर बोली प्राप्त हुई। अब तक 169 खनन पट्टे प्रभाव में आ चुके हैं। शेष 766 प्लाट आबंटन की प्रक्रिया में हैं।

(4) वर्तमान में राज्य में स्थापित एम-सेण्ड इकाइयों द्वारा एम-सेण्ड का उत्पादन किया जा रहा है। राजस्थान एम-सेण्ड नीति के तहत प्रदेश में और भी नई एम-सेण्ड इकाइयां स्थापित होंगी एवं इन इकाइयों में खानों के ओवरबर्डन का उपयोग होकर एम-सेण्ड बनेगी।

3. अवैध खनन की रोकथाम हेतु संबंधित विभागों को समय-समय पर निर्देश देना एवं उनकी नियमित मानिटरिंग:-

प्रदेश में अवैध खनन न होना सुनिश्चित करने बाबत मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार एवं प्रमुख शासन सचिव, खान एवं पैट्रोलियम विभाग द्वारा राजस्व, वन, पुलिस, परिवहन एवं खान विभाग के अधिकारियों को समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं।

4. खनिजों के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की रोकथाम हेतु कार्यवाही: विभिन्न खनिजों के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध निम्न प्रयास किये गये:-

(खान मंत्री)

(1) विभागीय अधिकारियों/तकनीकी कर्मचारियों द्वारा नियमित/औचक चैकिंग की जाती है। अवैध खनन पाये जाने पर एम.एम.डी.आर. एक्ट, 1957 की धारा 4 व 21 तथा राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के नियम 54 व 60 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

(2) प्रत्येक जिले में जिला कलेक्टर द्वारा राजस्व, वन, पुलिस, परिवहन एवं खान विभागों के अधिकारियों/कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए मई/जून, 2018 में विशेष जांच दलों (एस.आई.टी.) का गठन किया गया। उक्त जांच दलों द्वारा खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण की औचक जांच की जाती है।

(3) गत 2 वित्तीय वर्षों (2018-19 व 2019-20) एवं चालू वित्तीय वर्ष (दिनांक 31.01.2021 तक) में खान विभाग, एस.आई.टी. एवं अन्य विभागों के साथ नियमित/आकस्मिक चैकिंग की जाकर अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के कुल 38335 प्रकरण दर्ज कर राशि रुपये 252.85 करोड़ बतौर शास्ति वसूल की गई एवं 3375 प्रकरणों में संबंधित पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गयी।

(4) खनिज बजरी के अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण के विरुद्ध राज्यव्यापी अभियान दिनांक 07.07.2019 से 06.08.2019 के दौरान 1718 प्रकरण बनाये जाकर राशि रुपये 7.47 करोड़ की शास्ति वसूल की गई, 81 प्रकरणों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई एवं 84277.93 टन अवैध बजरी के स्टाक को जब्त किया गया।

(5) दिनांक 15.10.2020 से 31.10.2020 के दौरान प्रदेश के 12 जिलों में बजरी के अवैध खनन/निर्गमन की रोकथाम हेतु विशेष अभियान जिला कलेक्टर्स की अध्यक्षता में चलाया गया, जिसमें कुल 375 प्रकरण बनाये गये, 76.88 लाख रुपये की शास्ति वसूल की गई, 142 प्रकरणों में संबंधित पुलिस थानों में एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई एवं 52449 टन अवैध बजरी के स्टॉक को जब्त किया गया।

(6) अवैध खनन/निर्गमन/भण्डारण पर प्रभावी कार्यवाही एवं नियंत्रण हेतु माह दिसम्बर, 2019 से 333 बार्डर होम गार्ड नियोजित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित कार्यालयों द्वारा 14वीं बटालियन आर.ए.सी. का भी आवश्यकतानुसार उपयोग किया जा रहा है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो 639 प्रकरण बताये गये हैं, इनमें किन-किन लोगों पर क्या-क्या कार्रवाई हुई और अवैध खनन से सरकार को कितनी राजस्व हानि हुई?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 639 अवैध खनन प्रकरण जिनका पंचनामा खान विभाग द्वारा बनाया गया, उसकी जिलेवार खनिजवार सूचना परिशिष्ट-1 पर संलग्न कर दी गयी है। बाकी जो डिटेल माननीय सदस्य जी ने चाही है, मैं इनको उपलब्ध करा दूंगा। साथ ही, 639 में 45 प्रकरण तो लीजधारकों के और 592 प्रकरण अन्य व्यक्तियों के हैं। 639 में से 205 प्रकरण बजरी के हैं, 434 प्रकरण अन्य खनिजों के हैं। इन 639 प्रकरणों में से 134 प्रकरण में एफआईआर दर्ज करायी गयी। 1 जनवरी, 2020 से 1 जनवरी, 2021 तक एक साल की अवधि में खनन निर्गमन की कुल 843 एफ.आई.आर. दर्ज करायी गयीं। इन 843 में से 696 प्रकरण बजरी के हैं।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके संज्ञान में भी है कि रेती और बजरी का अवैध खनन राजस्थान में एक संगठित अपराध की संज्ञा ले चुका है तो रेती और पुलिस के गठजोड़ की कई घटनाएं भी इस दौरान हुई। जनहानि भी हुई। कानून-व्यवस्था बिगड़ी तो मैं जानना चाहता हूं कि जन घोषणापत्र, अभिभाषण और बजट, इन सबमें इसका उल्लेख हुआ है तो क्या कोई स्थाई व्यवस्था...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरी बात सुनिये। प्रश्न गंभीर है। क्वेश्चन से इसका आंसर नहीं निकलेगा। आप अलग लेकर आएं चर्चा। इस पर चर्चा की जाएगी। इस पर विस्तृत चर्चा करने के बाद इस पर बात करें। इस क्वेश्चन से इसका आंसर नहीं निकलेगा। जो इंफार्मेशन आपने सोट (sought) की, वह इंफार्मेशन मिल गयी है। आप नये ढंग से इसको लेकर आयें, सदन में चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैंने दे रखा है पर आया नहीं।

श्री अध्यक्ष: यह वाला?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): पहले ही दिन से दे रखा है। पहले दिन से मेरा प्रस्ताव आने वाला था।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया साहब, आप खुद सीनियर आदमी हैं। हम अभी डिमांड के बारे में बीएसी में फैसला कर रहे हैं। कुछ चीजें डिमांड में

(श्री अध्यक्ष)

आएंगी तो विस्तृत चर्चा हो जाएगी। एक बार इस पर फैसला हो जाएगा कि खनन को डिमांड में लेना है कि नहीं लेना है। लेना है तो पूरे दिन भर चर्चा करने का मौका है। नहीं लेना है तो इसको किसी अलग ढंग से लेकर सदन में चर्चा करायेंगे। मैं इसकी गंभीरता को जानता हूं और इसलिए मैंने निवेदन किया कि सतीश जी के प्रश्न पर आपको सूचना मिल गयी है। चाहें तो डिमांड पर चर्चा कर लें या और किसी ढंग से सदन में चर्चा करने के संबंध में इस विषय पर चर्चा करेंगे।

अगला प्रश्न। श्री पब्बाराम जी।

जोधपुर सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक द्वारा किसानों का बीमा

113. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य को ऋण वितरण के समय ग्रामीण दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा जाना आवश्यक है? यदि हां, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष में जोधपुर सेन्ट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा कितने किसानों का बीमा किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): जी हां। राज्य सरकार के निर्णयानुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति के सदस्य को ऋण वितरण के समय राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ा जाना आवश्यक है।

इस वर्ष (2020-2021) जोधपुर सेंट्रल को-आपरेटिव बैंक द्वारा राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना में 82,664 किसानों का बीमा किया गया है। बीमित कृषकों की सूची का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2019-20 में दूसरी कंपनी थी और 2020-21 में दूसरी कंपनी आयी है और यह भी सही है कि 1 अप्रैल के बाद में इस वित्तीय वर्ष में जितने भी किसानों ने जो ऋण लिए हैं, उनकी प्रीमियम राशि कटी है तो क्या यह जो आपने संख्या बतायी है 82,664 इनमें अगर कहीं पर कोई दुर्घटनाग्रस्त होकर के मृत्यु हुई है तो इसका निस्तारण पूर्व की कंपनी करेगी या नयी कंपनी जिससे एमओयू हुआ है, वह कंपनी करेगी? यह विषय थोड़ा बता दें आप।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जिस कंपनी ने बीमा किया है इस वर्ष, वही कंपनी इसका निस्तारण करेगी। जिस काल का बीमा होता है और उस काल में दुर्घटना में मृत्यु होती है तो बीमा कंपनी उसका पेमेंट करती है।

श्री पब्बाराम (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका एमओयू हुआ है 24 नवम्बर, 2021 को और पूर्व की कंपनी का एमओयू जब समाप्त हुआ है तब तक ही वह कंपनी करेगी और इस एमओयू होने के बाद में ही वह कंपनी किसानों को देगी और आपने प्रीमियम काटा है 1 अप्रैल से जो भी किसानों ने ऋण लिया है उनसे प्रीमियम काटा है तो 1 अप्रैल के बाद में 24 नवम्बर तक जिन किसानों की कोई मृत्यु हुई है, दुर्घटना हुई है तो क्या सरकार देगी उसका पैसा या कंपनी देगी? यह विषय बता दें क्योंकि मेरे ही क्षेत्र...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न हो गया, माननीय मंत्री जी।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जिस काल का बीमा हुआ है, उसी काल में अगर दुर्घटना हुई है तो भुगतान होगा और जिस तारीख से प्रीमियम काटी गई, उसके बाद अगर दुर्घटना हुई तो उसका बीमा मिलेगा। एक साल के लिए बीमा होता है और एक साल के लिए प्रीमियम काटी जाती है। जिस काल में हुआ है, उसी का बीमा कटेगा। मैं यह स्वीकार करता हूं कि एक साल बीमा नहीं हुआ, उसके कई कारण हैं, इसका किसी मार्फत प्रश्न आएगा तो उस समय उसका जवाब दूंगा लेकिन बीमा होने के बाद ही दुर्घटना की राशि दी जाती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक कंपनी का टर्म खतम हो गया, दूसरी कंपनी का नया आया, मेन मुद्दा यह है कि इसके बीच के जो किसान हैं, उन किसानों में से किसी की मृत्यु हो गई तो उसका पेमेंट कौन करेगा, यह प्रश्न है।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): उस काल में उस कंपनी और उनके बीच में बीमा हुआ ही नहीं है तो कोई बीमा कंपनी देगी नहीं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप उत्तर नहीं सुनना चाहते हैं तो मैं बंद कर दूं। आप सुन तो नहीं रहे हैं बीच में बोल रहे हैं, मंत्री जी बोल रहे हैं। यह कोई तरीका नहीं है, प्लीज।

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): मैं बता रहा हूं कि जिस काल में बीमा नहीं हुआ और उसमें दुर्घटना हुई तो उसका बीमा क्लेम नहीं मिलेगा,

(श्री अंजना उदयलाल)

यह स्पष्ट बात है। गैप हुआ है, यह आप भी जानते हैं, पूरा सदन भी जानता है, उसकी कोई त्रुटियां रही हैं तो उसकी जांच चल रही है। जांच सामने आ जाएगी तो सदन के सामने रख दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने तो स्वयं ने अपने जवाब में कहा है कि यह जो 82664 लोग हैं जिनकी आपने सूची दी है, यह जोधपुर साइड की 17 जगह हैं, 82664 लोगों ने बीमा का पैसा कटाया। किसान का तो कट गया, इन किसानों को जिनकी मृत्यु हो गई, जो इस दुर्घटना बीमा के हकदार हैं, उनको कौन पेमेंट करेगा, यह बता दें। अगर वह नहीं करते हैं, यह नहीं करते हैं तो क्या सरकार करेगी?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): बीमा होने की तारीख के बाद अगर मृत्यु हुई है तो बीमा कंपनी करेगी और उसके पहले हुई तो उसके लिए मैंने अभी सदन में कहा कि जांच होकर सामने आ जाएगी। जब बीमा ही नहीं हुआ तो किस आधार पर बीमा कंपनी भुगतान करेगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उनका क्या दोष है, उन्होंने तो कटा दिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, गलत बात। कटारिया जी, अब यह कौनसा तरीका है? लीडर खड़े हैं और आप सब खड़े हो रहे हैं। कटारिया जी को अलाउ नहीं किया है क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं इतना ही कह रहा हूं कि किसान का क्या दोष है? जब उसने कर्ज लिया तो आपने बीमा राशि काट दी, वह फ्री हो गया कि मेरी इसलिए राशि काटी है कि मेरे इस पैसे का बीमा हो गया। उसका क्या दोष है? इसके लिए सीधा या तो सरकार जिम्मेदार है। अगर मान लो वह दोनों कंपनियां जिम्मेदार नहीं हैं तो सरकार जिम्मेदार है। इन 82 हजार लोगों में से पूरे 82 हजार लोग नहीं मर गये, मान लो 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, जो भी हैं, उनकी जो भी बीमा राशि बनती है, उसका पेमेंट सरकार को करना पड़ेगा या यह कंपनी करे या वह करे या सरकार करे, तीनों में से किसी एक को करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बात समझिए। बीमा का सीधा संबंध किससे है, इंश्योरेंस कंपनी से तो नहीं है। किसान ने अपने बीमा की राशि कटवा दी, अब इंश्योरेंस कंपनी का हुआ या नहीं हुआ, यह तो एक अलग

(श्री अध्यक्ष)

एडजस्टमेंट है। किसान ने तो अपना बीमा कटवा दिया। जिस किसान ने पैसा कटवा दिया, इंश्योरेंस में गैप हो गया, इसके बीच में किसी किसान की डैथ हो जाएगी, उसके संबंध में प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि किसान ने तो अपना पैसा कटवा दिया, हमारी व्यवस्था के अंतर्गत एक इंश्योरेंस कंपनी और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के बीच में गैप हो गया, यह जो गैप है, उस गैप में पुरानी इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं देगी, नई इंश्योरेंस कंपनी भी नहीं देगी, जबकि किसान ने अपना पैसा बीमा के लिए कटवा दिया, उसके संबंध में सरकार का कोई व्यू है क्या?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में कहना चाहता हूं कि बीमा होने में विलम्ब हुआ है। पहली कंपनी आउट हुई, वह डिफाल्टर थी। दूसरा, बीमा करने में, नियम बनाने में काफी लंबा समय अधिकारियों ने लगाया, उसकी जांच कमेटी बैठा दी गई है, जांच आते ही कर देंगे, लेकिन बीमा होने के बाद ही यह बात होगी। उसका भुगतान कौन करेगा, इसके लिए किसी मार्फत प्रश्न आएगा तो बिलकुल सदन में जवाब दूंगा। किसानों का नुकसान नहीं होना चाहिये। (व्यवधान) इसमें गलत क्या कह रहा हूं, जो बात है उसको स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बीमा नहीं हुआ है तो वह बात आप उठा रहे हैं, आप समझते हुए भी इस बात को बार-बार उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जिस कार्यकाल में नहीं हुआ, वह जांच का विषय है। अधिकारी दोषी होगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और किसानों की भरपाई किस प्रकार से की जाए, यह विचार करके आपको बता देंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय, इस प्रश्न को अलग ढंग से लेकर आएं, इस पर चर्चा करके करेंगे।

अगला प्रश्न। श्री राजकुमार रोत।

राजस्थान पथ परिवहन निगम की बसों में यात्रा हेतु स्मार्ट कार्ड योजना

114. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि पुलिस कर्मियों को रोडवेज की बसों में यात्रा करने के लिए उनके वेतन से रुपये 200 एवं रुपये 100 सरकार द्वारा मासिक वहन कर यात्रा हेतु स्मार्ट कार्ड की योजना चालू की गई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजकुमार रोत)

(2) उक्त योजना से रोडवेज को प्रति माह कितनी आय होती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि कार्मिकों को सिर्फ राज्य में व साधारण बस सेवा में ही उक्त योजना का लाभ दिया जाता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि अक्सर पुलिस कर्मियों को अभियुक्तों की तलाश एवं राजकीय कार्य हेतु पड़ोसी राज्यों की यात्रा करनी पड़ती है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना की सुविधा राज्य के पड़ोसी राज्यों में यात्रा के दौरान एवं रोडवेज की समस्त प्रकार की सेवाओं में उक्त सुविधा का लाभ देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

परिवहन मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा जारी संदर्भित आदेश क्रमांक एफ-4/मु./याता/लेखा/(07)/2021/1022 दिनांक 01.01.2021 (परिशिष्ट ''1'') एवं 1034 दिनांक 08.01.2021 (परिशिष्ट ''2'') पर संलग्न है।

(2) उक्त योजना अभी प्रारम्भिक चरण में है।

जनवरी 2021 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम को उक्त के पेटे राशि 2,09,53,560/- रुपये प्राप्त हो चुकी है।

(3) जी नहीं। खण्ड ''1'' में वर्णित आदेश अनुसार निगम की द्रुतगामी बसों में भी उक्त योजना का लाभ दिया जा रहा है।

(4) खण्ड ''1'' में वर्णित संदर्भित आदेश में वर्णितानुसार पुलिस कार्मिकों को अभियुक्तों की तलाश एवं राजकीय कार्य हेतु पड़ोसी राज्यों की यात्रा करने हेतु पुलिस वारन्ट के माध्यम से निगम बसों में यात्रा स्वीकृत है।

खण्ड ''1'' में वर्णित आदेशों के अतिरिक्त निगम की समस्त प्रकार की बसों में उक्त सुविधा का लाभ दिये जाने का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: विचाराधीन नहीं है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): विचाराधीन नहीं है।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): पहले पुलिस विभाग के जवान को रोडवेज में परिवहन करने के लिए पुलिस वारंट की व्यवस्था थी। जनवरी,

(श्री राजकुमार रोत)

2021 से यह जो स्मार्ट कार्ड बनवाया गया है, पहले वारंट व्यवस्था में जवान से पैसा नहीं लिया जाता था और इस व्यवस्था में उस जवान से पैसा लिया जा रहा है। मेरा प्रश्न यह है कि यह जो व्यवस्था बनाई है वह अंदर राज्य में जाने के लिए भी होनी चाहिये। दूसरा, यह है कि क्या साधारण और द्रुतगामी बसों के अलावा डीलक्स बसों में भी यह व्यवस्था करने की मंशा रखते हैं?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): पुलिस वारंट लेकर जो पुलिसकर्मी जाता है उसका सारा खर्चा होम डिपार्टमेंट भुगतता है और जहां तक डीलक्स बसों की बात कर रहे हैं, फिलहाल यह सुविधा डीलक्स बसों में और उनमें नहीं दी जाती है, यह सिर्फ साधारण बसों के लिए तय की गई है।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न यह है कि पहले जवान से पैसा नहीं लिया जा रहा था फिर भी यह सुविधा थी, अब जवान से पैसा लिया जा रहा है तो क्यों नहीं जो आरएफआईडी कार्ड बनाया गया है उसको अदर राज्य में जाने के लिए भी अलाउ किया जाए क्योंकि अभी जो व्यवस्था है, उसमें इस जवान को दो प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ रहा है। एक तो आरएफआईडी जो कार्ड है, उससे अपने राज्य की सीमा तक जाएगा और इसके आगे जाना है तो उसको पुलिस वारंट व्यवस्था की प्रोसेस से भी गुजरना पड़ेगा। दोनों प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़े, इसके लिए क्या मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करने की मंशा रखेंगे कि जो आरएफआईडी कार्ड है .....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न, उसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): यह रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन कार्ड की पुलिस वालों की लंबे समय से डिमांड थी कि राजस्थान रोडवेज की गाड़ियों में हमें सुविधा दी जाए। पुलिस डिपार्टमेंट जो सुविधा चाहता था, उसके अनुसार उनको दिया गया है। आपको पूरी जानकारी नहीं है, वारंट के लिए पहले भी पैसा होम डिपार्टमेंट देता था और यह उनकी सुविधा के लिए किया गया है। पुलिस डिपार्टमेंट की जो मांगें हैं, वह विचाराधीन हैं और अध्यक्ष महोदय, मैं आगे के लिए सदन को बता दूं, अभी राजस्थान राज्य कर्मचारी भी यह चाहते हैं कि हमको इस तरह की सुविधा दी जाए। यह बड़ी पापुलर स्कीम है, उसके लिए राजस्थान कर्मचारी संघ भी यह चाहता है कि पुलिस डिपार्टमेंट की तरह हमको यह सुविधा दी जाए। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य में 6 लाख कर्मचारी हैं। उन कर्मचारियों ने आगे

(श्री प्रताप सिंह खाचरियावास)

बढ़कर यह कहा है कि हमारे भी 200 रुपये काट लिए जाएं और 100 रुपये राज्य सरकार हमको अनुदान दे दे ताकि राज्य के 6 लाख कर्मचारियों को यह सुविधा मिल जाएगी। यह मुख्य मंत्री जी के स्तर पर विचाराधीन है और आगे इसमें जो भी कार्यवाही होगी, वह मुख्य मंत्री जी के स्तर पर होगी। इसमें 6 करोड़ रुपये राज्य सरकार देगी और 12 करोड़ रुपये उधर से आ जाएंगे, टोटल 18 करोड़ रुपये मिल जाएंगे, तो यह भी एक बड़ी योजना विचाराधीन है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। यह जो पुलिस स्कीम है, यह बड़ी पापुलर स्कीम है। इसको लेकर आपके पास और भी कोई बात है तो आप बताना। आप चाहते हैं कि इसमें और ज्यादा सुधार हो सकता है और पुलिस डिपार्टमेंट को फायदा होगा तो आप बता देना, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जी, इसमें सीधा प्रश्न है जब यह स्मार्ट कार्ड नहीं था तब उस पुलिस वाले को डीलक्स में जाने की सुविधा थी। क्या आप आरएफआईडी लागू करने के बाद वह सुविधा डीलक्स में भी अलाउ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यह प्रश्न है उनका।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, आपने बिलकुल ठीक कहा, जब यह स्मार्ट कार्ड नहीं था तब पुलिस डिपार्टमेंट का व्यक्ति जो वारंट लेकर जाता था और यदि वह डीलक्स का किराया लेता था तो उसको होम डिपार्टमेंट भुगतता था। अभी हमने जो सुविधा दी है वह साधारण बसों में दी है। डीलक्स में इसलिए नहीं दी है क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर है। यदि वह वारंट लेकर जाता है तो अभी भी वह पैसा होम डिपार्टमेंट ही भुगतता है। आगे के लिए इन्होंने जो बात की है, उसको विचारार्थ ले लेंगे लेकिन अभी डीलक्स में और वोल्वो बसों में यह सुविधा नहीं दी गई है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गुलाब चन्द कटारिया।

जयपुर जिला मुख्यालय पर अल्पसंख्यक बालक छात्रावास का निर्माण

115. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या अल्पसंख्यक मामलात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या जिला मुख्यालय जयपुर में वर्ष 2020-21 के बजट में 100 शय्याओं के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो उक्त भवन निर्माण हेतु कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितनी व्यय हुई एवं कितनी राशि शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(2) क्या उक्त भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो अब कब तक निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

अल्पसंख्यक मामलात मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) जी हां। जिला मुख्यालय, जयपुर में वर्ष 2020-21 की बजट घोषणा में 100 शय्याओं के अल्पसंख्यक बालक छात्रावास भवन का निर्माण राशि 500.00 लाख रुपये से कराये जाने की घोषणा की गई थी। (परिशिष्ट-'1')

उक्त छात्रावास भवन के निर्माण हेतु राशि 418.16 लाख रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है (तकनीकी स्वीकृति के आधार पर)। विवरण परिशिष्ट-'2' पर संलग्न है।

कार्यकारी एजेंसी सार्वजनिक निर्माण विभाग को राशि 100.00 लाख रुपये के आहरण वितरण के अधिकार दिये जा चुके हैं। छात्रावास भवन निर्माण हेतु टेण्डर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(2) कार्यकारी एजेंसी द्वारा टेण्डर की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विवरण परिशिष्ट-'3' पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि बजट वर्ष 2020-21, 31 मार्च को समाप्त हो जाएगा। इस अल्पसंख्यक छात्रावास में 100 शय्याएं बनानी थीं और उसकी मंजूरी 5 करोड़ रुपये की थी। आपने इसमें बताया कि आपने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति दे दी। एक तो आप यह बता दें कि आपने वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति कब दी और पीडब्ल्यूडी विभाग को आपने इस काम को करने के लिए कब अधिकृत किया? आप वे तारीखें बता दें।

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, वैसे हमने पूरी प्रक्रिया के लिए परिशिष्ट-3 पर संलग्न कापी दी है। धरोहर राशि के लिए टेण्डर की तारीख 24.02.2021 थी और इनकी निविदा 24.01.2021 को रखी गयी थी और खोलने की तारीख 24.02.2021, यानी चार दिन पहले की थी। हमारे विभाग की तरफ से पत्र 27.04.2020 के अनुसार ई-ग्रास पर ऑनलाइन के माध्यम से चालान द्वारा पीडब्ल्यूडी को पैसा जारी किया है। हमने प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति 02.11.2020 को दी है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): इतना बड़ा काम था कि जिसकी वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति, साल का अंत हो रहा है। आप जो बता रहे हो कि 27 तारीख को हमने इसके टेण्डर प्रोसेस का काम शुरू किया। आप अभी बता रहे हो कि यह चौथे महीने में जाकर होगा तो अल्पसंख्यक बच्चों के लिए आपने जो 2020-21 के बजट में हास्टल बनाने की घोषणा की, केवल पांच करोड़ में। उसके प्रोसेस में जो इतना विलम्ब हुआ, उसमें विभाग के अधिकारियों की लापरवाही है या नहीं है?

श्री शाले मोहम्मद (अल्पसंख्यक मामलात मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता खुद जानते हैं कि जैसे ही हमारा यह बजट पास हुआ मार्च में, उसके बाद लगातार एक साल तक कोरोना महामारी रही, उस महामारी में जितने विभाग हैं, उन सबको सफर करना पड़ा। जिस कोविड महामारी की वजह से सभी प्रक्रियाएं रुक गयी थीं। जैसे ही महामारी कम हुई, आफिस वापस खुलने लगे, उसके बाद हमने प्रक्रिया चालू कर दी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री गणेश घोघरा।

डूंगरपुर में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों में पोषाहार का वितरण

116. श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में कितने आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं? क्या उक्त सभी के भवन बने हुए हैं? यदि हां, तो कितनों के? क्या सरकार भवन रहित आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन बनवाने का विचार रखती है?

(2) उक्त आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पोषाहार में क्या-क्या खाद्य सामग्री कितनी-कितनी मात्रा में वितरित की जाती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार कुपोषित व कमजोर बच्चों के लिए अलग से स्वास्थ्य विभाग की गाइड लाइन के अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास (श्रीमती ममता भूपेश): (1) विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर के अन्तर्गत 2 परियोजनाएं क्रमश: डूंगरपुर एवं बिछीवाड़ा संचालित हैं, जिसमें डूंगरपुर के 212 एवं बिछीवाड़ा के 287, कुल 499 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित हैं। आंगनबाड़ी केन्द्र संचालन की स्थिति निम्नानुसार है-

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

क्र. सं.	परियोजना	स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्र	विभागीय भवन	स्कूल भवन	अन्य सरकारी भवन	सामुदायिक भवन	किराये के भवन
1	डूंगरपुर	212	125	41	2	41	3
2	बिछीवाड़ा	287	145	99	10	33	0
	योग	**499**	**270**	**140**	**12**	**74**	**3**

आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

(2) आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग द्वारा कम वजन एवं अति कम वजन वाले बच्चों को उपलब्ध कराये जा रहे पोषाहार का विवरण परिशिष्ट "अ" में ही समाहित है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में कई आंगनबाड़ियां ऐसी हैं, जो कच्ची झोपड़ियों में चल रही हैं। वहां बच्चों के बिठाने की समस्या है, वहां सांप, बिच्छू और अन्य जानवर होते हैं। ऐसी स्थिति में वहां आंगनबाड़ियां चल रही हैं तो क्या आप वहां भवन बनाने का विचार रखते हैं या नहीं?

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, निश्चित रूप से ट्राइबल एरिया के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में इस तरह की समस्याएं हैं। जैसे ही विभाग के पास वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे और पंचायती राज विभाग और स्थानीय निकाय विभाग द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा अगर नि:शुल्क जमीन आबंटित की जाएगी तो वित्तीय संसाधनों के आधार पर उन भवनों का निर्माण करवाया जाएगा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): सर, एक यह पूछना चाहूंगा, इसमें जो पोषाहार का दिया है कि गेहूं 1 किलो 500 ग्राम, चावल 1 किलो 500 ग्राम, चना दाल ग्रेड-ए 3 किलो। ये केवल आंकड़ों में दिया है, लेकिन धरातल पर

(श्री गणेश घोघरा)
यह गर्भवती व धात्री महिलाओं तथा किशोरी बालिकाओं को नहीं मिल रहा है। इन्होंने 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी आंकड़े दिये हैं, लेकिन वास्तविक धरातल पर वहां पर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं को यह पोषाहार नहीं मिल रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्रीमती ममता भूपेश (राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा कोरोना काल को देखते हुए साबुत अनाज की व्यवस्था की गयी थी। माननीय सदस्य ने अपने विधान सभा क्षेत्र के लिए चिंता व्यक्त की है, निश्चित तौर पर इसकी जांच करवायी जाएगी और अगर कोई भी मानदेय या स्थायी कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

मुझे सदन को बताते हुए एक चीज के लिए बहुत प्रसन्नता है कि हमारी सरकार अति कुपोषित बच्चों और सामान्य बच्चों के लिए चिंतित है। बच्चों के साथ-साथ जैसे माननीय सदस्य ने गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं की चिंता व्यक्त की है, मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि 19 नवम्बर, 2020 को इन्दिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार द्वारा 5 जिलों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, उदयपुर, प्रतापगढ़ के अंदर शुरू की गयी है, जिसमें द्वितीय गर्भधारण के दौरान महिला को 6 हजार रुपये की राशि उनके पोषण के लिए दी जा रही है। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत में पहला ऐसा राज्य है जो 100 परसेंट पैसा राज्य सरकार के अंशदान से देकर महिलाओं के प्रति चिंतित है और दूसरे गर्भधारण के अंदर कोई भी राज्य नहीं दे रहा है। प्रथम गर्भधारण में पीएमईवाई योजना के तहत भारत सरकार और हमारा 60-40 का रेशो है, लेकिन इन पांच जिलों में अति कुपोषण को ध्यान में रखते हुए दूसरे गर्भधारण पर 6 हजार रुपये हम संस्थागत तरीके से दे रहे हैं, राजस्थान ऐसा पहला राज्य है। माननीय मुख्य मंत्री जी महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों के प्रति चिंतित हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवीर सिंह लूथरा।

श्रीगंगानगर जिले के पंचायत समिति मुख्यालयों पर खेल मैदान का निर्माण

117. श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): क्या युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री बलवीर सिंह लूथरा)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पंचायत समिति मुख्यालयों पर खेल मैदान का निर्माण कराया गया है? यदि हां, तो जिला श्रीगंगानगर की किन-किन पंचायत समिति मुख्यालयों पर निर्माण कराया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रायसिंहनगर विधान सभा की रायसिंहनगर व श्रीविजयनगर पंचायत समिति मुख्यालयों पर खेल मैदान के निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल (श्री अशोक): (1) जी हां। युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा श्रीगंगानगर की सूरतगढ़ पंचायत समिति में विभिन्न खेल मैदानों का निर्माण कराया गया है।

इसके अतिरिक्त नगरपालिका द्वारा पदमपुर, अनूपगढ़, करणपुर, सूरतगढ़, घड़साना खेल मैदान/स्टेडियम का कार्य कराया गया। विवरण परिशिष्ट 'क' पर संलग्न है।

(2) जी हां। युवा मामले एवं खेल विभाग द्वारा खेल मैदानों के निर्माण बाबत बजट उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री बलवीर सिंह लूथरा (रायसिंहनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बजट उपलब्धता और गुणावगुण का आधार क्या है?

श्री अशोक (राज्य मंत्री, युवा मामले एवं खेल): आधार की बहुत बड़ी स्टोरी है, परिभाषा है और आपने 24 तारीख को जो एक शानदार बजट सुना, उसके तहत बजट घोषणा 2021-22 में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना के तहत आपके सभी के ब्लाक्स में विधायक/सांसद निधि, जनप्रतिनिधि, जनसहयोग, सीएसआर से प्राप्त राशि के बराबर ही सरकार द्वारा भी लागत लगायी जाएगी। जितनी मीठी चाय पीनी है, उतना गुड़ डालें, आपका बहुत-बहुत स्वागत है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा में विवाह सहायता योजना के लाभार्थी

118. श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री प्रताप लाल भील) (गमेती)

(1) विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में विगत एक वर्ष में कितने लोगों को विवाह सहायता, छात्रवृत्ति तथा अन्य सभी योजनाओं से लाभान्वित किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त सभी योजनाओं में नामवार, ग्रामवार कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, श्रम (श्री टीकाराम जूली): (1) विवाह सहायता योजना मण्डल द्वारा वर्ष 2011 में लागू की गई थी जो 31.12.2015 तक प्रभाव में थी। उक्त के अतिरिक्त विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में विगत एक वर्ष में मण्डल द्वारा संचालित योजनाओं में कुल 485 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में उक्त सभी योजनाओं में लाभान्वितों का नामवार, ग्रामवार, राशिवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, ये जो शुभशक्ति विवाह योजना है, वह 2011 से लगाकर 2015 तक लागू थी। क्या सरकार अब इस योजना को आगे लागू करने की मंशा रखती है? इसके अलावा मैंने विधान सभा में तारांकित और अतारांकित इसी विषय पर प्रश्न रखे थे, दोनों के फिगर अलग-अलग हैं और दोनों एक ही डेट में निकले हुए हैं। जो भी अधिकारी इसमें दोषी हैं, क्या उन पर कार्यवाही की जाएगी?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): माननीय अध्यक्ष महोदय, विवाह सहायता योजना बंद होने के बाद में विभाग द्वारा शुभशक्ति योजना लागू की गयी है, जो कि मुख्य तौर पर जो श्रमिक हैं, उनकी बच्चियों के कौशल विकास के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए लागू है। यह अभी जारी है। बजट की अनुपलब्धता के कारण, अभी स्कीम बंद नहीं है, भुगतान अभी रोका हुआ है जो बहुत ही जल्दी शुरू होगा।

दूसरा, जो आपने कहा कि फीगर में गड़बड़ है, आपको अंतर मिला है तो आप बताएं, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो पंजीयन ऑनलाइन है इसमें रोजाना 24 घंटे पंजीयन चलता रहता है तो फीगर निश्चित तौर पर घटते-बढ़ते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सेम है। आप उसको अतारांकित में पढ़ेंगे तो भी वे ही शब्द हैं और तारांकित में पढ़ेंगे तो भी वे ही शब्द हैं। उसका जो जवाब है, उसमें दोनों में ही फीगर का अंतर है। इसका मतलब यह तो तय हो गया कि अधिकारी ने सीरियसली प्रश्न को ठीक ढंग से देखकर जवाब नहीं बनाया। एक में उत्तर कुछ दे रहा है, दूसरे में उत्तर कुछ दे रहा है। एक में फीगर कुछ बता रहा है, दूसरे में फीगर कुछ बता रहा है। ये तो अपने आप में प्रमाणित हो गया। आप उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे क्या?

श्री टीकाराम जूली (राज्य मंत्री, श्रम): निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं यह जानना चाहूंगा कि फीगर क्या है? कौनसा तारांकित-अतारांकित में है? निश्चित तौर पर कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठिए। माननीय मंत्री जी, बैठिए। जब गलत जवाब आए तो उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को फोलो करें। सरकारी स्तर पर कार्यवाही होगी।

अगला प्रश्न। श्रीमती अनिता।

गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में रिक्त पद

119. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विभाग में आरक्षी से लेकर कम्पनी कमाण्डर तक कितने पद स्वीकृत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विभाग में बोर्डर होमगार्ड, आरक्षी, मुख्य आरक्षी, प्लाटून कमाण्डर एवं कम्पनी कमाण्डर के लगभग सभी पद रिक्त हैं? यदि हां, तो उक्त रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को शीघ्र भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा (श्री भजनलाल जाटव): (1) गृह रक्षा विभाग में आरक्षी से लेकर कम्पनी कमाण्डर तक कुल 609 पद स्वीकृत हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद
1	कंपनी कमाण्डर	54
2	प्लाटून कमाण्डर	180
3	मुख्य आरक्षी	142
4	आरक्षी	233

(राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा)

(2) गृह रक्षा विभाग में बोर्डर होम गार्ड में आरक्षी, मुख्य आरक्षी, प्लाटून कमाण्डर, कम्पनी कमाण्डर तक 208 रिक्त पद हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	पदनाम	स्वीकृत पद
1	कंपनी कमाण्डर	16
2	प्लाटून कमाण्डर	54
3	मुख्य आरक्षी	8
4	आरक्षी	130
5	बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवक	290

(3) जी हां। वर्तमान में उक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया आयोजित किये जाने हेतु गृह रक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 2021 मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं। उक्त नियमों की अधिसूचना जारी किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवकों के रिक्त 290 पदों में से 115 रिक्त पदों पर नामांकन प्रक्रिया हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जिन पर नामांकन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसके बारे में पूछना चाहूंगी कि प्रश्न का जो दूसरा खण्ड है, उस दूसरे खण्ड में बोर्डर होम गार्ड स्वयंसेवकों के 290 पद रिक्त बताए हैं, लेकिन पद स्वीकृत कितने हैं, प्रश्न में ये जवाब नहीं दिया कि कितनी कंपनीज बनी हुई हैं और कितने पद स्वीकृत हैं। उन स्वीकृत पदों के अंगेस्ट ये खाली हैं, ये नहीं बताया है। दूसरा, आप बोल रहे हैं कि जो 290 पद खाली हैं, उन 290 पदों में 115 रिक्त पदों पर नामांकन की प्रकिया प्रारम्भ कर दी गयी है। जब 290 पद खाली हैं तो 190 पर ही प्रक्रिया क्यों प्रारम्भ की है? 290 के 290 पदों पर प्रक्रिया कब प्रारम्भ करेंगे? पहले इन दो प्रश्नों के जवाब दें, फिर मैं तीसरा प्रश्न पूछती हूं।

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुल पद हमारे पास में बोर्डर होम गार्ड के हैं, वे 2664 पद हैं और आन रोल जो हमारे ड्यूटी पर हैं, वे 2374 हैं और जो मैंने आपको रिक्त पद बताए 290, वे हैं।

(श्री भजनलाल जाटव)

जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि ये 290 क्यों? ये जब भर्ती हमने निकाली थी, 2018 में आप ही की सरकार थी, उस समय जब यह नामांकन की संख्या निकाली थी, उस समय 115 रिक्त पद थे।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय स्वयं कह रहे हैं कि आपके समय के ये 115 पद हमने निकाल रखे हैं। हम कह रहे हैं कि ये हमने निकाले हुए हैं तो आपके समय जो खाली हुए हैं उनका बता दें कि दो-तीन साल में ये खाली हुए हैं, इनकी प्रक्रिया कब तक प्रारम्भ करेंगे? एक प्रश्न मेरा यह है। इसका जवाब आपने नहीं दिया। तीसरा, मेरा प्रश्न है, आप कह रहे हैं कि 2021 मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा अनुमोदित किये जा चुके हैं, सेवा नियम और सेवा नियम अनुमोदन के बाद में अधिसूचना जारी होगी। अधिसूचना तो गजट नोटिफिकेशन ही जारी होता है। कोई लंबी-चौड़ी प्रक्रिया नहीं है इसमें। मुझे यह बता दें कि आप इस अधिसूचना का गजट नोटिफिकेशन किस तारीख तक जारी करवा देंगे?

श्री भजनलाल जाटव (राज्य मंत्री, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि जो स्थायी होम गार्ड की स्थिति थी, मैं निश्चित तौर पर स्वीकार करता हूं कि बहुत ही पद इसमें रिक्त थे। मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता है और माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़ी गंभीरता से इसको लिया, जो हमारे स्थायी होम गार्ड्स हैं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को और सदन को बताना चाहूंगा कि58 साल हो गये, इसके सेवा नियम, अधिनियम ही नहीं थे और आज सेवा नियम बन गये तो शीघ्र वह नोटिफिकेशन हो जाएगा। वह इसलिए रुके हुए हैं कि जो नियम बनते हैं वह इंग्लिश के अंदर बनते हैं, उनका रूपान्तरण हिन्दी में होना है। जैसे ही रूपांतरण उसका हिन्दी में हो जाएगा, उसका नोटिफिकेशन हम कर देंगे। शीघ्र ही रिक्त पदों की भर्ती कर ली जाएगी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री रामनारायण मीना।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न...

श्री अध्यक्ष: आप सीनियर हैं। अगला प्रश्न।

पीपल्दा में भवनविहीन पशु चिकित्सालय

120. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री रामनारायण मीना)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में विभिन्न उप केन्द्रों, औषधालयों एवं चिकित्सालयों आदि के लिए राजकीय भवन उपलब्ध करवाये जाने के आदेश, परिपत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त भवनविहीन चिकित्सालयों के संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में उक्त श्रेणी के चिकित्सालयों के लिए विभिन्न स्थानों पर राजकीय भवन निर्मित नहीं हैं? यदि हां, तो किस-किस कारण से तथा उक्त भवनविहीन चिकित्सालयों के भवन अब कब तक निर्मित करवाया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पशुपालन मंत्री (श्री लालचन्द कटारिया): (1) जी हां। राजकीय भवन विहीन पशु चिकित्सा संस्थाओं के स्थान पर नवीन भवन निर्माण करवाये जाने के लिए विभाग के नाम भू स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त करने एवं अन्य किसी विभाग में निर्मित राजकीय भवन, जो कि वर्तमान में अनुपयोगी हैं, को आबंटित किये जाने के लिए समस्त जिला कलेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् को समय-समय पर पत्र लिखे जाते हैं।

भवन विहीन पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण विभाग के नाम भूस्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से वर्तमान में नाबार्ड की रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेन्ट फन्ड (RIDF) योजना अन्तर्गत करवाये जा रहे हैं।

(2) जी हां। भवन विहीन पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवन निर्माण विभाग के नाम भूस्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से कराये जाते हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्रश्न प्रदेश के चिकित्सालयों का है, बहुत गंभीर प्रश्न है। ये प्रश्न मेरे लगाने का मुख्य कारण है, माननीय मंत्री जी, मेरे क्षेत्र में 33 सब तरह के केन्द्र हैं, चिकित्सालय मिलाकर। उनमें से 25 में भवन नहीं है। हमने हरित क्रांति का, श्वेत क्रांति का...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि एक तो आपको यह बताना चाहिए था कि प्रदेश में कितने चिकित्सालय किस-किस श्रेणी के हैं? उनमें कितने में भवन नहीं है? ताकि दयनीय स्थिति का पता चलता। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं रायथल जैसा केन्द्र बूंदी जिले में हैं वहां पर अभी तक पुराना पशु चिकित्सक बैठता कहां है, यह भी पता नहीं है। इसलिए आपने जो RIDF की बात की है...

श्री अध्यक्ष: माननीय, प्रश्न पूछिए। स्पेसिफिक प्रश्न पूछिए।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): प्रश्न पूछ रहा हूं। अधिकारी इनके पत्रों की वैल्यू क्यों नहीं कर रहे? भवनों के काग़ज़ात क्यों नहीं दे रहे, क्या-क्या कारण हैं? आप अपनी जो कमजोरी है उसको सदन के सामने प्रस्तुत करें।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि पीपल्दा विधान सभा में 33 उप केन्द्र हैं, उनमें से 6 केन्द्रों का निर्माण अभी चालू है। मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि उप केन्द्र मदनपुरा, उप केन्द्र टाकरवाड़ा, उप केन्द्र पडासलिया, उप केन्द्र खडली तवरान, उप केन्द्र खेरूला, उप केन्द्र मंडावरा, इन 6 उप केन्द्रों का काम चालू है। एक उप केन्द्र की हाल ही में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है, वह है बागली।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें 35 लाख 90 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया, मैंने पहले ही बताया कि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यह काम कराए जाते हैं, पर कुछ में, मेरे जवाब में, पट्टे उपलब्ध नहीं हैं। ग्राम पंचायतों द्वारा जमीन उपलब्ध कराने के लिए पट्टे समय-समय पर मांगे जाते हैं। विभाग द्वारा भी, कलेक्टर के माध्यम से भी और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा, जो हमारे विभाग को देखते हैं। जैसे ही पट्टा उपलब्ध होता है, निश्चित तौर पर हम उस पर कार्यवाही करते हैं।

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इतने उप केन्द्र, स्वास्थ्य केन्द्रों में भवन नहीं हैं, जैसा कि मैंने रायथल का नाम बताया। क्या पंचायतों के सेक्रेटरी आपकी वैल्यू नहीं मानते, पट्टा नहीं देते, क्या कारण है? इनको किस योजना में, कब तक आप पूर्ण कर देंगे? विशेषकर रायथल सबसे पुराना केन्द्र है।

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जी ने पंचायत के बारे में बात कही है। पंचायत का पट्टा उपलब्ध कराना विभाग का काम नहीं है, पर निश्चित तौर पर हम विभाग की तरफ से कलेक्टर को भी लिखते हैं, हमारे अधिकारी सम्पर्क भी करते हैं। जैसे-जैसे पट्टे मिलते हैं, हम वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर वह काम करवाते हैं। रायथल...

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): कब तक कर देंगे?

श्री लालचन्द कटारिया (कृषि मंत्री): रायथल, जिस बूंदी के लिए कह रहे हैं, माननीय सदस्य बताना नहीं चाह रहे, यह उनका खुद का गांव है। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहूंगा, इनको उसकी चिंता है। अगले वित्तीय वर्ष में वहां भवन बना दिया जाएगा। पट्टा उपलब्ध करवा दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): प्रश्न संख्या 122.

श्री अध्यक्ष: सारी, एक मिनट, विराजिए। श्रीमती इन्द्रा।

दूध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि

121. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या गोपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में विभाग के माध्यम से कितनी दूध डेयरियां संचालित की जा रही हैं? ज़िलेवार विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) सरकार द्वारा उक्त दूध डेयरियों पर दूध उत्पादकों को किस हिसाब से कितनी राशि का भुगतान किया जा रहा है तथा उक्त को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध करवायी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या दूध उत्पादकों को प्रतिवर्ष प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है? यदि हां, तो किस योजना में व कितनी? क्या उक्त प्रावधानानुसार प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अध्यक्ष: पशुपालन मंत्री।

गोपालन मंत्री (श्री प्रमोद भाया): (1) प्रदेश में राजस्थान को-आपरेटिव डेयरी फैडरेशन से सम्बद्ध 21 जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघों के डेयरी प्लान्ट हैं, जिनसे राज्य के सभी 33 ज़िले जुड़े हुए हैं। दुग्ध संघवार/जिलेवार विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है। सभी 33 ज़िलों में प्राथमिक दुग्ध उत्पादक

(गोपालन मंत्री)

सहकारी समितियां कार्यरत हैं, जो जिला संघों के माध्यम से इन डेयरी प्लान्टों से जुड़ी हुई हैं।

(2) आरसीडीएफ से सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध संघ क्षेत्र में गठित दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादक सदस्यों को दुग्ध का भुगतान प्रति किलो फैट के हिसाब से किया जाता है, जिसका विवरण परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

आरसीडीएफ से सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के दुग्ध उत्पादकों को राज्य के सभी विधान सभा क्षेत्रों में उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-ग पर संलग्न है। विधान सभा क्षेत्र वार पृथक-पृथक सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं।

(3) जी हां। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 1 फरवरी, 2019 से सहकारी क्षेत्र की डेयरियों को दुग्ध की आपूर्ति करने वाली दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजनान्तर्गत रुपये 2 रुपये प्रति लीटर का प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा उक्त योजना को वर्ष 2020-21 के बजट में भी जारी रखा गया है। उक्त प्रावधानानुसार जिला दुग्ध संघों द्वारा दुग्ध उत्पादकों को देय निर्धारित दुग्ध क्रय दर के अतिरिक्त रुपये 2 रुपये प्रति लीटर की दर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये।)

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगी कि बामनवास विधान सभा क्षेत्र में गांव के स्तर पर दुग्ध ठंडा करने की मशीनें, जिनको बीएमसी कहते हैं। दूसरा, माडर्न डेयरी मशीन, जिनको एमडीएम कहते हैं, वे कितने प्लांट लगे हुए हैं? नये बीएमसी व एमडीएम सरकार लगाने की योजना बना रही है या नहीं?

श्री प्रमोद भाया (खान मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय विधायक जी के विधान सभा क्षेत्र बामनवास में दो बीएमसी लगी हुई हैं। सवाईमाधोपुर ज़िले में कुल आठ बीएमसी लगी हुई हैं। माननीया सदस्या जी के क्षेत्र में बीएमसी लगाने का प्रश्न है, वह जहां लगाना चाहती हैं, उसका प्रस्ताव दें। उसका परीक्षण करवाकर, संसाधनों के आधार पर, स्वीकृत करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। साथ ही एमडीएम का जिक्र किया, माननीय अध्यक्ष महोदय, एमडीएम मशीनों को लगाने की स्वीकृति नियमित रूप से

(श्री प्रमोद भाया)
सामान्यतया भारत सरकार से प्राप्त होने पर लगाई जाती है। माननीया सदस्या जी अपने क्षेत्र की मांग देवें, उसके अनुरूप जिस योजना में स्वीकृत हो सकेगी, हम करने का प्रयास करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री बलवान पूनियां।

सहकारी समितियों में प्रशासक नियुक्त कर ऋण वितरण

122. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि प्रदेश की सहकारी समितियों में ऑनलाइन कृषक सदस्य बनने के पश्चात् भी किसानों को अध्यक्ष व व्यवस्थापक द्वारा ऋण नहीं दिया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार प्रशासक नियुक्त कर ऋण वितरण करवाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सहकारिता मंत्री (श्री अंजना उदयलाल): जी नहीं।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सवाल यह है कि जब किसान का ऑनलाइन आवेदन हो गया, उसको व्यवस्थापक और अध्यक्ष ऋण नहीं देते, फिर सहकारी समिति में ऑनलाइन करने का औचित्य क्या है?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): हमारी सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था करके ऋण को पारदर्शी किया है। माननीय सदस्य की जो शिकायत आई है, तकनीकी खराबी के कारण ऑनलाइन नहीं हो रहा है लेकिन उसकी व्यवस्था सुधार ली गई है। मैं आश्वासन देता हूं कि सात दिन में पूरे राजस्थान में समस्त ऑनलाइन काम हो जाएगा और व्यवस्थापकों द्वारा कहीं त्रुटि की गई तो आटोमैटिक बैंक के खाते में चला जाएगा और बैंक उसका निस्तारण कर देगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एक समिति में अधिकतम सीमा कितने कृषकों को ऋण देने की रहेगी?

श्री अंजना उदयलाल (सहकारिता मंत्री): जितनी भी मांग आएगी, सबको ऋण दिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। गोपी चन्द मीणा।

जहाजपुर में फौजी कैंटीन की स्वीकृति

123. श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गोपी चन्द मीणा)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के अन्तर्गत फौजी एवं सेवानिवृत्त फौजी के परिवार निवास करते हैं? यदि हां, तो ग्राम पंचायतवार नाम सहित सूची सदन की मेज़ पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में इतनी अधिक संख्या में उक्त के परिवारों के निवास करने के उपरान्त भी उपखण्ड मुख्यालय पर फौजी कैंटीन स्वीकृत नहीं है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उपखण्ड मुख्यालय पर फौजी कैंटीन की स्वीकृति प्रदान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

सैनिक कल्याण मंत्री (श्री प्रताप सिंह खाचरियावास): (1) जी हां।

विभाग में सेवारत सैनिकों का रिकार्ड संधारित नहीं होता है, बल्कि सशस्त्र सेनाओं से सेवानिवृत्त सैनिकों का सैन्य सेवा अभिलेखों में दर्ज निवास स्थान के अनुसार रिकार्ड संधारित किया जाता है।

तहसील/उपखण्ड क्षेत्र जहाजपुर के पंजीकृत 1094 पूर्व सैनिकों की सूची परिशिष्ट-क पर तथा 319 सैनिक विधवाओं की सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(2) जी हां। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर नहीं की जाकर स्थानीय सेना मुख्यालय द्वारा की जाती है, जो केन्द्र सरकार के अधीन है।

(3) जी नहीं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए सीएसडी कैंटीन स्वीकृत किये जाने की कार्यवाही राज्य सरकार के स्तर पर नहीं की जाकर स्थानीय सेना मुख्यालय द्वारा की जाती है, जो केन्द्र सरकार के अधीन है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री गोपी चन्द मीणा (जहाजपुर): विभाग में सेवारत सैनिकों का रिकार्ड संधारित नहीं होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है, राज्य सरकार विभाग में सेवारत सैनिकों का रिकार्ड संधारित करने हेतु विचार रखती है? दूसरा प्रश्न, भूतपर्व सैनिकों, अर्ध सैनिक बलों के लिए सीएसडी कैंटीन स्वीकृत करने के लिए राज्य सरकार क्या भारत सरकार को प्रस्ताव भिजवाना चाहती है?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार तो प्रस्ताव भेजती रहती है। आप भी जाकर थोडी मदद करो, केन्द्र सरकार से कुछ करवाया करो। गैस सिलेंडर को लेकर लोग रो रहे हैं। कुछ आप भी करो, मदद करो हमारी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। जगसी राम।

राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का निस्तारण

124. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में आमजन के उपयोगार्थ विभिन्न प्रमाण पत्र बनाने की समस्याओं के समाधान हेतु संपर्क पोर्टल पर शिकायत करने के उपरान्त भी उनका समय पर निस्तारण नहीं होता है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(2) राज. संपर्क पोर्टल पर विगत 6 माह में जोधपुर संभाग की कितनी शिकायतें आनलाइन की गईं व कितनी शिकायतों का निस्तारण किया गया एवं कितनी अब तक लंबित हैं? विवरण सदन की मेज़ पर रखें।

(3) क्या सरकार ई-गवर्नेंस में सार्थक जमीनी सुधार करते हुए ई स्टाम्प को मोबाइल एप से जोड़ने, पानी-बिजली के कनेक्शनों को ऑनलाइन करने व आर.टी.आई. आवेदन ऑनलाइन करने तथा प्रत्येक शिकायत को ऑनलाइन करने के पश्चात् समय पर समाधान नहीं होने पर संबंधित उच्चाधिकारी पर जुर्माना लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री (श्री शाले मोहम्मद): (1) राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आमजन की परिवेदनाओं का निराकरण विभागवार विषयवार निर्धारित अधिकारी द्वारा नियत समय सीमा में किये जाने एवं नियत समयावधि में निराकरण न होने की स्थिति में परिवेदना संबंधित उच्चतर अधिकारी को स्वत: अग्रेषित होने (Auto Escalation) का प्रावधान है। उच्चतर अधिकारी द्वारा ऐसी परिवेदना के समाधान के लिए कार्यवाही की जाती है।

(2) विगत 6 माह में जोधपुर संभाग की राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज, निस्तारित एवं लम्बित परिवेदनाओं का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) ई-स्टाम्प को मोबाइल एप से जोडे जाने का कोई प्रस्ताव पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के स्तर पर वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री)

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग द्वारा पानी के जल संबंध ऑनलाइन करने की शुरुआत पायलट बेसिस पर, मालवीय नगर उपखण्ड जयपुर में की गई है।

विद्युत वितरण निगमों द्वारा सभी श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों हेतु ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल एप (ऊर्जा सारथी, बिजली मित्र एवं विद्युत साथी एप) पर उपलब्ध है।

आर.टी.आई. आवेदन ऑनलाइन किये जाने के लिए आर.टी.आई. पोर्टल एवं परिवेदनाओं को ऑनलाइन किये जाने के लिए राजस्थान सम्पर्क पोर्टल संचालित किया जा रहा है।

राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं के अधिसूचित समय-सीमा में प्रदान नहीं किये जाने पर अपील प्रकरण में द्वितीय अपील अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित व समस्त अतारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया आगे देखें)

माननीय मंत्रीजी। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा, इस सदन की गम्भीरता रखनी है तो सदन की गम्भीरता रखें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अपने स्थान पर बैठें। यह कोई, सदन की अपन गरिमा ही नहीं रखेंगे तो मतलब ही नहीं है कुछ।

अनुपस्थिति अनुमति

ललित कुमार ओस्तवाल, श्री, सदस्य को 24 फरवरी, 2021 से 05 मार्च, 2021 तक

मुझे सदन को सूचित करना है कि श्री ललित कुमार ओस्तवाल, सदस्य विधान सभा ने शारीरिक अस्वस्थता के कारण दिनांक 24 फरवरी, 2021 से 05 मार्च, 2021 तक सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है।

क्या सदन की अनुमति है कि उन्हें सदन की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

दिनांक 01 मार्च, 2021 को अनुमति प्रदान की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, परम्पराओं को खतम करना चाहते हैं? स्पीकर लैग पर है तब भी हम कोई ऐसे मिलते हैं, सदन की गरिमा हम नहीं बनायेंगे तो यू-ट्यूब पर लोग देख रहे हैं कि सदन में हमारे जन प्रतिनिधि क्या काम कर रहे हैं। मैं आप सबसे भी निवेदन कर रहा हूं कि पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी में यदि हम स्टैंडर्ड, लोगों के सामने मापदण्ड नहीं रखेंगे तो हमारे लोकतंत्र को हम कमजोर करेंगे। इसलिए मैं बार-बार निवेदन कर रहा हूं कि जो परम्परा यहां रही है, जो नियम और कानून हैं, उनका पालन करें और सदन में ज्यादा से ज्यादा समय दें। सदन में चर्चा हो, उसमें अपने स्थान पर बैठकर पूर्ण शांति से उस प्रश्न के बारे में चर्चा को सुनें। आपका ज्ञानवर्द्धन होगा, जिससे आप और प्रभावशाली ढंग से गवर्नेंस कर सकेंगे। यह मेरा आप सबसे सानुरोध है कि जितनी हम सदन की गरिमा बनायेंगे वह हम सबके लिए और लोकतंत्र के लिए ठीक रहेगी।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई हैः-

(1) श्रीमती शोभा चौहान, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में मूलभूत सुविधओं का अभाव होने से उत्फ्न्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हमीर सिंह भायल, सदस्य की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा पुलिस उप निरीक्षक भर्ती, 2021 के लिए जारी की गयी विज्ञप्ति में EWS अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से धरियावद तहसील में विस्थापित आदिवासी समाज के अभ्यर्थियों को अनुसूचित क्षेत्र की भर्तियों से वंचित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री रामलाल शर्मा, सदस्य की ओर से वीर हनुमान मंदिर, सामोद में लगे रोप-वे को पुन: शुरू करने के सम्बन्ध में।

(5) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से रोहट से जालौर वाया आहोर सड़क खराब होने के बावजूद तीन-तीन जगह टोल वसूलने से आम जनता को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(6) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में प्रधान मंत्री आवास योजना में पात्र लाभार्थियों के नाम काटने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षकों की भर्ती नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से राष्ट्रवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं पर हो रहे जानलेवा हमलों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(1) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से पुलिस थाना फालना व देसूरी में वर्ष 2019 व 2020 में दर्ज मर्डर व अपहरण के मामलों में दोषियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने से स्थानीय वासियों में व्याप्त भय एवं आक्रोश से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री नरेन्द्र नागर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खानपुर में वन भूमि का विस्तार किये जाने से कृषि फसल को जानवरों द्वारा किये जा रहे नुकसान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से प्रदेश में हो रही भर्तियों में EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु एवं परीक्षा शुल्क में छूट नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से प्रदेश के राजकीय चिकित्सालयों में हो रही नवजात बच्चों की चोरी की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री नरेन्द्र नागर, श्री संजय शर्मा एवं श्री राजेन्द्र राठौड़ को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन में कोरोना काल में किसानों द्वारा कृषि विद्युत बिल जमा नहीं करवाये जाने पर विभाग द्वारा विद्युत कनेक्शन विच्छेद किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री प्रताप सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा में विकास अधिकारी द्वारा की जा रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरेन्द्र निनामा, सदस्य की ओर से राजस्थान पटवार संघ द्वारा पटवारी की ग्रेड-पे 3600 किये जाने की मांग को लेकर पटवारियों द्वारा की जा रही हड़ताल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्री धर्मेन्द्र कुमार, सदस्य की ओर से जिला हनुमानगढ़ की पीलीबंगा, रावतसर, गोलूवाला नगरपालिकाओं द्वारा आवासीय भूखण्डों का पट्टा जारी किये जाने के बावजूद कालोनियों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री जगसी राम, सदस्य की ओर से रेवदर मुख्यालय पर राजकीय नर्सिंग कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली जिले के रोहट तहसील के पटवार सर्किल के किसानों को खरीफ की फसल का वर्ष 2017 का बीमा क्लेम अब तक नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री रामनारायण मीना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा में दिनांक 2 जनवरी से 4 जनवरी, 2021 के दौरान बेमौसम की हुई बारिश एवं ओलावृष्टि से नष्ट हुई फसलों का विस्तृत सर्वे कराकर मुआवजा दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(8) श्रीमती अनिता भदेल, सदस्य की ओर से सौर ऊर्जा के नेट मीटरिंग की सुविधा गैर घरेलू (व्यावसायिक) बिजली (Non & Domestic LT and HT) उपभोक्ता को जारी रखने का प्रावधान पुन: लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

(9) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से जवाई बांध के पुनर्भरण

(श्री अध्यक्ष)

योजना की क्रियान्विति नहीं कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्रीमती शकुन्तला रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर में व्यर्थ बहकर जाने वाले पानी को रोकने हेतु एनीकट बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री गोपी चन्द मीणा, सदस्य की ओर से नगरपालिका जहाजपुर क्षेत्र को स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में जोड़कर विकास कार्य करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(12) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ एवं पंचायत समिति भदेसर के कर्मचारियों/अधिकारियों को अन्यत्र प्रतिनियुक्ति पर लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(13) श्री हाकम अली खां, सदस्य की ओर से पंचायत समिति फतेहपुर के 18 राजस्व ग्रामों की भूमि वन विभाग के नाम दर्ज कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री संदीप शर्मा, सदस्य की ओर से कोटा में एयरपोर्ट निर्माण हेतु राज्य सरकार द्वारा जमीन आबंटित किये जाने में हो रहे विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(15) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से प्रदेश में पूर्ण रूप से दिव्यांगजनों के लिए भरण-पोषण हेतु योजना बनाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अलाउ नहीं है। I'm on leg. I'll not allow it. रिकार्ड नहीं होगा, माननीय सदस्य, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 000

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं होगा। You cannot dictate. रिकार्ड नहीं होगा। You cannot dictate. You cannot dictate me. Kataria Ji, I'll

(श्री अध्यक्ष)

name him. माननीय कटारियाजी, I'll name him. Kataria Ji, I'll name him. I'll name him. Kataria Ji, I'll not tolerate it. Mr. Devnani, I'll name you. I'll ask you to go out. I'll name you. You can't dictate me.

धरना

(माननीय सदस्य श्री वासुदेव देवनानी द्वारा सदन कूप में धरना)

You can't dictate me. हां, बैठें यहां पर। You can't dictate me. आप जहां जगह है, जाइये। आप जहां जगह है, जाइये। Don't dictate me. Kataria Ji, I'll not allow it. I'm on leg. I'll not tolerate it. मुझे सहयोग कीजिये। मैं बैठा भी नहीं हूं और आप खड़े होकर डिक्टेट करना चाहते हैं। I will not be dictated. Do whatever you like. I'll name you. Please go outside. आप बाहर जाइये, आप बाहर जाइये। प्रस्ताव रखिये सदन से बाहर निकालने का। माननीय मंत्रीजी, प्रस्ताव रखिये दिन भर की कार्यवाही के लिए बाहर निकालें। I'll not tolerate it. I'll not tolerate it. I'll not tolerate it. मंत्रीजी, प्रस्ताव रखिये यहां पर। प्रस्ताव रखिये यहां पर। I'll not tolerate it. I'll not tolerate it. माननीय मंत्रीजी, आप प्रस्ताव रखिये यहां पर। I'll not tolerate it. I'll not tolerate it. Do whatever you like. I'll not tolerate it. माननीय मंत्रीजी, प्रस्ताव रखिये यहां पर।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: I'll not tolerate it. Do whatever you like, but, I'll not tolerate it. प्रस्ताव रखिये, माननीय मंत्रीजी। I'll not tolerate it. Do whatever you like. I am not going to be dictated by you. I'm not going to be dictated by anybody. आप प्रस्ताव रखिये, आप प्रस्ताव रखिये।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: हां, कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं है। No Problem. Mr. Rajendra Ji, you cannot dictate me. आप सब बाहर निकलें, कोई तकलीफ नहीं है। Nobody can dictate me. Nobody can dictate me. I'm on leg. I'm on leg. I'm on leg, I said. I'm on leg.

(श्री अध्यक्ष)

Please, otherwise, I'll name you. I'll not tolerate it. मैं उस तरह का अध्यक्ष नहीं हूं। आपका लीडर बैठा हुआ है और आपका सदस्य खड़ा होकर हल्ला करे और मैं चेयर पर हूं, यह कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं आप, प्रशिक्षण दे रहे हैं आप? एक सीनियर मैम्बर जो हैं, वह क्या एग्जाम्प्ल देंगे? I'll not tolerate it.

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, एक मिनट। माननीय कटारिया साहब कुछ कह रहे हैं, एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका विषय थोड़ा गंभीर था लेकिन आपने इसको स्थगन में सम्मिलित नहीं किया, वह उनकी पीड़ा थी और उसके कारण से वह ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, प्लीज, मैं आपका सम्मान करता हूं। मैं आपका सम्मान करता हूं पर मैं किसी को डिक्टेट करने की परमिशन नहीं दूंगा। इसकी गंभीरता क्या है, मैं इसकी गंभीरता नहीं समझ रहा हूं? इसकी गंभीरता है? स्थगन प्रस्ताव पर, इस पर दो मिनट बोलेंगे, यह गंभीरता है? यदि इसकी गंभीरता है तो आपको पूरा अधिकार है कि और तरह से लाकर प्रश्न उठाएं लेकिन आप तो एक के बाद एक सदस्य, इस तरह से सीनियर सदस्य यदि अध्यक्ष के आदेशों की अवहेलना करे तो मैं टोलरेट नहीं करूंगा। Please listen, मैं आपको पूरा सम्मान देता हूं। प्रतिपक्ष को पूरा समय देता हूं मैं, लेकिन आपके सदस्य आपके कंट्रोल में नहीं हैं। खुद अपनी लीडरशिप करने के लिए खड़े हो रहे हैं। आपके बैठने के बाद तो सम्मान होना चाहिए। मैं कम से कम उन सीनियर लीडर से यह अपेक्षा करता हूं। रोज मुझे किसी सीनियर लीडर को टोकना पड़े, यह मेरे लिए क्या अच्छी बात है?

मैंने पूरी की पूरी यह कोशिश की है कि सदन में प्रतिपक्ष को पूरी जगह मिलनी चाहिए, उनकी बात आनी चाहिए। मैंने कभी कोई इस तरह का नहीं किया है पर रोज ही कोई एक प्रश्न का उन्हीं ने ठेका ले रखा है कि राष्ट्र भक्त वह ही हैं, बाकी कोई सदस्य है ही नहीं? यह इस तरह से सदन नहीं चलेगा। सदन की गंभीरता के लिए माननीय सदस्य को भी उतना ही गंभीर होना पड़ेगा। अपने दल के नेता के प्रति उतना ही सम्मान रखना पड़ेगा और अध्यक्ष की चेयर के प्रति भी उतना ही सम्मान रखना पड़ेगा। मैं तो खड़ा हुआ

(श्री अध्यक्ष)

था, बैठा भी नहीं हूं। यह कोई परंपरा है? मैं अपनी रूलिंग दे रहा हूं, मैं बैठा भी नहीं हूं और आप खड़े हो गये। वह सीनियर लीडर हैं। मैं टोलरेट नहीं करूंगा, आप अन्यथा लें या कुछ भी लें, सदन इस तरह से नहीं चलेगा। सदन पहले भी चले हैं और आज भी चलेंगे लेकिन सदन में जब तक मैं अध्यक्ष हूं, मैं यह पूरी कोशिश करूंगा कि परंपराओं का निर्वहन हो और मैं यह आशा करता हूं, मैं इसलिए गुस्सा हो रहा हूं कटारियाजी। इसलिए नहीं हो रहा हूं देवनानीजी सीनियर लीडर हैं, कोई नया सदस्य करता तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती। कभी मदनजी दिलावर सीनियर सदस्य करे, कभी देवनानीजी, सदस्य करे और आप बैठे रहें, यह तो नहीं हो सकता।

मैं सीनियर लीडर जो हमारे विपक्ष के हैं, सबका सम्मान करता हूं लेकिन मैं कभी भी यह परंपरा स्टार्ट नहीं करूंगा कि प्रतिपक्ष का नेता बैठा रहे और सीनियर लीडर अपोजिशन का खड़ा होकर अध्यक्ष को हैकल करे। (व्यवधान) मैं प्लीज, अलाउ नहीं करूंगा। I say, I'll not allow it. I'll not allow it. मैं खड़ा हूं तब भी आप जेस्चर दे रहे हैं। मैं खड़ा हूं तब भी आप जेस्चर दे रहे हैं। आप अनुमति तो पढ़ें, पार्लियामेंट में, तीसरी बार एम.एल.ए. बने हैं, मंत्री रहे हैं, पार्लियामेंट्री डैमोक्रेसी में क्या सिस्टम है? You catch the eye. You don't know how to catch the eye. आप खड़े होकर इम्पोज करना चाहते हैं अध्यक्ष के ऊपर। I'll not tolerate it.

सदस्य का निलम्बन

वासुदेव देवनानी, श्री, सदस्य का एक दिन के लिए निलम्बन

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत कम अवसर ऐसे देखे हैं जब जिस तरीके की गंभीर घटना आसन की अवहेलना करते हुए, आसन के आदेश की अवहेलना करते हुए हुई हो। जिस प्रकार की आज घटना घटी है अजमेर उत्तर से आने वाले माननीय सदस्य श्री वासुदेवजी देवनानी ने जिस तरीके से यहां पर जो प्रदर्शन किया है, अपना विरोध का प्रदर्शन इस तरीके से नहीं होता है और जिस तरीके से जो यहां पर हरकत की गयी है, मैं प्रस्ताव करता हूं आपसे कि इनको आज-आज के लिए कम से कम हाउस से निकाला जाए और निकालने के बाद भी कल इनकी एंट्री माफी मांगने के बाद में ही हो पाएगी वरना नहीं हो पाएगी।

श्री अध्यक्ष: I'll not allow you. ...(Interruptions) I'll only allow Leader to speak. There is no word like deputy leader. I'll only allow Leader कटारियाजी। Now onwards, I'll not give any space which is beyond the Parliamentary democracy. There is no word like deputy leader. I'll only give an opportunity to the leader of this House. माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह सोचता हूं कि आसन को इस बात की पीड़ा हुई कि वह खड़े थे और उनको अपनी बात नहीं कहनी थी, वह बैठने के बाद भी अपनी बात को कह सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं यह सोचता हूं कि इस घटना के लिए आप उनको दिन भर निकालने का जो प्रस्ताव ला रहे हैं, मैं यह सोचता हूं कि ऐसा इतना बड़ा एकदम कोई वातावरण नहीं हो गया। अगर आप वातावरण को केवल गर्म ही रखना चाहते हो तो आपकी इच्छा है लेकिन मैं यह सोचता हूं कि यह इतना बड़ा नहीं है। मैंने स्वयं ने जब यह स्वीकार कर लिया कि आप जब तक खड़े थे तब तक उनको यह विषय नहीं उठाकर... (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप क्या आसन को दबाव में लेना चाहते हैं कि अगर आसन इस तरीके से गर्म रखना चाहते हैं क्या? अर्थ क्या है फिर आपका यह कहने का? यह कहने का क्या अर्थ है? अगर आसन को दबाव में लेना चाहते हैं... (व्यवधान)...

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह क्या हो रहा है? अभी मैं बोल रहा हूं और आप खड़े हैं यह अच्छी बात है न? यह नियम की पालना है न? मैं आसन से यह कह रहा हूं और उसके बाद भी अगर आप निर्णय लेना चाहते हो तो फिर हम सब लोग बाहर जाएंगे। मैं यह सोचता हूं कि इस वातावरण को, इतना अधिक यह मामला नहीं है कि जिसके कारण से आपने इसको इस रूप में दिया है। मेरा आसन से यह आग्रह है, निवेदन है कि इस प्रकार के प्रस्ताव के आधार पर इस वातावरण को, जो एक अच्छे ढंग से सदन चलने का एक प्रोसेस अबकी बार शुरू हुआ है मैं यह सोचता हूं कि इनको इन छोटी-छोटी बातों पर एहसास हो गया, मैंने स्वयं ने मान लिया कि आप खड़े थे, तब उन्हें नहीं बोलकर आपके बैठने के बाद अगर वह अपनी मन की कोई बात कहना चाहते थे तो कह सकते थे निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं है लेकिन इसके लिए इतना बड़ा अगर निर्णय आप लेना चाहेंगे हाउस से, आपके पास बहुमत है, ले सकते हैं लेकिन मैं यह सोचता हूं कि इस प्रकार का निर्णय अगर लेना प्रारम्भ हो गया तो फिर मैं यह सोचता हूं कि आप और हम, दोनों लड़ते-लड़ते ही पूरा समय करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, आपने अभी तक खेद प्रकट के संबंध में नहीं बोला है। (व्यवधान) एक मिनट, माननीय सदस्य।

मैं आपसे यह अपेक्षा करता, आप कम से कम यह तो कहते कि यह बिहेवियर खेदजनक है, आपने यह सेंटेंस भी नहीं कहा है। आपने यह कहा है कि ऐसा करेंगे तो हम ऐसा करेंगे। मतलब, यह अध्यक्ष पर दबाव है कि यदि मैं इनको निकालूंगा तो सब निकलेंगे हम, कोई तकलीफ नहीं। यदि आपका, प्रतिपक्ष का यही रुख है तो मुझे उसे कहने में कोई तकलीफ नहीं है। (व्यवधान) मैं फिर यह निवेदन करना चाहता हूं, आप सीनियर आदमी हैं, आपने यह व्यक्त भी नहीं किया है, एक शब्द भी व्यक्त नहीं किया है कि इस पर, यह उनका व्यवहार ठीक नहीं है, यह आपने व्यक्त नहीं किया है। आपने यह कहा कि यदि ऐसा करेंगे तो फिर हम भी ऐसा करेंगे और वातावरण को दूषित करेंगे। इसका मतलब अध्यक्ष के प्रति आपका जो निर्णय है, उस निर्णय में आप मुझे यह कह रहे हैं कि आप यदि इसको विदड्रा नहीं किया तो फिर हम ऐसा करेंगे।

मैं यह समझता हूं कि आप जैसा सीनियर संजीदा प्रतिपक्ष का नेता, उससे मैं यह अपेक्षा नहीं कर रहा था कि आप कम से कम इस तरह की बात को करेंगे। आपको खड़े होकर यह कहना चाहिए था, मैं आपसे यह आशा कर रहा था कि यह खेदपूर्ण व्यवहार है इनका, तब तो हमें समझ में आता। आप तो मुझे ही यह कह रहे हैं कि आपने इस तरह की छोटी-छोटी घटना में यह निर्णय लिया तो फिर हमें यह करना पड़ेगा। मैं यह समझता हूं कि यह संसदीय लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपन की स्थिति है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रस्ताव पर आपके आदेश की प्रतीक्षा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी, मेरे कहने के बाद खुद माननीय

(श्री अध्यक्ष)

सदस्य को भी ज्ञान होना चाहिए कि मुझे क्या करना है। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। एक मिनट। नहीं, सदस्य को भी कोई नहीं बोलना, खेद प्रकट नहीं करना?

सदन से मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव रखा है, उसके पक्ष में जो हों, वह हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: जो विपक्ष में हों, वह ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री अध्यक्ष: जो प्रस्ताव के पक्ष में हों, वह हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: जो प्रस्ताव के विपक्ष में हों, वह ना कहें।

अनेक माननीय सदस्य: ना।

श्री अध्यक्ष: हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव पास किया जाता है।

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (अनुपस्थित)। श्री नरेन्द्र नागर (अनुपस्थित)। श्री संजय शर्मा (अनुपस्थित)। श्री राजेन्द्र राठौड़ (अनुपस्थित)।

नियम 295.

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (अनुपस्थित)। श्री प्रताप सिंह (अनुपस्थित)। श्री हरेन्द्र निनामा (अनुपस्थित)। श्री धर्मेन्द्र कुमार (अनुपस्थित)। श्री जगसी राम (अनुपस्थित)। श्री ज्ञानचंद पारख (अनुपस्थित)। श्री रामनारायण मीना।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

पीपल्दा में बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से नष्ट फसलों का मुआवजा

श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत ओलावृष्टि एवं बेमौसम बारिश से नष्ट हुई फसलों का विस्तृत सर्वे कर मुआवजा दिलाने के लिए निवेदन करना चाहता हूं।

महोदय, दिनांक 2 से 4 जनवरी, 2021 के दौरान ओलावृष्टि एवं बेमौसम बरसात से तहसील पीपल्दा (कोटा) के ग्राम खेरदा, खेड़ली, बोरदा, पीपल्दा कलां, करवाड़, फूसोद, सिमोला, लालगंज, रोहली, डूंगरली, बड़ोदिया, रामपुरिया धाबाई, बागली, घटोद, ठीकरदा, गोठड़ा खुर्द, उदयभानपुरा, आसीदा, बिशनपुरा, धनवां, बगावदा, देलोद आदि 24 गांवों में 33 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक खराबा हुआ है।

इस बाबत उपरोक्त वर्णित ग्रामों के संबंध में आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के संयुक्त शासन सचिव द्वारा पत्र क्रमांक अ.शा.टीप संख्या: एफ 1(5) आ.प्र.एवं सहा/ओ.वृ./सीएमओ/सा./2020-21/1234-36, दिनांक 28 जनवरी, 2021 को 2, 3 एवं 4 जनवरी, 2021 को हुई ओलावृष्टि से रबी फसल सम्वत 2077 में हुए फसल खराबे की विशेष गिरदावरी करने हेतु राजस्व विभाग द्वारा आदेश कर दिये जाने बाबत आदेशों के तहत 33 प्रतिशत से अधिक फसल खराबे वाले प्रभावित किसानों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडानुसार अनुदान देय है, के आदेश जारी किये हैं किन्तु अभी तक भी कृषकों को नष्ट हुई फसल की मुआवजा राशि प्राप्त नहीं होने से किसान चिंतित एवं परेशान हैं। इस संबंध में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही की जाकर जनहित में किसानों को समुचित मुआवजा राशि का वितरण करवाये जाने की व्यवस्था की जाने पर प्रभावित किसानों को राहत प्राप्त हो सकेगी।

अत: अनुरोध है कि तहसील पीपल्दा के अतिवृष्टि एवं बेमौसम बरसात से प्रभावित गांवों के किये गये सर्वे अनुसार मुआवजा राशि वितरित की जाए। यदि विस्तृत सर्वे कृषि एवं राजस्व विभाग के कार्मिकों के माध्यम से अभी तक नहीं करवाया गया हो, तो तुरंत सर्वे करवाया जाकर प्रभावित समस्त काश्तकारों को क्षतिपूर्ति राशि दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल (अनुपस्थित)। श्री जोराराम कुमावत (अनुपस्थित)। श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर में जल स्रोतों का रखरखाव

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत विधान सभा क्षेत्र बानूसर में जल स्तर निरन्तर घटने के संबंध में निवेदन करना चाहती हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बानसूर में जल स्तर दिन पर दिन घटता ही जा रहा है। घटते हुए जल स्तर को बढ़ाने के लिए केवल एनीकट और बांध बनाना आवश्यक है। सरकार द्वारा विभाग को निर्देशित करना है कि अलवर जिला परिषद् को सिंचाई विभाग के एक्स.ईएन., ए.ईएन., पटवारी और कानूनगो तहसील द्वारा नरेगा के एक्स.ईएन. आदि सी.ई.ओ. जिला परिषद् को निर्देशित करें कि महात्मा गांधी नरेगा योजना में 50 लाख तक के एनीकट जिला परिषद् बना सकती है तो मैंने खुद साथ जाकर 11 एनीकटों का सर्वे करवाया।

आज 6 महीने हो चुके हैं, क्यों नहीं गति को गति दी गयी। मेरे बानसूर विधान सभा क्षेत्र में रामपुर, सबलपुरा, नाथूसर, लोज, हाजीपुर, धीरपुर, हमीरपुर, छीन्ड, जयसिंहपुरा, टीकली का बास, लेकडी, नागलहेडी, गढ़ी, खरकड़ी, बडाना की बाल, विजयपुरा, बामनवास, कांकड, मुण्डावरा, अजबपुरा आदि अनेकों स्थान ऐसे हैं, जहां से पानी बहकर व्यर्थ चला जाता है। यहां पर एनीकट बनाने की अति आवश्यकता है। साथ ही जो भी पुराने बांध हैं, जैसे बाबरिया, हरमोरा, इनकी मोरी बंद कर जीर्णोद्धार करवाने का कष्ट करें। इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपी चन्द मीणा (अनुपस्थित)। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (अनुपस्थित)। श्री हाकम अली खां।

फतेहपुर पंचायत समिति के 18 राजस्व ग्रामों की वन विभाग के नाम दर्ज भूमि

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के 18 गांवों की वन भूमि पर बसे लोगों की समस्याओं की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

महोदय, फतेहपुर पंचायत समिति के 18 गांव राजस्व विभाग से

(श्री हाकम अली खां)

पीड़ित हैं, क्योंकि इन गांवों में पिछले 80-90 वर्षों से लोग पक्के मकान बनाकर निवासरत हैं। इनमें से अधिकतर के पास 1981 से पहले तहसीलदार, विकास अधिकारी एवं सरपंचों द्वारा निर्धारित शुल्क लेकर जारी किये हुए पट्टे हैं। कुछ लोगों को इंदिरा आवास के पट्टे भी जारी किये हुए हैं परंतु प्रशासनिक अधिकारियों की अनदेखी अथवा मानवीय भूल के कारण 1981 के गजट नोटिफिकेशन में इन 18 गांवों में बसे कई परिवारों की जमीन को शामिल करते हुए वन विभाग के नाम दर्ज कर दी गयी तथा आवासीय पट्टों को भी वन क्षेत्र से बाहर नहीं किया गया। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में लगभग 2 हजार घर अवस्थित हैं। इसी क्षेत्र में 4 अटल सेवा केन्द्र, 6 उच्च माध्यमिक, 8 माध्यमिक, उच्च माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय, स्वास्थ्य केन्द्र, मंदिर, मस्जिद तथा सामुदायिक भवन आदि बने हुए हैं तथा देश की आजादी से पहले के भी पक्के मकान बने हुए हैं, जो आज भी क्षेत्र में अवस्थित हैं।

महोदय, 24.09.2018 को पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे जी के फतेहपुर आने से पहले व क्षेत्र में आने पर जनता ने इस समस्या के समाधान हेतु धरना प्रदर्शन किया। तब तत्कालीन जिला कलेक्टर ने 15 दिवस में समस्या के समाधान का जनता को आश्वासन दिया था, परंतु क्षेत्रवासियों की इस समस्या का समाधान आज दिनांक तक नहीं हुआ है।

अत: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यस से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि क्षेत्र के उक्त विवादित भूभागों को वन विभाग से मुक्त करवाकर क्षेत्रवासियों की इस गंभीर समस्या का शीघ्र समाधान करवाने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री संदीप शर्मा (अनुपस्थित)। श्रीमती मंजु मेघवाल।

दिव्यांगजन के भरण पोषण हेतु योजना

श्रीमती मंजु देवी (जायल): राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत राज्य में निवासरत पूर्णरूप से दिव्यांगजन (विकलांग) के लिए भरण पोषण हेतु योजना के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत निवेदन है कि वर्तमान में राजस्थान राज्य में कई विकलांग ऐसे हैं, जो शत-प्रतिशत विकलांगता की श्रेणी में आ रहे हैं एवं बिस्तर पर लेटे रहते हैं और स्वयं के द्वारा उठना-बैठना भी संभव नहीं है, जिनकी सम्पूर्ण दिनचर्या बिस्तर पर ही निर्धारित है। ऐसे दिव्यांगजन के लिए सम्पूर्ण सहारा उनके परिवार ही हैं। उनका खाना-पीना एवं अन्य गतिविधियां

(श्रीमती मंजु देवी)

इनके परिवार द्वारा ही की जाती हैं। मेरे देखने में कई परिवार ऐसे आये हैं जिनके परिवार में दो-दो विकलांग बच्चे, पति-पत्नी दोनों ही परिवार के सदस्य विकलांग हैं एवं उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर है और वर्तमान में मिलने वाली पेंशन इत्यादि राशि भरण-पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। इन परिवारों से मिलने पर बहुत ही दयनीय स्थिति प्रतीत हो रही है, क्योंकि परिवार का सदस्य पूरे दिन इनकी सेवा में लगा रहता है, जिससे बाहर मजदूरी भी नहीं कर सकता है। इस कारण परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर रहती है। वर्तमान में कई जगहों पर देखने में आया है कि ऐसे दिव्यांग परिवारों के भरण-पोषण हेतु सहायता के लिए गांव के दानदाताओं के द्वारा भी आर्थिक सहयोग किया जाता है, जो कुछ समय के लिए होता है और पर्याप्त भी नहीं है।

अत: माननीय मुख्य मंत्री महोदय से सादर निवेदन है कि ऐसे दिव्यांगों के लिए भरण-पोषण हेतु मासिकवार आर्थिक सहायता जारी करवाने हेतु योजना चलाने की कृपा कराएं। इस भरण-पोषण राशि में दिव्यांग व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष तक पांच हजार रुपये प्रति माह एवं 18 वर्ष से ऊपर होने पर आठ हजार रुपये प्रति माह के हिसाब से सहायता राशि देने हेतु योजना को संचालित करने का श्रम कराएं, जिससे उक्त दिव्यांगजन सदस्य उस परिवार में उसे बोझ के रूप में महसूस नहीं करें एवं जिंदगी का सफर आसानी से पार कर सकें। ऐसे दिव्यांगजन परिवारों के प्रति आज दिनांक तक कभी भी भरण पोषण हेतु सहायता राशि जारी करने के लिए ध्यान नहीं दिया गया है। अत: माननीय मुख्य मंत्री महोदय से सादर निवेदन है कि उपरोक्त परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए विशेष योजना संचालित करवाने की कृपा कराएं। धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष: राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत, श्री सतीश पूनियां (अनुपस्थित)। श्री संयम लोढ़ा।

माउण्ट आबू नगरपालिका क्षेत्र में नागरिकों के भवन निर्माण व मरम्मत की लंबित पत्रावलियों का निस्तारण

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के

(श्री संयम लोढ़ा)

अन्तर्गत माउण्ट आबू नगरपालिका क्षेत्र में नागरिकों के भवन निर्माण व मरम्मत की लंबित पत्रावलियों का जोनल मास्टर प्लान के अनुसार बिल्डिंग बाईलाज 2019 की पालना करते हुए निस्तारण करने एवं टोकन व्यवस्था खतम करने के संबंध में माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य संयम जी लोढ़ा के द्वारा माउण्ट आबू नगरपालिका के बाबत ध्यानाकर्षण किया गया है। यह ईको सैंसटिव जोन का जोनल प्लान बनाना तय किया गया था, उस कमेटी के द्वारा और एक मोनिटरिंग कमेटी बना दी गयी थी। यह मोनिटरिंग कमेटी जोधपुर डिवीजन के डिवीजनल कमिश्नर के अंडर में बनी थी। उस कमेटी के द्वारा यह तय किया गया कि इसमें एस.डी.ओ. को भी एक मैम्बर बनाया जाए और एस.डी.ओ. को जो मैम्बर बनाया गया, उसके बाद में जब जोनल कमेटी भंग हो गयी, खतम हो गयी तो एस.डी.ओ. काम करता रहा और उसने टोकन व्यवस्था, जो उन्होंने फैसला किया था मोनिटरिंग कमेटी ने, वही टोकन व्यवस्था उसके द्वारा चालू रही। अब सवाल यह आता है कि आपने जैसा कहा कि इसमें कई तरह की परेशानियां आती हैं और इल्लीगल कंस्ट्रक्शन रोकने के लिए जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होता था, उस पर कोई रोक नहीं लगती थी। इसलिए ही यह कमेटी सोचकर बनायी गयी थी, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायत आती है तो कोई भी कानून आप बना दें, 302 की धारा लगा दी आपने, तो क्या मर्डर बंद हो गये क्या? तो यह तो होगा, लेकिन सवाल यह है कि इस व्यवस्था को किस तरीके से सुधारा जाए। मैं आपकी बातों का लम्बा जवाब नहीं देना चाहता पर मोटी बात यह है कि जो आपने पाइंट बनाया है कि एक तो टोकन व्यवस्था से वहां पर अव्यवस्था फैल रही है और भ्रष्टाचार फैल रहा है। दूसरी बात आपने यह कही है कि भवन निर्माण की स्वीकृतियां जारी नहीं हो रहीं। 150 के करीब भवन निर्माण की स्वीकृतियां पैंडिंग पड़ी हुई हैं और 90 और पड़ी हुई हैं, तो 90 का तो फैसला हो चुका।

मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस समस्या को हम भी गंभीरता से मानते हैं कि इसमें कुछ न कुछ सुधार तो होना ही चाहिए। अब सुधार के लिए मैं आपसे भी सुझाव मांगता हूं, आप भी सुझाव दीजिए। आप

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

क्या सुधार चाहते हैं, किस तरीके से सुधर सकता है? मोटी बात यह है। जो आपकी मंशा है, वही सरकार की मंशा है कि किसी भी प्रकार की परेशानियां नहीं होनी चाहिए। मरम्मत का जहां तक सवाल है लिखा हुआ है पूरा, जिन आठ-दस बिन्दुओं के लिए मरम्मत करना अलाउड है। मरम्मत की आड़ में ही नये निर्माण भी होते हैं। क्या इस बात के लिए आप एग्री नहीं करेंगे? होते हैं या नहीं होते हैं? आखिर ये इतने निर्माण, इस मानीटरिंग कमेटी की स्थापना 2009 में हुई थी, उसके बावजूद भी वहां पर नये निर्माण हो गये, उसका कसूरवार कौन है? कौन कसूरवार है, व्यवस्था ही कसूरवार है। मैं यह नहीं मानता कि एक एस.डी.ओ. को पूरे अधिकार दे दिये जाएं और एस.डी.ओ. ही सब-कुछ कर ले। इसमें सुधार तो किया जा सकता है, मैं आपसे भी सुझाव मांगता हूं कि आप सुझाव दीजिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। माननीय डिप्टी चीफ व्हिप साहब, प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि निर्माण स्वीकृति के लिए जो लम्बित पत्रावलियां हैं उनका कितने दिनों में निस्तारण कर दिया जाएगा?

दूसरा, आपने कहा कि टोकन की आड़ में कई अवैध निर्माण भी हुए हैं, तो अब तक जारी किये हुए टोकन के तहत जो निर्माण हुए हैं क्या राज्य सरकार उनकी जांच करवायेगी?

तीसरा, जब नगरपालिका के चुनाव थे तब कांग्रेस की पार्टी की सभा में खुद वन राज्य मंत्री सुखराम जी विश्नोई की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी ने लोगों से यह वादा किया था कि यह टोकन प्रणाली दुरुपयोग का माध्यम बन गई है, लोगों के शोषण का माध्यम बन गई है और हम बोर्ड बनते ही इसको समाप्त करेंगे। क्या राज्य सरकार इस टोकन प्रणाली को समाप्त करने का विचार रखती है? 19.08.2019 को खुद मानीटरिंग कमेटी के अध्यक्ष संभागीय आयुक्त, जोधपुर एस.डी.ओ. को यह पत्र लिख चुके हैं अर्जेंट के लिए यह टोकन सिस्टम शुरू किया गया था, यह बिलकुल इर्रेशनल है तो सरकार इस बारे में क्या मंशा रखती है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आपके तीन सवाल थे। पहला तो यह था कि साहब, जो 150

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

भवन स्वीकृतियां लम्बित हैं, उनका क्या करेंगे? नम्बर दो, आपका नम्बर दो क्या था?

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): जिन्हें टोकन दिया और अवैध निर्माण किया, राज्य सरकार उसकी जांच करवायेगी क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अवैध निर्माण जो किया उनकी जांच करवायी जाएगी या नहीं करवायी जाएगी?

तीसरा सवाल आपने कहा कि माननीय मंत्री महोदय के द्वारा वहां पर जनता को यह आश्वासन दे दिया गया था कि हम टोकन व्यवस्था खतम करेंगे। जहां तक तीसरी बात का सवाल है, मंत्री महोदय अगर कोई बात कहते हैं तो निश्चित तौर पर वो मंत्रिमण्डल द्वारा कही हुई बात मानी जाती है लेकिन टोकन व्यवस्था खतम करने के दुष्परिणाम भी होंगे। दुष्परिणाम यह होंगे कि ट्रांसपोर्टेशन बाकायदा इन निर्माण सामग्रियों का चलता रहेगा, उसकी कोई रोक-टोक कुछ नहीं हो पायेगी कि किसलिए और कहां जा रहा है। कम से कम आज टोकन व्यवस्था से तो यह तो आता है कि रिकार्ड मैन्टेन होता है कि कौन तो ट्रक रेती भरकर ला रहा है, कौन पत्थर भरकर ला रहा है, कौन ट्रक सीमेंट भर कर ला रहा है और किस काम के लिए ला रहा है, तो कम से कम उसकी जांच तो हो जाती है।

जहां तक दूसरी बात का सवाल है अवैध निर्माण का, अवैध निर्माण की ज्यों ही सरकार की निगाह में बात आती है या सरकार के पास कोई शिकायत आती है, आज भी कार्यवाही होती है, मैं आपको आगे भी कार्यवाही करने का आश्वासन देता हूं।

तीसरी बात जो आपने कहा, वह शायद टोकन व्यवस्था की थी। टोकन व्यवस्था की थी तो टोकन व्यवस्था के लिए यह बात सही है कि एक अकेले एस.डी.ओ. को भी इतना अधिकार सम्पन्न नहीं बनाना चाहिए क्योंकि मोटे तौर पर आदमी अफसरों के पास जाकर कतराता है और अफसर अपनी मर्जी के हिसाब से काम करने के आदी हो चुके हैं। इसलिए चूंकि अब नगरपालिका के चुनाव हो चुके हैं और भवन निर्माण की स्वीकृति का अधिकार सिर्फ नगरपालिका को है, तो मैं यह आदेश निकलवाने की कोशिश करूंगा कि टोकन व्यवस्था के लिए कोई आदमी एप्लाई करता है, टोकन के लिए एप्लाई करता है उसका फैसला अकेला एस.डी.ओ. न करके एग्जिक्यूटिव आफिसर और

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इलैक्टेड चेयरमैन, यह तीनों की कमेटी मिल करके उसका फैसला करेगी। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर 15 दिन के अन्दर-अन्दर वह फैसला नहीं करती है तो उसको डीम्ड परमिशन मान लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती इन्दिरा देवी (अनुपस्थित)। श्री लक्ष्मण मीणा।

याचिका

जयपुर-आगरा राजमार्ग पर बासखों रेलवे फाटक, कानोता तथा जामडोली (पुरानी चुंगी) पर ओवरब्रिज का निर्माण

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार विधान सभा क्षेत्र बस्सी से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-21 जयपुर-आगरा रोड पर बासखों रेलवे फाटक, कानोता तथा जामडोली (पुरानी चुंगी) पर ओवर ब्रिज बनाने के सम्बन्ध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाले विधेयक। दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021, श्री भंवर सिंह भाटी।

एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्री।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एम.बी.एम. विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: वित्तीय कार्य। अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2020-2021 उपस्थापन एवं मतदान। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2020-21) का उपस्थापन

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से वर्ष 2020-21 के लिए राजस्थान के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन करता हूं।

मुखबन्द

अनुपूरक अनुदान की मांगों (वर्ष 2020-21) का पारण

श्री अध्यक्ष: आसन की ओर से अनुपूरक अनुदान की मांगें मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी।

मांग संख्या 3-सचिवालय

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 3 - सचिवालय के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री अध्यक्ष)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 7-निर्वाचन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 7 - निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 37,95,72,000/- (सैंतीस करोड़ पिचानवे लाख बहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 9-वन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 9 - वन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,86,94,59,000/- (एक अरब छियासी करोड़ चौरानवे लाख उनसठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 11-विविध सामाजिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 11 - विविध सामाजिक सेवाएं के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 14-बिक्री कर

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 14 - बिक्री कर के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले

(श्री अध्यक्ष)

व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,79,21,03,000/- (चार अरब उनयासी करोड़ इक्कीस लाख तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 16-पुलिस

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 16 - पुलिस के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,41,40,000/- (इक्कीस करोड़ इकतालीस लाख चालीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 17-कारागार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 17 - कारागार के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,68,56,000/- (दो करोड़ अड़सठ लाख छप्पन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 18-जनसम्पर्क

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 18 - जनसम्पर्क के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 59,26,57,000/- (उनसठ करोड़ छब्बीस लाख सत्तावन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 19-लोक निर्माण कार्य

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 19 - लोक निर्माण कार्य के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने

(श्री अध्यक्ष)

वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,000/- (चार हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 20-आवास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 20 आवास के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,000/- (तीन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 22-क्षेत्र का विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 22 - क्षेत्र का विकास के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,000/- (दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 23-श्रम और रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 23 - श्रम और रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 10,19,19,000/- (दस करोड़ उन्नीस लाख उन्नीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 24 - शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,12,26,93,000/-

(श्री अध्यक्ष)

(एक अरब बारह करोड़ छब्बीस लाख तिरानवे हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 26 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,000/- (तेरह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 27-पेयजल योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 27 - पेयजल योजना के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 28-ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 28 - ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,63,11,50,000/- (चार अरब तिरेसठ करोड़ ग्यारह लाख पचास हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई। (व्यवधान)

माननीय सदस्य। अपने-अपने स्थान पर बैठें।

मांग संख्या 29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 29 - नगर

(श्री अध्यक्ष)

आयोजना एवं प्रादेशिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 13,85,11,66,000/- (तेरह अरब पिचासी करोड़ ग्यारह लाख छियासठ हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 30-जनजाति क्षेत्रीय विकास के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 4,42,05,33,000/- (चार अरब बयालीस करोड़ पांच लाख तैंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 32-नागरिक आपूर्ति

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 32 - नागरिक आपूर्ति के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,89,75,34,000/- (दो अरब नवासी करोड़ पिचहत्तर लाख चौंतीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 33 - सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 17,34,78,30,000/- (सत्रह अरब चौंतीस करोड़ अठहत्तर लाख तीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 34 - प्राकृतिक आपदाओं से राहत के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 32,10,29,06,000/- (बत्तीस अरब दस करोड़ उनतीस लाख छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 35-विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 35 - विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 28,75,81,000/- (अट्ठाइस करोड़ पिचहत्तर लाख इक्यासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 36-सहकारिता

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 36 - सहकारिता के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,08,04,85,000/- (पांच अरब आठ करोड़ चार लाख पिचासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 37-कृषि

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 37 - कृषि के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 8,23,70,24,000/- (आठ अरब तेईस करोड़ सत्तर लाख चौबीस हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 38-लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 38 - लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 2,62,85,000/- (दो करोड़ बासठ लाख पिचासी हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 39-पशुपालन एवं चिकित्सा

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 39 - पशुपालन एवं चिकित्सा के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 46,80,02,000/- (छियालीस करोड़ अस्सी लाख दो हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 41-सामुदायिक विकास

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 41 - सामुदायिक विकास के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 9,46,62,54,000/- (नौ अरब छियालीस करोड़ बासठ लाख चौवन हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 46-सिंचाई

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 46 - सिंचाई के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 5,000/- (पांच हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

मांग संख्या 47-पर्यटन

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 47 - पर्यटन के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 1,000/- (एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 48-विद्युत

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 48 - विद्युत के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 6,000/- (छह हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 50-ग्रामीण रोजगार

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 50 - ग्रामीण रोजगार के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 3,40,01,000/- (तीन करोड़ चालीस लाख एक हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

मांग संख्या 51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना

प्रश्न यह है कि अनुपूरक अनुदान की मांग संख्या 51 - अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना के संबंध में 31 मार्च, 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 20,07,77,69,000/- (बीस अरब सात करोड़ सतहत्तर लाख उनहत्तर हजार) तक की राशि और प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

(श्री अध्यक्ष)

विधायी कार्य। विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण। राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2021, श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2021

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2021 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी।

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: पुर:स्थापित, पहले पुर:स्थापित करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): पुर:स्थापित हो गया न। सॉरी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक 2021 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। कोई बोलना चाहें? माननीय मंत्री जी, विचारार्थ के लिए प्रस्ताव रखेंगे।

विधेयक पर विचार

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2021 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 एवं 3.

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड-2 एवं 3 स्वीकार किये गए।

अनुसूची।

प्रश्न यह है कि अनुसूची स्वीकार की जाए?

(स्वीकृत)

अनुसूची स्वीकार की गई।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया जाए?

(स्वीकृत)

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: कोई बोलना चाहता है?

प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2021 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2021 पारित किया गया।

(श्री अध्यक्ष)

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22, सामान्य वाद-विवाद।

श्री संयम लोढ़ा।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि राजस्थान के बजट पर बात कहने का आपने मुझे अवसर दिया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की जनता ने 2018 और 2019 के दो चुनावों में अपना अलग-अलग जनादेश दिया। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की हुकूमत बनाई और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बने इसके लिए राजस्थान से 25 सदस्य उसने भारतीय जनता पार्टी के जिताकर भेजे। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षजी का जयपुर दौरा है और मैं आपके माध्यम से उनसे और राजस्थान के इन 25 सांसदों से यह जानना चाहता हूं कि इतना प्रचंड जनादेश मिलने के बाद राजस्थान की जनता को क्या मिला? क्या राजस्थान की जनता को कोई विशेष पैकेज मिला? क्या रेलवे में, क्या सिंचाई में, क्या जेजेएम में, राजस्थान को क्या प्राप्त हुआ? हमारी रेलवे की योजनाएं, मैं भीलवाड़ा कोच फैक्ट्री का आपको याद दिलाना चाहूंगा कि उसके लिए भूमि आबंटन हो चुका है वह भूमि राजस्थान सरकार ने नि:शुल्क दी है। रेलवे के हमारे जो प्रोजेक्ट हैं, ईस्टर्न कैनाल का जो प्रोजेक्ट है, जेजेएम की जो पेयजल योजनाएं हैं, भारत सरकार की ओर से उनके लिए कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ है। खुद जल मंत्री जो मारवाड़ से आते हैं क्या उनको बाड़मेर के हालात पता नहीं हैं, क्या उनको जैसलमेर के हालात पता नहीं हैं, जो रेशो पेयजल योजनाओं का 10 और 90 का चलता था, आज राजस्थान को इस बात की सज़ा दी गई है कि भारतीय जनता पार्टी के 25 सांसद आपने जिताकर भेजे हैं तो वह रेशो बदलकर 10 और 90 से बदलकर 50-50 कर दें। इसी तरीके से जल संरक्षण योजनाएं, कृषि आधारित योजनाएं, सबके अंदर राजस्थान का शेयर घटा है, राजस्थान की जनता को कमजोर करने का प्रयास हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विनती करना चाहता हूं सरकार से कि जब

(श्री संयम लोढ़ा)

बजट आता है, हम बजट पर चर्चा करते हैं, तारीफ करते हैं, आलोचना करते हैं लेकिन बजट की पवित्रता बरकरार रहे इस दिशा में हम क्या करते हैं? हमारा बजट एस्टीमेट क्या होता है, हमारा रिवाइज एस्टीमेट क्या होता है और हमारा एक्चुअल एक्सपेंडिचर क्या होता है? क्या कभी हमने यह देखने का प्रयत्न किया कि सरकार ने इस बात की जवाबदेही तय करने की चेष्टा की कि जो हमारा सैक्रेटरी बजट एस्टीमेट प्रस्तुत करवा रहा है माननीय मुख्य मंत्रीजी से और उसके बाद में संशोधित अनुमान लेकर आ रहा है, उसके बाद में भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर के अंदर और रिवाइज एस्टीमेट में समानता क्यों नहीं होती है? क्या आज तक हमने किसी सैक्रेटरी की इसके लिए जिम्मेदारी तय की? जब तक हम यह नहीं करेंगे, माननीय अध्यक्ष महोदय, बजट की गंभीरता और बजट की पवित्रता कायम नहीं रखी जा सकती।

(12.55 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से बनाई गई समितियों का जिक्र करना चाहता हूं। +++ सदन में माननीय मंत्री महोदय घोषणा कर देते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सदन या समिति के बारे में आप चर्चा नहीं करें, सीधे-सीधे बजट पर आएं। सदन के बारे में या समितियों के बारे में किसी तरह की कोई चर्चा आप यहां पर नहीं करें। की गई हो तो उसको डिलीट कर दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बजट पर चर्चा हो रही है और जनता के धन का दुरुपयोग हुआ है और इस सदन के अंदर सरकार की ओर से जो आश्वासन दिए गए हैं, अगर उन आश्वासनों की क्रियांविति नहीं हुई है तो उस पर क्यों नहीं बोला जा सकता सभापति महोदय? मैं आपकी इस पर रूलिंग चाहूंगा। मैं आपकी बात रख रहा हूं लेकिन इस सदन के अंदर अगर आश्वासन दिया गया है और +++ तो माननीय सभापति महोदय, हमें पूरा अधिकार है उस पर चर्चा करने का।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं पुन: आपसे आग्रह करूंगा कि इस तरह की कोई चर्चा आप सदन में नहीं करें। इस तरह की आसन से पूर्व में भी व्यवस्था दी गई है और तदनुरूप ही मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप कोई चर्चा नहीं करें।

(श्री सभापति)

माननीय सदस्य ने जो कुछ भी समितियों के बारे में जिक्र किया है उसे विलोपित कर दें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से हमारे प्रतिपक्ष के सदस्यों के विचार हमने लगातार सुने। मैं सबसे पहले राजस्थान सरकार और भारत सरकार, दोनों ही सरकारों के बजट पेश हुए हैं लेकिन नागरिक सुविधाओं के लिहाज से दोनों सरकारों के क्या-क्या नजरिये बजट में सामने आए हैं, वह आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य क्षेत्र के अंदर राजस्थान की हमारी सरकार ने 2020-21 की तुलना में जो रिवाइज एस्टीमेट है उसके कंपेरिजन में 21.62 फीसदी अधिक बजट का प्रावधान किया है। इसके विपरीत भारत सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में जो उनका 2020-21 का रिवाइज एस्टीमेट था, उसकी तुलना में 2021-22 में 9.51 परसेंट कम बजट का प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने जो 2020-21 में 82445 करोड़ का प्रावधान रखा था और इस बार 74602 करोड़ रह गया है। राजस्थान सरकार ने जो 13219 करोड़ का प्रस्ताव रखा था वह बढ़कर 16077 करोड़ रुपये हो गया। इसी तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2021-22 में 16.91 परसेंट अधिक बजट का प्रावधान किया, इसके विपरीत भारत सरकार ने 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में मात्र 9.56 परसेंट की वृद्धि का प्रावधान किया है।

(13.00 बजे)

तो शिक्षा के क्षेत्र में भी राजस्थान की हमारी मौजूदा सरकार ने कई बेहतर प्रावधान किये हैं। भारत सरकार ने पिछले साल जहां 85 हजार 89 करोड़ रुपये का शिक्षा के लिए प्रावधान किया था, वह अब बढ़ाकर मात्र 93 हजार 224 करोड़ रुपये किया गया है। राजस्थान की सरकार ने 24 हजार 641 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर 36 हजार 472 करोड़ रुपये का प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में किया है।

परिवहन के क्षेत्र में सबसे जोरदार उपलब्धि राजस्थान सरकार ने दिखायी है। 2020-21 के संशोधित अनुमान की तुलना में 2021-22 में 65.66 परसेंट अधिक बजट का प्रावधान किया गया, जबकि भारत सरकार ने 2020-

(श्री संयम लोढ़ा)

21 की तुलना में 2021-22 में मात्र 6.61 परसेंट वृद्धि का प्रावधान किया है। राजस्थान सरकार ने पिछले साल के 2045 करोड़ की तुलना में इस साल 3328 करोड़ रुपये का प्रावधान परिवहन के क्षेत्र में किया है, जबकि भारत सरकार 2 लाख 18 हजार 622 करोड़ की तुलना में मात्र 2 लाख 33 हजार 83 करोड़ का प्रावधान कर सकी है।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, पेंशन में भी राजस्थान सरकार ने 7.57 परसेंट का अधिक प्रावधान किया है, जबकि भारत सरकार ने 10.13 परसेंट की पेंशन के प्रावधान में कटौती की है। भारत सरकार का पेंशन के भुगतान के लिए जो बजट 2 लाख 10 हजार 682 करोड़ रुपये था, वह घटकर 2021-22 में 1 लाख 89 हजार 328 करोड़ रुपये रह गया है, जबकि राजस्थान सरकार ने 21 हजार 403 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 23 हजार 23 करोड़ रुपये का पेंशन भुगतान का प्रावधान रखा है।

माननीय सभापति महोदय, ग्रामीण विकास में भी राजस्थान सरकार ने 2020-21 के संशोधित अनुमान के विरुद्ध 1.09 परसेंट अधिक बजट का प्रावधान किया है, जबकि भारत सरकार ने 2020-21 के संशोधित अनुमान के विरुद्ध 10.30 परसेंट कम बजट ग्रामीण विकास के लिए रखा है। भारत सरकार ने पिछले साल 1 लाख 94 हजार 633 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जो इस साल 2 लाख 16 हजार 342 करोड़ रुपये है। राजस्थान सरकार ने 15 हजार 183 करोड़ से अपना प्रावधान बढ़ाकर 15 हजार 472 करोड रुपये रखा है।

माननीय सभापति महोदय, बजट पर चर्चा के पहले दिन मैं प्रतिपक्ष के उप-नेता को सुन रहा था। वे इस बात की तोहमत सरकार पर लगा रहे थे कि आपने 31 दिसम्बर तक बजट का कोई पैसा खर्च नहीं किया और आखिरी तीन महीने में आनन-फानन में आप अपना खर्चा दिखाना चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, बहुत अच्छा होता कि जब वे सरकार में मंत्री थे, तब भी इस बात का ध्यान रख लेते कि उनकी सरकार ने किस तरह से खर्चा किया है। मैं आपके माध्यम से पिछले 6-7 साल के आंकड़े निवेदन करना चाहता हूं कि 31 दिसम्बर तक बीजेपी की सरकार ने किस साल में कितना एक्सपैंडिचर किया। माननीय सभापति महोदय, 2014-15 में 31 दिसम्बर तक वसुन्धरा राजे की सरकार का खर्चा था बजट प्रावधान का मात्र 50.36 परसेंट। 2015-16 में था मात्र 53.57 परसेंट। 2017-18 में था मात्र 49.50 परसेंट और

(श्री संयम लोढ़ा)

अशोक गहलोत की सरकार में 2018-19 में 31 दिसम्बर तक खर्चा रहा 60.14 परसेंट। 2019-20 में रहा 59.22 परसेंट और अभी 2020-21 में रहा 62.15 परसेंट। इन आंकड़ों से जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तुलना में अशोक गहलोत की सरकार ने शुरुआत के 9 महीनों में भी पूरा खर्च करने का प्रयास किया।

माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, इस साल तो हमारे प्रमुख वित्त सचिव ने बजट की प्रस्तुति के साथ ही सभी विभागों और अधिकारियों को इस बात के निर्देश दे दिये हैं कि जो माननीय मुख्य मंत्री ने बजट में घोषणाएं की हैं, उनकी क्रियान्विति के लिए अभी से काम शुरू कर दें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, केन्द्रीय सहायता मद में 2020-21 में राजस्थान को प्राप्त होने चाहिए थे 19893 करोड़ रुपये, जबकि भारत सरकार ने इसके विपरीत मात्र 19148 करोड़ रुपये ही जारी किये जो कि बजट अनुमान था राजस्थान को देने के लिए, उसका सिर्फ 64.06 परसेंट है। इस तरह से इस साल भी केन्द्रीय सहायता मद में अभी तक राजस्थान को 10745 करोड़ रुपये मिलने बाकी हैं।

माननीय सभापति महोदय, रेवेन्यू एक्सपैंडिचर 2021-22 में भारत सरकार ने जो पहले 30 लाख 11 हजार 142 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया था, वह घटकर 19 हजार करोड़ रुपये कम किया गया, जो 2.73 परसेंट की कमी दिखाता है। इसके विपरीत राज्य सरकार ने अपने संशोधित अनुमान में 9.69 परसेंट की बढ़ोतरी करके 1 लाख 89 हजार 700 करोड़ के प्रोविजन को 2 लाख 8 हजार 80 करोड़ रुपये किया है। माननीय सभापति महोदय, मैंने आंकड़ों के माध्यम से आपके सामने रखा कि किस तरह से हर क्षेत्र में भारत सरकार की तुलना में राजस्थान सरकार ने सभी प्रमुख मदों में बेहतर प्रावधान किये हैं।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके सामने निवेदन करूंगा, चूंकि 2020-21 स्टैण्डर्ड ईयर नहीं था, कोरोना का प्रकोप था, कोरोना से सारी चीजें प्रभावित हुईं इसलिए मैं इस साल के बजट का कम्पेरिजन 2019-20 के बजट से करते हुए कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। 2021-22 के बजट में शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति की मद में राजस्थान गवर्नमेंट ने 2019-20 की तुलना में 14 परसेंट ज्यादा बजट का प्रावधान रखा है। 2019-20 में जो

(श्री संयम लोढ़ा)

34 हजार 291 करोड़ रुपये का प्रावधान था, उसे 2021-22 में बढ़ाकर 44 हजार 309 करोड़ रुपये किया गया। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 2019-20 की तुलना में 16 परसेंट की बढ़ोतरी की गयी। जो 12144 करोड़ का प्रावधान था 2021-22 के बजट अनुमान में, उसे बढ़ाकर 16269 करोड़ रुपये किया गया। इसी तरह से ग्रामीण विकास में, भी 2019-20 की तुलना में 11 परसेंट की बढ़ोतरी की गयी है। 2019-20 में जो 12980 करोड़ का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 15920 करोड़ रुपये किया गया। समाज कल्याण एवं पोषण की मद में 11 परसेंट की बढ़ोतरी की गयी। 2019-20 में जो 12587 करोड़ का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 15563 करोड़ किया गया है। कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों में 2019-20 में जो 10523 करोड़ का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 11810 करोड़ किया गया है जो 2019-20 की तुलना में 6 परसेंट की बढ़ोतरी है। इसी तरह से जलापूर्ति एवं सैनिटेशन में 6593 करोड़ का जो 2019-20 का प्रोविजन था, उसे बढ़ाकर 2021-22 के बजट अनुमान में 10024 करोड़ किया गया जो कि 23 परसेंट की बढ़ोतरी है।

माननीय सभापति महोदय, सड़क और पुल में भी 2019-20 के 5304 करोड़ के प्रोविजन को बढ़ाकर 2021-22 में 7787 करोड़ किया गया है जो कि 21 परसेंट की बढ़ोतरी है। पुलिस में भी 6274 करोड़ का जो 2019-20 का प्रोविजन था, उसे बढ़ाकर 7384 करोड़ रुपये किया गया है, जो कि 8 परसेंट की बढ़ोतरी है। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार ने अपना राजकोषीय घाटा 6.98 परसेंट रखा है, जो एक चिंताजनक स्थिति दर्शाता है। राजकोषीय घाटा इतना अधिक रखने से जो विदेशी निवेशक भारत की तरफ आना चाह रहे थे वे विदेशी निवेशक प्रभावित होंगे, ऐसा मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। 15वें वित्त आयोग ने जीएसडीपी का जो शेयर था, सेंटर का जो शेयर 42 परसेंट था उसको जम्मू कश्मीर में पैसा देने के लिए घटाकर 41 परसेंट कर दिया।

सभापति महोदय, मैंने आपके सामने पिछले बजट से तुलना रखी कि राजस्थान का मौजूदा बजट मदवार किस रूप में बेहतर है। माननीय सभापति महोदय, मैंने आपके माध्यम से यह भी सामने रखा कि प्रमुख मदों में भारत सरकार ने देश की जनता के लिए कितना परसेंट हिस्सा रखा है और उसकी तुलना में राजस्थान की सरकार ने कितना प्रावधान रखा है। अब मैं आपके

(श्री संयम लोढ़ा)

सामने देश के अन्य राज्यों का जो पिछले छह साल का औसत है उसकी तुलना में राजस्थान की सरकार किस रूप में बेहतर है, वह आपको निवेदन करना चाहूंगा।

जलापूर्ति और स्वच्छता में बजट के अन्दर देश के राज्यों का औसत है 2.3 परसेंट और राजस्थान सरकार का औसत है 4.4 परसेंट, जो पूरे मुल्क के 25 राज्यों से हमारा बजट प्रावधान पिछले छह साल का बेहतर है। यह मैं छह साल, 2015 से लेकर 2021 तक के एवरेज के आधार पर आपको निवेदन कर रहा हूं। आवासन के अन्दर हम जरूर कमजोर हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा का जो हमारा बजट प्रोविजन है वह देश के 23 राज्यों के औसत से हमारा बेहतर है, मात्र 7 राज्य देश के अन्दर ऐसे हैं जो राजस्थान से बेहतर हैं। ग्रामीण विकास के अन्दर जो देश के राज्यों का औसत है वह 5.9 परसेंट है और राजस्थान का छह साल का एवरेज है 7.7 परसेंट, जो देश के 23 राज्यों से बेहतर है माननीय सभापति महोदय। ऊर्जा में राज्यों का 6 साल के बजट का एवरेज 5.7 परसेंट है और राजस्थान का एवरेज है 13.3 परसेंट जो देश के 28 राज्यों से बेहतर है। सिर्फ देश का एक बड़ा राज्य हमसे ऊर्जा के क्षेत्र में बजट प्रोविजन के मामले में आगे है।

माननीय सभापति महोदय, चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले छह साल का राज्यों का औसत 5.3 परसेंट है और राजस्थान का पिछले 6 साल का बजट प्रोविजन का एवरेज है 6.1 परसेंट, जो देश के 22 राज्यों से बेहतर है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि पुलिस के मद में हम कमजोर हैं और राजस्थान को इसमें और अधिक प्रावधान बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के राज्यों का औसत 6 साल का 4.2 परसेंट है और राजस्थान इसमें 3.3 परसेंट के एवरेज के साथ में है। देश के 26 राज्य पुलिस के बजट प्रोविजन के मामले में हमसे बेहतर हैं।

माननीय सभापति महोदय, सामाजिक सुरक्षा में भी आउट स्टेंडिंग प्रोविजन करने के बाद भी देश के दूसरे राज्य हमसे बेहतर हैं। दूसरे राज्यों का औसत सामाजिक सुरक्षा का 6 साल का 4.2 परसेंट है और राजस्थान का 3.3 परसेंट है। माननीय सभापति महोदय, 22 राज्य हमसे बेहतर हैं।

सिंचाई के अन्दर राजस्थान का औसत 2.5 परसेंट है और देश के अन्य राज्यों का औसत 4 परसेंट है। देश के 19 राज्य सिंचाई के मामले में बजट प्रोविजन में हमसे बेहतर हैं।

(श्री संयम लोढ़ा)

नगरीय विकास में राजस्थान ठीक स्थिति में है और जो देश के राज्यों का औसत है 3.1 परसेंट, राजस्थान भी 3.1 परसेंट बजट प्रोविजन पर स्टैंड कर रहा है।

सबसे ज्यादा सुधार की आवश्यकता राजस्थान को शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब की स्कीम्स को लेकर है। राजस्थान में शिड्यूल्ड ट्राइब और शिड्यूल्ड कास्ट की स्कीम पर जो बजट प्रोविजन है वह टोटल का 1 परसेंट है और देश के अन्य राज्यों का औसत 2.9 परसेंट है और 19 राज्य हमसे बेहतर हैं, लेकिन फिर भी देश के अन्य राज्यों का आप औसत देखेंगे तो राजस्थान बहुत बेहतर स्थिति में है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा संविधान संघीय ढांचे पर प्रशासन की अनुमति देता है, लेकिन विगत कुछ वर्षों में संघीय ढांचे को लगातार कमजोर करने की कोशिश हो रही है। अनेक ऐसी भारत सरकार की योजनाएं हैं जिनका पैसा जरिये राजस्थान सरकार ही नागरिकों तक जाना चाहिए लेकिन राजस्थान सरकार को अवाइड करके जो मनी ट्रांसफर के प्रयास हो रहे हैं उससे संघीय ढांचा कमजोर होगा। एक और प्रयास किया जा रहा है कि इस तरह के कर लगाये जाएं, इस तरह के सैस लगाये जाएं जिससे सारा पैसा भारत सरकार के पास सीधा आ जाए। जो शेयर स्टेट को मिलता है उस मद में वह पैसा नहीं जाए और पैसे का पूरा उपयोग भारत सरकार करे, राज्यों को कोई हिस्सा नहीं देना पड़े। अब इस साल के बजट में आधारभूत ढांचे के विकास का नाम लेकर ढाई रुपया लीटर पैट्रोल पर सैस बढ़ा दिया, चार रुपया प्रति लीटर डीजल पर सैस बढ़ा दिया। मैं आपको निवेदन करूं कि जो सेंटर की रेवेन्यू रिसीट है वह 2019-20 में घटी, जिसके कारण से जो राज्यों को पैसा देना चाहिए था वह पैसा नहीं दे पाये। 2019-20 में रेवेन्यू रिसीट अनुमानित था वह 8 लाख 9 हजार 133 करोड़ रुपये भारत सरकार को मिलना था और वह घटकर 6 लाख 50 हजार 677 करोड़ रुपये रह गया, मतलब 20 परसेंट कम।

हमारे प्रतिपक्ष के नेता लोन का आरोप लगा रहे थे। 2019-20 की तुलना में भारत सरकार 2021-22 के अन्दर 27 परसेंट ज्यादा उधार पैसा ले रही है। 15 लाख 6 हजार 812 करोड़ रुपये का ऋण भारत सरकार 2021-22 में लेगी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल है और मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था को किस तरफ ले जा रही है।

(श्री संयम लोढ़ा)

बहुत गुणगान करते हैं प्रधानमंत्री किसान निधि का। माननीय सभापति महोदय, दिन के 16 रुपये किसान को देते हैं, मात्र 16 रुपये और इसका प्रचार इस ढंग से कर रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा उपकार कर दिया। इस साल के बजट में इन्होंने क्या किया है? 2021-21 में 75 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान था पी एम किसान स्कीम में जिसको घटाकर 2021-22 में 65 हजार पर ले आये। नोटबन्दी हो, जीएसटी हो, इन सबका नुकसान देश के हर राज्य को हुआ है। आज ये बारम्बार उछल-उछल कर कहते हैं कि पैसा कहां से आयेगा, पैसा कहां से आयेगा। क्या इन्होंने देश के दूसरे राज्यों की स्थिति पर नजर डालने की कोशिश की? 2020-21 के जो शुरुआती 6 महीने हैं, कौनसा ऐसा राज्य है जिसकी रेवेन्यू नहीं घटी? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खुद के गृह राज्य में 2020-21 के पहले छह महीने में 21 परसेंट रेवेन्यू रिसीट घटी है। कर्नाटक जो इनका, बीजेपी रूल स्टेट है, उसमें 27 परसेंट घटी है और महायोगी आदित्यनाथ का प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उसमें रेवेन्यू रिसीट इनकी 6 महीने में 21 परसेंट घटी है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की तो आपके आशीर्वाद से मात्र 17 परसेंट घटी है।

माननीय सभापति महोदय, 2017 में भारत सरकार जीएसटी कम्पनसेशन का कानून लेकर आई थी कि राज्य को 14 परसेंट क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाएगा। वह सैस लगा रही है और सैस का उपयोग इस कम्पनसेशन को देने में करना चाहती है, लेकिन क्या हुआ? 2019-20 में 14 परसेंट के हिसाब से स्टेट का क्लेम बना एक लाख 65 हजार 302 करोड़ रुपये और भारत सरकार को सैस से रेवेन्यू कितना आया? 95 हजार 444 करोड़ रुपये। 2020-21 में क्या हुआ? क्लेम बना 3 लाख करोड़ रुपये का और सैस की रेवेन्यू कितनी आई? 77 हजार 380 करोड़। अब उन्होंने कहा है कि हमने राजकोषीय घाटा एक परसेंट आपको एक्स्ट्रा दिया है, लोन के कम्पोनेंट में आप यह पैसा लीजिये, लेकिन जो जीएसटी से कम्पनसेशन पूरे हिन्दुस्तान के राज्यों को मिलना चाहिए था, पिछले 2 साल से माननीय सभापति महोदय उसमें लगातार गिरावट है।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। यह जो सैस और सरचार्ज की रेवेन्यू है, देश के लोगों का ध्यान इसकी तरफ नहीं जा रहा है, देश के चुने

(श्री संयम लोढ़ा)

हुए जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जा रहा है। 1980-81 में भारत सरकार की सैस और सरचार्ज से रेवेन्यू 2.3 परसेंट थी और आज 2019-20 में सैस और सरचार्ज से भारत सरकार की रेवेन्यू हो गई है 17 परसेंट, 2013-14 में भारत सरकार को जो सैस से पैसा मिलता था, सरचार्ज से पैसा मिलता था 1 लाख 4 हजार 300 करोड़ रुपये, वह बढ़कर के 2019-20 में हो गया 3 लाख 37 हजार 433 करोड़ रुपये और 2020-21 में बढ़कर हो गया 3 लाख 70 हजार 218 करोड़ रुपये। ये पूरा पैसा वह है, जिसमें स्टेट का कोई शेयर नहीं है। ये पूरा पैसा भारत सरकार अपनी मनमर्जी से उपयोग करती है और देश के लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि अलग-अलग तरह का सैस और सरचार्ज लगाकर के किस रूप में भारत सरकार लूट रही है। इस टैक्स रेवेन्यू, सरचार्ज का रेवेन्यू पिछले मात्र 8 साल में करीब पौने चार गुना बढ़ गया है। इससे अंदाजा लगाइये कि हिन्दुस्तान की जनता के ऊपर सैस और सरचार्ज के माध्यम से नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 2 लाख 70 हजार करोड़ रुपये का नया टैक्स थोपा है, जिसका कोई शेयर स्टेट को नहीं मिलता है, क्योंकि सैस और सरचार्ज डिवीजिबल पूल का हिस्सा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, अप्रैल, 2017 में पैट्रोल पर सैस और सरचार्ज था 12 रुपये, मई 2020 में बढ़कर हो गया 30 रुपये, डीजल पर अप्रैल, 2017 में सैस और सरचार्ज था 4 रुपये 83 पैसे, जो मई 2020 में बढ़कर के हो गया 27 रुपये। माननीय सभापति महोदय नवम्बर, 2014 से जनवरी 2016 के बीच में 9 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई और 2014-15 में एक्साइज ड्यूटी से जो इनकी रेवेन्यू थी, वह 99 हजार करोड़ रुपये और 2016-17 में बढ़कर के हो गई 2 लाख 42 हजार करोड़ रुपये, जो अन्तरराष्ट्रीय बाजार के अंदर प्रति बैरल कच्चे तेल का भाव गिरा, उस कच्चे तेल के गिरे हुए भाव का लाभ हिन्दुस्तान की जनता को नहीं मिले, इसलिए बार-बार ये एक्साइज ड्यूटी, सरचार्ज और सैस के जरिये हिन्दुस्तान की जनता की कमर तोड़ने का काम, माननीय सभापति महोदय, बीजेपी की सरकार ने किया है।

अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा जिस एफडीआई के मुद्दे पर भारत की पार्लियामेंट को 45 दिन तक ठप किया गया था। माननीय सभापति महोदय, आज वही बीजेपी की सरकार, इंश्योरेंस के अंदर 49 परसेंट से फोरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर 74 परसेंट करने पर आ गई और विदेशी

(श्री संयम लोढ़ा)

सरमायेदारों को, उन कम्पनियों का अधिकार सौंपने की हद तक आगे बढ़ गई और स्वदेशी जागरण का पूरे हिन्दुस्तान के गांव-गांव में ढिंढ़ोरा पीटने वाले सारे लोग, नागपुर में जाकर छुप गये माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, विनिवेश- कहां तो यह नारा था 'मैं देश नहीं बिकने दूंगा' और कर क्या रहे हैं? एयर इंडिया, आईडीबीआई बैंक, पवन हंस, बीपीसीएल- 15 हजार पैट्रोल पम्प हैं भारत पेट्रोलियम के, कितनी गैस एजेंसियां हैं। सारे कौड़ियों के भाव उनको देने का प्लान लेकर के आए। इस साल में तय किया है, 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपये की सरकारी कम्पनियों को बेचेंगे। माननीय सभापति महोदय, वह मतदाता जो इस उम्मीद में, देशभक्ति के जुनून में, इनके साथ आया, आज क्या हालात बना दिये।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा। इतना ही नहीं, इन्होंने तय किया इस साल के बजट में कि एक इंश्योरेंस कम्पनी को भी बेचेंगे, दो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भी बेचेंगे। माननीय सभापति महोदय, भारत सरकार के रिसीट जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी रिसीट 29 परसेंट 2020-21 में घटी है और इनका रेवेन्यू डेफिसिट जो 2019-20 में 3.3 परसेंट था, वह रेवेन्यू डेफिसिट भारत सरकार का बढ़कर हो गया 2020-21 में 7.5 परसेंट और अब इन्होंने 5.1 परसेंट का लक्ष्य तय किया है। जैसा मैंने निवेदन किया, 2020-21 में इनका राजकोषीय घाटा 9.5 परसेंट रहा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार की क्या हालत हो रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इसके अलावा भी आगे और बातें आपके सामने रखूंगा। अब माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का जो बजट प्रस्तुत किया गया है। मुझे दुष्यंत कुमार का एक शेर याद आता है, 'कौन कहता है, आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों।

माननीय सभापति महोदय, आज की विषम परिस्थितियों में, आज के कठिन हालात में लोगों के गिरे हुए मनोबल के बीच में, चेहरे पर चिंताओं की लकीरों के सामने, आज एक ऐसा उजाला, अशोक गहलोत की सरकार ने इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पूरे राजस्थान के अंदर चौतरफा लोग गदगद हैं। लोग यह सोच रहे थे, जो सोच नहीं सकते थे, अख़बार लिख रहे थे, आप दो दिन पहले का अख़बार उठाकर देख लीजिए, अख़बार लिख रहे थे, जेब में नहीं चवन्नी और इस तरह के नकारात्मक आलेख, लेकिन जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट प्रस्तुत किया, हमारे प्रतिपक्ष के साथी

(श्री संयम लोढ़ा)

सुन्न रह गये। आपस में इशारों से बात करने लगे, ये क्या हो रहा है, जब अशोक गहलोत साहब कर प्रस्ताव पढ़ रहे थे तो मैंने देखा सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के उपनेता ने पैन निकाल ली कि मैं नोट करूं और सभापति महोदय आप रिकोर्डिंग निकालकर के देखना, मुख्य मंत्री महोदय ने पूरे कर प्रस्ताव पढ़ लिए, उनकी पैन वहीं की वहीं पड़ी रह गई, क्योंकि एक नये पैसे का कर मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने नहीं लगाया।

माननीय सभापति महोदय, मैं क्या प्रशंसा करूं, इंदिरा शहरी कार्ड क्रेडिट योजना, 50 हजार रुपये का ऋण प्रदेश के 5 लाख नौजवानों को, इंदिरा गांधी शहरी कार्ड क्रेडिट योजना के माध्यम से मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री लघु प्रोत्साहन योजना में 10 हजार लोगों को 50 करोड़ के ब्याज की सब्सिडी मिलेगी और कोरोना की मार पड़ी है। निर्मला सीतारमण के 20 लाख करोड़ के पैकेज का हिस्सा तो राजस्थान के लोगों तक नहीं पहुंचा, लेकिन अशोक गहलोत की सरकार ने 33 लाख परिवारों को 3 हजार 500 रुपये दिये, वे उनके घर पहुंचे और अब फिर उन्होंने एलान किया है कि मैं उन परिवारों को 1 हजार रुपये, 500-500 रुपये की 2 किश्तों के अंदर और दूंगा। इसके साथ ही, हमारे बच्चों को नि:शुल्क यूनिफार्म, पूरक पाठ्य पुस्तकें मिलें।

मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा, विशेष योग्यजन बच्चे, जो परमात्मा की दी हुई तकलीफ का शिकार हैं, उनका निर्माण कुदरत ने ऐसा किया, लेकिन हुकूमत को सबके लिए खड़ा होना पड़ता है। पहली से चौथी के बच्चे जो विशेष योग्यजन हैं। अब तक हमारी सरकारें 40 रुपये महीने का देती थी। अशोक गहलोत की सरकार ने उसको बढ़ा करके 500 रुपये किया। पांचवीं से आठवीं तक के विशेष योग्यजन छात्रों को मात्र 50 रुपये देते थे उसको बढ़ाकर के 600 रुपये किया और कालेज जाने वाले दिव्यांग और जो नौकरी करने वाले दिव्यांग थे उनके लिए 2000 स्कूटी देने का फैसला किया। मुझे बगदूद मोइनुद्दीनबी का एक शेर याद आता है सभापति महोदय, कि 'हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेकर चलो।' माननीय सभापति महोदय, हमारे देश की हुकूमत पाकिस्तान में रहने वाले लोगों के लिए कानून बनाने का प्रपंच रच के देश का वातावरण तो खराब कर सकती है लेकिन पाकिस्तान से आये हुए हमारे उन भाइयों को छत मिले, इसके लिए आज तक इन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने पाकिस्तान से आये हुए उन

(श्री संयम लोढ़ा)

विस्थापितों को जोधपुर के अंदर विनोबा भावे नगर बसाकर के वहां बसाने का फैसला किया। उनको रियायती दर पर आवास देने का निर्णय किया। इसके साथ ही कलाकारों के लिए अलग से कोष की स्थापना की।

माननीय सभापति महोदय, बहुत-सी हमारे यहां ऐसी जातियां हैं जो शराब का धंधा करती हैं। घर में ही शराब बनाती हैं, घर में ही बेचती हैं। वह उनकी आजीविका का साधन है। सालों से वह लोग यही काम करते आये हैं लेकिन उन सारे लोगों को वहां से निकाल करके मुख्यधारा में लाकर के आगे बढ़ने का अवसर कैसे दिया जाये, यह भी अशोक गहलोत साहब ने सोचा और सौ करोड़ रुपये का नवजीवन कोष बनाया उन हथकढ़ शराब से जीविका बिताने वाले लोगों के कल्याण के लिए। इससे ज्यादा समाज के सबसे पीछे बैठे हुए व्यक्ति के लिए क्या सोचा जायेगा।

मैं आपको याद दिलाऊंगा कोरोना का वक्त था, लोगों का जीना मुश्किल था। मौतें होती थीं। सामान्य मौतें भी होती थीं, कोरोना से भी होती थीं लेकिन एक मुख्य मंत्री का सोच देखिये, मोक्ष कलश योजना उन्होंने शुरू की और सारे उन लोगों को मौका दिया कि वह अपने बुजुर्गों की अस्थियां वहां पर प्रवाहित कर सकें। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इन विपरीत परिस्थितियों में भी राजस्थान जिस मजबूत ढंग से खड़ा है, आंकड़े उसके गवाह हैं।

माननीय सभापति महोदय, पूरे भारत में बैंकों में जमाओं में मात्र 11.03 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है लेकिन राजस्थान की बैंक जमाओं में 13.15 परसेंट की बढ़ोतरी हुई है। ऋण जमा अनुपात पूरे हिन्दुस्तान का 72.04 है। लोन एंड डिपोजिट रेशो राजस्थान का उससे बेहतर 75.41 परसेंट है और ऋण वितरण में भी इन विपरीत परिस्थितियों में बढ़ोतरी हुई है। पूरे हिन्दुस्तान में 5.7 परसेंट है ऋण बढ़ोतरी लेकिन राजस्थान में 8.7 परसेंट है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीजेपी के दोस्त तो चले गये, नहीं तो उनको बताता मैं कि आपका जो यह स्टैंड अप इंडिया प्रोजेक्ट है, क्या हाल है उसका? राजस्थान के लिए 13,642 करोड़ रुपये का प्रावधान स्टैंड अप इंडिया में था और मात्र 19 लोगों को लाभान्वित किया जिसमें सिर्फ 4 करोड़ 25 लाख रुपये की माननीय सभापति महोदय, स्वीकृति दी।

अब जैसा कि मैं आपको जिक्र कर रहा था, आज जरूरत है इस बात

(श्री संयम लोढ़ा)

की, अभी 2 दिन पहले प्रधान मंत्री जी ने भी मन की बात में इस पर प्रवचन दिया। यह अलग बात है कि वह खुद के मन की बात कहते हैं, दूसरों की सुनते नहीं है। माननीय सभापति महोदय, जलवायु की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। पर्यावरण की ओर उन्होंने ध्यान आकर्षित किया लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री जी को हमें धन्यवाद देना पड़ेगा कि उन्होंने उस प्रदूषण को रोकने की दिशा में इस बजट में कदम उठाये हैं। क्या हमारी यह पैट्रोल की गाड़ियां कम नहीं होनी चाहिए? क्या हमारी यह डीजल की गाड़ियां कम नहीं होनी चाहिए? क्या इनसे प्रदूषण को बढ़ावा नहीं मिलता है? अशोक गहलोत साहब ने ई-व्हीकल में एसजीएसटी के पुनर्भरण का निर्णय किया है। टू व्हीलर पर 5 से 10 हजार रुपये का अनुदान देने का निर्णय किया ई-व्हीकल के अंदर। थ्री व्हीलर पर 10 से 20 हजार रुपये का अनुदान देने का निर्णय किया और आपको याद दिलाना चाहूंगा जब इस सदन में किसान बिल पर चर्चा हो रही थी तो प्रतिपक्ष के हमारे साथी मांग कर रहे थे कि आप किसान कल्याण कोष बढ़ा दीजिए, आप आढ़त में राहत दीजिए, आप मंडी टैक्स में राहत दीजिए। अशोक गहलोत की सरकार ने वो राहत दी। गुड़, चीनी, देसी घी, इमारती लकड़ी सब पर टैक्स घटाया। मंडी शुल्क एक रुपये 60 पैसे से घटाकर एक रुपये किया। कृषक कल्याण शुल्क एक परसेंट से घटाकर 0.50 प्रतिशत किया। फल सब्जी पर 2 परसेंट से घटाकर एक परसेंट किया। आढ़त 6 परसेंट से घटाकर पांच परसेंट की। आखिर इन सारी चीजों का लाभ माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के हर तबके के लोगों को मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह आरोप लगाते हैं प्रति व्यक्ति आय को लेकर। आप देश का औसत लीजिए। आप राजस्थान का औसत लीजिए 2019-20 में जो प्रति व्यक्ति आय 78,390 रुपये थी, वह मात्र राजस्थान में 7.7 परसेंट घटी है क्योंकि विपरीत हालात थे। उसके लिए बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं लेकिन आल इंडिया के अंदर यह 8.95 परसेंट प्रति व्यक्ति घटी है जो राजस्थान में 2019-20 में प्रति व्यक्ति आय 78,390 रुपये थी घटकर 72,297 रुपये रही, वहीं भारत सरकार की 94,954 रुपये से घटकर 86,456 रुपये रह गई और इन विपरीत परिस्थितियों में भी माननीय सभापति महोदय, मैं हमारे किसान को धन्यवाद दूंगा कि राजस्थान का खाद्य उत्पादन 2019-20 की तुलना में 2.08 परसेंट बढ़ा है। 2019-20 में राजस्थान ने 265.81 लाख मैट्रिक टन खाद्यान्न का उत्पादन किया, वह 2020-21 में

(श्री संयम लोढ़ा)

बढ़कर 271.33 लाख मैट्रिक टन हो गया माननीय सभापति महोदय, और मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इतना ही नहीं, डिपोजिट भी जो बैंकों में जमा राशि है वह भी राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर है। सितम्बर, 2019 की तुलना में सितम्बर, 2020 का आंकड़ा मैं आपके सामने निवेदन करूंगा। राजस्थान में 13.15 परसेंट की डिपोजिट में बढ़ोतरी हुई जबकि आल इंडिया की बढ़ोतरी मात्र 11.03 परसेंट रही।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सबसे महत्वपूर्ण बात जो कोरोना के समय में हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह की थी। अशोक गहलोत साहब ने 16 करोड़ रुपये रिलीज करके राजस्थान के 5 लाख कर्मचारियों को सीधा फायदा दिया। बार काउंसिल आफ राजस्थान को 10 करोड़ रुपये दिये। हमारे संविदाकर्मियों की जो समस्याएं हैं जिसकी कैबिनेट की एक सब कमेटी लगातार सुनवाई कर रही है। अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि संविदाकर्मियों का विभागवार कैडर तैयार करने का इस सरकार ने निर्णय लिया है।

मुझे आज याद आता है माननीय सभापति महोदय, जब मैं कांग्रेस पार्टी का विधायक होता था और 2008 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मेलन में प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी की मौजूदगी में मुझे बात करने का मौका मिला था, तब मैंने जो विनती उस समय उनके सामने की थी, आज राजस्थान ने वह उपलब्धि प्राप्त कर ली है। सबसे महत्वपूर्ण चीज जो राजस्थान ने की सभापति महोदय, सबको जो हैल्थ कवरेज दिया है यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज सार्वभौमिक चिकित्सा सुविधा, यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज। हमारी पीएचसी जो 15 जांच करती थी उसको बढ़ा करके 61 कर दिया। हमारी सीएचसी जो 37 जांच करती थी उसको बढ़ा करके 95 कर दिया। हमारे उप जिला चिकित्सालय जो 56 जांचें करते थे उसको बढ़ाकर 109 कर दिया। हमारे जिला चिकित्सालय जो 56 जांचें करते हैं उनको बढ़ा करके 133 कर दिया और राजस्थान के हर तबके के लोगों को उस बीमा में शामिल किया है चाहे वह लघु एवं सीमांत काश्तकार हो, चाहे वह संविदाकर्मी हो और जो टैक्सपेयर हैं, उनको जरूर 850 रुपये भरकर के उस हैल्थ कवरेज का लाभ लेना पड़ेगा और सबसे ज्यादा प्रसन्नता की बात तो यह है, आप सभी जानते हैं कि इस समय 10 में से 3 मरीज कैंसर के आ रहे हैं। जोधपुर डिवीजन के अंदर यह समस्या कुछ ज्यादा ही है। पहले उन्हें जयपुर जाना पड़ता था, अहमदाबाद जाना पड़ता था या मुंबई जाना पड़ता था। अशोक गहलोत साहब

(श्री संयम लोढ़ा)

ने जोधपुर में कैंसर इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करने का निर्णय किया, उसके लिए मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अपने भविष्य को लेकर हमारे बच्चे चिंता में रहते हैं। कई तरह के तनाव उनको रहते हैं, सुविधाओं की कमी रहती है। सरकार के लिए यह जरूरी है कि उनको उन विचारों से जोड़ें कि जो materialistic approach को उन पर हावी नहीं होने दे। हमारे सारे बच्चे जो छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनको सर्वोदय विचार परीक्षा से गुजरना होगा। आपके पीछे उन्हीं महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, यह सर्वोदय का विचार उनका और विनोबा भावे का दिया हुआ है। अगर जीवन में materialistic approach उन पर हावी नहीं होगी तो वह तनाव मुक्त रहेंगे और यह बहुत अच्छा होगा कि उस उम्र में उनको इन विचारों से जोड़ा जाए जिससे वह समझ सकें। महात्मा गांधी के ऊपर के वस्त्र नहीं हैं, पूरी जिंदगी नहीं पहने हैं, क्यों नहीं पहने, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, उड़ीसा में जब महात्मा गांधी अभिज्ञान आंदोलन में सभा लेने के लिए गए, तब उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी उनके साथ होती थीं। गांव के लोग सुनने नहीं आए तो कस्तूरबा गांधी घरों में गईं, घरों में तो क्या झोंपड़ों में गई। एक जगह उन्होंने आवाज दी तो तीन महिलाएं मिलीं। उन 3 महिलाओं से कस्तूरबा गांधी ने कहा कि तुम बापू की सभा सुनने क्यों नहीं आईं तो उन्होंने कहा कि हम आना तो चाहते थे पर हमारे पास पहनने के लिए वस्त्र एक ही है, इसलिए हम आ नहीं सके। कस्तूरबा गांधी ने वह घटना बापू को बताई और उसी दिन बापू ने यह तय किया कि मेरे देश की नारियों के पास पहनने के लिए पूरे वस्त्र नहीं हैं। वह दिन है और आज का दिन है, हमेशा हमने उनको इसी तरह के बदन में देखा है, तो उस सोच से जोड़ने का फैसला हमारे मुख्य मंत्री जी ने किया और यह आज के समय में बहुत आवश्यक है क्योंकि लोग सिर्फ महात्मा गांधी का चश्मा लगाना चाहते हैं, लोग सिर्फ महात्मा गांधी की मूर्ति पर हाथ जोड़ना चाहते हैं और इसलिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को उस समय कहना पड़ा कि 'तुम तो प्राण दे चुके बापू स्वयं उन्हें साधारण जान, कृपया कभी न करना अब फिर अपने दिए हुए का दान। उन्हें न्यास सा रखना आगे अब उन पर अधिकार उन्हीं का, उनमें है जिनके भगवान और भाग्य है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा हर यूनिवर्सिटी में फ्री वाईफाई लाइब्रेरी, हर स्कूल में स्मार्ट टीवी हम

(श्री संयम लोढ़ा)

चाहते हैं। ऑनलाइन समय की मांग है। हमारे बच्चों को उसमें कैसे बेहतर सुविधा दी जाए, इसके लिए 82 करोड़ रुपये का प्रावधान माननीय मुख्य मंत्री ने किया।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीजेपी के दोस्तों ने गायों को लेकर बहुत बात की। जैसा मैंने पहले भी इस सदन में कहा है कि पूरे हिन्दुस्तान में गौ सेवा की आशीष अगर किसी भी राजनेता के खाते में आएगी तो वह अशोक गहलोत है। माननीय सभापति महोदय, बीजेपी की सरकार ने 2015 से लेकर 2018 तक जब इनकी सरकार थी 3 साल में गौशालाओं को मात्र 499.46 करोड़ रुपये की सहायता दी और अशोक गहलोत की सरकार ने 2018-19 से लेकर अब तक 1528 करोड़ों रुपये की सहायता दी, जिसमें इस सरकार के वक्त में 1029.45 करोड़ की सहायता दी गई। माननीय सभापति महोदय, इनके वक्त में गौशालाओं में मात्र 7 लाख 17 हजार गौवंश को सहायता दी गई, अशोक गहलोत की सरकार ने 9 लाख 30 हजार गौवंश को सहायता उपलब्ध कराई। इनके कार्यकाल में मात्र 1601 गौशालाओं को लाभान्वित किया गया, जो कुल गौशालाओं का 54 प्रतिशत था, अशोक गहलोत की सरकार ने 2018 गौशालाओं को लाभान्वित किया, जो कुल गौशालाओं का 67 प्रतिशत है। माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार बनते ही इस बात का निर्णय किया कि जो बड़ा पशु है उसका अनुदान 32 रुपये से बढ़ाकर 40 रुपये करेंगे और छोटे पशु का 16 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये करेंगे और यह 6 महीने का अनुदान देने वाली हिन्दुस्तान की पहली सरकार अशोक गहलोत की सरकार है। इन्होंने कहा नंदी गौशाला, आप में से कोई भी जवाब दें तो बता देना कि आपकी सरकार में आपने जिला स्तर पर कितनी नंदी गौशालाओं की स्थापना की।

माननीय सभापति महोदय, आखिरी साल में इन्होंने चार बजट घोषणा की थी बायोगैस सहभागिता, जिला स्तरीय नंदी शाला, गौशाला विकास योजना, नापासर गांव में गो अभयारण्य। इन चारों बिंदुओं में से एक बिंदु पर काम किया हो तो जब यहां सदन में आओ तब आकर इस बात का जवाब दे देना। अशोक गहलोत की सरकार में 3 जिलों में नंदी गौशालाओं का काम पूरा हो गया, दो में चल रहा है और 11 जिलों में प्रारम्भ होने वाला है। माननीय सभापति महोदय, 16 जिलों में नंदी गौशालाओं का बजट आबंटित कर दिया गया है। गौशाला विकास योजना में 68 गौशालाओं को 3 करोड़ 80 लाख रुपये

(श्री संयम लोढ़ा)
की सहायता प्रदान की गई। कामधेनु डेयरी 16 जगह पर स्वीकृत की गई और इसके साथ ही अवैध नर पशु गाय घूमती न रहे, इसके लिए इन्होंने सेक्स सार्टेड सीमन योजना के अंतर्गत इंजेक्शन लगाना भी प्रारम्भ किया है जिसमें 10 करोड़ का प्रावधान किया है और इससे जो आवारा पशु घूमते हैं इससे आने वाले समय में इनकी संख्या में कमी आएगी और अब नंदी गौशाला की स्थापना के लिए डेढ़ करोड़ रुपये देने का निर्णय किया है। नंदी गौशालाओं का अनुदान बढ़ाने का निर्णय भी इन्होंने किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, एक और बेहतरीन चीज राजस्थान सरकार ने की है, उसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। एग्रीकल्चर का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अलग से एस्टेब्लिश करने की घोषणा की है जो कि एक स्वागत योग्य कदम है। इन्होंने जाते-जाते जो 800 और कुछ रुपये की घोषणा की थी, जिसमें फार्मर के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया, कुछ समय तक तो उसको सरकार चलाती रही लेकिन बाद में बंद कर दिया और अब अशोक गहलोत साहब ने प्रत्येक किसान को महीने का 1000 रुपये का अनुदान एग्रीकल्चर यूज पर देने का निर्णय किया है। साल का 12000 रुपये तक का दिया जाएगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से बीजेपी के दोस्तों से यह पूछना चाहता हूं कि 2014 में जब प्रधान मंत्री जी प्रत्याशी के रूप में चुनाव प्रचार कर रहे थे तब उन्होंने वादा किया था कि मैं देश के किसानों का कर्जा माफ करूंगा। 7 साल में एक फूटी कौड़ी इन्होंने माफ नहीं की। आज लोग मनमोहन सिंह जी को याद करते हैं कि उन्होंने 72000 करोड़ रुपये का कर्जा माफ किया था। अभी मातृकुंडिया में जो कांग्रेस का किसान सम्मेलन हुआ, उदयलाल जी आंजना साहब अभी बैठे हुए नहीं हैं, उसमें अशोक गहलोत साहब ने फिर ऐलान किया है कि किसानों का राष्ट्रीयकृत बैंकों का कर्जा माफ करने के लिए भारत सरकार आगे आए। वन टाइम सैटलमेंट में अगर भारत सरकार आगे आती है, बैंक आगे आते हैं, बैंक तैयार होते हैं तो मुख्य मंत्री अशोक गहलोत साहब ने कहा कि वन टाइम सैटलमेंट के तहत मैं पैसे भरने को तैयार हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस और कृषि के इंश्योरेंस का यह लोग बहुत जिक्र करते हैं। देश के कृषि मंत्री जी ने पार्लियामेंट में क्वेश्चन का जो आंसर

(श्री संयम लोढ़ा)
दिया है वह मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं, जिससे पूरे देश के लोगों को मालूम पड़ सकेगा कि इस बीमा योजना के क्या हाल हैं -

"In 2019-20, the number of rejected crop insurance claims was 9.28 lakh. The number of farmers' crop insurance claims that were rejected by insurance companies under the Center's flagship Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana (PMFBY) multiplied 10 times in just two years, according to data provided by Agriculture Minister Narendra Singh Tomar in response to a question in the Rajya Sabha on Friday.

In 2017-18, the number of rejected claims was 92,869. In the next year, 2018-19, the figure more than doubled to 2.04 lakh. By 2019-20, it was 9.28 lakh, a whopping 900% increase."
ये तो हाल है, माननीय सभापति महोदय। ये किसानों का भला करना चाहते हैं? 2020 में किसानों की आमदनी को दोगुना करना चाहते हैं?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आज देश के क्या हालात हो रहे हैं? मैं किस्सा आपको सुनाना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, देश में इस रूप में लोकतंत्र के सभी स्तम्भों पर हमला हो रखा है। क्या जुडीशियरी, क्या ब्यूरोक्रेसी का, एक पत्रकार ने वाराणसी गांव की एक खबर छापी कि 'मिड डे मील' के अंदर स्कूल के बच्चों को रोटी के साथ नमक दिया गया। आपमें से बहुत से लोगों ने पढ़ा भी होगा। खबर छपी, उस पत्रकार पवन कुमार जायसवाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। माननीय सभापति महोदय, खबर देने वाला जो सोर्स था, उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। वह पत्रकार पवन कुमार जायसवाल घबरा गया, दिल्ली चला गया। कई दिन तक दिल्ली के अंदर छिपा रहा और कोर्ट से उसको इंटरिम बेल मिल गयी लेकिन उस खबर का जो सोर्स था, जिसने यह जानकारी दी कि स्कूल में बच्चों को रोटी के साथ नमक वितरित किया जा रहा है, माननीय सभापति महोदय, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। देश के प्रधान मंत्री के लोक सभा क्षेत्र में एक पत्रकार के द्वारा यह खबर छापना भी गुनाह है।

माननीय सभापति महोदय, दुनिया भर के अखबारों में लिखा गया। इंदौर के अंदर एक स्टैंड-अप कामेडियम अपना कार्यक्रम करने वाला था। उसने अपना कार्यक्रम किया नहीं, करने वाला था। बीजेपी के एक एक्स एमएलए का

(श्री संयम लोढ़ा)

लड़का पहुंच गया, झगड़ा करने लग गया। उन्होंने कहा कि अभी हमने प्रस्तुति नहीं दी है। कुछ लोग देखने भी आये थे, कुछ बाम्बे से देखने आये थे, कुछ इंदौर से देखने आये थे। उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया और जो देखने आये थे, उनको भी गिरफ्तार कर लिया। देश के अंदर कुछ लिखना, कुछ बोलना क्या अपराध है?

मैं आपको याद दिलाऊंगा दिशा व रवि का। क्या किया? एक खुला डाकूमेंट था, इंटरनेट पर। उसको उन्होंने फारवर्ड करने का काम किया। उसमें कौनसा गुनाह है? आप कल का वाशिंगटन पोस्ट पढ़िए, आप न्यूयार्क टाइम्स पढ़िए, दुनिया भर के अखबारों में आर्टिकल छप रहे हैं। द इकोनोमिस्ट ने लिखा, मैं वह आपको निवेदन करना चाहूंगा। वाशिंगटन पोस्ट और द इकोनोमिस्ट ने भारत में लोकतंत्र और सरकार द्वारा नागरिक अधिकारों पर प्रहार को प्रमुखता से उठाया है, लेकिन पॉप सिंगर रिहाना के हाथ धोकर पीछे पड़ने वाली सरकार इस बार चुप है, कारण यह है कि इन पत्रिकाओं ने जो कुछ लिखा है, वह सच है। वाशिंगटन पोस्ट के सम्पादकीय बोर्ड ने लिखा है कि भारत के लोकतंत्र के दावे पर सवालिया निशान लगाया जाना चाहिए। अख़बार ने यह शीर्षक उस रिपोर्ट में लगाया है, जिसमें भारत के इन दिनों के हालात, शासन-प्रशासन की व्यवस्था आदि का आकलन किया गया है। इनमें संसद में बिना वोटिंग के पास किये गये कृषि कानून और खुले दस्तावेज को एडिट करने के लिए एक युवा महिला कार्यकर्ता को जेल में डालने का जिक्र है।

जिस मुल्क ने इस दुनिया को वसुधैव कुटुम्बकम् का नारा दिया, आज क्या हो रहा है? हमारे देश में कल्याण मंत्र रहा है, "सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुख भागभवेत।" हमारे वेदों की भावना का, हमारे वेदों के ज्ञान का क्या हो गया है? माननीय सभापति महोदय, ये लोग छोटी-सी आलोचना सहन नहीं कर सकते हैं। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, द इकोनोमिस्ट ने लिखा 'अपने आलोचकों को लेकर भारत का रवैया न सिर्फ खराब है, बल्कि पाखंडपूर्ण है, +++ सरकार की हरकतों ने उसे घटिया और मूर्ख साबित किया है' आप कल्पना करिये और आगे ये भी लिखा है, इकोनोमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में भारत सरकार द्वारा गुरुजी गोलवलकर को सरकारी तौर पर श्रद्धांजलि देने का मुद्दा भी उठाया है। पत्रिका ने लिखा है कि 'गोलवलकर का विश्वास था कि नाजियों की जर्मनी ने अपने यहां जिस तरह यहूदियों के साथ सलूक किया, उससे भारत को सबक

(श्री संयम लोढ़ा)

लेकर सीखना चाहिए और उसका फायदा उठाना चाहिए' आज दुनिया भर के अखबारों में भारत की थू-थू हो रही है। माननीय सभापति महोदय, सत्ता के अहंकार के अंदर यह सरकार बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, किसी भी पेशे को अपनाने की आजादी, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की आजादी, एसोसिएशन बनाने की आजादी, सब पर हमला कर रही है। अंग्रेजों से भी ज्यादा अत्याचारी सरकार आज हम देख रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज लाखों किसान बैठे हुए हैं। पूरे हिन्दुस्तान के अंदर सड़कों पर रैलियां हो रही हैं। क्या मांग कर रहे हैं? मिनिमम सपोर्ट प्राइस की मांग कर रहे हैं। देश के मात्र 6 परसेंट किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल रहे हैं और प्रधान मंत्री जी खुद, जब मनमोहन सिंह जी द्वारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कमेटी बनायी गयी, उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उस कमेटी ने 2011 में अपनी रिपोर्ट दी, प्रधान मंत्री जी के खुद दस्तखत से जो रिपोर्ट तत्कालीन भारत सरकार को सबमिट हुई, उसमें लिखा कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेजिटिमेट किया जाना चाहिए। आज देश का किसान क्या मांग कर रहा है कि इन कृषि कानूनों के अंदर आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेजिटिमेट करिये, उसको कानून का हिस्सा बनाइये, इन काले कानूनों को वापस लीजिए। वे कानून जो बिना चर्चा के पारित किये गये। वे कानून जो देश की जनता को धोखा देते हुए, कोरोना के टाइम में 5 जून को आर्डिनेंस लाकर इस देश की जनता पर थोपे गये। राज्य सभा में भारतीय जनता पार्टी का बहुमत नहीं था, पारित नहीं हो सकता था। वहां के मैम्बर्स आफ पार्लियामेंट ने वहां डिमांड की कि डिवीजन किया जाए। +++ आज वहां 200 किसान शहीद हो चुके हैं। उन किसानों को आतंकवादी बनाया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, लाल किले की जिस घटना का जिक्र बार-बार किया जा रहा है। जो सिंधु नाम का लड़का था, वह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था। वह भारतीय जनता पार्टी के बहकावे और भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र का हिस्सा बनते हुए, वह नापाक घटना लाल किले के अंदर की गयी। उस सिंधु की प्रधान मंत्री जी के घर की फोटो आज मौजूद है, गृह मंत्री जी के साथ उसका फोटो मौजूद है। वह +++ के चुनाव प्रचार के अंदर मुख्य प्रचारक था। इस तरह के हालात देश के अंदर बने हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लगातार किस रूप में हमले हो रहे हैं। आपको गौरी लंकेश का याद होगा। गौरी लंकेश नाम की

(श्री संयम लोढ़ा)

महिला पत्रकार की हत्या क्यों की गयी? क्योंकि उन्होंने इनके खिलाफ लिखा था और आज एनडीटीवी पर बार-बार क्यों अटैक होता है? क्यों उन पत्रकारों को नौकरी से निकलवाया जाता है, जो पत्रकार इस सरकार को पसंद नहीं आते और इस सरकार के खिलाफ लिखते हैं। मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि पुण्य प्रसून वाजपेयी को क्यों निकाला गया? मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार के साथ वह घटना क्यों हुई और दूसरी तरफ +++ जैसे लोग, जिन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस देश की खुफिया सूचनाएं लीक कीं, सरकार से सांठगांठ की और एक क्राइम किया, आज उनके खिलाफ माननीय सभापति कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। शशि थरूर जैसे आदमी पर, जो लोक सभा के सांसद हैं, देश के लोकप्रिय नेता हैं। यूएनओ में रहे हैं, इस सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है किसान आंदोलन को लेकर। माननीय सभापति महोदय, उन लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं, जो मुगलों के खिलाफ लड़े हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की कुर्बानियां दीं, दीवार में चिन जाने दिया, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़े।

(14.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, पूरा देश चिंतित है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह कहा गया था, चुनाव के वक्त वादा किया गया था मिनिमम सपोर्ट प्राइस का और 2014 के अंदर भारत सरकार के कृषि मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि हम एमएसपी नहीं दे सकते और आज भी देश के 94 परसेंट लोगों को एमएसपी नहीं मिल रही है।

माननीय सभापति महोदय, संविधान के अनुच्छेद 14 का लगातार देश के हर इलाके में हनन हो रहा है। जो आदमी मोदी के खिलाफ कोई बात कर दे, कोई टिप्पणी कर दे, राजस्थान का अभी एक कामेडियन है श्याम रंगीला, आपने पिछले दिनों उनका वीडियो देखा होगा। एक पैट्रोल पम्प पर उन्होंने शूट किया और पैट्रोल के भाव, डीजल के भाव बढ़ाने को लेकर उन्होंने अपनी परफोरमेंस दी। आपको ताज्जुब होगा उस कंपनी के डीलर को बाध्य किया गया कि उसके खिलाफ कार्यवाही करो कि हमारे यहां आकर शूट क्यों किया गया? इस देश के अंदर कबीर ने क्या नहीं लिखा? रैदास ने क्या नहीं लिखा? मीरा बाई ने क्या नहीं लिखा? पर इस देश ने उन सब बातों को सम्मान दिया। एक असहमति को व्यक्त करने का हमेशा अधिकार दिया। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि देश भर में ऐसे मुकदमे जिसमें आर्टिकल 14 का

(श्री संयम लोढ़ा)

हनन हुआ है, 405 मुकदमे देश भर में 2014 के बाद दर्ज हुए हैं जिसमें 96 परसेंट मुकदमे मोदी के खिलाफ कोई कामेडी करने, कोई टिप्पणी करने या कुछ लिखने के लिए दर्ज किये गये हैं और 149 लोग इसके अंदर आरोपी बनाये गये हैं।

माननीय सभापति महोदय, आज आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राकेश टिकैत को रोना क्यों पड़ा? वह आदमी जो कड़ाके की ठंड में कई दिनों तक बैठा हुआ था, वह आदमी जो लाखों किसानों के साथ सिंधु बोर्डर पर डटा हुआ था, पुलिस ने जिस रूप में उनके सामने किसानों को पकड़-पकड़ कर पीटना शुरू किया, लहूलुहान करना शुरू हुआ, उसी का नतीजा था कि उनकी आंखों में आंसू आ गये। आज राकेश टिकैत के खिलाफ भी मुकदमा है। देश के उन सारे किसानों के खिलाफ मुक़दमे दर्ज किये गये हैं, क्यों? इसलिए किये गये हैं कि ये कानून मिलीभगत से लाये गये थे। उन पूंजीपतियों के साथ एका करके लाये गये थे। कानून आये नहीं, कानून पारित हुए नहीं, उससे पहले तो 7 मई को हरियाणा सरकार ने अडाणी की 100 एकड़ लैंड का लैंडयूज चेंज कर दिया। वहां पर स्टोर बन गये, चेन बन गये, गोदाम बन गये। आज उन पूंजीपतियों को ये क्या जवाब दें? ये कैसी सरकार है? लाखों किसान बैठे हुए हैं, उनकी टायलेट बंद कर दी, आपने उनका पानी बंद कर दिया, आपने खाना बंद कर दिया, आपने इंटरनेट बंद कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, आप इंटरनेट का रिकार्ड उठाकर देखिए। आपको पता चल जाएगा कि पिछले 7 साल के अंदर देश में कितनी जगह इंटरनेट बंद किया गया। ये कैसा तरीका है कि लोग जिनको वोट देकर राज में काबिज करते हैं, आप पैसा देकर उनको खरीद लेते हैं। फिर लोगों के वोट देने का क्या मतलब? आपने अरुणाचल में क्या किया? आपने गोवा में क्या किया? आपने गुजरात में क्या किया? आपने मध्य प्रदेश में क्या किया? मध्य प्रदेश के अंदर जब चरम कोरोना चल रहा था तब विधायकों को करोड़ों रुपये की खरीद-फरोख्त करके उनसे इस्तीफ़े दिलवाए गए और उनके जरिये वापस चुनाव के जरिये ये सरकार बनाने का रास्ता, माननीय सभापति महोदय, देश का प्रजातंत्र आज खतरे में है। यह मैंने नहीं कहा, सर्वोच्च न्यायालय के चार न्यायाधीशों ने प्रेस कांफ्रेस करके देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया था कि प्रजातंत्र किस रूप में खतम है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वादा था नोटबंदी में? जब 8 नवम्बर को देश के प्रधान मंत्री

(श्री संयम लोढ़ा)

ने 8 बजे आकर के टीवी पर कहा था नोटबंदी से क्या होगा, भ्रष्टाचार खतम होगा, काला धन सामने आएगा, आतंकवाद खतम होगा। क्या हुआ? पूरे देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। किस रूप में जीएसटी लेकर आए। जब अपोजिशन में थे तो लगातार इस बात का विरोध कर रहे थे और एक बिना प्लानिंग के, बिना सोचे-समझे जिस रूप में लेकर आए, उससे देश में चारों तरफ लोगों को दुःखी करने का ही काम किया। आज डिजिटल इंडिया का क्या हाल है? आज स्मार्ट सिटी का क्या हाल है? आज मेक इन इंडिया का क्या हाल है? स्किल इंडिया में क्या हो रहा है? 'हर-हर गंगे योजना' का क्या हुआ? एक बहुत षड्यंत्रपूर्ण तरीके से न्याय पालिका को भी डिक्टेट करने का काम हो रहा है। आज राजस्थान में 50 न्यायाधीशों के पद हैं, 50 में से 27 पद खाली पड़े हुए हैं। क्या मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह जान सकता हूं कि इन पर भर्ती क्यों नहीं की जा रही है? सिफ़ारिशें भेजने के बाद एक-एक साल तक ये प्रस्ताव पड़े रहते हैं और लोगों को राहत नहीं मिलती।

माननीय सभापति महोदय, पिछले दो साल के अंदर कौनसा ऐसा तबका है, जिसकी आकांक्षाओं की पूर्ति करने का काम सरकार ने नहीं किया। आप कोरोना का प्रबंध उठाकर देखिए। पूरे देश के अंदर कोरोना के प्रबंधन की मिसाल दी जा रही है। छोटी-छोटी जगह पर कोरोना लैब एस्टब्लिश की गयी। मेडिकल कालेज खोले गये। खुद अमेरिका के प्रेसीडेंट की प्रेस एडवाइजर ने राजस्थान के कोरोना प्रबन्धन पर एक आर्टिकल लिखा। दो घंटे और पचास मिनट का वह मुख्य मंत्री महोदय का भाषण समाज के हर तबके की इच्छा को पूर्ण करने वाला था, हर तबके की इच्छा को समाहित करने वाला था और मैं आखिर में एक शेर के साथ अपनी बात खतम करता हूं:

"कश्ती चलाने वालों ने जब हार कर दी पतवार हमें,
लहर-लहर तूफान मिले और मौज-मौज मंझधार हमें,
फिर भी दिखाया है हमने और फिर ये दिखा देंगे सबको,
इन हालातों में आता है, दरिया करना पार हमें।।"

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल। श्रीमती मनीषा पंवार।

श्रीमती मनीषा पंवार (जोधपुर): सभापति महोदय, आज आपने मुझे बजट पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको हृदय से धन्यवाद। 2021-22 का बजट जब माननीय मुख्य मंत्री जी गहलोत जी

(श्रीमती मनीषा पंवार)

प्रस्तुत कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कौनसा वर्ग, कौनसा क्षेत्र वंचित रह गया, जिसके लिए कुछ घोषणा नहीं हुई हो।

सभापति महोदय, राजस्थान के प्रत्येक जिले के लिए ये बजट नये अवसर बढ़ाने वाला और आमजन हेतु बेहतर सुविधाएं प्रदान करने वाला होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी अशोक गहलोत ने महात्मा गांधी की बातों को आत्मसात करते हुए इस बजट में समाज के हर वर्ग, अंतिम पायदान तक बैठे व्यक्ति तक इस बजट को पहुंचाने और उनको सुविधाएं प्रदान करने सेवाओं को उन तक पहुंचाने का काम किया।

सभापति महोदय, विगत वर्ष वैश्विक महामारी कोविड-19 ने पूरी दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती रख दी। इससे हमें कई नयी बातें समझने का मौका मिला और सोचने का अवसर प्रदान किया। कोविड-19 ने पूरी दुनिया के साथ-साथ राजस्थान के लिए भी बहुत बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दी थीं। लाकडाउन के दौरान आमजन हताशा की ओर बढ़ने लगे थे लेकिन हमने देखा कि किस तरह अनुभवी डिजास्टर मैनेजर माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश के सभी वासियों, प्रवासियों को एक अभिभावक की तरह संभाला। उनकी चिकित्सा, भोजन की व्यवस्था व सार-संभाल प्रशासन के माध्यम से, समाज सेवियों के माध्यम से, स्वयंसेवी संगठनों के माध्यम से, राजनैतिक व सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर किया। यह और कोई नहीं हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत, जो श्रवण कुमार की तरह एक माता-पिता, पूरे राजस्थान के लोगों को संभालते हैं। जो लोग कोरोना की चपेट में आए थे, उनके लिए इलाज कराना बहुत गंभीर हो गया था। गंभीर हालत में पहुंचने पर एक-एक मरीज के लिए 7 लाख से लेकर 15 लाख तक का खर्चा आता था लेकिन हमारे मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत जो हमेशा चिकित्सा के प्रति संवेदनशील रहे हैं, उन लोगों का न केवल मुफ्त इलाज करवाया, एक ऐसा नारा दिया, न कोई भूखा सोये, न कोई पैदल चले, इस बात को आत्मसात करते हुए सभी प्रवासी कामगारों को, हमारे भाइयों को, बिना किसी भेदभाव के, नि:शुल्क बस, रेल द्वारा परिवहन की व्यवस्था की, ताकि वे सभी लोग अपने परिवारों से मिलें, जो काफी लंबे समय से अपने घर से दूर रह रहे थे। इन सभी बातों के लिए हम सभी प्रदेशवासी हमारे संवेदनशील, गांधीवादी नेतृत्व प्रदान करने वाले माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं।

सभापति महोदय, मैं जोधपुर से आती हूं और जोधपुर में जिस तरह

(श्रीमती मनीषा पंवार)
मुख्य मंत्री जी ने सौग़ातें प्रदान की हैं, मैं जोधपुरवासियों की तरफ से हृदय की गहराई से धन्यवाद प्रकट करती हूं। हमेशा से ही मुख्य मंत्री जी स्वास्थ्य के प्रति गंभीर होते हैं, संवेदनशील होते हैं। जब भी वह सरकार में रहे हैं, नि:शुल्क दवा योजना के माध्यम से आमजन को मदद पहुंचाई है। उसका एक उदाहरण, जापान जैसे विकसित देश भी राजस्थान में आकर इन चीजों को देखते हैं कि किस तरह मुख्य मंत्री जी इन चीजों को चलाते हैं और आम जन को नि:शुल्क दवा वितरण योजना के तहत लाभ पहुंचाते हैं।

जोधपुर और पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल मथुरादास माथुर चिकित्सालय में 17 करोड़ रुपये की लागत से नवीन डाइग्नोस्टिक विंग का निर्माण करना, मेडिकल कालेज में गठिया रोग के लिए इम्यूनोलोजी विभाग और रयूमेटोलोजी विभाग की स्थापना करना, कोविड जैसी गंभीर बीमारियों और अन्य बीमारियों के लिए क्रिटिकल केयर सेंटर की स्थापना करना, इसके साथ ही 50-50 बैड आईसीयू के लिए निर्माण करना बेहतर प्रबंधन को दर्शाता है।

राज्य में बच्चों की गंभीर स्थिति को देखते हुए, गर्भवती महिलाओं को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए, पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा अस्पताल जोधपुर स्थित उम्मेद अस्पताल में 50 करोड़ रुपये की लागत से राष्ट्रीय स्तर के उम्मेद अस्पताल में Graduate Institute of Maternity and Neonatology की स्थापना की, जिससे यह पता चलता है कि मुख्य मंत्री जी किस तरह बच्चों व महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं।

पश्चिमी राजस्थान में कैंसर रोगियों की बढ़ती स्थिति को देखते हुए, हर मरीज सबसे बड़े अस्पताल एमडीएम की तरफ जाता है और अपने इलाज की ओर देखता है, वहां पर भी 30 करोड़ रुपये व्यय करके रेडियोलोजी, रेडियोथैरेपी सर्जिकल, आन्कोलोजी व मेडिकल आन्कोलोजी सुविधाएं विकसित करना मुख्य मंत्री जी की संवेदनशील स्थिति को दर्शाता है।

प्रतापनगर स्थित सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में मंडोर स्थित, खुद मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में, इन सभी छोटे अस्पतालों को जिला अस्पताल घोषित करना, पावटा अस्पताल में 250 से 300 बैड की व्यवस्था करना, इसके ढांचे को 25 करोड़ के व्यय से व्यवस्थित करना। इसके साथ ही मुख्य मंत्री जी एक बात हमेशा ध्यान रखते हैं, हम सब मनुष्य बोलकर अपनी बात बताते हैं कि हमें क्या परेशानी है, क्या इलाज करवाना है, लेकिन पशुओं के लिए भी

(श्रीमती मनीषा पंवार)
नि:शुल्क व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था की है। इस बार उन्होंने पशुओं के लिए 102 एम्बुलेंस की स्थापना करके पशुओं के प्रति अपने प्रेम को दर्शाया है, वह अलग बात को दर्शाता है।

सड़क पर व्यक्ति घायल हो जाता है, लोग डरते हैं कि कैसे हम घायल को अस्पताल पहुंचाएं कहीं हम पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो जाए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए पांच हजार रुपये व प्रशस्ति पत्र का प्रावधान किया है। वह अपने आपमें एक अनूठी मिसाल है।

इसके साथ ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर में आयुर्वेदिक वैलनेस पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक वातावरण में ठहरने की सुविधा के लिए एक नये महाविद्यालय की घोषणा की, जो 10 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जाएगा। इसके साथ-साथ ही मुख्य मंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करती हूं कि यूनानी महाविद्यालय खोलने की भी घोषणा की जाए, जिससे लोगों को आयुर्वेद, जो हमारी रसोई में विद्यमान है, इसके साथ-साथ यूनानी दवा भी लोगों को मिल सके।

मुख्य मंत्री हमेशा दो बातों का विशेष ध्यान रखते हैं, चिकित्सा और शिक्षा। शिक्षा के क्षेत्र में भी अनूठी पहल करके बहुत सारी सौग़ातें जोधपुर क्षेत्र में दी हैं। 400 करोड़ की लागत से फिटनैस डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना। आजकल डिजिटल का जमाना है। हम पिछले एक वर्ष से देख रहे हैं, कोरोना काल में फोन, लेपटाप, वीसी के माध्यम से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी कोरोना काल के पूरे समय बैठे नहीं रहे, अनेक हज़ारों घोषणाएं वीसी के माध्यम से कीं। वीसी के माध्यम से शुभारम्भ किए, यह चीज को दर्शाता है कि मुख्य मंत्री जी किस तरह डिजिटल से राजस्थान को जोड़कर, विकास की पंक्ति में जोड़ना चाहते हैं।

2021-22 में विशेष योग्यजन आवासीय विद्यालय की स्थापना की जा रही है। मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि वह मेरे विधान सभा क्षेत्र में की जाए तो अलग से सुविधा व सुगमता मिल सकेगी।

उच्च शिक्षा के लिए मूक बधिरों को समुचित अवसर प्रदान के लिए गांधी बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय, माता का थान को महाविद्यालय की घोषणा कर, जन नायक ने दिव्यांगों के प्रति संवेदनशीलता प्रदर्शित की है।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

मंडोर में पोलीटैक्निक महाविद्यालय की घोषणा करना, सूरसागर में कन्या महाविद्यालय की घोषणा करना। इस अवसर पर मैं यह कहना चाहूंगी कि मुख्य मंत्री जी हमेशा बालिकाओं की शिक्षा के प्रति आगे रहते हैं।

सभापति जी, इस अवसर में मैं सदन को यह जानकारी देना चाहती हूं कि प्रतिपक्ष के सदस्यों ने जिस तरह बजट की घोषणाओं को थोथी घोषणा व झूठ का पुलिन्दा कहा, लेकिन इन्हीं सदस्यों ने बजट घोषणा पर विश्वास प्रकट करते हुए राजस्थान पत्रिका में धन्यवाद और बधाइयों के जो ज्ञापन प्रदर्शित किए हैं, उनसे यह बात नजर आती है कि विपक्ष भी इस बजट के लिए छाप छोड़ता है और उनके लिए बोलने के लिए कुछ भी नहीं रहा कि मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में कुछ भी नहीं दिया। जोधपुर संभाग मुख्यालय में अल्पसंख्यक बालक छात्रावास खोलना, मुख्य मंत्री जी पंथनिरपेक्ष नीति पर चलने की मंशा जाहिर करता है।

मुख्य मंत्री जी ने हमेशा से ही आवागमन के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रस्तावित की हैं। जब वह तीसरी बार मुख्य मंत्री बनकर आए तो उनका सपना था कि एक एलिवेटेड रोड का निर्माण हो, जिसकी डीपीआर प्रस्तुत की गई और तैयार हो गई है। यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको भारत सरकार को भेज दिया गया है। मुझे यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि पूरे मारवाड़ में 25 सीटें बीजेपी लेकर जाती है और हमारे लोक सभा क्षेत्र से गजेन्द्रसिंह शेखावत जीतकर जाते हैं। जब बजट प्रस्तुत होता है, तो एक भी बड़ी या छोटी घोषणा राजस्थान के मारवाड क्षेत्र के लिए नहीं होती है, यह बड़े शर्म की बात है। बड़े शर्म की बात है, उस एलिवेटेड रोड के लिए, जब मुख्य मंत्री जी केन्द्रीय मंत्री को पत्र लिखते हैं, तो अपनी वाहवाही लूटने के लिए, एलिवेटेड रोड के बड़े-बड़े पोस्टर लगाए जाते हैं, अखबारों में प्रकाशित किए जाते हैं, लेकिन यह झूठी वाहवाही है। मुख्य मंत्री जी खुद इस एलिवेटेड रोड के लिए चिंतित हैं, डीपीआर बन चुकी है। मुख्य मंत्री जी का सपना जरूर पूरा होगा। मुख्य मंत्री जी ने इस सपने को पूरा करने के लिए, प्रदेशवासियों को बेहतर सुविधा देने के लिए विशेषज्ञों से चर्चा कर बोम्बे मोटर एवं बावडी रोड से पावटा तक मुख्य सड़क के समानान्तर सड़कों का उपयोग करते हुए लूपिंग रूट स्थापित करने के साथ-साथ जोधपुर शहर को हैरिटेज रूप में विकसित करने के लिए, हैरिटेज संरक्षण हेतु नई सड़क के बरामदों को रेलवे स्टेशन से रणछोड़दास जी मंदिर होते हुए पूरे तिराहे तक के भवनों का जीर्णोद्धार कर

(श्रीमती मनीषा पंवार)

घंटाघर से मेहरानगढ़ तक ब्ल्यू कोरिडोर का कार्य करवाने के लिए 100 करोड़ रुपये के व्यय की घोषणा कर जोधपुर शहरवासियों का, गौरवान्वित कर दिया है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूं।

माननीय मुख्य मंत्री जी से मेरा निवेदन है कि जोधपुर में वायु प्रदूषण रोकने के लिए एक डस्ट फ्री मॉडल रोड बनाना प्रस्तावित है, जो कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से घंटाघर, नई सड़क, मोहनपुरा पुलिया, भाटी चौराहे होते हुए एयरफोर्स स्टेशन तक बनाई जाए।

प्रस्तावित लूपिंग रूट को मोहनपुरा पुलिया से भाटी चौराहे तक जाने वाली सड़क के समानान्तर सड़क जो कि ओल्ड कैम्पस के मुख्य गेट के सामने होते हुए सुभाष चौक, कृष्ण मंदिर, विश्नोई धर्मशाला होते हुए चौराहे तक जाती है, उसमें सम्मिलित किया जाए। इससे यातायात की सुगमता होगी। समानान्तर सड़क विकसित करने पर आम जन व व्यापारियों को राहत मिल सकेगी।

इसके साथ-साथ हैरिटेज, जो हमारा मेहरानगढ़ किले से लेकर घंटाघर तक हैरिटेज रूट है, जो पर्यटन की दृष्टि से बहुत उपयोगी है और हजारों-लाखों पर्यटक वहां हमेशा, हर-रोज आते हैं मेहरानगढ़ की तरफ, उस कार्य को विकसित करने के लिए, वहां स्टोन पेवमेंट का कार्य करने हेतु अतिरिक्त बजट राशि आबंटित करने के लिए मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगी।

जोधपुर मेहरानगढ़ किले से जाने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बालसमंद घोड़ा घाटी से मेहरानगढ़ किले तक सड़क मार्ग निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये की घोषणा करने के लिए मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देती हूं। इसी के साथ-साथ माचिया किले के संरक्षण एवं शहीद स्मारक के विकास के कार्यों हेतु दो करोड़ बजट की घोषणा की गई। इस घोषणा से लगता है कि जोधपुर के शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मुख्य मंत्रीजी ने अर्पित की है। इसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद देती हूं।

इसके साथ-साथ मुस्लिम तीर्थ स्थल दरगाह तन्हा पीर, मण्डोर, जोधपुर के धार्मिक पर्यटन का सर्किट बनाना, इसके लिए भी मैं मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं। चाहे सीवरेज हो, चाहे सड़क हो, कहीं पर भी मुख्य मंत्रीजी ने क्षेत्र को पीछे नहीं छोड़ा है। हमारे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को भी सुव्यवस्थित करने के लिए मुख्य मंत्रीजी ने 309 करोड़ रुपये व्यय करने की घोषणा की है।

इसके साथ-साथ खेल प्रेमियों के लिए भी बहुत बड़ी सौगात हमारे

(श्रीमती मनीषा पंवार)

जोधपुर में मुख्य मंत्रीजी ने दी है, जिसने पूरे खिलाड़ियों का दिल जीत लिया है। जोधपुर में हमेशा से यह मांग रही है कि आई.पी.एल. मैच होने चाहिए। खिलाड़ियों के लिए, वैभव जी गहलोत जो आर.सी.ए. के चेयरमैन हैं, हमारे लोक सभा के प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने भी मुख्य मंत्रीजी से मांग की कि एक ऐसा बजट दिया जाये जिससे हमारे बरकतुल्लाह खां स्टेडियम का वापस जीर्णोद्धार हो और खेल प्रेमियों के लिए आई.पी.एल. की सुविधा हो जाये। इस बात को ध्यान में रखते हुए 20 करोड़ रुपये उसके जीर्णोद्धार और सुदृढ़ीकरण के लिए दिये। इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूं, जिन्होंने हर-एक खेल प्रेमी का ध्यान रखते हुए खेल प्रेमियों का दिल जीता।

इसके साथ-साथ चैनपुरा स्कूल, मण्डोर, जोधपुर में रेजीडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल बनाने की घोषणा की, जिससे वहां खिलाड़ियों के आवास, उनकी शिक्षा, खेल प्रशिक्षण की सुविधाएं मुफ्त में होंगी, जिससे हमारा ग्रामीण में बैठा जो खिलाड़ी है वह यहां आने में बड़ा संकोच करता था, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण वह अपनी प्रतिभा को नहीं दिखा पाता था, अब उसको यह मुश्किल नहीं होगी और अपने खेल का उसे गला नहीं घोंटना पड़ेगा। इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह मुख्य मंत्रीजी ने खेल के प्रति जो संवेदनशील तरीके से घोषणाएं की हैं, मैं उनके लिए उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

जोधपुर शहर में कला और संस्कृति एक ऐसा समावेश है, क्योंकि यह एक हैरिटेज क्षेत्र है, उस विधान सभा में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के बड़े कार्यक्रम आयोजित किये जाने के लिए 60 करोड़ रुपये का एक नया आडिटोरियम कल्चरल सेंटर का निर्माण किया जायेगा, जिसमें 1500 लोगों के बैठने की सुविधा होगी। टाउन हाल के जीर्णोद्धार के लिए भी मुख्य मंत्रीजी ने अलग से जो राशि पेश की है, जो कला और संस्कृति को दिखाता है, जो हमारे लोग हैं, कला और संस्कृति के बीच उनको बहुत बड़ी सौगात मिली है, इसके लिए मैं मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत धन्यवाद अर्पित करती हूं।

न्याय और कानून व्यवस्था, एक और ऐसा हिस्सा, जिसमें मुख्य मंत्रीजी हमेशा संवेदनशील तरीके से काम करते हैं, हमारी न्याय और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए, सभापति महोदय, उन्होंने 50 करोड़ रुपये की लागत से APCO फेज द्वितीय, डिजिटल रेडियो ट्रंकिंग सिस्टम की स्थापना की, जिससे जोधपुरवासी बड़े खुश हैं कि न्याय और व्यवस्था हो सकेगी।

(श्रीमती मनीषा पंवार)

इसके साथ-साथ जो पाक-विस्थापित लोग हैं, काफी लम्बे समय से अपने रहने के लिए परेशान हो रहे थे कि हम किस तरह अपने जीवन को व्यवस्थित करें, उस बात को ध्यान में रखते हुए पाक-विस्थापितों को सामाजिक और आर्थिक सम्बल प्रदान करने के लिए विनोबा भावे नगर के अंतर्गत 1700 विस्थापितों के लिए ग्राम चौखा, जोधपुर में 102 करोड़ रुपये की लागत से सस्ती दर पर आवास उपलब्ध कराया। यह उनके संवेदनशीलता की चरम सीमा पार करता है।

इसके साथ-साथ, चाहे वह पर्यावरण हो, चाहे वह अलग तरह की योजनाएं हों, हर क्षेत्र में मुख्य मंत्रीजी ने किसी को पीछे नहीं छोड़ा है। एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो बच्चों के लिए, नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए, जो बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं, जो हमारे बच्चे देश का विकास हैं, जिस तरह मोदीजी ने, जब प्रधान मंत्री बने थे, कहा था कि मैं हर वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दूंगा। आज वह 2 करोड़ तो क्या, 2 लाख भी नौकरियां नहीं दे पाये हैं, जिससे हमारे बच्चे अलग दिशा की ओर भटक रहे हैं। उसी बात को मद्देनजर रखते हुए मुख्य मंत्रीजी ने एक ऐसे प्रोग्राम की शुरुआत की, ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए नेहरू बाल संरक्षण कोष के तहत जोधपुर सम्भाग मुख्यालय पर समेकित बाल पुनर्वास निवास केन्द्र की स्थापना, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से चरणबद्ध रूप से की जायेगी, जिससे बच्चों को नशे से छुटकारा मिल सके, उन्हें एक नई दिशा मिल सके, एक अच्छी दिशा मिल सके।

इसके साथ-साथ हर क्षेत्र में, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह कर्मचारियों को, कोविड में जिन लोगों की तनख्वाह काटी गई थी, उनकी बात को ध्यान में रखते हुए, उनके वेतन को वापस देना एक संवेदनशील निर्णय है।

सभापति महोदय, बजट, 2021-22 को देखते हुए प्रतीत होता है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार गागर में सागर को समाहित कर लिया है। हर वर्ग, हर क्षेत्र, चाहे वह महिला की बात हो, चाहे वह शिक्षा की बात हो, चाहे वह स्वास्थ्य की बात हो, चाहे वह तकनीकी क्षेत्र हो, चाहे वह कृषि, चाहे वह उद्योग, युवा, व्यापारी, कामगार, चाहे वह मजदूर, विद्यार्थी वर्ग हो, हर वर्ग के हितों की रक्षा इस बजट के माध्यम से की है।

सभापति महोदय, यदि यह सब सम्भव हुआ है तो उसके पीछे हमारे मुख्य मंत्रीजी के बेहतर विजन और कुशल प्रबंधन की एक अनूठी मिसाल है,

(श्रीमती मनीषा पंवार)

जो आने वाले समय में राजस्थान के विकास के पथ पर मील का पत्थर साबित होगा। विगत वर्ष कोविड-19 की वैश्विक महामारी ने सभी के सामने बड़ी-बड़ी चुनौतियां खड़ी कर दीं। उसके बावजूद भी इस बेहतर बजट को देख कर ये शब्द निकलते हैं, "तूफानों का रुख मोड़ अपने साथ कर लिया, मंजिल तक पहुंचना था मुसाफिरों को, मीलों रास्ता हौसलों से तय कर लिया।" आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी। श्री मेवाराम जैन।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, बजट 2021-22 माननीय यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने जो करीबन तीन घंटे, देश में सबसे बड़ा समय लेकर और 306 बिन्दुओं पर, जो बजट प्रस्तुत किया, कितनी विपरीत परिस्थितियां होने के बाद राजस्थान और सम्पूर्ण भारत कोविड में किस तरह से निपटा, आर्थिक हालात किस तरह से कमजोर, केन्द्र सरकार का हर तरह से असहयोग और उसके बाद भी इस तरह का जो बजट, मेरे ख्याल से बी.जे.पी. वालों ने तो सोचा ही नहीं होगा कि ऐसा भी बजट आयेगा, राजस्थान की जनता को भी एक अचम्भा हुआ होगा कि शायद सोचा होगा कि यह चुनावी बजट है। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सबको चौंका दिया, एक जादूगरी के हिसाब से कि इस तरह विकास करने की इन्होंने मन में ठान रखी थी कि अबके राजस्थान का चहुंमुखी विकास कैसे हो इसके लिए उन्होंने अपने इस बजट भाषण में जिस तरह से गरीब से लेकर प्रदेश के हर गांव और ढाणी, और किसान से लेकर, मजदूर से लेकर, व्यापारी से लेकर, युवा, अल्पसंख्यक, एस.सी., एस.टी., सभी वर्गों को जिस तरह से इस बजट के अन्दर समायोजित किया, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, यह बजट पांच साल का तीसरा बजट है। शानदार बजट, जिसके अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने प्रकाश डाला, सारी बातें कहीं। प्रतिपक्ष कल आंकड़े बता रहा था। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने पूरे आंकड़ों सहित अभी पूरी बात रखी। वास्तव में यह बजट अपने आपमें विकास की ओर ले जाने वाला बजट, आम गरीब और राजस्थान को विकास की ओर बढ़ाने वाला यह बजट है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसा समय जिसमें कोविड यहां पर आया, एक भी जांच यहां अपने राजस्थान में नहीं हो रही थी, पुणे जाना पड़ रहा था। हर जिले में लैब की स्थापना करना और कोई भी इंसान तो क्या, पशु-पक्षी भी

(श्री मेवाराम जैन)
भूखा नहीं रहे, भूख से नहीं मरे, इलाज से नहीं मरे, ऐसी व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से राजस्थान में की, यह पूरे देश और विश्व में एक उदाहरण बना। चाहे भीलवाड़ा मॉडल की बात करें या चाहे आप जयपुर की बात करें, पूरे प्रदेश के अंदर शानदार व्यवस्था की। इंजेक्शन, एक पॉजिटिव केस के लिए पांच-पांच हजार के इंजेक्शन, चालीस हजार के इंजेक्शन, खाना फ्री, रहना फ्री, पूरी दवाई फ्री, यह इतनी शानदार व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की।

इस कोरोना की वजह से पूरे उद्योग-धंधे बंद, सारी रेल सेवाएं, आवागमन बंद। मजदूर, आने वाले और भी जितने भी बाहर के थे, उनको लाने के लिए इस परेशानी का सामना करना। उनको खाने-पीने की व्यवस्था करना, उनकी किस तरह से मदद करनी है, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से हर वर्ग से मीटिंग लेकर, हर वर्ग से वी.सी. के माध्यम से, चाहे प्रतिपक्ष को साथ में लेना हो, किसानों से बात करनी हो, व्यापारियों से बात करनी हो, एक आम नागरिक से बात करनी हो, सबके विचार सुने कि आपकी क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान, कैसे करें? माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक शानदार जो कोविड के अंदर कार्य किया, किसी की जान नहीं जाए, इतना सराहनीय कार्य माननीय मुख्य मंत्रीजी ने किया है। इसके लिए पूरी राजस्थान की जनता मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आम नागरिक को कोविड के दौरान साढ़े तीन हजार रुपये खातों में डाले। कुल 1 हजार 155 करोड़ रुपये गरीब के खाते में गये परंतु भारतीय जनता पार्टी वाले यह कहते थे कि यह पैसे मोदीजी ने भेजे हैं और यह आपके खाते में आये हैं जबकि यह बात सरासर गलत थी। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने साढ़े तीन हजार रुपये और अब इस बजट के अंदर एक हजार रुपये और उनके खातों में डालने की घोषणा की है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

आज माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से पांच लाख जरूरतमंदों को पचास हजार रुपये का मुफ्त ऋण बगैर ब्याज उपलब्ध कराने की भी घोषणा की है, यह लोगों के बहुत ही फायदे की योजना है। जो धंधा नहीं है, बाहर के जो लोग बेरोजगार बैठे हैं, उनको धंधा उपलब्ध कराने के लिए एक बहुत बड़ी सौगात उनके लिए होगी।

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सबसे पहले इस बजट के अंदर पहला सुख निरोगी काया, अगर हमारा स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ मस्तिष्क है तो सब कुछ ठीक है और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ी-बड़ी घोषणाएं कीं।

आज आप देखेंगे कि हर जिले के अंदर मेडिकल कालेज की घोषणा, उसमें जांचों की घोषणा और नि:शुल्क जांचें जो पहले हो रही थीं, उससे डबल जांचें करने की और आम गरीब को किस तरह से लाभ मिले, कहीं दवाई या इलाज के कारण से किसी व्यक्ति की जान नहीं जाए, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही शानदार यहां पर चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर इस बजट के अंदर किया है।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से आयुष्मान भारत में पांच लाख रुपये का बीमा क्लेम, मेडिकल कालेज 25 जिलों में और नर्सिंग कालेज हर जिले में, जिसमें हमारे बाड़मेर की घोषणा भी इसमें की है, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जिस तरह से जिला मुख्यालय पर पीएच.सी., सी.एच.सी. और इसमें जांचों का दायरा बढ़ाया, आज सीकर में 300 बैड के लिए 90 करोड़ रुपये, भरतपुर में 250 बैड के लिए 87 करोड़ रुपये और पाली में 380 बैड के लिए 145 करोड़ रुपये, चूरू में 370 बैड के लिए 129 करोड़ रुपये और बाड़मेर में 360 बैड के लिए 126 करोड़ रुपये की घोषणा की और इसके साथ ही आई.सी.यू. वार्ड बाड़मेर में 30 बैड का, उसके लिए भी घोषणा की, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष एक ही बात कह रहा है कि जिस तरह की घोषणाएं हुई हैं, यह थोथी घोषणाएं हुई हैं, काम नहीं होगा। इनको बोलने के लिए कुछ बाकी छोड़ा ही नहीं है। इतना माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अंदर दिया है।

भारतीय जनता पार्टी की तो, इनकी सोच ही ओछी थी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बड़ा दिल रखकर, पांच करोड़ की सड़कें सभी 200 विधायकों को दीं, 40 हैंडपम्प सभी को दिये, 10-10 ट्यूबवैल सभी को दिये, कई पी.एच.सी., सी.एच.सी. अभी बता रहे थे कि हमारे सिवाना के अंदर हमीर सिंहजी बी.जे.पी. से आते हैं, उनके यहां पर दो पी.एच.सी. और सी.एच.सी. खोल दीं तो इस तरह से सबको साथ में लेकर कैसे राजस्थान का विकास हो,

(श्री मेवाराम जैन)

यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच रही है जबकि घोषणाओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी, इनको पूछो कि आप सत्ता में केन्द्र में कैसे आये? किस तरह से माननीय प्रधान मंत्रीजी मोदीजी ने घोषणाएं की थीं? आपको डीजल की रेट्स कम करानी है या नहीं? गैस महंगी है उसको सस्ती करानी है कि नहीं? आज भ्रष्टाचार खतम करना है कि नहीं? 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? उसका हिसाब मांगो। किस तरह से झूठे आश्वासन, दो करोड़ नौकरियां देने की बात की, काला धन लाकर आपके खातों में डलवा देंगे तो इस तरह से लोगों को बरगलाकर सत्ता में आ गये। अब पूछो कि आपने क्या किया? डीजल के भाव अन्तरराष्ट्रीय मार्केट में क्या हैं? माननीय मनमोहन सिंहजी जब प्रधान मंत्री थे तो उस समय 140-145 डालर प्रति बैरल क्रूड के भाव थे और उस समय भी यहां पर डीजल 60 रुपये लीटर बाजार में बिक रहा था। आज पचास डालर प्रति बैरल क्रूड का भाव अन्तरराष्ट्रीय बाजार में है, उसके बाद भी 90 रुपये लीटर, अब आपकी तीन गुना रेट्स तो अन्तरराष्ट्रीय क्रूड की कम हुई और इधर डीजल की डेढ़ी रेट्स बढ़ाकर किसान और आम आदमियों के साथ किस तरह से केन्द्र सरकार लूट रही है, यह आपके सामने उदाहरण है।

गैस की बात करें कि गैस सस्ती कर देंगे। एक सिलेंडर का झुनझुना पकड़ा दिया और साढ़े तीन सौ में जब सिलेंडर कांग्रेस की सरकार दे रही थी तो आज आठ सौ, साढ़े आठ सौ रुपये गैस सिलेंडर के हो गये। वह गरीब कैसे भरवाएगा? जिस तरह से यह जितनी भी घोषणाएं कीं, चाहे नौकरियों की बात करें तो थोथी घोषणाएं तो इनको करना, झूठ बोलना, गायों के नाम से, मंदिर के नाम से, कैसे भी करके बरगलाकर सत्ता में आने का यह काम करते हैं तो यह कर रहे हैं जबकि कांग्रेस सरकार जो कहती है, वह करती है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट के अंदर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणाएं की हैं, चिकित्सा के बारे में मैंने बताया और पी.एच.सी., सी.एच.सी., गांवों के अंदर कैसे लोगों को दूर नहीं जाना पड़े, गांवों में उनको अच्छी शिक्षा, चिकित्सा मिले, उसके लिए सी.एच.सी. 50 क्रमोन्नत करने की घोषणा की, पी.एच.सी. की, जिसमें दो मेरे बाड़मेर में भी बालेरा और दुदाबेरी के लिए दो घोषणाएं कीं, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा और जिस तरह से 22 मेडिकल कालेजों में जीवन रक्षक उपकरण एम्बुलैंस, बीमार लोगों को हास्पिटल

(श्री मेवाराम जैन)

में लाना, उनको कोई असुविधा नहीं हो, कहीं ले जाना हो, उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट के अंदर प्रावधान रखा। चाहे आयुर्वेद हो, यूनानी हो, उसके अंदर 58 औषधालय खोलने की घोषणा की। ट्रोमा सेंटर के अंदर भी राशि की व्यवस्था की, जिससे आम जनता को कैसे फायदा हो, यह माननीय मुख्य मंत्रीजी की सोच है।

लोगों को कैसे परिवहन सुविधा अच्छी मिले, उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई जगह परिवहन कार्यालय खोले। चाहे सुमेरपुर हो, पोकरण हो, जैसलमेर हो, चाहे सादुलशहर हो, जैतारण हो, कुचामन सिटी हो ताकि लोगों को दूर जगह नहीं जाना पड़े और वहीं पर रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम किया। जिस तरह से लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर जा रहे थे अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने के लिए, पर आज सोच बदल रही है। सरकार ने जिस तरह से हर पंचायत मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम की सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोली है, पांच हजार की आबादी वालों पर अंग्रेजी विद्यालय खोले जा रहे हैं और अध्यापकों की भर्ती की जा रही है। चाहे 600 विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने की घोषणा करनी हो, नये विद्यालय क्रमोन्नत करने की बात हो, चाहे नवीन भवन हों, उसकी स्वीकृति देनी हो, 70 भवनों की मरम्मत, 450 करोड़ का प्रावधान करना, नये संकाय खोलना, बच्चों को कैसे अच्छी शिक्षा और संस्कार मिले, इसके लिए शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ही अच्छी घोषणाएं इस बजट के अंदर की हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिस तरह से शिक्षा का विस्तार किया जा रहा है लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर जा रहे थे, अब उन स्कूलों को छोड़कर इन सरकारी अंग्रेजी विद्यालयों में शिक्षा मिल रही है, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद राजस्थान की जनता दे रही है।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आपने 50 नये विद्यालय और 100 विद्यालयों को क्रमोन्नत करके की बात की। मैं समझता हूं कि यह सभी माननीय सदस्यों की भावना होगी कि प्राइमरी स्कूलों को क्रमोन्नत कर उच्च प्राथमिक विद्यालय इसी बजट में घोषणा करेंगे। यह लोगों की आवश्यकता है। लोगों को तीन किलोमीटर से ज्यादा दूर जाना पड़ता है तो बच्चों को दूर नहीं

(श्री मेवाराम जैन)

जाना पड़े, इसके लिए इन स्कूलों को क्रमोन्नत करें। माननीय सभापति महोदय, अभी नई पंचायतें भी बनी हैं, उन पंचायत मुख्यालयों को सीनियर सैकण्डरी स्कूल, जहां नहीं हैं, उन जगहों पर खोलने के लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, चाहे उच्च शिक्षा में 27 महाविद्यालय खोलने की बात हो, किस तरह से निजीकरण स्कूलों में नहीं जाए और सरकारी कालेज खोलें और वहां बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, यह हमारी सरकार की सोच है।

यह हमारी सरकार की सोच दर्शाती है कि हमारे चार विधायक साथी इस कोविड महामारी में हमारे बीच नहीं रहे, उनके नाम से भी चार कन्या महाविद्यालय खोले। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे आई टी आई खोलकर लोगों को रोजगार देने की बात हो, चाहे संस्कृत विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की बात हो और बेरोजगार युवा, जिनको प्रोत्साहन राशि भत्ता, जो पहले 3,500 मिलता था, उसको एक हजार बढ़ाकर 4,500 किया। इस पर 650 करोड़ का बजट का प्रावधान किया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं। बेरोजगार युवाओं के लिए 50 हजार पदों पर भर्ती इस बजट प्रावधान में रखी, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, किसान, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है और जिसके लिए आज आप देख रहे हैं किसान सड़कों पर है। आज 100 दिन से ज्यादा हो गये, 200 किसानों ने उस आन्दोलन के अंदर अपनी जान गंवा दी। आज भी वह सड़कों पर बैठे हैं। तीन काले कानून, केन्द्र सरकार जो लायी है, अब देखो कितनी हठधर्मिता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है और सरकार मदमस्त बैठी है और किस तरह से इसमें पूरे भारत के किसान परेशान हैं और उनका भविष्य अंधेरे में है।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने 2012-13 के अंदर जो ब्याज मुक्त फसली ऋण योजना लागू हुई थी, वह योजना 2020-21 में भी कोविड होने के बावजूद 87 प्रतिशत उसका लक्ष्य पूरा किया।

माननीय सभापति महोदय, जब हमारी यह सरकार आयी तो आते ही 20 लाख 82 हजार किसानों का 8 हजार करोड़ का लोन माफ किया और

(श्री मेवाराम जैन)

बीजेपी के समय जो 6 हजार का लोन का प्रावधान नहीं रखा था, वह भी हमारी सरकार ने, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने उसको माफ किया। भारतीय जनता पार्टी वाले अभी भी चिल्ला रहे हैं कि राष्ट्रीय बैंक, राष्ट्रीय बैंक। प्रधान मंत्री, मोदीजी ने कहा कि हम किसानों का लोन माफ कर देंगे, पर आपने एक पैसे का भी लोन माफ किया? हमने 14 हजार करोड़ का लोन किसानों का माफ किया और केन्द्र से भी कह रहे हैं कि आप ब्याज में एकमुश्त किसानों को राहत दो ताकि किसानों का बाकी वाला लोन माफ करने के लिए आगे कार्यवाही करें। इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी चिन्तित हैं।

(14.48 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, इस साल 16 हजार करोड़ का लोन बगैर ब्याज देने का भी लक्ष्य रखा। 3 लाख नये किसानों को जोड़कर इसका लाभ कैसे मिले, इसके लिए भी इस बजट के अंदर प्रावधान रखा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ ही बजट के अंदर मिनी फूड पार्क जिंसों का उत्पादन और व्यवसाय के लिए किसानों को पूरी लागत मिले, इसके लिए भी फूड पार्क जगह-जगह खोलने की बजट में घोषणा की। इसमें हमारे बाड़मेर के अंदर भी खोलने की घोषणा की। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को और कृषि मंत्रीजी को इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। 50 हजार कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा और कृषि मंडी के अंदर रोशनी आदि की परेशानी होती थी, उसके लिए भी इस बजट के अंदर 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा।

माननीय सभापति महोदय, गायों के लिए भारतीय जनता पार्टी वाले बड़ी-बड़ी बातें करते थे। गायों के लिए इन्होंने क्या किया, सिर्फ गौमाता के नाम से वोट जरूर लिए होंगे, पर गायों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आते ही गायों के लिए छह महीने का अनुदान गौशालाओं को देने का कार्य किया और इसके साथ-साथ बछड़ों के लिए पहले 16 रुपये अनुदान देते थे, उसकी जगह 20 रुपये किये और बड़े पशु के लिए 32 की जगह 40 किये। जिला मुख्यालय पर और पंचायत समिति पर गौशालाएं खोलने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणाएं कीं और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाड़मेर के अंदर जिला मुख्यालय पर नन्दी गौशाला,

(श्री मेवाराम जैन)

बाड़मेर शहर के अंदर आवारा पशु घूम रहे थे, उसके लिए नन्दी गौशाला खुली। उसमें माननीय मुख्य मंत्रीजी और माननीय मंत्रीजी ने वहां लोकार्पण किया। आज वहां पर पूरे शहर के आवारा पशु उस गौशाला के अंदर है। कैसी शानदार व्यवस्था वहां की गयी है। एक भी पशु चारे और पानी के अभाव में नहीं मर रहा है और वहां बाड़मेर की जनता इनको दुआ दे रही है कि कितना शानदार कार्य किया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसी बजट के अन्दर उन्होंने 111 करोड़ का प्रावधान भी किया है। एक गौशाला के लिए डेढ़ करोड़ का मॉडल बनाने के लिए भी रखा है। मैं शानदार कार्य करने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

चाहे सामाजिक सुरक्षा की बात करो, एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. और ई.डब्ल्यू.एस., एम.बी.सी. हो, इनके लिए कोचिंग के लिए पांच-पांच हजार रुपये की सहायता देने की बात करो, इस बजट में 8 नये एकलव्य विद्यालय खोलने की बात करो और अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के लिए 7 राजकीय अंबेडकर छात्रावासों के निर्माण के लिए इस बजट के अन्दर 28 करोड़ का प्रावधान रखा। इसमें इन बच्चों को किस तरह से सुविधा हो, अच्छी शिक्षा मिले, रहने के लिए अच्छी व्यवस्था मिले, यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में घोषणा की।

सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हमारे इस जोधपुर डिवीजन के अन्दर और इसमें अन्तर है, उदयपुर और आपके बांसवाड़ा और इस साइड में अन्तर है और हमारे लोगों को, इन लोगों को न तो कृषि कनेक्शन में कोई प्राथमिकता मिल रही है, न कोई भर्तियों में, क्योंकि शिक्षा में भी बहुत पिछड़े हुए हैं भर्ती में देखो तो बिलकुल ही जीरो हैं। मंत्री जी, मैं निवेदन करूंगा कि जोधपुर डिवीजन में हमारे एस.टी. के लोगों को बिजली कनेक्शन में तो कम से कम आपको इसमें प्रावधान करना चाहिए, आपको इसमें घोषणा भी करनी चाहिए कि जब एस.सी. को कृषि कनेक्शन दे रहे हो, एस.सी. से भी एस.टी. गरीब हैं तो उनको क्यों नहीं दिये जा रहे हैं? आप एक तो उनको इसकी घोषणा करें। एक इसके लिए अलग कि इस साइड के मीणा और सीमावर्ती क्षेत्र रेगिस्तान की और उनकी तुलना करो तो क्या उनके साथ न्याय हो रहा है? मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इनके लिए कोई अलग

(श्री मेवाराम जैन)

इस तरह की व्यवस्था करें ताकि उन गरीबों के बच्चों को इसमें कहीं न कहीं रोजगार मिले, कहीं एकाध कान्स्टेबल तो मिले। वहां ऐसे हालात खराब हैं कि उनको नौकरियों में कुछ नहीं मिल रहा इसलिए मैं निवेदन करना चाह रहा हूं।

चाहे अल्पसंख्यक की बात करें, उनके लिए इस बजट में छात्रावासों का भी निर्माण कराया जाएगा। आवासीय विद्यालय के लिए भी 62 करोड़ की व्यवस्था की है। माननीय सभापति महोदय, राज्य के अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में, चाहे अलवर हो, भरतपुर हो और अन्य क्षेत्र हो, अल्पसंख्यकों के एरिया में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में निर्णय लिया, जो स्वागत योग्य है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, सड़कों के लिए बहुत ही महती आवश्यकता थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जाते समय इतनी सड़कें सैंक्शन कीं जिसका न तो कोई बजट में प्रावधान रखा और सैंक्शन करके टेण्डर भी कर दिये, काम शुरू करा दिया और उसके पेमेंट के लिए अपनी सरकार में आते ही यह समस्या खड़ी हुई कि उनका पेमेंट कैसे किया जाए। करीबन 8 हजार करोड़ हमारे राजस्थान सरकार के खाते में आये, उसका भी पेमेंट करना पड़ा। इस बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सड़क के लिए जो घोषणाएं की हैं, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने जिस तरह से प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पांच करोड़ नोन पैचेबल और मिसिंग लिंक की घोषणा इस बजट में की और इसके साथ-साथ सभी जिलों में 7257 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का ओ.डी.आर. में ग्रामीण सड़कों को राजमार्ग से जोड़ने का भी इस बजट में प्रावधान रखा। प्रत्येक जिले में तीन सड़कें, पूरे राजस्थान के अन्दर 1900 करोड़ की सड़कें और प्रत्येक जिले में तीन बड़ी सड़कें खोलने की इस बजट में घोषणा की। इसके अन्दर मेरे बाड़मेर की भी, मेरे विधान सभा क्षेत्र की तीन सड़कें बाड़मेर में बाड़मेर, शिव और चौहटन, इनकी तीन सड़कें कीं, इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इसके साथ मुख्य मंत्री जी से निवेदन भी करना चाहूंगा कि आप प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में कम से कम 25 किलोमीटर मिसिंग लिंक और नई एप्रोच सड़क एक्स्ट्रा दें। दस साल से अपन ऐसा कोई भी छोटा-मोटा भी काम नहीं करा सके, ताकि

(श्री मेवाराम जैन)

लोगों को इसमें राहत मिल सके, नई ग्राम पंचायत मुख्यालय भी जुड़े। इस बार पहली बार प्रत्येक नगर परिषद्, नगरपालिका और नगर न्यास के अन्दर भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने सड़कों की घोषणा की। मैं इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना का तृतीय फेज हो, उसके अन्दर कई गांवों को इसमें जोड़ा और जो रिपेयर लायक सड़कें थीं उनका जीर्णोद्धार इसमें होगा, इसके लिए इस बजट के अन्दर बहुत शानदार प्रावधान है।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट के अन्दर नये आर.ओ.बी., अण्डरब्रिज और अन्य सड़कें भी इसमें सैंक्शन कीं, जिसमें मेरे बाड़मेर का भी है, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, पाक विस्थापितों की बात करूं, मुख्य मंत्री जी के दिमाग में कितनी सोच कि उन गरीबों के लिए विनोबा भावे नगर स्थापित कर 1700 विस्थापितों को जोधपुर के अन्दर 102 करोड़ की लागत से सस्ती दर में मकान उपलब्ध कराने के लिए इस बजट के अन्दर घोषणा की। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, पेयजल के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन्होंने वर्ष 2021-22 में जल जीवन मिशन की लगभग 4700 करोड़ रुपये की 12 नवीन वृहत् पेयजल योजनाओं का भी इस बजट में प्रावधान किया, जिसके अन्दर 1428 गांव और 1891 ढाणियां लाभान्वित होंगी। जल जीवन मिशन में घर-घर कनेक्शन हेतु 13 परियोजनाओं की डी.पी.आर. बनाने की भी घोषणा इस बजट के अन्दर की और उसमें आगामी वर्ष में प्रथम चरण में 2285 करोड की 6 परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ करने का प्रावधान रखा। प्रदेश में 2686 गांव और 2453 ढाणियां लाभान्वित होंगी। घर-घर कनेक्शन का जो सपना है, हालांकि केंद्र सरकार जिनको फंड देना था, 90 परसेंट केंद्र को देना था और 10 परसेंट राजस्थान सरकार को देना था। केंद्र सरकार भेदभाव करके कटौती कर रही है फिर भी राजस्थान सरकार 50 परसेंट देकर इन योजनाओं को बढ़ाकर लागू कर रही है। यह जनता के लिए इस बजट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी ने बहुत शानदार प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को और हमारे मंत्री

(श्री मेवाराम जैन)

जी को धन्यवाद भी दूंगा कि बाड़मेर शहर के अन्दर आपने 10 करोड़ राशि की व्यवस्था की। बाड़मेर शहर के आस-पास कालोनियों में ओवरहेड टैंक और पुरानी पाइप लाइनें थीं, उनको बदलने के लिए भी आपने दिया। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रदेश की शहरी योजना एवं ग्रामीण योजनाओं हेतु 12 योजनाओं में 476 करोड़ स्वीकृत किये, इसमें बाड़मेर शहर का पार्ट अ, ब और बाड़मेर के गांव भी शामिल हैं। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे पोकरण-फलसूण्ड योजना हो, चाहे अन्य जितनी भी योजना हो, उन योजनाओं के लिए बजट के अन्दर प्रावधान रखा। इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

सभापति महोदय, कानून व्यवस्था की बात करें, आज एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हो रही थी, लोग भटक रहे थे, थानों से जा रहे थे, सरकार ने ऐसा नियम बनाया कि आप थानों में जाओगे, नहीं होगा तो एस.पी. के पास जाओगे, आपकी एफ.आई.आर. दर्ज होगी और आपको न्याय मिलेगा। यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अन्दर चाहे नये उपाधीक्षक के कार्यालय खोलने की बात हो, नये थाने की बात हो, भ्रष्टाचार को जीरो टोलरेंस पर कैसे कम किया जाए, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्देश में ताबड़तोड़ कार्यवाही हो रही है ताकि हमारे राजस्थान में भ्रष्टाचार कैसे खतम हो, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी काम कर रहे हैं।

(15.00 बजे)

चाहे नए न्यायालय खोलने की बात हो। इसमें भी खूब न्यायालय खुले। इससे भी लोगों को न्याय मिलेगा। उनको दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। नए तहसील और एसडीएम कार्यालय भी खोले जिसमें मेरी बाड़मेर ग्रामीण तहसील खोली। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, प्रशासन गांवों और शहरों के संग की इस बजट में घोषणा की गई है। यह स्वागत करने योग्य है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय प्रशासन गांवों और शहरों के अंतर्गत जितने शानदार काम हुए, आम गरीबों को जिस तरह से पट्टे मिले, जमीनें मिलीं, उनके म्यूटेशन

(श्री मेवाराम जैन)

और नामांतरण हुए, छोटी-मोटी सारी समस्याओं का उन कैंपों के अंदर समाधान हुआ। मैं सोचता हूं कि इसमें भी शानदार काम होगा।

अभी शहरों में जो पट्टे दिए जाते रहे थे, वह डीएलसी दर पर दिए जा रहे थे। उसमें भी इस बजट के अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी ने 40 परसेंट की छूट दी है, जिससे लोगों को पंजीकरण, रजिस्ट्री कराने में आसानी रहेगी। इससे लोगों को राहत मिलेगी। लोगों को सबसे बड़ी बात यह लगी कि इस बजट में इतनी सारी घोषणाएं की हैं तो यह पैसे कहां से आएंगे? यह या तो टैक्स लगाएंगे, इसके बगैर पैसे कहां से आएंगे। माननीय मुख्य मंत्री ने एक पैसे का टैक्स नहीं लगाया। उलटे टैक्सों में कटौती करके राहत दी है कि लोगों को किस तरह से राहत दें।

माननीय सभापति महोदय, आप देखें कि यह तीसरा बजट है। दो बजट और बाकी हैं। तीसरे बजट के अंदर जिस तरह से यह घोषणाएं हुई हैं, लोग अचंभित रह गए हैं। बीजेपी वाले वह बात मुंह से बोले क्यों? एक ही बात कह रहे हैं कि यह तो थोथी घोषणाएं हैं। क्या करें? अब बाहर गए। अब यह क्या कहें? यहां सुनना उनके लिए मजबूरी थी। वह बहाना बनाकर के बाहर निकले। बाकी आज तो कोई बात भी नहीं थी। वह बोलें तो बजट पर क्या बोलें? खिलाफत करें भी तो क्या करें? इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबके मुंह बंद कर दिए। इतना शानदार बजट है।

माननीय सभापति महोदय, आज कृषक कल्याण हेतु मंडी शुल्क में चाहे गुड़ हो, चीनी हो, इमारती लकड़ी हो, देसी घी पर मंडी शुल्क 1.60 की जगह 1 परसेंट किया। जौ, उड़द, मूंग आदि पर भी 1.60 से घटाकर के 1 परसेंट किया। तिलहन पर 1 परसेंट से घटाकर 75 पैसे किए। इसी तरह कृषक कल्याण शुल्क में भी घटाकर के अमाउंट कम किया। डीएलसी में नगरपालिका के पट्टों पर तो कम किया ही है। इस प्रकार पैतृक सम्पत्ति, हक त्याग, गिफ्ट आदि के निष्पादन में पोता, पोती, दोहिती, सभी वर्गों पर ध्यान दिया है कि इनको किस तरह से राहत मिले। हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बजट में इस तरह का प्रावधान रखा है। इसके लिए मैं उनको तहेदिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। चाहे मोटर व्हीकल्स की बात हो, चाहे अन्य जिस तरह की पैनल्टी लग रही थी, लोग उनको भर नहीं पा रहे थे। उसके अंदर भी जिस तरह से राहत दी है, इसके लिए भी मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरे यहां इतनी घोषणाएं हुईं। अब ज्यादा

(श्री मेवाराम जैन)

समय नहीं लूंगा। जनता की जो डिमांड थी, वह माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरी करने में कोई कसर नहीं रखी। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद दूंगा। बाड़मेर के जिला मुख्यालय अस्पताल में 126 करोड़ की लागत से 360 बैड की क्षमता के भवन निर्माण की स्वीकृति, 30 बैड का आईसीयू, बाड़मेर जिला मुख्यालय पर नर्सिंग कालेज की घोषणा, मेरे क्षेत्र में 2 पीएचसी बालेरा और दूधाबेरी, बाड़मेर शहर में पेयजल हेतु 10 करोड़ की घोषणा, नवीन तहसील बाड़मेर ग्रामीण की घोषणा, मुख्यालय पर फूड पार्क की घोषणा, 16 करोड़ की लागत से उत्तलाई-हसानी सड़क के सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण की घोषणा, जल जीवन मिशन के अंदर बाड़मेर के ग्रामीण एरिये में घर-घर कनेक्शन हेतु लिफ्ट कैनाल पार्ट अ व ब में कनेक्शन की घोषणा, विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 5 करोड़ की लागत से नोन पेचेबल सड़कों का नवीनीकरण एवं मिसिंग लिंक्स की घोषणा, नगर परिषद् में 20 किलोमीटर डामर सड़कों की घोषणा तथा बाड़मेर क्षेत्र में 40 हैंड पंपों एवं 10 नलकूपों की घोषणा की गई। कृषि जिसों पर छूट, पट्टों पर छूट इस तरह से घोषणाएं की गई। इससे पहले भी 2 ओवर ब्रिज दिए एवं 1 अंडर ब्रिज दिया। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ एक निवेदन भी करना चाहूंगा कि बाड़मेर में मेरी विधान सभा में पीएचसी से सीएचसी क्रमोन्नत करने के लिए चवा गांव है उसके आसपास नजदीक में कोई सीएचसी नहीं है। इसको क्रमोन्नत करने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा। एक जीएसएस भाडखा के अंदर हरियाली, मगरा गांव है, उसके अंदर 33 केवी का जीएसएस लगाएं ताकि वहां के किसानों को वोल्टेज की दिक्कत नहीं हो। इसके लिए मांग करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, 2 मिनट में ही खतम कर रहा हूं। एक बालेरा बांध है, सिंचाई विभाग द्वारा बनाया गया था, जो 2006 के अंदर टूट गया। उससे कम से कम 60 गांवों को सिंचाई की व्यवस्था बनी हुई थी। उनको पानी मिल रहा था। उसका वापस जीर्णोद्धार कराया जाए। उस पर ज्यादा कोस्ट नहीं आएगी। 2 करोड़ से ज्यादा उसकी कोस्ट नहीं आएगी। इसकी इस बजट में घोषणा की जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, बाड़मेर में पूर्व में 2 पीएचसी सांसटा और मारुड़ी स्वीकृत हैं। उनके भवन निर्माण की मांग करना चाहूंगा। साथ ही पुलिस

(श्री मेवाराम जैन)

थाना बाड़मेर ग्रामीण और महिला थाना और एससी, एसटी सैल कार्यालय और महिला कार्यालय सैल के भवन नहीं हैं। उन भवनों के लिए इस बजट में राशि रखें ताकि इनका निर्माण हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मैं अंत में निवेदन करना चाहूंगा कि अभी संविदा कर्मचारियों की कमेटी बनाई है। इसको आप जल्दी से निपटाएं। यह जितने भी संविदाकर्मी हैं, इनके पैसे बढ़ाने की बात हो, नियमित करने की बात हो, कल्ला जी मेरे सामने ही बैठे हैं, इनकी कमेटी है, इसको बहुत जल्दी निपटाएं। इनमें भयंकर आक्रोश है। 2013 भर्ती की एएनएम और जीएनएम भी हैं। 9-10 दिन से तो भूखी, आमरण अनशन पर ही बैठी थीं। वहां धरने पर आकर वह क्या नहीं बोलती हैं। इसका भी कोई रास्ता निकालो ताकि उनका भी कल्याण हो।

माननीय सभापति महोदय, अंत में मैं इस बजट के बारे में केवल एक-दो बात, मामूली बातें करूंगा। बाड़मेर शहर के पास आवासन मंडल, हाउसिंग बोर्ड के लिए भूमि अवाप्त की थी। इसको अवाप्त किए हुए काफी समय हो गया है। उन्हें न तो पैसे दिए गए हैं और न ही उनकी जमीन ले रहे हैं और न ही छोड़ रहे हैं। दोनों में से एक काम तो करें। जमीन ले लें या छोड़ दें। यह मैं माननीय मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा।

इसके साथ-साथ, एक बड़ा प्रोजेक्ट शिवकर कुडला लिग्नाइट प्रोजेक्ट, जिसकी अवाप्ति को 10 साल हो गए हैं। किसानों को कहा कि आप बेचोगे नहीं। निर्माण कार्य कर नहीं सकते। टांका भी उसके अंदर बना नहीं सकते। नोटिफाइड हो चुकी। सारी कार्यवाही हो चुकी। अब वह जमीन न तो सरकार ले रही है और न ही छोड़ रही है।

श्री सभापति: समाप्त करें, प्लीज।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उस जमीन को या तो ले लें। किसान कह रहा है कि ले लो भले ही। अगर सरकार के बहुत ज्यादा कास्ट आ रही है इसलिए हम लेंगे नहीं। अगर नहीं लेनी है तो आप इसको छोड़ दो, लेकिन निर्णय तो करो। यह बहुत ही बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करें। प्लीज, समाप्त करें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): सिर्फ एक लास्ट में कहूंगा कि थूंबली गिरल लिग्नाइट प्रोजेक्ट था, लोगों ने सिर्फ 3 हजार रुपये बीघे में जमीन दी।

(श्री मेवाराम जैन)

वहां किसान बेघर हुए। उनको मुआवजे की पूरी राशि नहीं मिली। वहां उनके लिए किसी तरह के सीएसआर की व्यवस्था नहीं है। उनको कहा था कि इस पावर प्लांट में आपको रोजगार लगाएंगे। उन सभी को निकाल दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनकी यह वाजिब मांग है। उसको आप पूरी करें। इसके लिए एक कमेटी बनाकर के दिखाएं और मांग को पूरा कराएं। यही कहता हुआ, अंत में इस शानदार बजट के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री नारायण बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, आय-व्यय अनुमान वर्ष 2021-22 पर वाद-विवाद में भाग लेने का आपने अवसर दिया, उसके लिए हार्दिक आभार। माननीय सभापति महोदय, कहने को तो राज्य बजट प्रदेश सरकार का एक वर्ष का विजन डाकूमेंट होता है। वित्तीय प्रबंधन, कुशलता और सूझ-बूझ से तैयार किया गया बजट राज्य के विकास को सही दिशा दे सकता है। उन्नति के नये आयाम स्थापित किए जा सकते हैं। सच्चे अर्थों में लोक कल्याणकारी, जनतांत्रिक शासन व्यवस्था लागू की जा सकती है, परंतु दुर्भाग्यवश हमारे प्रदेश में ऐसा होता नहीं आया है। चाहे जिस पार्टी की सरकार हो, बजट के नाम पर आंकड़ों का भ्रमजाल फैलाकर जनता को बहलाना ही इनका लक्ष्य रहता है। इनके चुनावी घोषणा पत्रों की तरह इनके द्वारा प्रस्तुत बजट भी झूठ का पुलिंदा ही साबित होता आया है। माननीय सभापति महोदय, साल दर साल प्रस्तुत बजटों में की गई घोषणाओं का लेखा जोखा लिया जाए तो आसानी से स्पष्ट होता है कि ये सरकारें बजट को मात्र रस्म अदायगी ही मानती हैं, घोषणाओं की क्रियान्विति से इनका कोई सरोकार नहीं होता है।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे नागौर जिले की बात करूं तो दैनिक भास्कर में अभी 24 फरवरी को बहुत बड़ी खबर लगी है कि पिछली सरकार की 70 प्रतिशत योजनाओं का क्रियान्वयन आज तक नहीं हो पाया है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात हमारे लिए हो नहीं सकती। यह हमारे वित्तीय कुप्रबंधन को दर्शाता है। वित्तीय संसाधनों के बिना, बजट घोषणाओं का अंबार लगा दिया जाता है और आय बढ़ाने के लिए कोई ठोस नीति नहीं होती।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, इस बजट में राज्य के हर परिवार को हैल्थ इंश्योरेंस देने की घोषणा की गई लेकिन उचित क्रियान्विति बिना इसका हाल भी पिछली बजट घोषणाओं जैसा ही होने वाला है। 306 बिन्दुओं वाले इस बजट भाषण में मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के नाम पर कई योजनाओं की घोषणा की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांचोड़ी में भी नई सीएचसी की घोषणा की, उसके लिए मैं उनको हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। स्वास्थ्य सेवाएं राजस्थान में तभी सुदृढ़ हो सकती हैं जब हम ग्राम स्तर पर स्थापित सब सेंटर से लेकर मेडिकल कालेज तक आवश्यकतानुसार पद सृजित कर उन्हें तुरंत प्रभाव से भरेंगे, क्योंकि जब स्टाफ ही नहीं होगा तो योजनाओं का औचित्य ही क्या है? मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि मेडिकल प्रोफेसर, डाक्टर, पैरा मेडिकल स्टाफ, जिसमें नर्स, कम्पाउंडर, लैब टैक्नीशियन सहित सारे संविदा कर्मियों को नियमित किया जाए क्योंकि जब तक जॉब सिक्योरिटी और जॉब सेटिस्फेक्शन को केन्द्र बिन्दु नहीं समझेंगे, तब तक किसी भी कर्मचारी की कार्यक्षमता का पूर्ण लाभ हम कभी नहीं ले सकते।

माननीय सभापति महोदय, सरकार निरोगी राजस्थान की बात कर रही है पर हम जानते हैं राज्य के अस्पताल तो खुद गंभीर रूप से बीमार हैं। कोरोना महामारी के बिना भी राज्य की जनता चिकित्सा दुरावस्थाओं से त्रस्त है। अस्पताल कुप्रबंधन के शिकार हैं। इस बजट में सरकार ने अगले तीन वर्षों में 25 नए नर्सिंग महाविद्यालयों की घोषणा बिना वित्तीय प्रावधान के कर दी। समुचित वित्तीय प्रबंधन, संसाधनों और प्रशिक्षित स्टाफ के अभाव में राइट टू हैल्थ बिल, राजस्थान मॉडल आफ पब्लिक हैल्थ और यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज जैसी बातें केवल कागजी ही नहीं रह जाएं, यह बहुत बड़ी आशंका है।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं नागौर जिले और मेरे विधान सभा क्षेत्र खींवसर की चिकित्सा क्षेत्र से सम्बन्धित प्रमुख मांगों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। जोधपुर नागौर के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। घायल मरीजों को तत्काल राहत मिले इसलिए खींवसर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अत्याधुनिक ट्रोमा सेंटर स्थापित किया जाए। संगवास के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जाए। यह इस क्षेत्र की सबसे पुरानी सेंटर

(श्री नारायण बेनीवाल)

पीएचसी है। राज्य राजमार्ग संख्या 63 पर स्थित संगवास के आसपास एक दर्जन से अधिक गांवों को इससे लाभ मिलेगा। इसी सरकार ने, अपने पिछले कार्यकाल में 2013 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पांचला सिद्धा जो जसरादास सम्प्रदाय का बहुत बड़ा स्थल भी है, वहां सीएचसी की घोषणा की लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उसके बाद एक सरकार भी बदल गई, उसके बाद मुख्य मंत्रीजी वापस इस सूबे के दुबारा मुख्य मंत्री भी बन गए लेकिन आज तक उस सीएचसी को मापदंड के अनुसार चालू नहीं किया गया। मैं खींवसर विधान सभा क्षेत्र में खरनाल, झेराणा, सीलगांव और करणो के उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किए जाने की मांग भी आपके माध्यम से करूंगा।

खींवसर विधान सभा क्षेत्र में हम एक तरफ निरोगी राजस्थान की कल्पना कर रहे हैं और प्रत्येक व्यक्ति तक सारी चिकित्सा सुविधाएं पहुंचाने की बात भी कर रहे हैं लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक प्रत्येक विधान सभा में चाहे पक्ष के विधायक हों, चाहे विपक्ष के विधायक हों, सरकारें आती जाती रहेंगी लेकिन हम सबका एक ध्येय होना चाहिए कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को चिकित्सा सुविधाओं का लाभ कैसे मिले। आज भी इस प्रदेश के अंदर सैकड़ों, हजारों ऐसे सब सेंटर हैं, जो भवन रहित हैं, जहां एएनएम और जीएनएम की नियुक्तियां तो कर दीं लेकिन उनको कहीं न कहीं किराये के मकानों में गांवों में रहना पड़ता है। मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करूंगा कि भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु भवन निर्माण के लिए बजट जारी किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, नागौर शहर की यदि मैं बात करूं तो जिला मुख्यालय पर शहर के मध्य में स्थित पुराने जिला अस्पताल के भवन में सैटेलाइट अस्पताल अथवा शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, इस तरह का अस्पताल स्वीकृत किया जाए। रात्रिकालीन आपात स्थिति में क्योंकि नागौर में जो नया जेएलएन अस्पताल बनाया गया है, वह नागौर से पांच किलोमीटर दूर है तो रात्रिकालीन ऐसी इमर्जेंसी के अंदर शहरवासियों को बहुत बड़ी तकलीफ होती है। नागौर स्थित जेएलएन चिकित्सालय में सभी रिक्त पदों को तुरंत प्रभाव से भरा जाए क्योंकि रिक्त पदों के कारण मरीजों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस चिकित्सालय में लिफ्ट की व्यवस्था नहीं है। माननीय सभापति महोदय, यह कहते हुए मुझे बड़ा दुख है कि हृदय रोग से संबंधित सारे विभाग जेएलएन अस्पताल में ऊपर की मंजिल पर बनाए गए हैं।

(श्री नारायण बेनीवाल)

पिछले वर्ष की बात है, हमारे सभापति महोदय को जब हार्ट अटैक आया तो सीढियों से चढ़कर ऊपर गए और उनकी अकाल मृत्यु हो गई तो मैं यह निवेदन भी आपके माध्यम से करूंगा कि जेएलएल हास्पिटल के अंदर तुरंत प्रभाव से लिफ्ट की व्यवस्था भी की जाए। काफी समय से लंबित इलेक्ट्रोपैथी बोर्ड का गठन भी जल्दी करके इस पद्धति को सुचारु रूप से चलाएं ताकि संस्थानों में अध्ययन कर रहे डाक्टर्स व अन्य कार्मिकों के साथ ही आम जन को भी इसका लाभ मिल सके।

स्वास्थ्य सेवाओं में आयुर्वेद पद्धति में प्रत्येक उपखंड मुख्यालय पर पंचकर्म सैंटर होना चाहिए। उक्त दोनों पद्धतियां कोरोना काल में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। माननीय सभापति महोदय, इसी सरकार में 2019-20 के बजट में एक हजार करोड़ के किसान कल्याण कोष की घोषणा की थी। 1 लाख युवाओं को 1-1 लाख रुपये स्वरोजगार हेतु देने की घोषणा की थी। महिला सशक्तीकरण के लिए भी कोष बनाना था। गोवंश संरक्षण हेतु जिला स्तर पर नंदी शाला बनाने की योजना की घोषणा भाजपा सरकार के आखिरी बजट में भी थी। इस सरकार ने 2019-20 और 2020-21 में उसे दोहराते हुए उसे विस्तृत कर दिया और पंचायत समिति स्तर पर नंदी शाला खोलने की घोषणा कर कर दी।

माननीय सभापति महोदय, आज पंचायत समिति स्तर की एक भी नंदी शाला नहीं है। आधे से कम जिलों में अब तक मात्र नंदी शालाओं की स्थापना की गई है। इन योजनाओं के लिए धन जुटाने हेतु शराब और रजिस्ट्री पर अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रावधान तो सरकारों द्वारा किया जाता है लेकिन योजनाएं वित्तीय कुप्रबंधन की बलि चढ़ जाती है। माननीय सभापति महोदय, जब तक कृषि, पशुपालन और घरेलू कुटीर, छोटे और मध्यम दर्जे के उद्योगों को समुचित और संरक्षण नहीं दिया जाएगा, तब तक स्वस्थ, सुखी, विकसित राजस्थान के निर्माण का सपना सच होना असंभव लगता है। जनता यह उम्मीद कर रही थी कि कोरोना काल में बढ़ी बेरोजगारी और चौपट हुए व्यवसाय को पटरी पर लाने के लिए सरकार कोई न कोई बड़ा रोड मैप देगी मगर ऐसा नहीं हुआ। ये लोक लुभावन बजट धरातल पर कैसे उतरेगा यह बात समझ से परे है। केवल घोषणाओं का अंबार लगाने से प्रदेश की जनता का भला होने वाला नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी हर बजट भाषण में महात्मा गांधीजी का जिक्र करते हैं और करना भी चाहिए क्योंकि हमारे

(श्री नारायण बेनीवाल)

लिए सबसे बड़े सम्मानित व्यक्तित्व हैं, पर यह परवाह नहीं करते कि बापूजी के नाम पर किए हुए वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं। दस दिनों में सम्पूर्ण कर्ज माफी करने के वादे का क्या हुआ? आम किसान दस दिन में सम्पूर्ण कर्ज माफी की उम्मीद लगाए बैठा था। चाहे सरकारें किसी की बने और विपक्ष में कोई बैठे, आज केन्द्र सरकार जो तीनों कृषि कानूनों का जो बिल लेकर आई है, उसके अंदर हम सब राजनीति से ऊपर उठकर, हमारी सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे कृषि कानूनों की हम सबको मिलकर खिलाफत करनी चाहिए ताकि किसान बचे। यदि इस कृषि प्रधान देश में किसान नहीं बचेगा तो विकसित देश की कल्पना करना बेमानी है।

माननीय सभापति महोदय, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और बढ़ते अपराध से राजस्थान की जनता चिंतित है। बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रदेश की जनता को जो सपने दिखाए हैं, उनको आप कब तक पूरा कर लेंगे। बजट पर जब बहस का जवाब दें, उस समय इसे बताएं। वे यह भी बताएं कि पूर्व बजटों में जो घोषणाएं उनके द्वारा इस सदन में की गई हैं, उनमें से कितनी घोषणाएं अब तक पूरी नहीं हो पाई और इसका क्या कारण है? उसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है, क्योंकि यह सही बात है कि सदन कम चलता है, साल के अंदर मुश्किल से एक महीना सदन चलता है और उसके अंदर भी जो आज की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, आज बजट जैसा महत्वपूर्ण दिन था और उसके अंदर जो घटना हुई, मैं चूंकि नया पहली बार यहां चुनकर आया हूं और यह बात कहना मेरे लिए शायद ठीक भी है या नहीं लेकिन मैं यह व्यक्तिगत रूप से और नैतिक रूप से यह बात कहता हूं कि आज की घटना क्योंकि प्रदेश का आम व्यक्ति अपनी आंखों में यह सपना लिए बैठा है कि हमारा जनप्रतिनिधि बजट चर्चा में भाग लेने के लिए गया है, कोई न कोई ऐसी घोषणा हमारे तक पहुंचेगी, ऐसी वह कामना कर रहा था लेकिन आज की जो घटना हुई, वह भी दु:खद है।

माननीय सभापति महोदय, किसानों को बिजली, पानी तथा ऋण माफी तथा बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता और रोजगार देने के नाम पर ठगने वाली इन सरकारों का यह बजट भी इनके चुनावी घोषणा पत्रों की तरह झूठ का पुलिंदा ही होता आया है। आज तक जिनकी भी सरकारें रही हैं, लोगों ने जो बड़े-बड़े वादे किए, झूठे वायदे करके कर्ज में डूबे किसान की फसल

(श्री नारायण बेनीवाल)

टिड्डी चट कर गई, अस्पतालों में मरीज बिना इलाज के मर रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था पूरी तरह से नाकाम है। बेरोजगार युवा भर्तियों से दु:खी हैं, कई भर्तियां अटकी पड़ी हैं, कई भर्तियों में पेपर आउट हो जाते हैं, इन पर भी कोई ठोस नीति की मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा।

सड़कों पर दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और सरकार केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह के बैनर-पोस्टर लिए अखबारों में खबरें छपवाती हैं। पिछले बजट में जन आधार योजना के नाम पर एक और ढकोसला कर दिया गया। पहले की योजनाएं जब कागजी कार्यवाही और अफसरशाही में उलझी पड़ी हैं तो फिर तथाकथित कृषक कल्याण कोष का लाभ भी किसानों को कैसे मिलता? किसान सम्मान निधि योजना के लिए सम्पूर्ण डेटा केन्द्र सरकार को उपलब्ध नहीं करवाकर सरकारों और अधिकारियों ने इस योजना के समुचित लाभ से किसानों को वंचित रखा। सरकार छोटा-मोटा ऋण माफ करके श्रेय बटोर रही है। किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी के बिना उनका भला नहीं हो सकता।

सरकार की तानाशाही से आज किसानों को अल्पकालीन ऋण मिलना भी बंद हो गया है। मैं आपके माध्यम से सहकारिता मंत्री जी से भी मांग करूंगा कि ओवरड्यू के नाम से जो नये पोर्टल पर अधिकतर किसानों को बिलकुल ब्लाक कर दिया गया है तो ऐसी कोई व्यवस्था की जाए ताकि जीवन में कभी किसी न किसी कारण से ओवरड्यू किसी का रह गया है तो उस कृषक को भी अल्पकालीन सहकारी ऋण मिले और उसका पोर्टल पर वापस नाम कहीं न कहीं उस ब्लाक से हटे।

माननीय सभापति महोदय, आज प्रदेश में सड़कों की बात करें तो सड़कों के लिए प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में पांच करोड़ देने की घोषणा जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है, यह वास्तव में स्वागत योग्य है, लेकिन मैं इसमें आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इसे बढ़ाकर और ज्यादा किया जाए। पिछले दो-तीन साल में सड़कों का जो नेटवर्क पूरे राजस्थान में है, क्योंकि जो इधर बैठे हैं, वे लोग मेरी बात से जरूर सहमत तो हैं, लेकिन कई बार सरकारों का एक सिस्टम भी रहा है कि खुलकर हम बजट पर बोल नहीं सकते। बाकी 5 की जगह 25 किलोमीटर सड़क, प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के लिए 5 करोड़ की जगह 15 या 20 करोड़ का प्रावधान होता तो इससे आम व्यक्ति को बहुत बड़ा लाभ हो सकता था।

(श्री नारायण बेनीवाल)

मैं आपके माध्यम से जो डीएमएफटी योजना पर बात करना चाहूंगा। इसमें सिर्फ सिलिकोसिस पर ही बहुत बड़ा बजट सरकारें खर्च कर रही हैं, वहां का जो अधारभूत ढांचा है, सड़कें वहां बिगड़ गयीं, क्योंकि ओवरलोडेड व्हीकल ज्यादा चलते हैं तो डीएमएफटी के अंदर सड़कों का अलग से प्रावधान प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में जहां खनन प्रभावित क्षेत्र हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उनके अंदर डीएमएफटी में अलग से कोई योजना की घोषणा सरकार करे। इसके अलावा मेरे क्षेत्र में चावंडिया से माडपुरा, शिवपुरा से भेड़ और माणकपुर से लालाप तक डीएमएफटी से सीसी रोडों का निर्माण करके, क्योंकि खनन प्रभावित क्षेत्र है और बड़े ओवरलोडेड वाहन यहां चलते हैं, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा। इसके अलावा पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थलों के लिए भी सड़कों का प्रावधान प्रत्येक विधान सभा के स्तर पर करने की मैं मांग करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, महाविद्यालयों में पढ़ाई का स्तर सुधारा जाए। विद्यालय शिक्षा महत्वपूर्ण है, पर महाविद्यालय शिक्षा व्यक्ति को आजीविका के लिए तैयार कर सकती है। कालेज शिक्षा सुधार में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर पाठ्यक्रम शामिल हो। सरकार ने महाविद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की बजाय कौशल विकास योजनाओं का एक ढोंग रच आरएसएलडीसी, कौशल विश्वविद्यालय, स्किल डवलपमेंट के नाम पर करोड़ों के वारे न्यारे किये हैं। हर साल हजारों-लाखों विद्यार्थियों को ट्रेनिंग देने की योजना पहले की तरह लालफीताशाही की भेंट चढ़ गयी। इस बजट में अंग्रेजी माध्यम के सरकारी स्कूल खोलने की योजना लोक-लुभावनी है। पूर्व में खोले गये ऐसे विद्यालयों के नाम पर मौजूदा विद्यालयों को ही परिवर्तित किया गया। इससे हिन्दी माध्यम के विद्यार्थियों को परेशानी हुई और अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने इसका विरोध भी किया। सरकार को यदि योजना लागू ही करनी है तो नये स्टाफ और नये भवन के साथ करनी चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को सच्चे अर्थों में लागू किया जाना जरूरी है। पिछले सात वर्षों में जिन विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया अथवा नये संकाय खोले गये, उनमें अब तक अनेक पद नहीं भरे गये। यहां तक कि हिन्दी और अंग्रेजी शिक्षकों के पद तो सृजित ही नहीं किये गये ताकि रिक्त पदों की संख्या नहीं बढ़े। यह छलावा नहीं तो और क्या है? विज्ञान संकाय वाले विद्यालयों में लैब्स की उचित व्यवस्था नहीं हो रही है। कृषि स्कूलों की

(श्री नारायण बेनीवाल)

क्रमोन्नति व कृषि संकायों को बड़े स्तर पर खोलने की मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा। पुस्तकालयों के हालात खराब हैं। कम्प्यूटर शिक्षकों के काडर निर्माण की घोषणा तो कर दी, परंतु भर्ती का कोई अता-पता ही नहीं है। इसके अलावा, राजस्थान जैसे प्रांत में राजस्थानी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा देने की आवश्यकता लम्बे समय से महसूस की जा रही है। स्थानीय युवाओं के लिए हर भर्ती में परसेंटेज फिक्स हो कि कम से कम 80 प्रतिशत स्थानीय लोगों को रोजगार मिले ताकि राजस्थान जो अभी सही पटरी पर चल रहा है, वह कहीं गलत ट्रैक पर नहीं चला जाए। यह मांग मैं आपके माध्यम से करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्री जी भी यहां विराजमान हैं। विद्युत क्षेत्र की बात करें तो सैग्रीगेशन के नाम पर खींवसर क्षेत्र के किसानों को बड़ी तादाद में परेशान किया जा रहा है। वीसीआर और अधिक बिल आने का मामला, प्रत्येक किसान इसे लेकर चिंतित है। अब नये कनेक्शन पर 500 की बजाय 100 मीटर का उसके अंदर एक राइडर लगा दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रति मीटर 100 रुपये चार्ज लगने पर किसानों को कनेक्शन बहुत महंगा पड़ रहा है।

मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी से मांग करूंगा कि एक तरफ तो आप प्रत्येक व्यक्ति तक बिजली पहुंचाने की बात कर रहे हैं, अब आपने सैग्रीगेशन के नाम पर यह कर दिया कि सड़क मार्ग पर ही ट्रांसफार्मर लगेगा तो कई तो घर दो-दो किलोमीटर दूर हो गये तो मैं इसमें आपसे यह मांग करना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को आप सैग्रीगेट कीजिए। यदि आपको अच्छी फीडबैक अधिकारियों ने दी है तो कीजिए, लेकिन किसी भी आम व्यक्ति को उससे परेशानी नहीं हो। हर व्यक्ति को 24 घंटे निर्बाध बिजली मिले।

इसके अलावा बूंद-बूंद सिंचाई की सुविधा वाले खेतों में ज्यादा समय बिजली की आवश्यकता होती है, जबकि 3-4 घंटे ही बिजली मुश्किल से मिल रही है। बूंद-बूंद कृषि कनेक्शनों के नियमितीकरण की मांग लम्बे समय से किसान संगठन भी करते आये हैं, सरकारें जिसकी भी हों, पिछली बार जो स्पेशल कैटेगरी में विद्युत कनेक्शन दिये गये, उन सब कृषि कनेक्शनों का नियमितीकरण साधारण श्रेणी में करके, जिनको एक साल का समय हो गया है बूंद-बूंद वालों को, उसके अंदर किया जाए। इसके अलावा मेरी मांग है कि

(श्री नारायण बेनीवाल)

खींवसर विधान सभा क्षेत्र के दातीणा और बिरलोका में 132 के.वी. के दो नये जीएसएस बनाये जाएं। इसी प्रकार शिवपुरा, भौमासर, सावों की ढाणी, हनुमान सागर, पाबूसागर, जसनाथपुरा में 33/11 के.वी. के जीएसएस बनाये जाएं। ग्रामीण क्षेत्र में विद्युत संसाधनों और लाइनों की देख-रेख में ठेकेदारों द्वारा अप्रशिक्षित व्यक्तियों को लगाये जाने से कई कार्मिक जान गंवा चुके हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, चूंकि ऊर्जा मंत्री जी यहां बैठे हैं और मुझे बोलने का मौका मिला है, मैं कह रहा हूं एफआरटी और यह जो जीएसएस को चलाने का ठेका आपने दे रखा है, इसके अंदर पूरी की पूरी अनियमितताएं बरती जा रही हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा, इसके सही मापदण्ड पर हम यह चाहते हैं कि सही व्यवस्थाएं चलें। हम किसी पर आरोप लगाना भी नहीं चाहते, लेकिन शासन-प्रशासन में बैठे व्यक्ति की यह नैतिक जिम्मेदारी भी है कि वह विपक्ष के जो विधायक हैं, उनकी बात को ढंग से सुने।

हम कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। बाकी सैग्रीगेशन, एफआरटी और जो जीएसएस चलाने का ठेका जो दिया है, उनके अंदर बहुत अनियमितताएं हो रही हैं। उनकी भी जांच कराएं। इसके अलावा जो बजट घोषणा में हजार रुपये की सब्सिडी मीटर वाले उपभोक्ता किसानों को देने की बात कही गयी है, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में तो अधिकतर किसान फ्लैट रेट पर बिजली का उपयोग कर रहे हैं तो फ्लैट रेट वाले किसानों को भी इस श्रेणी में लाकर बिलों में ही उनको छूट दी जाए। पिछली बार सरकार ने खातों में सब्सिडी की बात कही थी। अब कई लोगों ने चेंज कर लिए, कहीं किसी के नाम से चल रहा था, फिर ट्रांसफर करा लिया तो इस कारण से जिसको इसका उचित लाभ मिलना चाहिए, वह नहीं मिल पाता। आप बिजली बिलों में ही इसकी छूट देने का प्रावधान करें।

कृषकों एवं पशुपालकों के कल्याण और पशु स्वास्थ्य रक्षा के लिए वैटरिनरी उप-केन्द्रों को उच्च केन्द्रों में क्रमोन्नत करें। पशु नस्ल सुधार और संरक्षण के तरीकों को भी सही से लागू करें। नागौरी बैल पूरे भारत में प्रसिद्ध है, परंतु आज-कल बैलों की उम्र को लेकर रोक लगने से लोगों का मोह भंग हो गया है। नागौर के पशु मेले पर खतरा मंडरा रहा है। इस बार नागौर पशु मेले में नाममात्र के पशु आये हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग करूंगा कि इस मामले में हाई कोर्ट ने जो तीन वर्ष से

(श्री नारायण बेनीवाल)

कम उम्र के बछड़ों के परिवहन पर रोक लगायी है, उसमें सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करनी चाहिए ताकि आम किसान को लाभ मिले और मेले जो हैं, वे वापस अपने मूल स्वरूप में लौटें, क्योंकि हमारे उधर के इलाके का जो मेला है, हर व्यक्ति जो किसान है, पशुपालक है, उसके लिए सबसे बड़ी खेती वही होती थी तो इसके अंदर संवेदनशील होकर एसएलपी दायर करने की मांग मैं आपसे करूंगा।

कृषि विभाग की तरफ से खोले जाने वाले कस्टम हायरिंग सेंटर सहकारिता विभाग के अंतर्गत कार्यरत समस्त ग्राम सेवा सहकारी समितियों के द्वारा खोले जाने चाहिए ताकि सही तरीके से संचालन हो सके और आम किसान को लाभ मिल सके। कृषि विभाग की तरफ से किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी नाममात्र की मिल रही है। नागौर में सिर्फ 150-200 लोगों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी गयी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह मांग जरूर करूंगा कि सिर्फ अखबारों में छपने से किसान उन्नत नहीं होगा। किसान के लिए वास्तव में ईमानदारी से हम सबका यह प्रयास है कि किसानों की हालत सुधरे तो इसके अंदर कोई ऐसी सरलीकृत योजना लागू की जाए कि प्रत्येक किसान को इसका लाभ मिले।

माननीय सभापति महोदय, हम हमेशा शहीदों के मान-सम्मान की बात करते हैं, परंतु पिछले बजट सत्र में मेरे द्वारा पूछे गये प्रश्न का उत्तर मिला कि 1962 और 1971 में जो जवान शहीद हुए, उनके परिजनों को आज तक भी न्यायोचित लाभ और सम्मान नहीं मिला है। किसी प्रकरण में अनुकम्पा नियुक्ति लम्बित है, किसी में जमीन में नहीं मिली तो किसी में विद्यालय नामकरण की फाइल भी लम्बित पड़ी है। मैं मांग करता हूं कि मेरे द्वारा पूछे गये उक्त प्रश्न में लम्बित प्रकरणों के तुरन्त निस्तारण के लिए कौन व्यक्ति, कौन अधिकारी जिम्मेदार है? ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ भी यदि हमने कार्यवाही नहीं की तो शहीदों के प्रति हमारे सम्मान में कहीं न कहीं कमी आएगी।

माननीय सभापति महोदय, श्रम विभाग में संचालित सभी योजनाओं में सही तरीके से मानिटरिंग होनी चाहिए। श्रम विभाग और श्रमिक के बीच बिचौलिए काम करते हैं, इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। यह विभाग एजेंटों का अड्डा बन गया है। रसद विभाग में खाद्य सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रत्येक 12 माह बाद सर्वे करवाकर वंचित लोगों को जोड़ना और

(श्री नारायण बेनीवाल)

हटाना चाहिए क्योंकि यह ध्यान में आया है कि कई वर्षों से समृद्ध लोग इसका लाभ उठा रहे हैं और कमजोर वर्ग के लोग इससे वंचित होते आ रहे हैं। समाज कल्याण के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ओबीसी के छात्रावास संचालित होने चाहिए। वर्तमान में चल रही योजनाओं पर कड़ी मानिटरिंग और विभागीय कर्मचारी रिश्वत लेकर छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं में घोटाले कर रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा।

मुख्य मंत्री जी ने बजट में आगामी दो वर्षों में 50 हजार सरकारी नौकरी देने की बात कही है। गरीब किसान के बच्चे पढ़ाई तो अभाव में गुजरते हुए भी जैसे-तैसे कर लेते हैं पर जब सरकार की बारी उनको नौकरी देने की आती है तो अधिकारियों एवं अन्य जिम्मेदार लोगों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण भर्तियां अधर में लटक जाती हैं, कोर्ट में मामले बन जाते हैं और बेरोजगारों को मजबूरी में मोटी फीस पर वकील करने पड़ते हैं। पेपर लीक, परीक्षाओं में नकल, पेपर्स में गलतियां, भर्ती नियमों का उलझा हुआ होना आदि अनेकानेक कारणों से नौकरी समय पर नहीं मिल पाती।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इसके अन्दर भर्ती का पूरा कैलेण्डर भी बने और ऐसे जो भर्तियां कोर्ट में चली गईं, उनके अन्दर आपने जब नियम बनाए या विज्ञप्ति जारी की तो ऐसे पाइंट कौनसे रहे जिनके कारण लोगों को ऐसा मिला तथा किन्हीं अधिकारियों की यदि इसमें कहीं संदेह की भूमिका लगती है तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करने की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड का हाल भी आरपीएससी की तरह ही हो गया है। अनेक भर्तियां लम्बित हैं। पहले बेरोजगारों को भर्ती निकलवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, फिर भर्तियां कोर्ट में लम्बित हो जाती हैं, पेपर आउट हो जाते हैं, समय पर परिणाम नहीं आते हैं और कई बार तो कार्यरत अध्यक्ष और सदस्य का नाम भी अखबारों के माध्यम से सब लोगों ने देखा तो इसके अन्दर भी ठोस कार्यवाही की मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, दो मिनट। आज ही

(श्री नारायण बेनीवाल)

इतना बोलने का मौका मिला है। घर-घर नल कनेक्शन योजना के धरातल पर लागू होने से पहले तक जनता जल योजना, पीएचईडी और अन्य ठेका व्यवस्थाओं के द्वारा गांवों में पेयजल की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। गांवों में कमेटियां बना दी हैं, अध्यक्ष भी है पर न तो वित्त है और न ही वित्तीय अधिकार। मेरी मांग है कि इन्हें समुचित बजट दिया जाना चाहिए। जनता जल योजना के अन्दर उन लोगों को, कार्मिकों को परमानेंट करने की नीति भी सरकार लेकर आये, यह मैं मांग करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, खनन प्रक्रिया के दौरान श्रमिकों के स्वास्थ्य हित एवं सुरक्षा का ध्यान ही नहीं है। राजस्थान सिलिकोसिस नीति, 2019 में नया कुछ नहीं था, डीएमएफटी का ही अधिकांश बजट सिलिकोसिस पर खर्च हो रहा है इसलिए इसमें ठोस और ईमानदारीपूर्वक योजना बनाने की जरूरत है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि खनन पर कोई ठोस नीति बने क्योंकि एलओआई जारी हो गये, कई खानों को दो-दो, तीन-तीन साल हो गये, वह सैंक्शन हो गईं पर ईसी के नाम पर वे लोग खनन का कार्य नहीं कर सकते। ईसी और अन्य विभागों की एनओसी के कारण ऐसे बहुत से प्रकरण लम्बित पड़े हैं तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इसमें भी कोई ठोस कार्यवाही हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): इसके अलावा, नागौर जिले के पर्यटन स्थलों को जोड़ने हेतु नये पर्यटन सर्किट विकसित किये जाने चाहिए। नागौर में पंचायती राज शोध संस्थान, खींवसर में डाक बंगला, तेजाजी, जाम्भोजी, जसनाथ जी के पैनोरमाओं को टूरिस्ट कनेक्टिविटी के हिसाब से जोड़ने की मांग मैं आपके माध्यम से करूंगा।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): नागौर के हैण्डटूल उद्योग को प्रोत्साहन, कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा, मेथी मंडी की स्थापना, फूड प्रोसेसिंग पार्क की स्थापना, इन सबकी व्यवस्थाओं की मांग मैं आपके माध्यम से करूंगा। अन्त में, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बजट भाषण के अन्त में जो शेर लिखा कि-

'निगाहों में मंजिल थी

(श्री नारायण बेनीवाल)

गिरे और गिरकर संभलते रहे
हवाओं ने बहुत कोशिश की
मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे।'

माननीय सभापति महोदय, इसके बजाय मुख्य मंत्री जी यहां यह शेर लिखते-

'हमें तो अपनों ने लूटा
गैरों में कहां दम था
हमारी किश्ती इसलिए बच गई
कि वहां पानी ही कम था।'

इसके साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री गणेश जी घोघरा।

श्री गणेश घोघरा (डूंगरपुर): माननीय सभापति महोदय, मुझे बजट पर चर्चा करने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

2021-22 का बजट माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री, राजस्थान के गांधी अशोक गहलोत जी ने जोरदार, शानदार और ऐतिहासिक पेश किया है इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

इसमें विपक्ष वालों ने कई तरह की बातें कीं पर विपक्ष वालों की बोलती ही बन्द कर दी कि ऐसा बजट पेश होगा, यह किसी को आशा नहीं थी। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में कोई भी, किसी भी राज्य का मुख्य मंत्री ऐसा बजट पेश नहीं कर सकता है, इसलिए इनको अशोक महान कहा जाता है। जिस तरह से किताबों में नाम अशोक महान था, उसी तरह यहां राजस्थान में अशोक गहलोत जी महान हैं। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, युवाओं का ध्यान रखा गया है, किसानों का ध्यान रखा गया है, व्यापारियों का ध्यान रखा गया है। इस तरह से यह काफी अच्छा बजट पेश किया है और जनता में इसका अच्छा प्रभाव है, जनता भी इससे खुश है। जिस तरह से पूरा विश्व और पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, ऐसी परिस्थिति में ऐसा बजट पेश करना वास्तव में सराहनीय है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग, रंगा-बिल्ला और चायवाला, तड़ीपार मोमबत्तियां जलवा रहे थे, थालियां बजवा रहे थे, ऐसे समय में हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी कोरोना को लेकर चिन्तित थे। उन्होंने नि:शुल्क दवाई, नि:शुल्क जांचें कीं। मेरे विधान

(श्री गणेश घोघरा)

सभा क्षेत्र में गुजरात का रतनपुर बोर्डर पड़ता है। वहां से लोग पैदल-पैदल आ रहे थे, उनके लिए प्रशासनिक सेवा अधिकारियों द्वारा फ्री जांचें, फ्री दवाई, उनके खाने की व्यवस्था की। उन लोगों के छाले पड़ गये थे और उनको गन्तव्य स्थान तक पहुंचाने का काम किया है, यह है लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी का काम। विपक्ष वाले कहते हैं कि गहलोत जी ने कुछ नहीं किया, झूठे वादे किये। झूठे वादे तो इन्होंने किये। इन्होंने कहा कि 15 लाख खाते में डालेंगे, काला धन लायेंगे, एक सिर के बदले दस सिर लाऊंगा नहीं तो मुझे चौराहे पर लटका देना। कहां गये मोदी जी, आपके अच्छे दिन? किसके अच्छे दिन आये? क्या विपक्ष वालों के अच्छे दिन आये क्या? मुझे लगता है कि विपक्ष वालों के खाते में 15 लाख रुपये आये होंगे। यह रंगा-बिल्ला की सरकार ने पूरे देश को बर्बाद कर दिया और कर देगी। आज किसान तीन महीने से कड़ाके की सर्दी में बैठा हुआ है लेकिन रंगा-बिल्ला की नींद नहीं उड़ रही है। ये तड़ीपार और चायवाला इस देश को बेच देंगे। एयरलाइंस बेच दी, रेलवे लाइन बेच दी। आज जो किसान अन्नदाता है, उसके खिलाफ तीन कानून पास किये और किसानों के किसी संगठन तक से नहीं पूछा गया। यह मोदी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खाली झूठ बोलते हैं, जोर से बोलते हैं लेकिन विकास के नाम पर ये सिर्फ ढिंढोरा पीटते हैं। राम मंदिर, गाय के नाम पर, धर्म के नाम पर खाली वोट मांगते हैं लेकिन हर वर्ग का, 36 कौम का विकास नहीं कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र में, डूंगरपुर जिले में कृषि महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। यह काफी लम्बे समय से मांग थी। मैंने पिछले बजट में भी कहा था, उससे पिछले बजट में भी मैंने मांग की थी तो मुख्य मंत्री जी ने सुना। टीएसपी एरिया में, जनजाति बहुल क्षेत्र में, आदिवासी एरिया में कृषि महाविद्यालय खोलना हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। हमारे यहां के बच्चे एग्रीकल्चर सब्जैक्ट लेते थे, पर आगे कालेज नहीं होने के कारण या तो वे सब्जैक्ट चैंज कर आर्ट्स, कामर्स या दूसरा सब्जैक्ट लेते थे या पढ़ाई छोड़ देते थे। यह बहुत ही सराहनीय काम है और इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी को मेरी जनता की ओर से, टीएसपी एरिया की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

उसके बाद आर्चरी एकेडमी की घोषणा की। तीरंदाजी के लिए काफी

(श्री गणेश घोघरा)
लम्बे समय से मांग थी कि टीएसपी में आर्चरी एकेडमी खोली जाए तो सी.एम. साहब ने आर्चरी एकेडमी खोली। इससे वहां की हमारी प्रतिभाएं निकलेंगी। हमारे यहां के लिम्बाराम जी इण्डिया का प्रतिनिधित्व करते थे और आज वे बीमार हैं। उसके बाद स्वर्गीय जयंतीलाल जी थे जिन्होंने आर्चरी में हमारे भारत को गोल्ड मैडल भी दिलाया है। हमारे देश का नाम इन्होंने रोशन किया है तो मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि डूंगरपुर में जो स्पोर्ट्स काम्पलैक्स बना हुआ है वह स्वर्गीय जयंतीलाल जी निनामा के नाम पर रखा जाए, यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

इसी के साथ, डूंगरपुर अस्पताल के आईसीयू में 30 बैड स्वीकृत किये तथा समस्त राज्य में 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों एवं कस्बों में अगले दो वर्षों में इंग्लिश मीडियम के 1200 विद्यालय खोले जाने की घोषणा की है, यह काफी बड़ी बात है।

भले ही विपक्ष वालों को अच्छा नहीं लगता होगा, विपक्ष वालों को लगता होगा कि यह कैसी घोषणा है, लेकिन हम आदिवासी के लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना बहुत बड़ी बात है। आदिवासी, गरीब आज प्राइवेट स्कूल में अपना बच्चा नहीं पढ़ा सकता है, वहां पर लाखों रुपये लगते हैं। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने 5 हजार की आबादी पर, हर कस्बे में इंग्लिश मीडियम खोले जाने की घोषणा की है। इससे हर गरीब का बच्चा, आदिवासी का बच्चा, इंग्लिश मीडियम स्कूल में नि:शुल्क पढ़ेगा, तो काफी फायदा होगा। हम बच्चों को इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ा सकते, ऐसी हमारी आर्थिक स्थिति नहीं है। फिर भी मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे टीएसपी में ये 5 हजार की जो आबादी की है, उसको ढाई हजार आबादी की जाए तो हमें अच्छा फायदा मिलेगा।

उसी के साथ ही, दो साल में 50 हजार भर्तियां की जाएंगी। यह हमारे युवाओं के लिए काफी अच्छी बात है। साथ ही प्रतियोगिता परीक्षा के लिए, हमारे बच्चे जो गुजरात बोर्डर से राजस्थान बोर्डर हनुमानगढ़, गंगानगर, जो बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा देने के लिए आते थे, उनके पास पैसा नहीं होता था, किसी से मांग कर लाते थे, कभी बच्चे कम्पीटिशन एग्जाम छोड़ देते थे, क्योंकि उनके पास किराया नहीं होता था, तो हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की देन है कि इन्होंने सरकारी बसों में नि:शुल्क यात्रा की है, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

(श्री गणेश घोघरा)

इसी के साथ ही, हमारे बेणेश्वर में पुल की घोषणा की है। हमारे बेणेश्वर में उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर पूरे राज्य से, बाहर से लोग आते हैं। यह आदिवासियों का कुंभ माना जाता है बेणेश्वर धाम, तो वहां आने-जाने की सुविधा के लिए, 130 करोड़ रुपये के पुल की घोषणा की, यह काफी सराहनीय है। यह हमारी काफी लम्बे समय से मांग थी कि आदिवासियों का कुंभ कहलाया जाता है, इन्होंने वहां पर तीर्थ स्थान के पास आने-जाने की सुविधा के लिए यह काफी अच्छा बजट दिया है और घोषणा की है कि यहां जल्दी ही पुल बनेगा।

उसी के साथ, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात करूंगा। सभापति महोदय जी, आप भी टीएसपी क्षेत्र से आते हैं, आप हमारे गुरु हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आप टीएसपी क्षेत्र की समस्या जानते हैं कि वहां पर अभी क्या समस्या है। वहां के आम व्यक्ति की क्या मांग है। भले ही पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी की वहां मांग है तो मैं कहना चाहता हूं कि राज्य एवं अधीनस्थ सेवा में, राज्य स्तर पर एसटी वर्ग हेतु 12 प्रतिशत आरक्षण में अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के एसटी वर्ग के लिए भौगोलिक क्षेत्र एवं जनसंख्या के आधार पर 6.50 प्रतिशत प्रावधान लागू किया जाए, यह मांग है। यह आप भी जानते हैं और हमारे साथी दूसरे टीएसपी के एमएलए वे भी जानते हैं। यह मांग सबको उठानी चाहिए, हमारे क्षेत्र की मांग क्या है। उसके बाद, अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी के लिए अधीनस्थ सेवा में आरक्षण प्रावधान, जनसंख्या के आधार पर, एसटी वर्ग के लिए होना चाहिए, यह भी प्रावधान किया जाए।

डूंगरपुर नगर परिषद् बाद में बनी है, डूंगरपुर नगरपालिका बाद में बनी है, लेकिन हमारे गांव में लोग पहले से, वर्षों से रह रहे हैं। पहले भी मैं यह बात उठाते आया हूं। वहां पर पैरीफेरी के नाम पर, मास्टर प्लान के नाम पर नगर परिषद् ने जो जमीन एक्वायर कर रखी है-मालपुर, भाटपुर, दिलड़ी, गोकुलपुरा, भण्डारिया, सुरपुर, बोरी आसपास के जो गांव हैं, आदिवासी लोग बसे हुए हैं, नगर परिषद् ने बिना देखे ही, बिना सर्वे किए, वह जमीन अपने नाम कर दी, आदिवासी अनपढ़ होने के नाते, आदिवासियों के पास कोई पट्टा नहीं है, कोई जमीन के कागज नहीं है, लेकिन वहां पर मकान बनाकर वर्षों से रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कुआं है, ट्यूबवैल है और नगर परिषद् उनको अतिक्रमण हटाओ, यों करके उनको रोज-रोज परेशान कर रही है। मैं आपके

(श्री गणेश घोघरा)

माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि वर्षों से जो लोग बैठे हुए हैं उन्हें 'प्रशासन शहरों के संग' अभी जो शिविर लगेगा, सीएम साहब ने घोषणा की है, सर्वे करवाकर जो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए, उनको खातेदारी हक मिलना चाहिए, यह मैं मांग करता हूं।

अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में शराब की दुकान के आबंटन में एसटी वर्ग हेतु 100 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाए। सब कहते हैं कि आदिवासी ही शराब पीते हैं, आदिवासी ही दारू बेचते हैं तो फिर वहां पर टीएसपी में अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद कर देनी चाहिए। हम आदिवासियों की जो परम्परा है, संस्कृति है, किसी वार-त्योहार, किसी की मौत-मरण पर, हमारे पूर्वजों को धार चढ़ाते हैं। वह हमारा देशी महुआ होता है, उसके फूल से बनाते हैं, जो भी रस निकलता है, उसको हम पूजा अर्चना में चढ़ाते हैं और पुलिस वाले एक बोतल या दो बोलत किसी के घर में मिल गई, तो उसके 8 बोतल का झूठा मुकदमा बनाते हैं। आज कई ऐसे लोग हैं जो झूठे मुकदमे में फंसे हुए हैं या पेशी कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी संस्कृति, परम्परा के अनुसार हमें आठ या दस बोतल, हर आदिवासी जो भी है, उसको रखने का अधिकार दिया जाना चाहिए, यह मैं आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं। या तो हमारे टीएसपी में अंग्रेजी शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए, क्योंकि खाली आदिवासी ही बदनाम हो रहा है और वहां पास में अंग्रेजी शराब जो है, पूरी गुजरात वाले लोग पी रहे हैं तो आदिवासियों को यूं ही बदनाम किया जा रहा है कि आदिवासी ही पी रहे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है, आदिवासी जाएगा, वहां हजार रुपये की बोतल लेने, हजार रुपये कहां से निकालकर लाएगा तो आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं आठदस बोतल की हमें छूट मिलनी चाहिए, यह मेरी सरकार से मांग है।

उसी के साथ अनुसूचित क्षेत्र टीएसपी में नगरपालिका एवं नगर परिषदों द्वारा आवासीय एवं वाणिज्य प्लाट की नीलामी एसटी वर्ग हेतु आरक्षित की जाए। अनुसूचित क्षेत्र, टीएसपी क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र, हम कह रहे हैं, लेकिन वहां पर जो प्लाट की नीलामी होती है, उसमें आदिवासी का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं रखा जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, सीएम साहब से निवेदन करना चाहता हूं

(श्री गणेश घोघरा)

नगर परिषद् में जो भी प्लाट की नीलामी होती है, उसमें आदिवासियों को विशेषकर आरक्षण दिया जाए, ताकि वह भी नीलामी में भाग ले सके।

डूंगरपुर में कृषि महाविद्यालय खोला गया। मैं सीएम साहब से निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि उसका नामकरण, किसने बसाया डूंगरपुर, डूंगरपुर का संस्थापक कौन था, डूंगरपुर का नाम डूंगरिया भील एक सरदार था, एक राजा था आदिवासियों का, उसके नाम से नामकरण करें कृषि महाविद्यालय का, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं।

उसी के साथ, माननीय सभापति महोदय जी, सहरिया एवं कथौड़ी जनजाति के लिए नरेगा में 200 दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किये हैं, काफी सराहनीय है, लेकिन हमारे टीएसपी एरिये में भी 200 दिन नरेगा में होने चाहिए। हमारे वहां पर कोई उद्योग धंधे नहीं हैं, कोई खेती नहीं है, किसी के पास ऊबड़-खाबड़ जमीन है, सिंचाई की सुविधा नहीं है एक बीघा जमीन है, किसी के पास डेढ़ बीघा जमीन है। हमारे लोगों को गुजरात, सूरत, महाराष्ट्र में पलायन करना पड़ता है तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे टीएसपी एरिया में नरेगा में 200 दिन किये जाएं, यह मैं मांग करता हूं।

माननीय सभापति जी, सीएम साहब का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि हमारे टीएसपी क्षेत्र में 250 मां-बाड़ी केन्द्र की घोषणा की है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हमारे टीएसपी एरिये में एक हजार कम से कम नये मां-बाड़ी केन्द्र नये स्वीकृत किये जाएं। वहां 250 से बढ़ाकर एक हजार की जाए।

माननीय सभापति महोदय, 1167 को लेकर शिक्षक उपद्रव जो मामला हुआ था वह पूरा राजस्थान भी जानता है और पूरा हिन्दुस्तान भी जानता है। 50 प्रतिशत अनारक्षित पद थे और 5 प्रतिशत एससी के थे, 45 प्रतिशत एसटी के थे तो अनारक्षित पद के लिए 60 प्रतिशत पात्रता थी। एसटी के लिए 36 प्रतिशत पात्रता मानी थी। ये रिट पिटिशनर पहले भी बैठे थे, इनकी मांग थी लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले भी हर डिपार्टमेंट की भर्तियां निकलीं तो एसटी कोटे की रिक्त रही सीटें दूसरे वर्ग से भरी गई तो यह अनारक्षित पद थे, इसमें 60 वाले सब हो गए थे तो इसमें यह 36 वालों को पात्र माना था तो 1167 एसटी के बच्चों को भी ले सकते

(श्री गणेश घोघरा)

थे। यह कहीं न कहीं प्रशासन की गलती की वजह से, जब 36 माना है, उसको पात्र तो लिया जाना चाहिए था लेकिन जिस तरह से काकरी डूंगरी पर जो उपद्रव हुआ, वह कौन लोग थे, किनके कहने पर वे अभ्यर्थी वहां पर चढ़े। वह लड़के वहां से 2 दिन पहले उतरने वाले थे। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। कौन से नेता ने वहां पर उनको उकसाया, किस नेता ने रोड जाम करवाया, किस नेता ने यह लूटपाट और आगजनी का काम करवाया। आज मेरे विधान सभा क्षेत्र में हाईवे के आसपास जो लोग बसे हुए हैं, उनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको परेशान किया जा रहा है, उनको मुकदमों में फंसाया जा रहा है लेकिन जो लीडर थे, जिसने बुलाया, जो नेता थे, उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? गरीब के ऊपर ही कार्यवाही क्यों हो रही है? भले ही किसी भी दल का नेता हो, माननीय सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं, माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस काकरी डूंगरी की घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए, भले ही वह किसी भी दल का नेता हो, उसके खिलाफ सीबीआई जांच होनी चाहिए और निर्दोष जो रिट पिटीशनर थे, उनके ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए हैं, वह मुकदमे वापस लिए जाएं। यह मैं आपसे मांग करता हूं।

इसी के साथ, टीएसपी एरिया में डूंगरपुर में सिंचाई की सुविधा नहीं है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां हमारे पुराने कुएं हैं, उनको गहरा किया जाए, उनकी मुंडेर को पक्का किया जाए या नये कुएं सैंक्शन किए जाएं। वहां पर स्थिति ऐसी है कि बारिश का पानी खाली दिखता है, उसके बाद पूरा पानी गुजरात बहकर चला जाता है। हमारे जनजाति मंत्री भी बैठे हुए हैं, आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि आप बड़ेबड़े बांध बनवाएं, बड़े-बड़े एनीकट बनवाएं जिससे पानी रुक सके और हमको वहां पर लाभ मिल सके। माही डैम के माध्यम से बांसवाड़ा तो काफी आगे चला गया है लेकिन डूंगरपुर काफी पीछे रह गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पुराने कुएं गहरे कराए जाएं, नये कुएं खुदवाए जाएं और कुओं के चारों ओर की बाउंड्री की जाए, यह मेरी आपसे मांग है।

सटोड़ा, कंडूला, मजोला, छेला खैरवाड़ा ये गांव नदी के आसपास हैं। अगर यहां लिफ्ट परियोजना के माध्यम से सिंचाई की सुविधा हो जाती है तो आस-पास वाले गांवों को काफी सुविधा होगी। वहां पानी है लेकिन साधन नहीं

(श्री गणेश घोघरा)

है। अगर लिफ्ट परियोजना के माध्यम से वहां सिंचाई होगी तो काफी आदिवासियों को फायदा होगा, सिंचाई होगी।

इसी के साथ, पाल देवल के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। ऊर्जा मंत्री यहां बैठे हुए हैं कि 25 किलोमीटर दूर लोग बिल भरने जाते हैं, वह भी हाईवे से और आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं तो आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पाल देवल में एक 132 केवी का जीएसएस नया खोला जाए जिससे हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं जो हाईवे पार करके जाते हैं, जो 25 किलोमीटर दूर बिल जमा कराने जाते हैं और आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं तो आपसे निवेदन है कि वह हमारे पाल देवल में 132 केवी का जीएसएस खोला जाए और माननीय मुख्य मंत्री जी ने काफी अच्छा बजट पेश किया है।

लास्ट में, मैं कहना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि बेड़ा नाका एनीकट निर्माण, अमजरा, पंचायत समिति बिछीवाड़ा, डूंगरपुर जिला, सोम नदी पर सटोड़ा में एनीकट निर्माण ग्राम पंचायत भटवाड़ा, पहुंच सड़क रतनपुर से माखरेड़ा सड़क पर पुलिया मरम्मत कार्य, ग्राम पंचायत खजूरी, पंचायत समिति बिछीवाड़ा, पहुंच सड़क माल माता काल की माता से कालापाणा गुजरात सीमा तक सड़क निर्माण, फारकी माता के पीछे एनीकट निर्माण रातापाणी ग्राम पंचायत जेलाना डूंगरपुर से देव सोमनाथ तक सड़क चौड़ी कर सुदृढ़ीकरण करवाएं। माल माता से काला पाणा के लिए मैंने पिछले बजट सत्र में भी बोला था। वहां आजादी से अभी तक रोड नहीं बना है, गुजरात सीमा तक टच होती है और प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग जो हमारी सरकार ने, जो माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी ने जो कैंप लगाकर उनको पट्टा देने की जो घोषणा की है, वह काफी काबिल-ए-तारीफ है। जनता काफी वर्षों से वहां बैठी हुई है, उनको पट्टा मिलेगा तो काफी फायदा होगा। यह आदिवासियों की मांग थी और वनाधिकार के पट्टे भी बहुत जल्दी दिए जाएंगे तो यह शिविर जल्दी से जल्दी लगाए जाएं। उद्घोषणा कराई जाए जिससे लोगों को जो वर्षों से बैठे हुए हैं, उनको फायदा मिले। मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं इस बात के सकारात्मक संकेत के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा कि 2021-22 का

(श्री बलवान पूनियां)

जो केंद्र का बजट निर्मला सीतारमण जी लोक सभा में रख रही थीं तो हिन्दुस्तान के 70 साल की कमाई से बने हुए सरकारी उपक्रमों को रेवड़ियों की तरह बेच रही थी और यह भी कह रही थी कि यह भी ले लो, यह भी ले लो, यह भी ले लो, सस्ते दाम में ले लो जो निजीकरण को बढ़ावा देने की तरह है और हर सैक्टर में कृषि, बीमा, उद्योग, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, बुनियादी चीजों में उसमें रेल का अलग से, हर क्षेत्र में जो निजीकरण और जनता के बजट की जो कटौती की जा रही, उस परिस्थिति में जीएसटी के बाद राज्यों का बजट कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं रहती। उस स्थिति में राजस्थान की सरकार ने और राजस्थान के मुख्य मंत्री ने जो बजट पेश किया है और उस बजट में निजीकरण के बजाय जनता के महत्वपूर्ण सवालों पर सरकारी उपक्रमों को बढ़ावा देते हुए शिक्षा में, चिकित्सा में, स्वास्थ्य में और पेयजल में जो घोषणा की गई है, मैं समझता हूं ईमानदारी से अगर इन घोषणाओं को लागू किया जाता है तो यह प्रदेश की जनता के लिए बेहतर बजट समझा जाएगा।

सभापति महोदय, जब देश में बेरोजगार रोजगार की मांग कर रहे हों, करोड़ों लोगों को नौकरी की जरूरत हो, खेती के अलावा और कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा हो जहां कोई उम्मीद दिखती हो, उस हिन्दुस्तान में जब किसान का आंदोलन चलता हो और उस आंदोलन को कुचलने वाली सरकार जिससे लोग यह उम्मीद कर रहे थे कि यह सड़क पर कुचल रही है पर लोक सभा में सदन में जनता की बात करेगी और जिस लापरवाही से बजट में जो उन्होंने निजीकरण की तरफ इशारा किया, मैं समझता हूं हिंदुस्तान तेजी से निरंकुश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है। मैं उन तमाम नौजवानों से आह्वान करना चाहता हूं जो आज भी मोदी जी में और मोदी जी की सरकार में अगर अपना भविष्य देखते हैं तो एक बार फिर आजादी के 70 साल में बने हुए हिन्दुस्तान का और आज 6 साल में बिगड़े हुए हिन्दुस्तान का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो मैं समझता हूं कि वह राजस्थान के बजट को बेहतर समझने का प्रयास करेंगे और मैं यह उम्मीद करता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री जी और राजस्थान के मंत्रीगण और राजस्थान के अफसरशाह इस बजट को गंभीरता से जनता के लिए लागू करेंगे, ताकि उन लोगों को आईना दिखे जो लोग तेजी से कह रहे हैं कि रेल अडानी की होगी, नाल्को, बाल्को, टाल्को, सिणधरी का

(श्री बलवान पूनियां)

कारखाना, इस्पात का कारखाना, लोहे का कारखाना सारे उपक्रम बड़े पूंजीपतियों के होंगे। वहीं हमारे मुख्य मंत्री कह रहे हैं कि जल जीवन मिशन में 50 फ़ीसदी पैसा केंद्र दे रहा है ...

(16.00 बजे)

जो कि 90 फ़ीसदी पैसा देना चाहिए था, फिर भी चार हजार करोड़ रुपये से ऊपर का जल जीवन मिशन का जो बजट लेकर आए हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी 139 करोड़ रुपये के प्रस्ताव जो मंजूर किए गए हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, मैं यह बात कहना चाहता हूं कि जहां केंद्र और राज्य के बीच के कंपेरिजन की बात आ जाए तो जब कोराना आया और कोरोना में एक व्यक्ति 5 करोड़ रुपये के विकास करा सकता है, एक एमपी एक साल में 5 करोड़ रुपये अपने लोक सभा क्षेत्र में लगा सकता है, मोदी जी और मोदी जी की पार्टी के लोग जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि एक एमपी को 5 करोड़ रुपये देना भी दूभर हो गया और यह सारे के सारे 2 साल के 7 हजार करोड़ रुपये के लिए मोदी जी ने हाथ खड़े कर दिए। उस दरमियान राजस्थान में दो-सवा दो करोड़ रुपये एमएलए लैड से जारी रखना भी हमारे लिए सुखदायी प्रतीक था।

आज स्थिति यह है कि नरेंद्र तोमर कह रहे हैं, अमित शाह और मोदी कह रहे हैं कि जाओ कृषि कानून बताओ। गांव में जाते ही लोग एमपी से पूछते हैं कि एमपी साहब हमारे गांव में यह विकास का काम कराओ तो बोल देते हैं कि साहब दो साल के लिए तो हमारे पास बजट नहीं है। यह 7 हजार करोड़ रुपये जनप्रतिनिधियों के लिए नहीं देना और राजस्थान में एमएलए लैड को जारी रखना, यह सकारात्मक संकेत है। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाय सार-सार को गहि रहे थोथा देई उड़ाय। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग आज भी इस बात के मुगालते में हैं कि मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। सवाल मोदी जी से नफरत का नहीं है, सवाल मोदी जी से लड़ाई का नहीं है, सवाल यह है कि 70 साल में जिस गांधी जी की प्रतिमा के सामने खड़े होकर हम भाषण दे रहे हैं, जिस गांव के गरीब की बात की गई, उस गांव के गरीब की बात को सुलटाने का काम जो केंद्र सरकार यह तीनों कानून लाकर कर रही है, यह कानून सिर्फ और सिर्फ इस बात का प्रतीक नहीं है, सभापति महोदय, यह अपनी जिद पूरी करना चाहते हैं। यह इस बात का प्रतीक भी है कि निजीकरण के दौर के आखिरी दम पर बाजार में बची हुई कुछ चीजों को भी निजी हाथों में सौंप देने की आखिरी नाकाम कोशिश है।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, हर मुल्क का बजट और हर प्रदेश का बजट यह साबित करता है कि आने वाले एक साल तक सरकार और क्या करेगी। केंद्र की सरकार ने कोरोना में यह तीनों कानून लाकर साबित किया कि हम देश को तेजी से गिरवी रखना चाहते हैं, वह भी बड़े पूंजीपतियों के हाथ में। अभी भी वह कह रहे हैं कि इसमें काला क्या, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें सफेद क्या है? काली आपकी नीयत, काले आपके कानून, छीन लेंगे हमारी मंडी, तोड़ देंगे हमारी मंडी, तोड़ देंगे हमारी उपज को बेचने के सारे संयंत्र। काला है आपका कानून, चारों तरफ से काला। हमारा खेत छीनने के लिए आप कांट्रेक्ट फार्मिंग लेकर आ रहे हो और उस कांट्रेक्ट फार्मिंग वाले ठेकेदार के पक्ष में आप यह कानून लेकर आ रहे हो कि वह वहां जो खेती किसी किसान की कांट्रेक्ट पर ले लेगा, उस खेती में वह ऋण भी लेगा और वहां स्थायी निर्माण भी करेगा। वह फूड प्रोसेसिंग के नाम पर या दूसरे नाम पर अपनी फैक्ट्री डाल लेगा। किसान अगर 5 साल के बाद उस जमीन को लेना भी चाहेगा तो उसके काम की चीज नहीं बचेगी। सभापति महोदय, मैं इसलिए तुलनात्मक अध्ययन कर रहा हूं कि आज हमें उन नौजवानों को बताना है, आज उन किसानों को बताना है जो हमें सुनने के लिए इस बात के लिए चिंतित थे कि आप राज्य में और केंद्र में कंपेरिजन कैसे करेंगे।

सभापति महोदय, राजस्थान के लिए कुछ साथी कह रहे हैं कि यह चुनावी घोषणाएं हैं। हो सकता है, हर मुख्य मंत्री चाहता है कि वह अपने विधायकों को, अपने प्रदेश की जनता को खुश करे, लेकिन बजट में अलग-अलग तरीके से जो प्रावधान किए गए हैं, मैं समझता हूं कि केंद्र को एक खुली चुनौती है कि एक राज्य होकर निजीकरण की तरफ नहीं बढ़ रहा, आप निजीकरण की तरफ तेजी से क्यों बढ़ रहे हो। यह तुलनात्मक अध्ययन अगर हम करना चाहें तो राजस्थान में और केंद्र में यह बहुत बड़ा फर्क है।

सभापति महोदय, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इस सारी बात के बीच में जब राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने एक साल में 50 हजार नौकरियों की घोषणा की, संकेत तो अच्छा है, केंद्र वाले नौकरी बंद कर रहे हैं और आप नौकरी दे रहे हैं, लेकिन राजस्थान में बेरोजगारों की फौज को देखते हुए 5 लाख नौकरी एक साल में देने की घोषणा करनी चाहिए थी। मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्य मंत्री महोदय जब बजट का जवाब देंगे, पूरक बजट रखेंगे तो नौजवानों की इस मांग को पूरा करेंगे। जब निजीकरण के खिलाफ खड़े ही

(श्री बलवान पूनियां)

हो गए, पंचायती राज में कम्प्यूटर आपरेटर जो आज भी प्लेसमेंट एजेंसियों से पीड़ित हैं, उन युवाओं का भी निजीकरण से पीछा छुड़वाकर या तो संविदा कार्मिक या फिर उनके स्थायी रोजगार की सरकार बात करेगी। दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम अच्छे तो हैं, पर थोड़े हैं, नाकाफी हैं। मेरी मांग है कि सरकार उनके कल्याण के लिए और बेहतर कदम उठाए। जनता जल योजना के कार्मिकों को स्थायी करने की सरकार घोषणा करे। नरेगा में जो जेटीओ लगे हुए हैं, मध्य प्रदेश में 33 हजार रुपये प्रतिमाह उनको दिया जाता है और राजस्थान में मात्र 13 हजार रुपये उनको दिया जाता है। उनको मध्य प्रदेश के बराबर पैसे देने का काम राजस्थान की सरकार करे। हम 8-9 विधायक साथी मुख्य मंत्री महोदय से मिलने गए थे और हमारी बात को रखते हुए और नौजवानों की मांग को रखते हुए उन्होंने 587 ही नहीं, 603 एलडीसी के पदों को जोड़ते हुए उनको नौकरियां देने का काम किया है। इसके साथ-साथ जूनियर अकाउंटेंट, 2013 और नर्सिंग भर्ती जीएनएम, एएनएम, 2013 को पूरी करने के लिए जो कैडर गठित किया है, मैं समझता हूं कि जल्द ही उनको नियुक्ति देने का काम राजस्थान सरकार करेगी। 1534 पदों पर प्रयोगशाला सहायकों की भर्ती अभी भी पैंडिंग है, उसको पूरा करने का काम करेंगे। बजट में ट्रिब्यूनल काउंसिल की मांग आज भी अधूरी रह गई, उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार पूरक बजट में घोषित करेगी।

सभापति महोदय, आप तो उस इलाके से आते हैं, हमने तो सिर्फ किताबों में पढ़ा है, हम यह देखते हैं कि आज भी आदिवासियों के लिए अलग से बोर्ड बनाकर आदिवासियों के हित के लिए जो पैसा खर्च होना चाहिए, वह पैसा या तो डाक बंगलों में या सर्किट हाउस में या फिर उन घरों में जाकर या उन गलियों में, उन मोहल्लों में जाकर खर्च हो रहा है जो आदिवासियों के खिलाफ हैं। इसलिए आदिवासी ट्रिब्यूनल की घोषणा राजस्थान की सरकार करे। काकरी डूंगरी की जो बात आई, यह यही बगावत है। उस क्षेत्र में 90 फीसदी आदिवासी लोग हैं, 10 फ़ीसदी लोग दूसरे हैं, 50 फ़ीसदी लोगों का आरक्षण 10 फ़ीसदी लोग बरत रहे हैं और 50 फ़ीसदी लोग चुपचाप बैठे हैं इसीलिए विद्रोह हुआ। मैं समझता हूं कि 800-850 तृतीय श्रेणी के अध्यापक आज भी वहां नोन टीएसपी वाले बैठे हैं, उनको टीएसपी क्षेत्र से निकालो, नोन टीएसपी में भेजो और टीएसपी क्षेत्र के लोगों को वहां नौकरी देने का काम राजस्थान की सरकार करे, यह घोषणा भी बजट में होनी चाहिए। जब बात यह आ गई

(श्री बलवान पूनियां)

कि राजस्थान में दीन हीन की बात सुनने वाली सरकार है तो फिर दीन हीन के लिए इन प्रावधानों को मजबूती से लागू करना पड़ेगा। राजस्थान की सरकार को सामाजिक सरोकार की बात करते हुए मैं आज भी कहना चाहता हूं जो करनू की घटना हुई थी, उसके हर महीने 2 महीने के बाद यह खबर आती है कि दूल्हे को घोड़ी से नीचे पटक दिया, उसको घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया, उसको सामाजिक सरोकार की चीजें नहीं करने दीं। आज भी जो भेदभाव की बात है, हम इसलिए बजट में यह चीज देखना चाहते थे कि आज भी जो जमीनें दलित की, गरीब की, पीड़ित की बड़े-बड़े लोग दबाए हुए बैठे हैं, उस रेवेन्यू एक्ट को मजबूती से लागू करने की जरूरत है।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर ले जाना चाहूंगा कि जो कृषि पर्यवेक्षक 30-30 साल नौकरी करके सिर्फ कृषि पर्यवेक्षक पद से चले जाते हैं, उनकी पदोन्नति करने का काम भी राजस्थान की सरकार करेगी।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगा कि मेरे इलाके में गोगामेड़ी में जहां बड़ा मेला लगता है, उस सीएचसी को क्रमोन्नत करने का काम सरकार ने किया है, उसके लिए धन्यवाद।

भादरा से राजगढ़ सड़क का पुनर्निर्माण करने के लिए 126 करोड़ रुपये दिए, उसके लिए भी धन्यवाद। ब्लाक स्तर पर जो खेल स्टेडियम और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल 5000 की आबादी से ज्यादा के गांव में घोषित किए हैं, हम समझते हैं कि यह गरीब के लिए और उस दलित के लिए जिसका बच्चा आज भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ने से वंचित था, उसके लिए अगर यह योजना धरातल पर लागू हो जाए, मैंने उस समय भी गांव में एक स्कूल खोला था, हम मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद करना चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कन्या महाविद्यालय के लिए, नर्सिंग कालेज के लिए, एग्रीकल्चर कालेज के लिए और अंग्रेजी माध्यम स्कूल के लिए शिक्षा के क्षेत्र में जो कदम उठाए हैं, इनको अगर धरातल पर लागू करते हैं तो राजस्थान के लिए बहुत लंबे समय तक मजबूती से शिक्षा जगत में अलख जगाने का काम किया गया। 10 कुएं और 40 हैंडपंप की घोषणा भी सराहनीय है लेकिन थोड़ी है। जो 5 करोड़ रुपये सड़क के लिए दिए गए हैं सभापति महोदय, हम राजस्थान सरकार से 10-10 करोड़ रुपये और मांग रहे हैं क्योंकि एमएलए को तीसरी साल में जाकर सड़क मिली है। लोग बहुत कहते हैं कि सड़क दीजिए,

(श्री बलवान पूनियां)

सड़क दीजिए, जो 5 करोड़ रुपये दिए हैं वह तो ठीक है लेकिन 10-10 करोड़ रुपये और हमारे मुख्य मंत्री जी घोषित करें ताकि हम जनता में जाकर खड़े होकर कहें कि लो यह सड़क, थोड़े दिन में बनना शुरू हो जाएगी।

सभापति महोदय, मैं तमाम साथियों को इस बात की तरफ लेकर जाना चाहूंगा कि मैं उस इलाके से आता हूं जहां हमारे अमरसिंह ब्रांच सिद्धमुख नहर है। अमरसिंह ब्रांच आज से 60 साल पहले और सिद्धमुख नहर आज से 30 साल पहले आ गई थी। सभापति महोदय, हमारे वहां 722 मैट और बेलदारों की जरूरत है। राजस्थान सरकार अभी उस नहर का निजीकरण किये बैठी है। मैंने पिछली बार भी मांग की थी कि हमारी नहरें जेईएन, एईएन से नहीं चलेंगी, एक्स.ई.एन. रखवाली के लिए जाएं, एस.एच.ओ. रखवाली के लिए नहर पर जाएं, बड़े-बड़े अफसर जाएं। जिन अफसरों का तकनीकी काम है, वे रखवाली के लिए जाएं, ऐसे नहर नहीं चलेंगी। जिस दिन 722 कर्मचारी सिद्धमुख नहर पर लगेंगे, उस दिन टेल पर पानी जाएगा। आज मेरा बी-ग्रुप चल रहा है, लेकिन ग्रुप इसलिए पिट गया कि नहर में पानी चोरी हो गया। हरियाणा ने हमारा हिस्सा पूरा नहीं दिया, पंजाब ने हमारा हिस्सा पूरा नहीं दिया। सभापति महोदय, मैं पिछली बार अक्टूबर में बीएमएल नहर पर गया था, जब नहर टूट गयी थी, दरक गयी थी। वहां जाते ही मुझे वहां के अफसरों ने एक ही बात कही कि हम राजस्थान की सरकार से पैसे मांगते हैं, आप पैसे दीजिए।

सभापति महोदय, इस निजीकरण का दंश देखिये। यह हालत सिर्फ हमारी नहीं है। बीएमएल मैन भाखड़ा मैन लिंक चैनल पर भी यही स्थिति है। पंजाब में कोई कर्मचारी नहीं है। नहर पर झाड़ झंखाड खड़े हुए हैं। हरियाणा में भी यही स्थिति है। निजीकरण इस देश की जनता को, इस देश की बनायी हुई सारी की सारी तामीरों को ढहा देगा। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि बीएमएल से हमारा पूरा पानी लेने के लिए, डैम से पूरा पानी लेने के लिए और किसान को उसके हक का पानी मिले, इसके लिए तुरंत प्रभाव से निजीकरण को बंद करके नहरों में सरकारी कर्मचारी लगाने का काम करेंगे। मात्र 722 कर्मचारियों से हमारी बहुत बड़ी सवा लाख हैक्टेयर, जिसमें हमारी राजगढ़ की विधायक कृष्णा जी और नोहर के विधायक अमित जी, हम तीनों विधायकों के विधान सभा क्षेत्रों में यह नहर है, इससे हमारी पूर्ति हो पायेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अमरसिंह ब्रांच पर भी सरकार इस चीज को लागू करेगी।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, मेरे इलाके 14 बिरानी गांव ऐसे रह गये, जिनमें बच्चों के रिश्ते भी नहीं हो पा रहे हैं, खेती नहीं हो पा रही है। चारों तरफ से सिंचित इलाका है। 14 बिरानी गांव भादरा के, 14 बिरानी गांव नोहर के ऐसे रह गये, इसलिए राजस्थान सरकार से हम मांग करते हैं कि 36 हैक्टेयर जमीन चाहे सूक्ष्म फव्वारा पद्धति से सिंचित हो जाए, हम उसी से खुश हैं। सिर्फ दो सौ क्यूसेक पानी चाहिए, 306 करोड़ रुपये चाहिए। हमारी नहर की लंबाई 109 किलोमीटर होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि पूरक बजट में राजस्थान की सरकार इस चीज की घोषणा करेगी और हमारे इलाके को खुशहाल करने का काम करेगी। सभापति महोदय, मेरे इलाके में अमरसिंह ब्रांच और सिद्धमुख नहर में करीब 9149 हैक्टेयर जमीन में खाले बनाने की डीपीआर 2017 से बनायी हुई थी, 21 हजार खालों की डीपीआर, 101 करोड़ रुपये की सिद्धमुख नहर के लिए बनायी गयी थी। यह पूरी डीपीआर खालों के लिए बनायी गयी थी।

मैं जब बार-बार केंद्र पर आता हूं तो लोग कहते हैं कि केंद्र की ज्यादा आलोचना करता हूं। करूं तो क्या करूं, 2015 में उन्होंने सीएडी बंद कर दी। सिंचित क्षेत्र विकास विभाग बंद कर दिया। अब बात हमारी नहरों पर आ गयी है, हमारे बचे हुए खाले नहीं बन पा रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि हमारे खालों के लिए बजट दे और हमारी यह जो महती योजना थी, उसको पूरा करवाने का काम करे।

सभापति महोदय, मैं ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप एफआरटी पता नहीं क्या लाये? ऊर्जा मंत्री महोदय, वे एफआरटी वाले ठग हैं। वे लोगों का फोन नहीं उठाते हैं और वे फाल्ट निकालने के लिए नहीं जाते हैं। एक-एक महीने में दो-ढाई सौ शिकायतें, आप उस एफआरटी को बंद करें और आपके लाइनमैन, ए.ईएन., जे.ईएन. हैं, उन्हीं से काम कराएं। मेरी आपसे मांग है कि राजस्थान में अगर कोई सरकार की आलोचना कर रहा है तो सिर्फ बिजली के दाम के लिए कर रहा है। सभापति महोदय, बिजली के दाम बढ़े हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है और लोग एक ही बात कह रहे हैं कि बिजली के दाम बढ़ा दिये। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आपने जब इतना अच्छा बजट पेश किया तो बिजली के बढ़े हुए दामों को भी वापस लेने का काम करें। आप पूरक बजट में घोषणा करेंगे और बढ़े हुए दाम वापस लेने की कोशिश करेंगे।

(श्री बलवान पूनियां)

पैट्रोल-डीजल में हमारे यहां सरकार ने 2 प्रतिशत सैस घटाने का काम किया, उसके लिए तो धन्यवाद, पर अभी भी अंतर 10 रुपये प्रति लीटर का है। सभापति महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र हरियाणा से लगता हुआ है और मेरे घर से चार किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा का पैट्रोल पंप है, 10 रुपये प्रति लीटर का डिफरेंस है। इतना डिफरेंस, लोगों को यह सवाल कचोटता है। हालांकि, केंद्र की सरकार बेतहाशा वृद्धि कर रही है और बात जीएसटी पर आये तो हमारे 14 हजार करोड़ रुपये बाकी हैं। हजार समस्याएं हैं, पर 10 रुपये का डिफरेंस सभापति महोदय, सवाल खड़े करता है। इसलिए मैं राजस्थान की सरकार से मांग करना चाहता हूं कि इस डिफरेंस को कम करने का काम करेंगे।

सभापति महोदय, शिक्षा के बजट में जो वृद्धि की गयी है, वह तो सराहनीय है, पर अभी भी कुछ राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की जरूरत है। सभापति महोदय, मेरे यहां पूरा का गांव शिड्यूल कास्ट का है। अभी तक उस स्कूल को उच्च प्राथमिक से माध्यमिक नहीं किया गया है। धोड़पाड़िया गांव है। मैं सदन में इसलिए गांव का नाम बोल रहा हूं कि उस गांव में 50 कर्मचारी हैं। वे और आगे बढ़ें और हमारी बच्चियां आगे पढ़ पाएं। एक अजीतपुरा स्कूल, जिसमें साढ़े आठ सौ बच्चियां हैं, वह स्कूल आठवीं तक का है, उस स्कूल को क्रमोन्नत करने का काम राजस्थान की सरकार करे। घोटड़ा-पट्टा, अमरपुरा, रामबास, ये स्कूल ऐसे हैं, सरकार इनको क्रमोन्नत करे। भादरा में जोगीवाड़ा गांव में सवा सौ बीघा सिंचित जमीन है, वहां कृषि अनुसंधान केंद्र खोलने की हमारी मांग है। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि राजस्थान की सरकार हमारी मांग को पूरा करे।

मेरे से पहले के वक्ता साथी बोल रहे थे। नागौर के पशु मेले की बात आयी। अगर राजस्थान की सरकार एसएलपी लगाकर तीन साल से कम उम्र के बछड़ों की अगर छूट करवा देती है तो मैं समझता हूं कि गाय के नाम पर जो तथाकथित लोग राजनीति करते हैं, इनकी राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी और मोदी जी के जो तेल बढ़ाने के षड्यंत्र हैं, उन पर भी हम काबू कर लेंगे। यदि आने वाले दिनों में तेल के दाम इतने बढ़ते रहे तो क्या हम ट्रैक्टर से खेती कर पाएंगे, बैल से खेती करनी पड़ेगी। ये तो चाहते ही यही हैं। इसलिए इनको दक्षिण पंथी बोलते हैं, केंद्र वालों। ये बैक गियर लगा रहे हैं, ये हमें वापस बैल की तरफ लेकर जा रहे हैं। मैं राजस्थान की सरकार से

(श्री बलवान पूनियां)

इल्तिजा करना चाहूंगा कि एसएलपी दायर कर तीन साल से कम उम्र के बछड़े भी नागौर के पशु मेले में बिकने शुरू हो जाएं, आने शुरू हो जाएं तो गऊ माता की भी कीमत हो जाएगी और उन बछड़ों की कीमत हो जाएगी और किसान खेती कर पाएगा। हमारे इलाके में तो पूरा का पूरा नहरी बैल्ट है, उसमें तो साहब बछड़े बहुत हो गये क्योंकि औरतें खेत से हरा-पट्टा लेकर आती हैं और बछड़ों से बैलगाड़ी लेकर जाती हैं तो मैं समझता हूं कि इससे हमारी गाय की कीमत बढ़ेगी।

सभापति महोदय, कहने को बहुत कुछ है। जो हिन्दुस्तान का किसान आंदोलन चल रहा है। इस किसान आंदोलन ने एक बात तय कर दी कि जिनको वहम था कि हम जिस गद्दी पर नसीब हैं, हम ही रहेंगे, उनका गुरूर टूटेगा, उनका हौसला भी टूटेगा, उनकी तानाशाही भी टूटेगी। वे जिस तरीके से सीख़चों में कैद होकर, जिस तरीके से किलों में कैद होकर, वे जिस तरीके से राकेश टिकैत को, जिस तरीके से किसान आंदोलन में लगे हुए लोगों को मारना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, उनकी आवाज बंद करना चाहते हैं, जितने भी शब्दों में निंदा की जाए, वे शब्द कम हैं। सभापति महोदय, मैं आज के इस बजट भाषण में यह बात कहना चाहूंगा कि नवप्रीत, जिसको इन्होंने झूठा षड्यंत्र रचकर लालकिले के पास गोली से मारा, उनकी शहादत को नमन करते हुए, उन दो सौ लोगों की शहादत को नमन करना चाहूंगा, जो सर्दी व ठिठुरन में वहां बोर्डरों पर पड़े-पड़े मर गये, लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों की न सुनने की तय कर ली।

सभापति महोदय, आज तक हिन्दुस्तान ही नहीं, दुनिया में ऐसा कोई तानाशाह नहीं होगा, जिसको प्रजा ने नहीं हराया होगा, ये भी हारेंगे। इन लोगों की सुनने की ताकत नहीं थी। इनको हम बहुत कुछ सुनाते, पर ये सदन छोड़कर चले गये। ये इसलिए सदन छोड़कर चले गये, यह एक संकेत है। आज इन्होंने सदन छोड़ा है, आने वाला समय इनसे गद्दी भी छुड़वायेगा और इनसे इस बात की माफी भी मंगवायेगा कि जिन किसानों की आपने शहादत ली है, जिन किसानों को आपने परेशान किया है, जिन पर आपने झूठे मुकदमे किये हैं। आपने जो उनके लाइट और पानी के बिल बढ़ाये, इन्होंने जो सिंघु बोर्डर पर गड़बड़ की है, टिकरी बोर्डर पर, शाहजहांपुर बोर्डर पर और गाजीपुर बोर्डर पर किसानों को जलील करने का काम किया है। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान का इतिहास और हिन्दुस्तान का भविष्य इनको कभी माफ नहीं करेगा।

(श्री बलवान पूनियां)

सभापति महोदय, इन्दिरा जी जैसी प्रधान मंत्री रही हैं, यहां जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधान मंत्री रहे हैं या खुद इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते थे कि जहां निरंकुशता का भाव आ जाए और जहां दूसरे को देशद्रोही और गद्दार बता दिया जाए तो हम समझते हैं कि सरकार तानाशाही की तरफ बढ़ जाती है। सभापति महोदय, इनको यह अक्ल कौन दे कि इनके नेता जो इन्हें 2 से राज तक ले गये, इनको सरकार तक ले गये, उनके कहे हुए वचनों से ये पीछे हट रहे हैं और उनके वचनों से पीछे हटते हुए हिन्दुस्तान की प्रजा पर ये बुलडोजर फेरना चाहते हैं। ये लोकतंत्र का कत्ल करना चाहते हैं। मैं सदन में बैठने वाले तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि अभी राजस्थान में भी किसान महा पंचायतें होंगी, हिन्दुस्तान में भी किसान महा पंचायतें होंगी और क्षुब्ध मोर्चा का आह्वान होगा। उस आह्वान पर मेरे एक-एक विधायक साथी अपने इलाकों से जनता को लेकर जाएं और इस निरंकुश राज को पलटने का काम करे और इन तीनों काले कानूनों को वापस दिलवाने का काम करें।

सभापति महोदय, मैं लास्ट में यह कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की 58 प्रतिशत जनता आज भी खेती करती है, उस 58 प्रतिशत जनता में से 64 प्रतिशत खेतिहर मजदूर हैं। ये उस खेतिहर मजदूर की खाद्य सुरक्षा को लील जाना चाहते हैं। केंद्र का खाद्य सुरक्षा का पोर्टल 12 महीने से आज भी बंद है। सभापति महोदय, इन कानूनों से न सिर्फ किसान परेशान होगा। उस पीडी सिस्टम से, जिसमें खाद्य सुरक्षा में गेहूं दिया जा रहा है, उसमें उन 64 प्रतिशत गरीबों को गेहूं नहीं मिलेगा, धान नहीं मिलेगा, उसकी रोजी-रोटी के लाले पड़ जाएंगे। सभापति महोदय, ये इन तीनों कानूनों से यह चाहते हैं कि सारी की सारी प्रजा रिफ्यूजी की तरह शहर में पड़ जाए और सस्ते मजदूर के रूप में हमें मिल जाए और अपने खेत में खुद किसान, जो आज जमीन का मालिक है, वह मजदूर बन जाए। यह निजीकरण ही नहीं, ये इस व्यापारीकरण की होड़ को आगे बढ़ाना चाहते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए केंद्र के तीनों कानूनों की आलोचना करते हुए वापस लेने की मांग करते हुए और राजस्थान की सरकार से इस उम्मीद के साथ कि बजट में आपने जो घोषणाएं की हैं, आप उनको गंभीरता से लागू करेंगे और जनता के हित में फैसले पूरे करेंगे और इस बजट को लागू करेंगे और हमारे

(श्री बलवान पूनियां)

14 बिरानी गांवों में नहरीकरण करेंगे और नहरों में पूरा पानी देंगे। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।

श्री सभापति: श्री रामनिवास गावड़िया।

श्री रामनिवास गावड़िया (परबतसर): धन्यवाद, सभापति महोदय। बजट भाषण 2021-22 पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। अभी हाल ही में राजस्थान का जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया, जिन विषम परिस्थितियों में राजस्थान सरकार ने बजट पेश किया, प्रदेश की लाखों करोड़ों लोगों की निगाहें थीं कि इस बार जो राजस्थान सरकार का बजट आएगा, वह किस रूप में बजट पेश होगा। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस प्रदेश की देवतुल्य जनता को जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिया, वह बहुत ही शानदार व ऐतिहासिक था। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी पूरी केबिनेट को धन्यवाद और उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। यह बजट प्रदेश के सर्वांगीण विकास के साथ प्रदेश के तमाम समाज व वर्गों को जोड़ते हुए आने वाले दिनों में उन योजनाओं का स्वरूप है, जो इस प्रदेश को विकास की ओर ले जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, यह बजट मेरी सोच में प्रदेश के आम आदमी, मजदूर, गरीब, शोषित, किसान, व्यापारी और नौजवानों की उम्मीदों का बजट है। इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने पिछले साल भर से जो पूरे देश के सामने कोविड-19 के रूप में एक हमारे बीच में बड़ी समस्या थी, वैश्विक महामारी जो थी, उससे उबरने के बाद यह बजट राजस्थान की सरकार ने पेश किया, उसके तहत मैं आप सब लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को कहना चाहूंगा कि जिस दिन बजट पेश हुआ, उसके बाद विपक्ष के साथियों ने अलग-अलग बयान दिए कि ये आंकड़ों का मायाजाल है, झूठ का पुलिन्दा है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि चालाकियों से कुछ ही देर तक मोहित किया जा सकता है, दिल जीतने के लिए सरल और सहज होना बहुत जरूरी है। हमारी सरकार ने करोड़ों प्रदेशवासियों का दिल जीता है इस बजट के माध्यम से। कोरोना के बाद इस तरह का शानदार और ऐतिहासिक बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने आप सब लोगों के सामने रखा, इसको देखते हुए निश्चित तौर से हम सब लोग यह कह सकते हैं कि कोरोना में जब प्रत्येक व्यक्ति का जन-जीवन अस्त-व्यस्त हो गया, प्रत्येक व्यक्ति के सामने बड़ी समस्या आ गयी कि किस तरह से अपना जीवन-यापन करेंगे और किन परिस्थितियों में हमारे परिवार का लालन-पालन करेंगे? जिस तरह से

(श्री रामनिवास गावड़िया)

प्रवासी लोग हमारे यहां प्रदेश में आए, उसके बाद तमाम लोगों के सामने एक विकट समस्या थी कि ये लोग घर बैठकर किस तरह से अपने परिवार को चलाएंगे? मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहूंगा कि प्रदेश में नरेगा एक ऐसी योजना थी जिसके माध्यम से गांव में लोगों को रोजगार दिया गया और संवेदनशीलता इस पर दिखाते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 100 दिन से बढ़ाकर उसमें 200 दिन किये हैं। यह संवेदनशीलता दिखाता है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश के लोगों को अपना परिवार मानकर हमारी सरकार ने जो बजट पेश किया, उसमें चिकित्सा के क्षेत्र में जब कोविड-19 आया, लोगों को चिकित्सा के बारे में, प्रदेश की सरकार ने कोई भूखा नहीं सोयेगा, किसी भी तरह से उसको किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए, इस तरह की योजना चलाई। चिकित्सकीय क्षेत्र में हमारी सरकार के द्वारा, माननीय विधायकों के माध्यम से, जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से, भामाशाहों को जिस तरह से प्रोत्साहित करके उन लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता का पेट भरने का काम राजस्थान सरकार ने किया, वह निश्चित तौर पर ऐतिहासिक था। हमारे यहां बजट के माध्यम से यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज जो लागू किया है, मेरे हिसाब से पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा स्वास्थ्य बीमा लागू किया गया है जिसका सीधा फायदा आम जनता को मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में मैं कहना चाहूंगा कि हम सब लोग उन परिवारों से आते हैं जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया। आज हम सब लोग इस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में बैठकर इस प्रदेश की नीतियों के निर्माण में हमारी भागीदारी निभा रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी, हम सब लोगों का एक नया भविष्य निर्माण हो, प्रदेश का नया नीति-निर्माता किस तरह से हम तैयार कर सकें, इस दूर-दृष्टि सोच के साथ आज माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो अंग्रेजी माध्यम के 1000 से ज्यादा स्कूल खोलने की बजट में घोषणा की, वह वास्तव में मैं मानता हूं कि इस बजट की सबसे बेहतरीन घोषणा थी। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके अलावा जिस तरह से मेरे पूर्ववर्ती कई विधायकों ने, माननीय सदस्यों ने इस बात को रखा कि आज पूरे देश में किस तरह के हालात हैं। जिस तरह से पूरे देश में आज का किसान और नौजवान आंदोलित है, लेकिन

(श्री रामनिवास गावड़िया)

उनके द्वारा किस तरह से 200 किसानों की शहादत देने के बाद भी आज उनके कानों तक जूं नहीं रेंग रही। इस परिस्थिति में लाल किले के ऊपर जिन नापाक कोशिशों के बाद, हमारे तिरंगे और आन-बान-शान को वह झुकाने में नाकामयाब हुए और उसका ठीकरा किसानों के सिर फोड़ने का जो प्रयास किया और जघन्य कृत्य जो उन्होंने किया, उसका उनको भुगतान करना पड़ेगा। देश का किसान और नौजवान आज जिस तरह से सड़कों पर आया है, मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में इस केन्द्र की सरकार को आईना दिखाकर मानेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज देश में जो तमाम परिस्थितियां चल रही हैं, उसके बावजूद माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया, उसमें किसान को ध्यान में रखते हुए चाहे वह मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना हो, चाहे किसान सेवा केन्द्र के माध्यम से हो, चाहे किसानों को बिजली बिलों में राहत देने का मामला हो। इसके अलावा तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं कीं और घोषणाएं कीं ताकि इस देश के, इस प्रदेश के किसान को संबल मिल सके।

(16.27 बजे)

(श्री जितेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस तरह से प्रदेश में सड़कों का अभाव था या कई माननीय सदस्यों को इस बात के लिए कई बार सुनने को मिलता था कि दो साल में सड़कें नहीं बनीं लेकिन इस बार के बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने बिना किसी राजनीतिक विचारधारा के, बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक विधान सभा में 5 करोड़ रुपये, प्रत्येक माननीय सदस्य के माध्यम से जो बजट में घोषणा की है, वह स्वागत योग्य फैसला है। इसके अलावा प्रत्येक क्षेत्र में चाहे वह 40 हैंडपम्प हो, 10 ट्यूबवैल हो, प्रत्येक आमजन को छूने का इस बजट के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रयास किया, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बजट के माध्यम से आज मेरे क्षेत्र परबतसर में आईटीआई महाविद्यालय खोलने की घोषणा की, कृषि उपज मंडी खोलने की घोषणा की। इसके अलावा छोटे शहरों में जहां सीवरेज नहीं थे, वहां एफएसटीपी प्लांट्स तैयार करने की घोषणा की गई, मैं इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे यहां कुछ मांगें काफी दशकों से लंबित हैं उनके बारे में मैं आपके

(श्री रामनिवास गावड़िया)

माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि बजट के रिप्लाई में आप हम सब लोगों को, परबतसर के क्षेत्रवासियों को देकर अनुगृहीत करें। इस तरह की योजनाएं हमारे यहां काफी लंबे समय से लंबित हैं। हमारे हाईवे पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र है। उन तमाम मापदंडों को वह पूरा करता है, जहां ट्रोमा सेंटर होना चाहिए या उप जिला अस्पताल होना चाहिए। इस बजट रिप्लाई में वहां ट्रोमा सेंटर या उप जिला अस्पताल बनाने की घोषणा करें और हम सब लोगों को अनुगृहीत करें।

इसके अलावा राबड़ीयाद चिकित्सा उप केन्द्र है, काफी वर्षों से वहां के लोगों की मांग है और आसपास के काफी गांवों से वह जुड़ा हुआ है उसको भी पीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए। काफी समय से परबतसर की एक विशेष मांग रही है। मेरे कई साथियों ने इस बारे में मुद्दा भी उठाया कि परबतसर में वीर तेजा पशु मेला लगता है। इसमें हाई कोर्ट के माध्यम से तीन वर्ष से कम आयु के बछड़ों पर रोक लगी हुई है। इसमें एसएलपी दायर करके हम सब लोगों को और किसान वर्ग को इस बात की राहत मिल सकती है और जो गो वंश के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति करते हैं, उनको भी एक सबक मिलेगा और किसानों को राहत मिलेगी। उसके साथ, वहां वीर तेजाजी का एक पुराना मंदिर है, काफी वर्षों से परबतसर वासियों, नागौर, मारवाड़ के किसानों की एक मांग है कि परबतसर में तेजाजी मंदिर का जीर्णोद्धार हो। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि बजट रिप्लाई में, पूर्व में मंदिर के लिए जो घोषणा हो चुकी है, उसमें वित्तीय स्वीकृति दिलाएं। इससे मारवाड़, नागौर के किसानों में अच्छा संदेश जाएगा। किसानों के लोक देवता के रूप में, तेजाजी मंदिर के लिए आप यहां घोषणा करें।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में कुछ ढाणियां पेयजल से छूटी हुई हैं उनको भी जोड़ा जाए। इसके अलावा जेजेएम योजना में उनको सम्मिलित करके, तमाम लोगों को फायदा पहुंचाएं। उन लोगों को पीने के लिए पानी पहुंचाया जाए। इस बजट के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक संदेश देने का प्रयास किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक वर्ग को छुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए मेरे परबतसर क्षेत्र में तमाम योजनाओं को लागू किया जाए।

मैं एक बार पुन: माननीय मुख्य मंत्री जी और उनकी कैबिनेट को

(श्री रामनिवास गावड़िया)

धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि आपने जो ऐतिहासिक बजट यहां पेश किया, निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता आपको आशीर्वाद देगी। उन तमाम लोगों के लिए उम्मीदों का बजट है, जो आने वाले समय में हम सब लोगों के लिए खुशहाली के रास्ते पर चलेगा। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री सभापति: माननीय श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, 2021-22 के बजट भाषण पर मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत बड़ा आभार। 24 तारीख को राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, जो जन-जन के हितैषी हैं, किसान, मजदूर, उद्योगपतियों, युवाओं, सबका विकास करने के लिए जो बजट पेश किया है, बहुत सराहनीय, स्वागत योग्य, राजस्थान का उत्थान, राजस्थान का विकास, राजस्थान को प्रगति की ओर अग्रसर करने वाला बजट है। मैं आप सभी की ओर से, राजस्थान की पूरी जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को, उनकी पूरी टीम को, पूरे मंत्रिमण्डल को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके दिल में जज्बा है कि राजस्थान की जनता ने हमें सेवा करने के लिए भेजा है, उस सेवा का पूरा मौका दे। जनता के उत्थान के लिए, जनता की पीड़ा को समझने के लिए, जनता के सुख-दुख में भागीदार बनने के लिए, सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इसलिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, पिछले एक साल से, इसी मार्च महीने में कोविड-19 का पहला वायरस पूरे भारत में आया। ऐसी महामारी, हर आदमी के अंदर एक दर्द पैदा हुआ, एक भय पैदा हुआ, मनुष्य से मनुष्य को डरने का पहला समय। 100-125 साल पहले की बात है, जब महामारी आई थी, तब मनुष्य से मनुष्य डरने लगा। वह महामारी यहां आई, उस भयंकर महामारी ने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने उस संकट की घड़ी में आम जनता के जीवन की कैसे रक्षा करे, आम आदमी को कैसे सुरक्षित रखे, आम आदमी की पीड़ा में भागीदार कैसे बने, उसके अंदर कुशल नेतृत्व, कुशल मैनेजमेंट, सभी को साथ लेकर, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, पक्ष-विपक्ष हो, साधु हो, संत हो, सबको साथ लेकर मैनेजमेंट किया और पूरे देश में राजस्थान मॉडल साबित किया, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा।

(श्री पदमाराम)

माननीय मुख्य मंत्री जी को इस चीज के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि 2008 के अंदर जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आई, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जब शपथ ग्रहण की, उनकी पहली प्राथमिकता थी, नि:शुल्क दवा योजना लागू की। उस योजना को आगे बढ़ाते हुए, नि:शुल्क जांच योजना को बढ़ाया। दवाइयों का दर्जा बढ़ाया। कोविड-19 की जांच, एक भी यहां नहीं होती थी,आज प्रतिदिन 70 हजार जांच करने का ढांचा तैयार किया। आईसीयू की व्यवस्था की गई। हर ज़िले में मेडिकल कालेज खोलने की व्यवस्था की, माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

जिस प्रदेश के मुखिया के दिल में जज्बा हो कि मेरी जनता सुखी हो, मेरी जनता को कोई तकलीफ नहीं हो, आज पैसे वाले लोगों को कोई तकलीफ नहीं है। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी बीमा योजना, एक गरीब की पीड़ा है, गरीब आदमी है जिसकी जेब में पैसे नहीं है, उसका बच्चा बीमार हो गया, मां-बाप बीमार हो गए, भाई बीमार हो गया, उसको दवाई के लिए तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, उसको आज चिंता करने की जरूरत नहीं है। लघु सीमांत किसान, मजदूर, गरीब, उनके बीमे के पैसे भी राजस्थान सरकार जमा कराएगी। पांच लाख रुपये तक का इलाज नि:शुल्क होगा, मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। पहले भी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की, पांच गंभीर बीमारियों कैंसर, एड्स ऐसी कई बीमारियों के लिए नि:शुल्क दवा योजना लागू की थी, मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे।

हमारे बाड़मेर जिला मुख्यालय के मुख्य चिकित्सालय हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए, 360 का बैड बनाने के लिए घोषणा की, 126 करोड़ की घोषणा की, नर्सिंग कालेज की घोषणा की। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो बैकवर्ड एरिया है, जहां आपने उप स्वास्थ्य केन्द्र खोल दिए, परन्तु बैकवर्ड एरिया जहां बोर्डर और सीमावर्ती क्षेत्र है, वहां पर स्टाफ की कमी है, उसका आप जरूर ध्यान रखेंगे और पूर्ति करने की कोशिश करेंगे।

आज पूरे देश के अंदर हमारे किसान सड़कों पर हैं। किसानों के दिल में एक दर्द है कि हमारे बच्चों का भरण-पोषण करने के लिए, हम रात-दिन, सर्दी-गर्मी, बरसात में खड़े रहकर मेहनत करते हैं, उपज पैदा करके आम आदमी का, पूरे भारत का पेट भरने का काम करते हैं, वह आज दिल्ली बोर्डर पर पिछले 100 दिन से बैठे हैं। मोदी जी, कभी पश्चिम बंगाल का राज हड़पने

(श्री पदमाराम)
की कोशिश में जा रहे हैं, आसाम जा रहे हैं, कभी केरल जा रहे हैं। माननीय प्रधान मंत्री व गृह मंत्री, दोनों जो आज देश की महान शक्ति हैं, उन दोनों के नाम से राज चलता है, और किसी का कोई लेना-देना नहीं है। इनको एक मिनट भी किसानों के बारे में सोचने, किसानों की बात सुनने, किसानों की समस्या का समाधान कैसे हो, किसानों को धरने से हटाने की फ्रिक नहीं है। उनको तो उद्योगपतियों को, जिन्होंने अधिक धन खर्च करके, अपनी सम्पत्ति को न्यौछावर करके, इनको गद्दी पर पहुंचाया है, इनके मीडिया साथियों को, 24 घंटे मार्केटिंग करने वाले, धन अर्पित करते हैं, उनकी सेवा के लिए। किसान मर जाए, मजदूर खतम हो जाए, युवाओं को रोजगार नहीं मिले, उसकी कोई टेंशन नहीं है। दो उद्योगपति अडानी, अंबानी, वह जिंदा रहेंगे, वह पैसे कमाएंगे, वह तरक्की करेंगे, तो देश आगे बढ़ेगा, उन दोनों की चिंता है, किसी और की सोच नहीं है।

हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी के दिल में दर्द था। उन्होंने अर्जेंट असेम्बली बुलाई तीन काले क़ानूनों को निरस्त करने के लिए, राजस्थान में लागू करने के लिए कानून पास किए। परन्तु ऊपर बैठे अमित शाह की मेहरबानी से, हमारे महामहिम राज्यपाल जी ने उन विधेयकों पर साइन नहीं किए, आगे भेजने की कोशिश नहीं की। इससे इनकी मंशा साबित होती है। जब भी हमारे विपक्ष के साथी खड़े होते हैं, जब भी कोई बात करते हैं, किसानों के कर्ज माफी की आपने घोषणा की, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। राजस्थान सरकार ने किसानों के हित में घोषणा की, दस दिन के अंदर कोआपरेटिव बैंक थी, उनका पूरा कर्जा माफ कर दिया। नेशनलाइज्ड बैंकों का कर्जा माफ करने का दायित्व सेन्ट्रल गवर्नमेंट का है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रधान मंत्री जी को चिट्ठियां लिखीं, कई तरह के प्रदर्शन किए। किसानों का कर्जा माफ करने के लिए, गरीब की सहायता करने के लिए उनके पास धन नहीं है। उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनकी सुविधा करने के लिए उनके पास अपार धन है। आज डीजल की रेट बढ़ रही है। किसान मजदूरी कर रहा है, ट्रैक्टर पर टैक्स बढ़ा दिया। किसान मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शादी-ब्याह करने की कोशिश कर रहा है। आज पैट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। वैश्विक एक्साइज ड्यूटी, जिसके ऊपर, पूरे संघीय ढांचे के अन्दर राज्यों का हिस्सा था, उसको तो कम कर दिया और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी, जो दो

(श्री पदमाराम)

लाख हजार करोड़ रुपये इन्होंने वसूले हैं, माननीय सभापति महोदय, पूरे सदन के मार्फत माननीय प्रधान मंत्रीजी और विपक्षी साथियों से निवेदन है कि दो लाख हजार करोड़ रुपये आपने वसूले हैं, ऐसी कौनसी कल्याणकारी आपने योजनाएं लागू कीं, ऐसे कौनसे बेरोजगारों को आपने नौकरी दे दी, कितनी नई फैक्टरियां लगाईं, कितने नये संसाधन अपनाये, नहरों का सुदृढ़ीकरण किया। किसानों के हित के अन्दर, मजदूरों के हित के अन्दर, गरीब के उत्थान के लिए ऐसी कौनसी योजना लागू की, जिसके तहत गरीब लोगों से, गरीबों से पैसे वसूल करके आप उस पैसे को कहां खर्च कर रहे हो।

आप उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, उनकी जेबें भरने के लिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्ष के साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस के राज के अन्दर भ्रष्टाचार बढ़ गया। मैं इनसे निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अन्दर, पूरे भारत में 50 साल तक राज किया। आज उनके पास चुनाव लड़ने का पैसा नहीं है, आज उनके पास कार्यालय खोलने का पैसा नहीं है, आज कांग्रेस को मजबूत करने के लिए धन की कमी है। आप तो पिछले 6 साल में ही माननीय मोदीजी की मेहरबानी से झूठ बोलकर, भ्रम पैदा करके, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मन्दिर के नाम पर जनता को गुमराह करके आप शासन के ऊपर बैठ गये हो। आपने ऐसी कौनसी योजना, आपने ऐसा कौनसा जादू कर दिया, ऐसी कौनसी फैक्टरी चालू कर दी, ऐसा कौनसा ठप्पा लगा दिया, जो आप एक -एक एम.एल.ए. को खरीदने के लिए 35-35 करोड़ रुपये दे रहे हो। कर्नाटक की सरकार आपने गिरा दी, मध्य प्रदेश की सरकार गिरा दी, मणिपुर की सरकार गिरा दी। अभी राजस्थान की सरकार गिराने की आपकी भावना थी। परन्तु हमारे कल्याणकारी मुख्य मंत्री की मंशा, उनकी इच्छा शक्ति, उनके दृढ़ संकल्प और देश को समर्थ करने वाले उनके लक्ष्य ने यह साबित किया कि राजस्थान के अन्दर कांग्रेस की सरकार को कोई हिला नहीं सकता है। आपकी जो मंशा है, आज भी मैंने अखबारों के अन्दर पढ़ा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। कहां होने वाले हैं, किस जगह पर होने वाले हैं? भारत के अन्दर होने वाले हैं। राजस्थान की जनता का माननीय अशोक गहलोतजी के ऊपर आशीर्वाद है। हमारे यहां के 120 एम.एल.एज. का संकल्प है कि राजस्थान को हम आगे बढ़ायेंगे, राजस्थान को हम मजबूती देंगे। राजस्थान के हर गरीब, किसान, मजदूर की

(श्री पदमाराम)

सेवा के लिए हम हाजिर रहेंगे और राजस्थान में पांच साल तक पूरा राज करेंगे और यह साबित करेंगे कि आने वाले दिनों के अन्दर राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद देगी, माननीय अशोक गहलोतजी और उनके मंत्रिमण्डल को आशीर्वाद देगी। वापस 2023 के अन्दर कांग्रेस का राज बनेगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मुखिया की मंशा हो कि किसान को कैसे आगे बढ़ायें, उन्होंने FPO, Farmer Producer Orgnisation की स्थापना की। उसके अन्दर 120 संस्थाएं थीं। उसमें दो हजार करोड़ का प्रावधान किया। उनके दिल में एक जज्बा है। किसान को अपनी उपज का मूल्य अपने क्षेत्र के अन्दर मिले। उसको सही करे, ग्राइंडिंग करे, क्लीनिंग करे प्रोसेसिंग करे और उसको उसका उचित मूल्य अपने क्षेत्र में मिले, उसके लिए उन्होंने 2 हजार करोड़ की व्यवस्था की।

किसानों को सोलर ऊर्जा के रूप में और कनेक्शन के रूप में 50-50 हजार कनेक्शनों की घोषणा की। भारतीय जनता पार्टी के माननीय लोग हमेशा कह रहे हैं कि किसानों की आपने घोषणा की कि पांच साल तक बिजली के बिल नहीं बढ़ायेंगे। माननीय सभापति महोदय, हमारे विपक्षी साथियों से मेरा निवेदन है कि माननीय गहलोत साहब ने घोषणा की कि किसानों के पांच साल तक बिजली के बिल नहीं बढ़ेंगे, दूसरे के नहीं। ये उद्योगपतियों की बात करते हैं। कांग्रेस किसानों की बात कर रही है। पांच साल के अन्दर किसानों के कृषि बिल का एक पैसा नहीं बढ़ायेंगे। पिछले साल 1250 हजार करोड़ की व्यवस्था की। इस बार 16 हजार करोड़ रुपये खर्च करके किसानों की उपज को आगे बढ़ाएं, किसानों को सम्बल मिले, किसान उस पैदावार को उचित मूल्य पर बेचकर अपने बच्चों को उच्च शिक्षा ग्रहण कराए। किसान का बेटा नौकरी लगेगा, इंजीनियर बनेगा, कलेक्टर बनेगा, डाक्टर बनेगा, टीचर बनेगा, लैक्चरर बनेगा तो राजस्थान का विकास होगा। किसान मजबूत होगा तो राजस्थान मजबूत होगा, राजस्थान आगे बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, आपके मार्फत मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हर साल आप किसानों को मजबूती देने के लिए कृषि कनेक्शन बढ़ा रहे हो, जी.एस.एस. बढ़ा रहे हो। आपने यह प्रावधान किया है कि आने वाले समय के अन्दर किसानों को दिन की बिजली मिले।

(श्री पदमाराम)

मेरा निवेदन है कि हमारा बाड़मेर जिला सीमावर्ती क्षेत्र है। बाड़मेर और जैसलमेर, जो बिलकुल सीमा के सटीक क्षेत्र हैं, वहां हमारे आदिवासी लोग, भील समाज के लोग हैं, उनका जीवन स्तर बहुत निम्न है। उनका मूल धंधा कृषि है। वे शिक्षा से वंचित हैं। शिक्षा से वंचित को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आगे बढ़कर सहयोग किया तो मेरा निवेदन है कि भील, एस.टी. जाति के लोगों को बाड़मेर और जैसलमेर जिले को सीमावर्ती क्षेत्र मानते हुए कृषि कनेक्शनों में प्राथमिकता देने का मैंने कई बार निवेदन किया है, माननीय मेवारामजी ने भी निवेदन किया है। हम सबकी भावना है कि यदि आप इसे नहीं करते हैं तो और कोई प्रावधान या कोई टैक्निकल प्राब्लम आ रही हो तो एक बाड़मेर जिले को स्पेशल, हजार-दो हजार, जितनी भी आपकी मंशा हो, उतने कनेक्शन देकर उन गरीब लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें।

टाडा-माडा योजना के अन्दर हमारे आदिवासी लोगों को सब सुविधाएं मिल रही हैं। उसी के समान ही हमारे एस.सी. के लोग हैं। वहां नौकरियों के अन्दर भी उनका हिस्सा 0.5 या 0.2 परसेंट ही है और उनका जीवन स्तर बहुत निम्न है। शिक्षा से वंचित हैं, उनका रहन-सहन आदिवासी लोगों के समान है, उनका उद्धार करने के लिए उनको शिक्षा की कड़ी से जोड़ने के लिए आप मेहरबानी करके कृषि कनेक्शनों के अन्दर प्राथमिकता दें और नौकरी के अन्दर, कुछ हिस्से पर उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। यह मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले भारतीय जनता पार्टी के राज के अन्दर उन्होंने बातें बहुत बड़ी कीं। विकास की बात की, लोगों को लुभाने की बात की। आज पूरे राजस्थान की सड़कों की हालत अच्छी नहीं है। पिछले दो साल से, जब भारतीय जनता पार्टी का शासन जाने की कतार में था, उस समय उन्होंने बिना प्रावधान आनन-फानन में दुनिया भर की घोषणाएं कर दीं, टेंडर लगा दिये। बजट का प्रावधान नहीं था। उनकी पूर्ति की। उसके बाद में कोरोना आ गया। कोरोना ने एक साल के अन्दर देश, विदेश को, पूरे संसार को हिलाकर रख दिया। रेवेन्यू घट गया, लोगों की नौकरियां चली गयीं, मजदूरी खतम हो गयी। उस कठिन संकट के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो आर्थिक मैनेजमेंट किया, उस मैनेजमेंट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने बजट पेश किया। माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने

(श्री पदमाराम)

कई जिलों के अन्दर अच्छी सड़कें बनाने की कोशिश की। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पांच करोड़ रुपये देकर मिसिंग लिंक या सड़कों के नवीनीकरण की घोषणा की। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर जिले के अन्दर आपने चौहटन विधान सभा क्षेत्र का नाम लिया, परन्तु जो सड़कें थीं उसके अन्दर एक इंच भी मेरी नहीं है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर चौहटन से सरूपिया का पला, सेड़वा से जानपलिया, सिंयाड़िया से फगलिया और सांवा फाटा से पूंजासर की सड़कें अपग्रेड की जायें। ये बहुत बड़े कस्बे हैं। यहां कई पंचायतों से आवागमन है, यहां आते-जाते हैं। किसानों को, यहां डबल क्रोप एरिया है, आने-जाने की असुविधा रहती है और जो सड़कें बिलकुल जर्जर हो गयी हैं, उन सड़कों के नवीनीकरण का प्रावधान करें, यही मेरा निवेदन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि शिक्षा की अलख जगाने के लिए, शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है, जिस समाज में, जिस मजहब में, जिस क्षेत्र में शिक्षा है, वह हमेशा आगे बढ़ेगा, उसकी उन्नति होगी। उसको कोई रोक नहीं सकता है जिस समाज के अन्दर, जिस वर्ग में शिक्षा है तो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कई स्कूलों को क्रमोन्नत किया है, आगे भी क्रमोन्नत करने के लिए किया है। हर ब्लाक पर उन्होंने महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, नर्सिंग स्टाफ बढ़ाने की घोषणा की। मेरा निवेदन है कि जहां पंचायत मुख्यालय है, अभी आपने पंचायती राज को मजबूती देने के लिए, पंचायती राज का पुनर्गठन किया। पंचायत मुख्यालय पर यदि दसवीं स्कूल है, हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं है तो वहां स्कूल खोलने की घोषणा करें। जिन स्कूलों के अन्दर, जो सीनियर सैकण्डरी स्कूल पंचायत मुख्यालय पर है, वहां प्रिंसिपल के पद खाली हैं, उनको प्राथमिकता से भरें, लैक्चरर्स और वरिष्ठ अध्यापकों के, विषय अध्यापकों की कमी है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर जो पिछड़ा क्षेत्र है, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग जहां पर रहते हैं, वहां पर अध्यापकों की बहुत कमी है। मैंने माननीय प्रदेशाध्यक्ष महोदय को यह लिखकर दिया है और मेरे को पूर्ण विश्वास है कि इस भर्ती के अंदर वह पूर्ति करने की कोशिश करेंगे, परंतु माननीय मुख्य मंत्रीजी से मेरा यह निवेदन है कि शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षा नीति को मजबूती दिलाने के लिए, राजस्थान को प्रगति

(श्री पदमाराम)

की ओर अग्रसर करने के लिए जहां पर भी जो विषय अध्यापकों की कमी है, उनकी पूर्ति करें, उनके मैनेजमेंट को देखें।

सभी अधिकारियों से भी मेरा यह निवेदन है कि जो स्कूल के अंदर अध्यापक है, उसकी बच्चों की तादाद कितनी है, जहां पर अधिक विद्यार्थी हों, जहां पर स्कूलें अच्छी चल रही हों, वहां पर ज्यादा अध्यापकों की व्यवस्था करें और सिटीज के अंदर, गांवों के नजदीक कस्बों में जहां पर बच्चों की संख्या शून्य के बराबर है और वहां पर बीस-बीस, चालीस-चालीस अध्यापक बैठे हैं, उनकी छंटनी करके ग्रामीण क्षेत्रों में भेजें और शिक्षा को आगे बढ़ाएं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुख्य मंत्रीजी ने युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को शिक्षा के मूल मंत्र में जोड़ने के लिए, युवाओं को प्रगति की ओर अग्रसर करने के लिए कई प्रकार की नई-नई योजनाएं लागू की हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): एक मिनट। साहब, दो मिनट में खतम कर रहा हूं। अभी तो मेरा यह निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चार बड़ी घोषणाएं कीं। एक चौहटन क्षेत्र को इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करने की घोषणा की है। एक चौहटन क्षेत्र में आवासीय विद्यालय, अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय की बहुत बड़ी मांग थी और अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जो लड़कों को तो स्कूल भेजते थे पर लड़कियों को स्कूल भेजने से परहेज करते थे तो माननीय मुख्य मंत्रीजी की, हमारे क्षेत्र के सभी नेताओं की मेहरबानी से, माननीय श्री हरीश चौधरीजी की मेहरबानी से आवासीय विद्यालय मिला है, यह बहुत बड़ी मेहरबानी की है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा। दो मेरे विधान सभा क्षेत्र में ए.ईएन., पानी और बिजली के कनेक्शन की, ए.ईएन. की घोषणा की, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूंगा।

मेरा यह निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन की तहसील धनाऊ के अंदर एक चौकी है। विधान सभा क्षेत्र का एरिया बहुत लंबा है। आबादी घनत्व वहां पर ज्यादा है, वहां पर पुलिस चौकी को थाने में क्रमोन्नत करें और चौहटन मुख्यालय पर अपर एवं सेशन न्यायालय खोलें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत

(श्री पदमाराम)

माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके दिल में गरीब किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक सभी वर्गों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में सुईया धाम जो कुंभ मेले का सैकण्ड है, उसका जीर्णोद्धार, पर्यटक स्थल में उसको शामिल करें और कासम शाह की दरगाह जो पवित्र दरगाह है, वहां पर छत्तीस कौम के लोग हर सोमवार को दर्शन करने के लिए आते हैं, इसको भी पर्यटन स्थल में शामिल करें। आपने मेरे को बोलने के लिए समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय श्री लाखन सिंह।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे तक के लिए बढ़ा दिया गया।

आय व्ययक

आय व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, 2021-22 के बजट अनुमान पर बोलने हेतु मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि ऐसा जोरदार बजट और शानदार बजट राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने पेश किया है। यह बजट महिलाओं, युवाओं, वृद्धों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओ.बी.सी., अल्पसंख्यक, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समर्पित बजट है। इस बजट को पेश करने के बाद राजस्थान

(श्री लाखन सिंह)

के हर वर्ग के अंदर बजट की तारीफ हो रही है। इस बजट के अंदर उस कमजोर वर्ग को, समाज के उस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को फायदा देने की कोशिश की गयी है। वह चाहे मजदूर हो, चाहे खेत में काम कर रहे किसान हों, उन सभी को समर्पित यह बजट उस कमजोर आदमी को ताकत देने की दिशा में एक सार्थक कदम है।

मानिनीय सभापति महोदय, मैं आज राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोतजी को इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोरोना महामारी, कोरोना प्रबंधन बहुत शानदार किया गया। कोरोना प्रबंधन के रूप में, महामारी ने प्रदेश की ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर दिया है लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से, राजनीतिक दल हों, विधायकगण हों, धर्म गुरु हों, उद्योगपति हों, एन.जी.ओ. हों, चिकित्साकर्मी हों, आदि सहित सभी स्टैक-होल्डर्स से 109 बार निरंतर संवाद किया तथा किसी भी स्तर पर कोई कमी नहीं रह जाए, इसके लिए संबंधित विभागों के साथ 210 से अधिक कोविड समीक्षा बैठकें कीं। इस बेहतरीन प्रबंधन के चलते कोरोना नियंत्रण से संबंधित सभी मानकों में राजस्थान देश में अग्रणी रहा। कोविड-19 महामारी की चुनौती का सामना करने के लिए कुशल प्रबंधन किये गये जिसकी प्रशंसा देश ही नहीं बल्कि दुनिया में की गयी और हमारे आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से प्रबंध किये, राजस्थान में कोरोना के टाइम पर चाहे भीलवाड़ा मॉडल हो, चाहे रामगंज मॉडल हो, इसकी देश में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहना की गयी है और देश के प्रधान मंत्री ने भी सराहना की है। इसके लिए जिस तरह से समीक्षा की गयी, कोरोना के टाइम पर भामाशाह या जो दूर से मजदूर यहां पर आये, महामारी फैल रही थी, उस टाइम भुखमरी भी फैल रही थी, ऐसे टाइम पर भी यहां पर सबका प्रबंध किया गया, बसों के द्वारा उनको लाया गया और उसके बाद में भी नरेगा के माध्यम से सबको रोजगार देने का काम किया। अभी इस बजट में 100 दिन की नरेगा की बजाय 200 दिन की नरेगा की है, मैं इसके बारे में यह कहना चाहता हूं कि अगर यह 200 दिन की नरेगा सम्पूर्ण राजस्थान में हो जाए तो यह बहुत अच्छा सराहनीय कार्य होगा।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं के तहत पहला सुख नीरोगी काया की अवधारणा पर काम करते हुए करौली जिला मुख्यालय पर नर्सिंग

(श्री लाखन सिंह)

महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, ग्राम कोटरी कटकड़ में पी.एच.सी. और ग्राम शेरपुर परीता में सी.एच.सी. में क्रमोन्नत करने की घोषणा की है, इसके लिए मैं सम्पूर्ण क्षेत्र की तरफ से माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

इस बजट में करौली के लिए कुछ रोड्स भी दी हैं, फेली का पुरा से वाया कोटरी-खरैटा, केशपुरा बसेड़ी वाया सिरियापुरा सड़क मार्ग दिये गये हैं। नगर परिषद् में 20 किलोमीटर की सड़क दी गयी है और प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने पांच करोड़ रुपये विधायकों की अनुशंसा से जो सड़कों के लिए दिये हैं, इसके बारे में भी मैं यह कहना चाहूंगा कि दो-ढाई साल निकल गये हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में सड़कें बिलकुल ही नहीं बन पाई हैं इसलिए यह पांच करोड़ रुपये की जगह अगर यह दस या पन्द्रह करोड़ रुपये दिये जाएं तो यह भी एक बहुत ही अच्छा कदम रहेगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी के लिए।

जो बसें थीं, ग्रामीण बस सेवा पहले जो बी.जे.पी. के टाइम पर बंद कर दी गयी थी। जो गरीब मजदूरों को आने-जाने में बड़ी समस्याएं थीं तो इस बजट में ग्रामीण बस सेवा को दुबारा चालू किया गया है, यह भी एक बहुत ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(17.00 बजे)

करौली में आधुनिक रोडवेज बस स्टैण्ड बनाया गया है। करौली जिले में भद्रावती नदी को पुनर्जीवित किये जाने हेतु 30 करोड़ के कार्य कराये जाएंगे, इसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

जल जीवन मिशन के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र करौली में करीब पेयजल योजनाएं 132 हैण्डपम्प, 20 नग सोलर सिंगल फेज नलकूप स्वीकृत किये गये हैं, जिसके तहत लगभग 125 ग्राम ढाणियों को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में अभी जो घोषणा की गयी है, उसके अनुसार प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 40 हैण्डपम्प, 10 ट्यूबवैल लगवाये जाएंगे। कुल 5 हजार हैण्डपम्प लगवाये जाएंगे।

शिक्षा के क्षेत्र में, यह एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है कि शिक्षा के क्षेत्र में 1200 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम के राजकीय विद्यालय खोले जाएंगे। यह एक गरीब, किसान, मजदूर के लिए बहुत अच्छा तोहफा है कि जो पैसे वाला है या जो कर्मचारी है, वह अपने बेटे और बेटियों को बाहर पढ़ा

(श्री लाखन सिंह)

सकता है, लेकिन एक मजदूर, किसान का बेटा अंग्रेजी मीडियम में बाहर शहर में नहीं पढ़ सकता। यह जो काम किया गया है शिक्षा के रूप में अंग्रेजी मीडियम का, इसमें एक गरीब का बच्चा भी पढ़ सकता है। यह बहुत सराहनीय कार्य है। इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को मैं बारम्बार धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, वाहनों की तकनीकी जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु करौली में आटोमैटिक फिटनैस जांच केन्द्र स्थापित किया जाएगा।

माननीय सभापति महोदय, हमारी एक सबसे बड़ी समस्या है, उस समस्या को आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट में भी रखा है, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना। यह पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों की जीवनदायिनी परियोजना है और 34 हजार करोड़ रुपये की लागत की यह परियोजना है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ई.आर.सी.पी. को धरातल पर लाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा केन्द्र सरकार से लगातार राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग की जा रही है, लेकिन यह केन्द्र सरकार और हमारे राजस्थान के जो सांसद हैं, राजस्थान की जनता ने बड़ी उम्मीदों को लेकर चुनकर लोक सभा में भेजा है 25 सांसदों को, लेकिन जब केन्द्र का बजट आया तो राजस्थान के लिए कोई भी उसमें घोषणा नहीं थी। सिर्फ पुरानी संस्थाओं को बेचने के अलावा उसमें कोई घोषणाएं नहीं की गयी हैं। मैं तो आज आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल परियोजना है, इसके लिए राजस्थान के जो सांसद हैं, वह एक बार मुख्य मंत्रीजी से मिले और इसको केन्द्रीय प्रोजेक्ट घोषित किया जाए जिससे यह पूर्वी राजस्थान में पानी के लिए जीवनदायिनी बन सकती है, नहीं तो पूर्वी राजस्थान में जल स्तर नीचे चला गया है और क्षेत्र के लोग गर्मियों में पलायन करने लग जाते हैं तो ऐसी स्थिति में पानी की बहुत आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदय, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए दो साल में 50 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भी एक सराहनीय कार्य है। आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है, लेकिन दो साल में 50 हजार है। अगर यह 50 हजार से और बढ़ाकर बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करें तो बहुत अच्छा कार्यक्रम रहेगा।

(श्री लाखन सिंह)

करौली में मेगा फूड पार्क की स्थापना की जाएगी। यह मेरे क्षेत्र में इस बजट में घोषणा की गयी है।

माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ मांग है, लेकिन इस बजट में पूर्वी राजस्थान, खासकर करौली जिला, जो डांग क्षेत्र में आता है, माननीय सभापति महोदय के माध्यम से अवगत कराना चाहूंगा कि करौली जिले का जो चम्बल का पानी है, यह बहुत पुरानी मांग है कि चम्बल का पानी लिफ्ट करके पांचना बांध में लाया जाये और पांचना बांध का पानी लिफ्ट कर जो तालाब हैं, उन तालाबों में पानी भरा जाये। आगरी का तालाब है, जगर बांध है, और भी छोटे-छोटे तालाब हैं। अगर इस तरह से पानी की व्यवस्था हो जाती है तो वहां पर जल स्तर ऊपर आ जाएगा और पीने के पानी की समस्या खतम हो जाएगी, लेकिन अभी तक भी हमारी यह मांग पूरी नहीं हो पायी। करौली जिले को चम्बल का पानी देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान किया जाये, यह मेरी मांग है।

करौली जिले का इंजीनियरिंग कालेज, जो भरतपुर में संचालित है एवं रोडवेज डिपो, जो हिण्डौन में संचालित है, इन दोनों को करौली से संचालित किया जाये। मेरे करौली जिले में अल्पसंख्यक होस्टल खोले जाएं। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाएं।

करौली हास्पिटल को एक जगह शिफ्ट किया जाये एवं पुराने हास्पिटल को सैटेलाइट हास्पिटल में तब्दील किया जाये जिससे करौली शहर की जनता को नजदीकी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकें। करौली का जो नया हास्पिटल है, वह करीब 10 किलोमीटर दूर बनाया गया है और वहां पर आने-जाने के साधनों की व्यवस्था नहीं है। मेरी यह मांग है कि जो पुराना हास्पिटल है, उसको सैटेलाइट हास्पिटल के रूप में तब्दील किया जाये जिससे शहर को चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, मेरी एक मांग यह भी है कि ग्राम कटकड़ को उप तहसील स्वीकृत किया जाये। करौली शहर में बाई पास का निर्माण किया जाये। करौली जिले में जिला हैडक्वार्टर पर एग्रीकल्चर कालेज खोला जाये। करीब-करीब सभी जिला हैडक्वार्टर पर एग्रीकल्चर कालेज खुल गये हैं पर करौली एक ऐसा जिला है, जहां पर एग्रीकल्चर कालेज नहीं है तो मेरी पुरजोर मांग है कि यहां पर एग्रीकल्चर कालेज खोला जाये।

ऊर्जा के क्षेत्र में भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां बिजली की बड़ी समस्या रहती है। इस समस्या को दूर करने के लिए 132 के.वी. जी.एस.एस.

(श्री लाखन सिंह)

स्वीकृत किये जायें। ग्राम कटकड़ और मासलपुर में दो जगह स्वीकृत कराएं। मासलपुर में वर्तमान में सी.एच.सी. कार्यरत है। इसमें 30 बैड हैं। इनकी संख्या 30 से बढ़ाकर 50 बैड में तब्दील किया जाये।

श्री सभापति: माननीय कनक्लूड करें।

श्री लाखन सिंह (करौली): करौली जिले की मासलपुर तहसील में गदाखार नाले पर जल परियोजना एनीकट निर्माण की स्वीकृति की जाये, क्योंकि यह भी हमारी एक बहुत पुरानी मांग है। वहां पर डांग क्षेत्र है और जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। अगर एनीकट बन जाएगा तो पानी का स्तर ऊपर हो जाएगा। विधान सभा क्षेत्र करौली में माडई मोड़ से वाया सिलपरा पालमपुर तक जाने वाली सड़क की मांग क्षेत्र की जनता द्वारा बरसों से की जा रही है, अत: इस सड़क का निर्माण कार्य करवाया जाये। इससे डांग क्षेत्र में विकास की संभावनाएं बढ़ें।

मासलपुर स्टोन पार्क के बारे में कुछ प्रबन्ध किया जाये जिससे क्षेत्र और जिले को पिछड़ेपन से छुटकारा मिल सके। इसलिए मैं मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा आदि की समस्याओं पर गंभीरता से विचार करते हुए इनको संशोधित बजट में शामिल किया जाये तथा इन क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए करौली जिले को विशेष पैकेज दिया जाये। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री सुरेश टाक।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम राजस्थान के यशस्वी और लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने इस संकट के समय जब पूरा विश्व, पूरा देश और हमारा पूरा राज्य कोरोना संक्रमण से ग्रसित चल रहा है, उसके बावजूद एक ऐसा अकल्पनीय बजट प्रस्तुत करना निश्चित रूप से उनकी भावनाओं को इंगित करता है कि वह पूरे मन के साथ यह चाहते हैं कि हमारा राजस्थान अग्रणी प्रदेश बने और हमारे यहां पर रहने वाले सभी लोग खुशहाल हों। यह बजट अपने आपमें एक ऐसा माइलस्टोन साबित हुआ है जिसकी पूरे देश में प्रशंसा हो रही है। ऐसे काल में बड़ी हिम्मत के साथ यह बजट पेश किया है, यह सराहनीय बात है।

(श्री सुरेश टाक)

सभापति महोदय, यह बजट वास्तव में सरकार के मुख्य उद्देश्य जनकल्याण में प्रतिबद्धता, जनकल्याण ही प्राथमिकता को पूर्ण रूप से प्रतिपादित करता है, पूरा करता है। निश्चित रूप से बजट प्रदेश के सभी वर्गों के लिए हितकारी साबित होगा, जिसमें सभी वर्गों का पूरा ध्यान रखते हुए कल्याण की खूब सारी योजनाओं का इसमें समावेश किया गया है।

सभापति महोदय, इस बजट की विशेषता यह है कि इसमें मजदूर, स्ट्रीट वेण्डर, सर्विस क्लास लोग सभी लोगों का समावेश करते हुए सभी युवाओं के लिए एक विशेष पैकेज बनाया गया है और उनका जीवन स्तर संवारने का पूरा ख्याल रखा गया है।

साथ ही माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में बाल विकास, शिक्षा, चिकित्सा, कौशल, रोजगार, उद्योग, पशुपालन कृषि सभी कर्मचारी आदि के लिए कई घोषणा की हैं जो जन हितकारी साबित होंगी।

माननीय सभापति महोदय, कोरोना महामारी के प्रारम्भ से लेकर अब तक प्रदेश के राजस्व में भारी कमी आई है। जिस तरह से यह प्रदेश आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसके बावजूद भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा एक बेहतरीन बजट, जन कल्याणकारी बजट पेश करना यह दर्शाता है कि आपकी मंशा राजस्थान प्रदेश को खुशहाल प्रदेश बनाने की है। यह बजट वास्तव में एक समावेशी बजट है। इस बजट की सभी को मुक्त कंठ से प्रशंसा करनी चाहिए और माननीय मुख्य मंत्री जी की सोच के साथ जोड़कर इस पूरे सदन को सामूहिक प्रयास करते हुए बजट की क्रियान्विति करवाने में अपना-अपना योगदान प्रदान करना चाहिए क्योंकि जो भी इस सदन में बैठा है, आज जो भी बैठे हैं, जो नहीं बैठे हैं, जो आज चले गए हैं, उनको भी मैं कहना चाह रहा हूं कि जो भी बैठा है वह अपनी जनता से यह वादा करके आया है कि मैं इस सदन में आपकी समस्याओं को उठाऊंगा और उनके समाधान का रास्ता निकालकर लाऊंगा। अगर आज हम सब मिलकर अच्छी बात को अच्छी नहीं कह सकते हैं तो इससे बुरी बात कोई हो नहीं सकती है। हमें अच्छाई को स्वीकार करना पड़ेगा तभी यह राजस्थान प्रदेश आगे बढ़ेगा। एक अकेला व्यक्ति इस प्रदेश को आगे नहीं ले जा सकता लेकिन जिसके पास जज्बा हो, जिसके पास विजन हो, जो काम करने की इच्छा शक्ति रखता हो उसके लिए सभी चीजें बहुत छोटी हो जाती हैं।

मैं सभी को यह कहना चाहता हूं कि इस बजट में कमियां निकालने

(श्री सुरेश टाक)

के बजाय हम सबको एक अच्छे जनप्रतिनिधि होने का प्रमाण देना चाहिए और यह साबित करना चाहिए कि हमें इस लोकतंत्र में प्रतिपक्ष की भूमिका को निभाते हुए भी अच्छी बातों को स्वीकार करते हुए मुक्त कंठ से उसकी प्रशंसा करना सीखना चाहिए, यह जरूरी है। हम सब नये लोग जो पहली बार जीतकर आये हैं उन सबके लिए भी यह सबक होगा कि इस सदन में अच्छी बातों को सभी लोग मन से स्वीकार करते हैं, चाहे पक्ष है, चाहे प्रतिपक्ष है, पर हिम्मत के साथ यह बात कहना कि, हां, आपने यह अच्छा काम किया, अपने आपमें एक बहुत बड़ा काम होगा और हम सबके लिए एक प्रेरणादायी बात होगी कि इस सदन में कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं है, यहां पर केवल और केवल राजस्थान के लोगों के विकास की बात होती है, इसके अलावा यहां कोई बात नहीं होती है।

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को दो लाइन के साथ एक बात कहना चाहूंगा, आप आगे बढ़ते रहिये, आप इसी तरह राजस्थान के लोगों की खुशहाली की बातें सोचते रहिये, खुशहाली की बातें करते रहिये और इस तरह का बजट पेश करते रहिये। दो लाइनें हैं,

'कुछ तो लोग कहेंगे,
लोगों का काम है कहना,
छोड़ो बेकार की बातों को,
आपको तो राजस्थान प्रदेश को आगे है ले जाना।'

मैं इसी बात के साथ अपनी बात को शुरू करता हूं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जिस जनकल्याण के पथ पर आप आगे बढ़ रहे हो उस पर आगे बढ़ते जाइये, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। यह जनता हर चीज को देख रही है, समझ रही है और जिस तरह से आपने कोरोना काल में हमें यह एहसास भी नहीं होने दिया कि इतनी बड़ी महामारी राजस्थान में आई है और हम किस तरह उसका मुकाबला कर रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री ने यहां बैठकर शायद किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ा जिससे उन्होंने बातचीत नहीं की हो। उन्होंने हर वर्ग से सुझाव लिए हैं कि हमें क्या करना है। जिस तरह जो पहला नारा राजस्थान के मुख्य मंत्री ने दिया था 'राजस्थान सतर्क है' उस पर हण्ड्रेड परसेंट खरे उतरे हैं। हमारा भीलवाड़ा मॉडल, हमारा रामगंज मॉडल पूरे देश में जिसकी चर्चा हुई है, पूरे विश्व में जिसकी चर्चा हुई है, यह काबिले तारीफ बात है। हमारा भी सर गर्व से ऊंचा हुआ कि हमें एक

(श्री सुरेश टाक)

ऐसे मुख्य मंत्री के साथ काम करने का मौका मिला जो पूरे प्रदेश को अपना परिवार मानकर काम करता रहा और ऐसी महामारी में एक दिन भी नहीं रुके, एक दिन भी नहीं थके। हमेशा किसी भी वर्ग के साथ संवाद करते रहे, चाहे वह नीचे का प्रतिनिधि हो, चाहे सरपंच हो, चाहे वार्ड पंच हो, चाहे विधायक हो, चाहे पार्षद हो, चाहे चेयरमैन हो, कोई भी हो, चाहे कोई संत हो, कोई महात्मा हो, कोई पीर पैगंबर हो, हर व्यक्ति से सुझाव लिया और राजस्थान को इस महामारी से बचाने का भरसक प्रयास किया और इसी का नतीजा है कि हम आज सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं।

बहुत सारी बातें हैं पर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, बहुत लोगों को बोलना है, मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा पर मैं माननीय मुख्य मंत्री को मेरी तरफ से, मेरे विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक जन की तरफ से हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मेरे निवेदन पर बजट में मेरी जनता को किशनगढ़ के विकास की कई घोषणाएं करके बहुत बड़ी सौगात दी हैं। मैं उनका बार-बार अभिनंदन करता हूं, बहुत स्वागत करता हूं, मेरी जनता की तरफ से भी बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

तीसरी बार यह बजट प्रस्तुत हो रहा है, हर बजट में मैंने उस सड़क को मांगा था, हर बार मैंने यह कहा था कि मेरे शहर की मुख्य सड़क है, मेरे शहर की लाइफ लाइन है पर शायद वह नहीं हो पाया और इस बार इस बजट में, जो कि बहुत तकलीफ वाला बजट था, हमारा प्रदेश संकट से गुजर रहा है, राजस्व की कमी है उसके बावजूद मुझे उस सड़क की सौगात दी, मेरे शहर को सौगात दी, मेरा शहर बार-बार आभारी है और मैं उन सबकी तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे शहर की मुख्य लाइफ लाइन को आपने मुझे इस बजट में घोषणा करके बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। आपने मुझे दो स्टेट हाईवे दिये हैं। इसके लिए भी मेरी जनता 30 वर्षों से प्रतीक्षारत थी, लोग 30 वर्षों से सोच रहे थे कि कभी यह हमारा स्टेट हाईवे बनेगा। आपने इस बजट में दोनों स्टेट हाईवे देकर मेरी जनता पर बहुत बड़ा उपकार किया है और विशेष रूप से मुझ पर, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। किशनगढ़ से मालपुरा की सड़क और अरांई से सरवाड़ की जो सड़क है उसको स्टेट हाईवे 7-ई घोषित करके आपने बहुत बड़ा उपकार किया है।

इसके साथ ही हमारा एक निम्बार्क तीर्थ है सलेमाबाद, वहां पर आपने संस्कृत स्कूल को क्रमोन्नत किया है। शिवाजी नगर स्कूल जो हमारी

(श्री सुरेश टाक)

प्रवेशिका थी उसको क्रमोन्नत किया। बोराडा को आपने तहसील दी, बोराडा में प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय दिया।

पिछले दो वर्षों में किशनगढ़, गांधी नगर पुलिस थाने को क्रमोन्नत करने के लिए मैं लगातार इस सदन में बोल रहा हूं पर इस बार आपने मेरी आवाज को सुना और उस थाने को क्रमोन्नत करके मेरे शहर को एक बहुत बड़ी सौगात दी। बहुत बड़ी आवश्यकता थी, वहां पर बहुत ज्यादा क्राइम थे, एक बड़ा सक्षम स्तर का अधिकारी लगने पर क्राइम पर कंट्रोल होगा। आपकी यह सोच जो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की है, इसका एक बड़ा उदाहरण आपने मेरे शहर को एक थाना क्रमोन्नत करके दिया है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री जी और सरकार की संवेदनशीलता पूर्ण रूप से झलकती है। इस बजट में एक बड़ी बात हुई जो मुझे बहुत छू गई। आपने जीवन रक्षक योजना की घोषणा की है उसमें घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले को पांच हजार रुपये और प्रशस्ति पत्र, यह अपने आपमें इस बात का प्रमाण है कि हमारे मुख्य मंत्री छोटी से छोटी चीज को, बारीक से बारीक चीज को जो जनता की संवेदना को झकझोरती है, वहां पर जाकर आपने जो काम किया है वह बहुत तारीफ के काबिल काम है। यह एक नवाचार है और इतना बड़ा नवाचार है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते और कल्पना नहीं, मैं तो यह कहता हूं कि इतने जीवन बचेंगे जिसका हम और आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। जो गंभीर घायल व्यक्ति हैं उनको अगर समय पर अस्पताल पहुंचा दिया जाए, अगर उनका इलाज चालू हो जाए इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती। एक समय था जब लोग एक्सीडेंट को देखकर आगे निकल जाते थे क्योंकि पुलिस, अगर किसी को लेकर जाते थे तो इतना परेशान होना पड़ता था कि उसको एड्रैस लिखाना, उस पर शक किया जाता था। आज यह जो घोषणा है यह अपने आपमें एक ऐसी घोषणा है जो उन घायलों को जीवन देगी, उन घायल परिवारों की दुआएं आपको मिलेंगी, ईश्वर आपको बहुत-बहुत साधुवाद बहुत-बहुत आशीर्वाद देंगे और इस आशीर्वाद से आप आगे बढ़ते जाएंगे, यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। दूसरी घोषणा घायल व्यक्ति की, चाहे वह किसी भी राज्य का हो, चाहे वह राजस्थान का हो चाहे किसी दूसरे राज्य का हो, बिना किसी पात्रता के उसका प्राइवेट अस्पताल में या सरकारी अस्पताल में नि:शुल्क इलाज कराना, यह भी एक बहुत बड़ी सोच के बाद ही हो सकता है। ऐसा

(श्री सुरेश टाक)

सम्भव नहीं है, यह बड़े जिगर का काम है कि आज पता नहीं राजस्थान में कितने एक्सीडेंट होते हैं, पता नहीं कितने राजस्थान के बाहर के लोगों के एक्सीडेंट होते हैं, वो लोग कितना परेशान होते होंगे, आज जो दुआएं आपको मिलेंगी और भगवान नहीं करे ऐसा हादसा हो, जिस दिन राजस्थान में ऐसा हादसा होगा और उन लोगों को जितना जल्दी इलाज मुहैया होगा और नि:शुल्क इलाज मुहैया होगा, वे दुआएं आपके लिए बहुत काम आएंगी।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने विशेष कोविड पैकेज के तहत कोरोना काल में 33 लाख असहाय, निराश्रित मजदूर परिवारों को जो 3500 रुपये प्रति परिवार के हिसाब से सहायता राशि प्रदान करके जो काम किया है अपने आपमें एक बहुत अनुकरणीय काम है।

इसके साथ ही नरेगा में 100 दिवस की बजाय 200 दिवस की मजदूरी, यह भी जिन लोगों पर कोरोना काल में संकट आया, उसमें उनको कहीं न कहीं बहुत बड़ी राहत दी है। यह एक बहुत बड़ी घोषणा है। यूनिवर्सल हैल्थ पैकेज के अंतर्गत आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर एनएफएसए और एसईसीसी परिवारों के साथ-साथ समस्त संविदाकर्मी, लघु और सीमांत कृषकों को नि:शुल्क बीमा और अन्य परिवारों को 850 रुपये में, यानी 50 प्रतिशत की प्रीमियम राशि पर 5 लाख रुपये का चिकित्सा बीमा उपलब्ध कराना एक ऐतिहासिक कदम है। यह बहुत ही सराहनीय कदम है जिससे लोगों का विश्वास बढ़ेगा। इससे लोग अपने आपको सुरक्षित और संरक्षित महसूस करेंगे।

शिक्षा के क्षेत्र की बात करूं तो प्रदेश के ग्रामीण परिवेश के छात्र-छात्राओं के उज्ज्वल शैक्षणिक भविष्य को देखते हुए प्रदेश के 5 हजार से अधिक आबादी वाले गांवों में आपने राजकीय महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोलने की घोषणा की है। यह आपने बहुत बड़ा काम किया है। आज अंग्रेजी कहीं न कहीं हमारी कमजोरी हो रही है। गांव के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता है। आज किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं तो अंग्रेजी बोलना अनिवार्य-सा हो गया है। यह एक बहुत बड़ी शुरुआत है कि आपने उन गांव, गरीब, किसान के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए यह जो स्कूल खोले हैं, यह अपने आपमें बहुत बड़ा काम करेंगे। इससे इन बच्चों की हौसला अफजाई होगी। इनका जिगर खुलेगा और यह बड़े से बड़े अधिकारी के पास किसी भी

(श्री सुरेश टाक)

काम के लिए जाएंगे तो अपनी बात को अच्छे ढंग से कह पाएंगे। उनको पढ़ने का एक मौका मिलेगा। बहुत अच्छा माहौल मिलेगा।

कृषि प्रधान क्षेत्र के 600 राजकीय विद्यालयों में जहां पर विज्ञान संकाय है, वहां पर कृषि संकाय खोले जाने की घोषणा यह साबित करता है कि हमारा जो राज्य है, वह कृषि प्रधान राज्य है। कृषि में नवाचार करने का यह जो काम आपने किया है, यह हमारे कृषकों को, कृषकों के बच्चों को कहीं न कहीं हिम्मत देने का काम किया है जिससे कि वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। कृषि जैसे क्षेत्र को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करे।

साथ ही उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने तथा हमारे 4 साथी, जो इस सदन में हमारे साथ नहीं रहे, कोरोना काल में हमें छोड़कर चले गए, एक ऐसी मिसाल आपने कायम की है, एक ऐसा नवाचार कायम किया है जिसकी शायद कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। आपने सारे राजनीतिक भेदभाव भुलाते हुए चारों के नाम पर कन्या महाविद्यालय खोले जाने की जो घोषणा की है, वह आपकी सोच को प्रतिपादित करती है कि आप सभी को साथ लेकर चलने वाले मुख्य मंत्री हैं, साथ ही राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेने की क्षमता आपमें है। वह आपने करके दिखाई है। यह एक माइलस्टोन वर्क है। मैं इसकी तहेदिल से तारीफ करता हूं कि यह काम ऐसा है जो बहुत से लोगों को शिक्षा दे जाएगा, बहुत से लोगों को रास्ता दिखा जाएगा कि राजनीति में भी बहुत उच्च स्तर की बात की जा सकती है।

माननीय सभापति महोदय, रोजगार के क्षेत्र में आपने राजस्थान के युवाओं को 2 वर्षों में 50 हजार से अधिक पदों पर भर्ती की घोषणा की है। यह युवाओं में एक विश्वास पैदा करने वाली बात है। कृषि के क्षेत्र में लोगों की आजीविका का पशुपालन हमारे यहां मुख्य साधन है। इस बात का ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कृषकों और पशुपालकों की आय में वृद्धि और उनके समग्र विकास की दृष्टि से प्रदेश में कृषक कल्याण कोष के माध्यम से आगामी 30 वर्ष में अनुदान आधारित मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना लागू की है। उसके साथ आगामी वर्ष में प्रदेश के किसानों को केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से 16 हजार करोड़ के जो ऋण ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित किए जाने का निर्णय लेकर किसानों के हित में बहुत बड़ा फैसला लिया है।

बिजली की दरें नहीं बढ़ाना अपने आपमें एक बहुत बड़ा कदम है। इस

(श्री सुरेश टाक)

पर बहुत सारे लोग बहस कर रहे थे। जब बात बजट की आई थी तब 5 साल कृषि पर किसी भी तरह का विद्युत भार नहीं बढ़ाने की बात थी और वह आज तक है। कृषि में विद्युत पर कोई भी दर नहीं बढ़ी है। वह अब तक जारी है। इस बजट में भी आपने वापस संकल्प लिया है कि प्रदेश के किसानों को आगामी वर्ष में 16 हजार करोड़ से अधिक की सब्सिडी दिए जाने की घोषणा तथा कृषि हेतु पर्याप्त बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करना और पारदर्शिता की दृष्टि से विद्युत वितरण कंपनियां बनाया जाना, यह भी एक बहुत बड़ा काम है। कृषि के लिए नई कृषि विद्युत कंपनियां बनाया जाना उन किसानों को पूरी बिजली देने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा प्रदेश के सामान्य श्रेणी के किसानों को जिसका विद्युत बिल मीटरिंग में आ रहा है, उनको 1 हजार रुपये या प्रति वर्ष 12 हजार की राशि दिए जाने की घोषणा बहुत बड़ी राहत का काम है।

माननीय सभापति महोदय, प्रदेश की गोशालाओं में पशुपालकों को उनके घर पर ही अल्पकालीन पशु चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए 108 की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटेरिनरी सेवा शुरू करना एक नया नवाचार है। जो हमारे पशुधन को सुरक्षित रखने के लिए, हमारी गायों को सुरक्षित रखने के लिए एक बहुत बड़ा काम है। इसकी बहुत बड़ी जरूरत थी। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस 5 मिनट में खतम करता हूं। कोई भी पशु का एक्सीडेंट होने पर बीमार होने पर अस्पताल ले जाने में बहुत बड़ी तकलीफ होती थी। उनको अगर आज एम्बुलेंस की सुविधा मिली है तो यह एक बहुत बड़ा नवाचार है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान प्रदेश की जनता के लिए अलग से एक नवाचार हो जो कि मील का पत्थर साबित होगा। गांवों में गर्मी के दिनों में बिजली के शार्ट सर्किट से या अन्य किसी कारण से आग लग जाती है। बहुत बड़ी जन हानि भी हो जाती है। कई बार पशु धन भी चला जाता है। उसमें जल जाते हैं। बहुत सारा चारा जल जाता है। सारी झौंपड़ियां जल जाती हैं। घर का सामान जल जाता है। घर में रखा हुआ छोटा-मोटा गहना, अपनी बेटियों की शादी करने के लिए सुरक्षित रखा हुआ पैसा, थोड़ा बहुत चांदी-सोने का जेवर, सब जलकर के राख हो जाता है।

(श्री सुरेश टाक)

अभी हाल ही में 3 दिन पहले मेरी विधान सभा के टोंकड़ा गांव में भीषण आगजनी हुई। उस आगजनी के कारण चार परिवार तबाह हो गए। उसमें कम से कम 12 भैसें जल गई, 2 गायें जल गई। चारों परिवारों का 500 ग्राम सोना जल कर खाक हो गया। वह किसी भी काम का नहीं रहा। चाँदी के आभूषण बना रखे थे, वह खतम हो गए। 60 हजार रुपये रखे थे, वह खतम हो गए। कम से कम 10 ट्रॉली चारा था, वह जल गया। पता नहीं कितना नुकसान हुआ? अंदाजा नहीं लगा सकते। इतने जानवर घायल हो गए, जिनका आज भी इलाज जारी है। मैं कल भी उस गांव में जाकर आया हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप एक नवाचार और कर दें कि पूरे राजस्थान में प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालय पर एक दमकल अगर उपलब्ध हो जाए तो यह जितने भी अग्निकांड हो रहे हैं, जितनी भी जन हानियां हो रही हैं, जितने भी पशुधन की हानियां हो रही हैं, यह बच जाएंगी। अभी भी नगरपालिका, नगर परिषद्, नगर निगम क्षेत्र में ही दमकल की गाड़ियां हैं। वह गांवों में नहीं हैं। सदन में जितने भी लोग बैठे हैं, मैं यह मानता हूं कि किसी के भी 60-70 किलोमीटर की दूरी पर नगरपालिका, नगर निगम होगी, वहां से दमकल जब तक पहुंचती है तब तक सब कुछ जलकर खतम हो जाता है। उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है। दमकल बुझी हुई आग को ही बुझाने में काम आती है। इसमें मेरा निवेदन है कि यह एक नवाचार राजस्थान के मुख्य मंत्री करें। जितनी संवेदनशीलता आपने इस बजट में दिखाई है, यह एक और मांग पूरा राजस्थान का किसान कर रहा है। पूरे राजस्थान का ग्रामीण परिवेश कर रहा है। मैं यह मानता हूं कि यह पूरा सदन भी चाहता होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, हमारे पंचायत मुख्यालयों पर एक-एक दमकल की व्यवस्था हो ताकि तुरंत वह पहुंच जाए और उसके पश्चात् पीछे की जो गाड़ियां नगर परिषद् और नगर निगम की हैं, वह पहुंचें ताकि उन किसानों का कम से कम नुकसान हो जो पूरे साल मेहनत करके अपने पशु धन को बचाने के लिए चारा इकट्ठा करता है। वह चारा एक घंटे में स्वाहा हो जाता है। उसका कोई मुआवजा सरकार की तरफ से नहीं मिलता है। उसकी कोई गिरदावरी नहीं होती है। मैं यह चाहूंगा कि उस चारे का मुआवजा भी मिले और दमकल की व्यवस्था भी ऐसी जगहों पर हो ताकि एक बड़ा नवाचार हमारे मुख्य मंत्री जी के द्वारा हो सके। जो रिप्लाई माननीय मुख्य मंत्री महोदय करेंगे, मैं चाहूंगा कि इसी में ही घोषणा

(श्री सुरेश टाक)

हो। पूरा राजस्थान आपकी तरफ देख रहा है। इंतजार कर रहा है कि आप इसकी घोषणा करके पूरे राजस्थान में गांवों के लोगों को दमकल की सुविधा देकर उनके जीवन को बचाने का प्रयास करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, पिछला वर्ष कोरोना महामारी से लड़ने में लगा रहा। लॉकडाउन के कारण सड़कों के मरम्मत के कार्य अपेक्षाकृत हो नहीं पाए। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस साल इसकी भरपाई करते हुए 5 करोड़ रुपये के मिसिंग लिंक की घोषणा की है। यह बहुत अच्छी घोषणा है। मैं चाहूंगा कि इस राशि को थोड़ा और बढ़ाया जाए। 3 साल हो गए हैं और बहुत सारी सड़कें टूटी हुई हैं। लोगों की बहुत बड़ी डिमांड है। छोटी-छोटी सड़कें बननी हैं। इसको अगर 5 की बजाय 10 करोड़ की घोषणा कर दी जाए तो इससे पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा कि हम सब जितने भी विधायक हैं, हमसे जो जनता को उम्मीदें हैं कि इन पूरे 5 सालों में हम टूटी हुई सड़कों को ठीक करा पाएंगे। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आपने नगर निगम, नगर परिषद् और नगरपालिका क्षेत्र में 30, 20 और 10 किलोमीटर की सड़कें दी हैं। यह भी एक नवाचार है। राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी मुख्य मंत्री ने शहरी क्षेत्र में जहां नगरपालिका, नगर परिषद् और नगर निगम होते हुए भी अपनी तरफ से, राजस्थान सरकार के कोष से सड़कें दी हैं। यह बहुत ही सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय ऊर्जा मंत्री जी और माननीय उद्योग मंत्री जी यहां विराज रहे हैं। मैं उनसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि यह एक बड़ी समस्या है, बड़ा विषय है। बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल कोरीडोर खुल रहे हैं। प्राइवेट कालोनाइजर और इन्वेस्टर्स कालोनियां काट रहे हैं। आपने रीको में बहुत सारे उपखंडों में नए-नए एरिये खोले, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जितने भी प्राइवेट कालोनाइजर यदि इंडस्ट्रियल कालोनियां काटते हैं तो वहां पर बिजली कनेक्शन के लिए एक बीघा या डेढ़ बीघा जमीन आरक्षित की जाए जहां पर जीएसएस स्थापित हो सके। बहुत बड़ी तकलीफ है, इतनी पैंडेंसी है कि लोगों को पावर अपग्रेड नहीं हो रहा है। मेरे विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में 80 कनेक्शन आज भी पैंडिंग हैं। हो नहीं पा रहे हैं जीएसएस के अभाव में, लोड नहीं है, लोड शेडिंग हो रही है तो ज्यादा जरूरी है कि जो कालोनाइजर कालोनियां काट रहे हैं उनको आवश्यक रूप से सुनिश्चित

(श्री सुरेश टाक)

कर दिया जाए कि आपको कालोनी काटनी है तो एक डेढ़ बीघा जमीन एवीवीएनएल को या जो भी निगम है उसको समर्पित करनी पड़ेगी, सरकार को समर्पित करनी पड़ेगी जिससे उस कोरिडोर में जो कालोनियां आपने काटीं, उससे बिजली कनेक्शन हो सके। यह बहुत बड़ा काम है और इसको बहुत जरूरी रूप से करना है ताकि पैंडेंसी नहीं आए और यह सारा बर्डन बाद में सरकार पर आता है। प्राइवेट कालोनाइजर इंडस्ट्रियल कालोनी काट कर चला जाता है, प्लाट बेच देता है अपना मुनाफा ले लेता है और बर्डन सरकार पर छोड़कर चला जाता है। यह जरूरी है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं इस बजट पर जितनी बात करूं उतनी कम है, मेरे पास समय नहीं है, बार-बार आप मुझे आदेशित कर रहे हैं और मुझे इस बात की पालना भी करनी है।

इस बजट के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र के छोटे-छोटे कामों को मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा। मेरे वहां पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, विश्व की सबसे बड़ी मार्बल मंडी है, लेकिन अभी तक उप जिला अस्पताल है। मेरे यज्ञनारायण अस्पताल को जिला अस्पताल में क्रमोन्नत किया जाए ताकि वहां पर और सुविधाएं डवलप हो जाएं और बहुत सारे संसाधन होने से बड़ा उपखंड है, 3 लाख के करीब वोटर्स हैं मेरे और 5-6 लाख की आबादी है, वहां पर जिला अस्पताल नहीं होना अपने आपमें दुर्भाग्य की बात है। जब और जगह हो रहे हैं तो किशनगढ़ भी अपेक्षा करता है, मैं अपेक्षा करता हूं कि मेरे किशनगढ़ में जिला अस्पताल की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी अभी पूरक बजट में करें या जब रिप्लाई दें, तब करें।

माननीय सभापति महोदय, पूरे किशनगढ़ में महिला कालेज नहीं है जबकि महिला कालेज वहां खोलने के लिए बहुत ज्यादा संसाधनों की आवश्यकता नहीं है, भवन वहां पर उपलब्ध है। वहां पर सात साल पहले एक छात्रावास बना था, वह छात्रावास सात साल से खाली पड़ा है। उलटा उसकी रिपेयर भी नहीं हो पा रही है। पूरा महिला कालेज वहां पर शिफ्ट हो सकता है। 2000 बालिकाएं मेरे वहां स्कूल में पढ़ती हैं, कालेज में पढ़ती हैं, बहुत सारी बालिकाएं उसमें आ सकती हैं लेकिन अभिभावक भेजना नहीं चाहते जयपुर

(श्री सुरेश टाक)

और अजमेर, अगर वहां पर महिला कालेज खुल गया तो बालिकाओं की शिक्षा में बहुत बड़ा कदम होगा और किशनगढ़ के लिए बहुत बड़ी सौगात भी होगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कनक्लूड करें।

श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): जी, कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे अरांई बड़ा कस्बा है जहां पंचायत मुख्यालय है, अभी तक वहां 30 बैड हैं, इनको 50 बैड करवा दिए जाएं और एक ब्लड बैंक की स्थापना करने की घोषणा इस बजट में हो जाए तो वहां के लोगों को चिकित्सा सुविधा में बहुत बड़ा आराम मिलेगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बांदर-सिंदरी में बने क्योंकि नेशनल हाईवे पर यह गांव बसा हुआ है, वहां बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, उनको जल्दी से चिकित्सा सुविधा मुहैया हो जाए। वहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की घोषणा मैं करवाना चाहूंगा। भगूंतरा तहसील में अरांई के ग्राम बहेड़ा में नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्र और डसूक, खंडाज, छोटा लांबा, सलेमाबाद, डबरेला, झाडोल, आकोड़िया में उप स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने की घोषणा आप करें तो वहां की जनता को इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में मेरे राजकीय शार्दूल बालिका विद्यालय, कृष्णापुरी है, मैं इसको क्रमोन्नत करने के लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा ताकि हमारी बालिकाएं वहीं रहकर पढ़ सकें। राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय, कुचील, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, डिगारिया, डबरेला, राजारेड़ी, बांदर-सिंदरी और मुंडोती को माध्यमिक विद्यालय में तथा राजकीय प्राथमिक विद्यालय, पीली भाटा, किशनगढ़ को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं और इस बजट पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से, जिस सोच के साथ यह बजट प्रस्तुत किया है, मैं इस बजट पर माननीय मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ में कहना चाहूंगा कि इस बजट की क्रियान्विति हो ताकि सब लोगों को जवाब मिले और राजस्थान की जनता जो अपेक्षा करती है, उस अपेक्षा में हम खरे उतरें। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: माननीय श्री हीराराम।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार।

माननीय सभापति महोदय, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी जो गरीबों के हितैषी हैं, वे गरीब को गणेश मानकर काम करते हैं इसीलिए जब वे पहली बार मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने काम के बदले अनाज योजना चालू की और जितने भी गरीबों के घर थे वे सारे अनाज से भर दिए। दूसरी बार जब वे मुख्य मंत्री बने तो उन्होंने फ्री जांच, फ्री इलाज और फ्री दवाइयां शुरू कीं। तीसरी बार जब मुख्य मंत्री बने तो दो बजट इन्होंने प्रस्तुत किए और दोनों बजटों में इनके बजट जनता सुनती है। अभी जब ये बजट सुना तो कोई बीजेपी का आदमी बोल नहीं सका, बाहर जनता में ऐसी हवा है और जनता सब जयकार कर रही है अशोक गहलोतजी का, तो अशोक गहलोतजी का यह बजट जिन्होंने किसानों, गरीबों, युवाओं, किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा और पुण्य का काम भी किया। पुण्य के लिए जिस प्रकार 108 एम्बुलेंस सेवा मनुष्यों के लिए काम करती है तो उसके आधार पर इन्होंने पशुओं और गाय के लिए 102 एम्बुलेंस शुरू की। दिव्यांगों के लिए पेंशन बढ़ाना, यह भी पुण्य का काम है। रोड पर जो एक्सीडेंट होते हैं और वहां पर कोई भी मनुष्य तड़पता हो और अगर कोई हस्पिटल ले जाता है तो पांच हजार रुपये देना और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित करना तो पहले लोग डरते थे और अब कम से कम उसमें उत्साह होगा और यह पुण्य का काम होगा।

माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोतजी हमेशा पुण्य का काम करते हैं और इन्होंने आगे पुण्य का काम किया। अगर किसी को कैंसर है, उसको मुम्बई ले जाना है, गुजरात ले जाना है, अहमदाबाद ले जाना है तो तत्काल उनके लिए टेलीफोन करना, उनको कोई भी व्यवस्था पैसों की करना, किसी की किडनी चेंज करना तो उसके लिए भी वे हमेशा लगे रहते हैं, चाहे वे लीवर हो, किडनी हो, कैंसर हो, हरेक इलाज के लिए, मनुष्य के लिए, चाहे रात को भी कोई उनको कोई टेलीफोन कर दे, इसलिए ऐसा व्यक्ति जो गरीबों के हित में हमेशा पुण्य का काम करता हो, वह हमेशा आगे ही बढ़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं ज्यादा समय नहीं लेता हुआ, मेरे बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहां दो नगरपालिकाएं हैं, पीपाड़ और बिलाड़ा, माननीय मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन दोनों में सीवर लाइन के लिए उन्होंने

(श्री हीराराम)
प्लान बना लिया और हमारे वहां पर दोनों जगह सीवर लाइन डाल दी जाएगी। इसलिए मैं हमारे सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत धन्यवाद करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके अलावा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में पीपाड़ शहर में नवीन महाविद्यालय खोलने की घोषणा की, इसके लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं। पीपाड़ बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, बड़ा शहर है और वहां पर कालेज नहीं था तो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इस बार खोल दिया। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए दांतीवाड़ा-पीपाड़ शहर से मेड़ता तक मेगा हाईवे की घोषणा की। तीन हाईवे मेरे विधान सभा क्षेत्र में सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने दिए हैं। एक तो दांतीवाड़ा-पीपाड़ शहर से मेड़ता तक मेगा हाईवे की घोषणा की, इसके लिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार करता हूं। साथ ही बिलाड़ा-सोजत-सिरियारी-देसूरी-सादड़ी-पिंडवाड़ा तक मेजर रिपेयर की घोषणा की, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं। गोटन, सातिन, पीपाड़ शहर तक स्टेट हाईवे की घोषणा की, इसके लिए भी मैं सम्माननीय माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना से प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियम निर्मित किया जाएगा, इसका भी जरूरी था, हमारी दोनों नगरपालिकाओं में इतनी आवश्यकता थी, जिसके लिए मैं बार-बार माननीय मुख्य मंत्रीजी को कह रहा था, अब ये हमारे सब जगह प्रत्येक ब्लाक में हो जाएगा। इसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी की सराहना करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, साथ ही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने शुद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हमारे द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया गया था, आमजन की सेहत से खिलवाड़ न हो तथा यह अभियान होली दीपावली तक ही सीमित न रहे, इसके लिए अभियान की निरंतरता आवश्यक थी, उसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

साथ ही इस बजट में एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विशेष ध्यान रखा। प्रदेश में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए विशेष राजस्थान

(श्री हीराराम)

पैटर्न लागू करने की घोषणा की। इसके अंतर्गत ही राजस्थान शिड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शिड्यूल्ड ट्राइब्स डवलपमेंट कानून बनाया, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं। साथ ही, विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश लेने तथा सरकारी नौकरियों हेतु प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एससी-एसटी, ओबीसी, एमबीसी व ईडब्ल्यूएस के छात्र-छात्राओं हेतु मुख्य मंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना लागू करने की घोषणा की, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री का प्रदेश के छात्र-छात्राओं और मेरी ओर से बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। साथ ही, इसमें कक्षा 11 एवं 12 में एकेडमिक कोर्सेज हेतु तथा कालेज के अंतिम दो वर्षों में रोजगार हेतु प्रोफेशनल कोचिंग संस्थानों के माध्यम से तैयारी करायी जाएगी। मैं इसकी भी बहुत-बहुत सराहना करता हूं।

साथ ही, एससी-एसटी, ओबीसी, एमबीसी व ईडब्ल्यूएस वर्ग की कालेज छात्राओं के लिए छात्रावास चलाये जा रहे हैं। अब इन वर्गों के कालेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना लागू की, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं यह मांग करना चाहता हूं कि बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र में बिलाड़ा नगरपालिका के आस-पास के गांव जो ट्यूबवैल के द्वारा खारा पानी पीते हैं, बिलाड़ा नगरपालिका के पास में जसवंत सागर बांध बना हुआ है। हाल ही में सरकार ने साढ़े चार करोड़ रुपये की लागत से इस बांध की मरम्मत करायी है। राजीव गांधी नहर के तृतीय चरण का पानी जसवंत सागर बांध में डालकर बिलाड़ा नगरपालिका एवं आस-पास के गांवों को मीठा पानी पिलाया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, आपके द्वारा मैं अवगत कराना चाहूंगा कि बिलाड़ा विधान सभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बोरूंदा बड़ा कस्बा है। यहां की जनता की मांग है कि बोरूंदा को उप-तहसील बनाने का श्रम कराएं। साथ ही बिलाड़ा क्षेत्र के कई आंगनबाड़ी केन्द्रों का भोपालगढ़ परियोजना में परिसीमन कर दिया गया था। नये परिसीमन के अनुसार अब पीपाड़ शहर में नया सीडीपीओ कार्यालय स्वीकृत कराने का श्रम कराएं। वर्तमान में बिलाड़ा परियोजना में 172 एवं भोपालगढ़ परियोजना में 312 आंगनबाड़ी केन्द्र हैं, जिनमें से 168 केन्द्रों को पीपाड़ शहर में समायोजित किया जा सकता है। इस कारण पीपाड़ शहर को नया सीडीपीओ कार्यालय बनाने का श्रम कराएं।

(श्री हीराराम)

माननीय सभापति महोदय, जिला जोधपुर में जो 45 महात्मा गांधी अंग्रेजी स्कूलें दी हैं, उनमें से 14 मेरे विधान सभा क्षेत्र में दीं, उसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। इसके अलावा मेरे बिलाड़ा का जो कालेज है, वह बीए-बीकाम तक ही है। उसे एमए-एमकाम बना दिया जाए तो लड़कियों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है। सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री जगदीश चन्द्र।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र हिन्दुस्तान की, राजस्थान की सरहद के ऊपर है। तीन जंक्शंस हैं- एक तरफ पाकिस्तान है, दूसरी तरफ पंजाब और हरियाणा है। लम्बे समय तक एडीजे कोर्ट की मांग थी, डीटीओ कार्यालय की मांग थी, एक स्टेट हाईवे की मांग थी, दो पीएचसी को सीएचसी करने की मांग थी। मुख्य मंत्री जी ने जन भावनाओं को देखते हुए वह पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद और माननीय यातायात मंत्री जी बैठे हैं, इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि डीटीओ दफ्तर खुलवाने में इन्होंने मदद की।

माननीय सभापति महोदय, यह माननीय मुख्य मंत्री जी का तीसरा बजट है और सारे राजस्थान में ही नहीं, बल्कि पूरे हिन्दुस्तान में इस बात की चर्चा हो रही थी कि राजस्थान में वित्तीय संकट है और वह वित्तीय संकट राजस्थान की जनता ने नहीं क्रिएट किया, बल्कि हिन्दुस्तान की सरकार ने क्रिएट किया। पूरा देश इस बात को जानता है। किस तरह से जीएसटी का फार्मूला ये लोग लेकर आये। आधी रात को पार्लियामेंट में कानून पास हुआ और जब जीएसटी लागू करने की बात थी, जब दिल्ली में यूपीए की सरकार थी तो 18 परसेंट कंसेंसस हुआ था आल पार्टी मीटिंग में, लेकिन इन लोगों ने धोखा करके जब इनकी सरकार आयी, उस 18 परसेंट को 28 परसेंट कर दिया। इनकी सोच थी कि जो फैडरल सिस्टम है इस देश का, उसको डिस्ट्राय करने का It was a part of their strategy और इन्होंने पूरे फैडरल सिस्टम को through financial institutions कंट्रोल करने का प्रयास किया जिसका खामियाजा न सिर्फ दिल्ली की सरकार भुगत रही है, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी

(श्री जगदीश चन्द्र)

भुगत रही है, लेकिन यह सरकार अपने इरादे में कामयाब नहीं हो पायी और अल्टीमेटली राजस्थान के जो ओजस्वी मुख्य मंत्री हैं, विवेकशील मुख्य मंत्री हैं, संकल्पवान मुख्य मंत्री हैं, उन्होंने एक ऐसा बजट पेश करके इन्हें थोड़ा-सा शीशा दिखाया है और आज अगर ये होते तो निश्चित तौर से इस बात को महसूस करते कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने वास्तव में बहुत शानदार बजट पेश किया है।

माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान किसानों का देश है। इसकी 52 परसेंट आबादी खेती पर निर्भर है। महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से हिन्दुस्तान आये थे तो पहली बार में चम्पारण गये। उन्होंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि अगर गांव का विकास होगा तो किसान के माध्यम से ही होगा। अगर गांव कमजोर होगा तो हिन्दुस्तान पहले कमजोर होगा। उसी को चरितार्थ करते हुए राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने पहली दफा अलग से कृषि बजट पेश करने का जो इरादा सदन में जाहिर किया, वह एक ऐतिहासिक घोषणा है और आने वाली जनरेशन और हिन्दुस्तान का किसान इस बात को महसूस करेगा कि एक ओजस्वी मुख्य मंत्री ने यह फैसला लिया है।

एक तरफ तो अलग से बजट की घोषणा हो रही है और दूसरी तरफ दिल्ली की सरकार ने जो रेलवे का अलग बजट होता था, उसे भी बंद कर दिया है। आज रेलवे की क्या स्थिति है, सारा देश जानता है। जो रेलवे 1958 में प्राइवेट था और तत्कालीन प्रधान मंत्री ने जिस रेलवे का नेशनलाइजेशन करके इस देश के लोगों को रोजगार दिया, आज रेलवे में 15 लाख लोग काम करते हैं। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को रेलवे सौंपना इस सरकार की रणनीति का एक पार्ट था। रेल बजट को खतम करके इन्होंने आम बजट में समावेशित कर लिया, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री ने एक अलग से उदाहरण पेश किया है और किसान की पीड़ा को समझा है और इस दर्द को महसूस किया है कि दिल्ली की सरहद पर किसान अपनी मांगों को लेकर बैठा हुआ है। राजस्थान की सरकार ने एक स्पेशल सैशन बुलाकर तीन महत्वपूर्ण बिलों को पास करके साथ ही साथ पूरा बजट कृषि को समर्पित किया है, यह राजस्थान के मुख्य मंत्री ने एक मिसाल कायम की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हिन्दुस्तान में औसतन किसान परिवार की आय 20 हजार रुपये के आस-पास

(श्री जगदीश चन्द्र)

है जो कि 1700 रुपये महीने के हिसाब से बनती है, लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने किसान की हैसियत 6 हजार रुपये साल की मानी है। इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती इस सरकार के लिए। अगर दिल्ली की सरकार थोड़ी-बहुत भी संवेदनशील है तो इस बात को समझे कि किसान की हैसियत को एक मजदूर से भी कम आंका गया है। किसान देश का अन्नदाता है और सबका पेट भरता है। किस तरह से किसान को बेइज्जत किया है, मैं दिल्ली की सरकार को संदेश देना चाहता हूं कि या तो वह अपना इरादा बदल दे, नहीं तो आने वाला समय न तो आपको और न ही आपकी आने वाली पीढ़ी को माफ करेगा, इस पर विचार करें। यह मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, पंजाब का 98 परसेंट किसान आज कर्ज के नीचे है। यह जानकारी मेरी नहीं, भारत की संसद की है। 12.60 लाख करोड़ रुपये टोटल कर्जा है किसान के ऊपर। 10.30 लाख करोड़ बैंक के टोटल डिफाल्टर हैं, जिसमें से 3.60 लाख करोड़ अकेला कारपोरेट घरानों का कर्जा है, जो डिफाल्टर हो चुके हैं, जिन्हें एनपीए डिक्लेयर कर दिया गया है। एक तरफ तो किसानों के कर्जे की बात है, दूसरी तरफ उन कारपोरेट हाउसेज के कर्जे की आज तुलना करके देख लीजिए कि सरकार की किसान के प्रति क्या नीति होगी।

माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने किसानों का 8 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्जा माफ किया जो हमारे घोषणा पत्र में भी था, हमारा कमिटमेंट भी था किसानों के साथ जिसे हमने पूरा किया। पिछली सरकार का जो पैंडिंग 6 हजार करोड़ रुपया था, वह भी हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? यदि आज ये बैठे होते तो मैं इनसे इस बात की चर्चा करता, इनसे यह सवाल पूछता कि आप बार-बार किसान की कर्जा माफी की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार ने कर्जा माफ नहीं किया, पिछली सरकार का 6 हजार करोड़ तो हमने माफ किया, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, कुल 14 हजार करोड़ रुपये का जो कृषि का ऋण था, वह हमने माफ किया है।

माननीय सभापति महोदय, 2012-13 में हमने ब्याज मुक्त फसली ऋण की योजना को लागू किया, कृषक कल्याण कोष की हमने घोषणा की,

(श्री जगदीश चन्द्र)

मुख्य मंत्री कृषक साथी योजना हमने लागू की, मिनी फूड पार्क और किसान के लिए अलग से बिजली कम्पनी की भी घोषणा राजस्थान सरकार ने की। मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाह रहा हूं कि सही मायने में अगर किसान की पीड़ा कोई समझता है तो वह राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत समझते हैं। जिन्होंने सदन के पटल पर प्रस्तुत बजट में सारी बातों का समावेश किया है।

माननीय सभापति महोदय, सारा सदन, हमारे सारे पूर्व वक्ताओं ने भी चर्चा की है कि हमारे पशुधन को बचाने के लिए 108 की तर्ज पर 102 मोबाइल वेटरिनरी वैन सेवा की जो व्यवस्था की है, वह बहुत सराहनीय है और उसकी मैं प्रशंसा करता हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ-साथ, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह बजट किसान के साथ-साथ समाज के तमाम वर्गों के लिए बजट है। इसमें उद्योगपति का भी ध्यान रखा गया है, इसमें मजदूर का भी ख्याल रखा गया है, व्यापारियों का भी हमने ख्याल रखा है, नौजवान का भी ख्याल रखा है। इसी राजस्थान की सरकार ने जो नीरोगी राजस्थान का मुख्य मंत्री जी का सपना था, वह पिछले सत्र में हमने पेश किया था। 7 मार्च, 2020 को हमारे यहां राजस्थान में कोरोना के दो पेशेंट थे और दोनों इटालियन नागरिक थे जिनका इलाज पूना में हुआ था। मुख्य मंत्री जी ने सदन में घोषणा की थी और स्वास्थ्य मंत्री जी ने सदन में चर्चा की थी कि हम राजस्थान को नीरोगी बनाएंगे और 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था भी हमने की थी। उस 1500 करोड़ की व्यवस्था के माध्यम से आज राजस्थान में जो चिकित्सा व स्वास्थ्य का ढांचा है उस ढांचे को ठीक करने का हमने प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, यह कितने बड़े सपने की बात है कि जिस तरीके से केन्द्र सरकार ने राइट टू एजुकेशन दिया, नरेगा का अधिकार दिया, रोजगार गारंटी का अधिकार दिया, उसी तर्ज के ऊपर राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने राइट टू हैल्थ का बिल लाने की जो बात की है, निश्चित तौर पर वह एक मील का पत्थर साबित होगा राजस्थान के लोगों के लिए, ऐसे मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई देना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, 3 हजार 500 करोड़ रुपये का यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज लागू होंगे। महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना में

(श्री जगदीश चन्द्र)

850 रुपये में 5 लाख रुपये तक का इलाज व्यक्ति करवा पायेगा और इसके लिए बीमा कवरेज हम लोग दे रहे हैं, यह कितनी बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए जिसकी आर्थिक स्थिति सारा देश जानता है कि किस तरीके की हमारी आर्थिक स्थिति है लेकिन मुख्य मंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए जो फैसला किया है यह महत्वपूर्ण फैसला है।

माननीय सभापति महोदय, मॉडल सीएचसी की जो कल्पना की गई है, मॉडल सीएचसी का मायना यह है कि सीएचसी लेवल पर आपके डिजिटल एक्स-रे मशीन होगी, आपकी सारी 56 प्रकार की जांच होगी, सारे इलाज होंगे और यह बहुत बड़ा सपना है। राजस्थान के अन्दर जो हमारे 400 ब्लाक हैं, उन 400 ब्लाक में मॉडल सीएचसी बनती है तो राजस्थान में हम बहुत बड़ा स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलप करने में मदद कर पाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि पिछली सरकार में जब 2013 से 2018 के बीच में मुख्य मंत्री थे तो शुद्ध के लिए युद्ध की जो स्कीम चालू की थी उसमें खाने पीने की चीजों में मिलावटी सामान मिलता था, उस पर कंट्रोल करने का प्रयास किया था। समय-समय पर जब त्यौहार का सीजन आता है, होली का, दीपावली का, ईद का समय आता है उस दौरान सरकार कोई न कोई योजना चालू करती है, लेकिन मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम अलग से डायरेक्ट्रेट बना रहे हैं ताकि पूरे साल इस पर चौकसी रखी जा सके, पूरे साल हम इस पर काम कर सकें। यह मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है और वास्तव में यह घोषणा बहुत ही महत्वपूर्ण है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण फैसले इस बजट के अन्दर किये गये हैं। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा और यह नहीं कहूंगा कि कितना पैसा हम लोग खर्च कर रहे हैं लेकिन आजादी के बाद में और 1952 के बाद में यह राजस्थान सरकार का पहला बजट है जिसमें शिक्षा के बजट में हम लोगों ने इजाफा किया है और शिक्षा को सरकार का महत्वपूर्ण अंग माना है, प्रदेश का महत्वपूर्ण अंग माना है हमने शिक्षा को। राजस्थान सरकार द्वारा पिछली बार जो जिला लेवल पर अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोलने की जब घोषणा की थी तो हमने एक्सपेरिमेंटल तौर पर, पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर एक-एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला। हमारे सामने वाले साथी बैठे थे और ये मजाक करते थे कि राजस्थान में किस तरीके से

(श्री जगदीश चन्द्र)

यह कामयाब हो सकता है जहां हिन्दी में पढ़ाया जाता है लेकिन राजस्थान का जो स्टूडेंट है, जो बहुत लेबोरियस हैं हमारे विद्यार्थी, वे आज हिन्दुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में नाम कमा रहे हैं। इस जरूरत को महसूस किया गया और आज जिस तरीके से टेक्नोलोजी आ रही है, जिस तरीके से ई-गवर्नेंस की बात की जा रही है उसमें अंग्रेजी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है और राजस्थान सरकार ने पिछली दफा ब्लाक हैडक्वार्टर पर एक-एक अंग्रेजी माध्यम का स्कूल खोला गया। वे इतने शानदार, इतने सक्सेसफुल स्कूल खुले हैं कि आज वहां एडमिशन के लिए लाइन लग रही है। उसी तर्ज पर राजस्थान के मुख्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि मुख्य मंत्री जी, आने वाली पीढ़ी, आने वाला राजस्थान एक पढ़ा-लिखा राजस्थान होगा जिसका हिन्दुस्तान में, दुनिया में नाम होगा, उसके लिए आपने 5 हजार की आबादी के ऊपर अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने का फैसला किया है। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाह रहा हूं कि राजस्थान में 11 हजार ग्राम पंचायतें हैं और सरकार फैसला करे कि 2023 से पहले-पहले इन 11 हजार ग्राम पंचायतों में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुले ताकि इस राजस्थान के शिक्षा के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन हम कर सकें और देश में एक एग्जाम्पल सैट कर सकें कि राजस्थान की सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कितनी गम्भीर है।

माननीय सभापति महोदय, नये 600 कृषि संकाय खोलने की भी बात की गई है। एक तरफ तो अलग से कृषि का बजट आ रहा है और दूसरी तरफ उसके साथ-साथ कृषि के जो हमारे विद्यार्थी हैं, कृषि वैज्ञानिक को जनरेट करने के लिए 600 कृषि संकाय खोलने का फैसला किया है, वह बहुत महत्वपूर्ण फैसला है और इसके लिए मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूं।

हायर एजुकेशन में नये महाविद्यालय खोलने की बात की गई है। यह कितनी बड़ी बात है कि एक तरफ तो दिल्ली की सरकार के जो शिक्षा मंत्री थे, मुझे इस हाउस में कहने में कोई दिक्कत नहीं है कि पहली दफा हिन्दुस्तान का शिक्षा मंत्री ऐसा है जिसको आक्सफोर्ड का पता नहीं है, स्टेनफोर्ड का पता नहीं है, जिसको कैम्ब्रिज का मालूम नहीं है और वह हायर एजुकेशन का मिनिस्टर दिल्ली सरकार के अन्दर है और वे हायर एजुकेशन की पालिसियां बना रहे हैं। किस तरह की नई हायर एजुकेशन पालिसी है यह आपने पढ़ी है

(श्री जगदीश चन्द्र)

या नहीं? माननीय सुभाष गर्ग साहब बैठे हुए हैं मैं इनसे कहूंगा कि उस पालिसी को ठीक से पढ़ें, वह इस देश को बर्बाद करने वाली पालिसी है और सरकार को हायर एजुकेशन में बदलाव करने की आवश्यकता है। जब शिक्षा पर चर्चा होगी, डिमांड पर चर्चा होगी तो निश्चित तौर पर मैं अपना विचार रखने की कोशिश करूंगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार ने नये महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है। इसके साथ-साथ गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए हमारे जो साथी, विधान सभा के सदस्य रहे हैं उनके नाम पर महाविद्यालय खोलने की घोषणा की है, यह एक बहुत बड़ा सामाजिक संदेश है। यह विपक्ष के नेताओं के लिए भी संदेश है कि हमने कोई भेदभाव नहीं किया है, चाहे हमारी पार्टी से कोई व्यक्ति है या नहीं है, लेकिन सबको सम्मान देने के लिए, हमारे साथी को सम्मान देने के लिए, गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए चार गर्ल्स कालेज खोलने की बात की है, यह माननीय मुख्य मंत्री जी का बहुत अच्छा कदम है। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि आईटी के क्षेत्र में राजस्थान....

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटा बढ़ाकर 7.00 बजे तक कर दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटा बढ़ाया गया।

आय व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2021-22 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आईटी के क्षेत्र में एडवांस टेक्नोलोजी के लिए R-CAT स्थापित करने की घोषणा मुख्य

(श्री जगदीश चन्द्र)

मंत्री जी ने की है। यह प्रदेश के लिए बहुत जरूरी था। जिस तरीके से हमारे बच्चे आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं उसमें यह महत्वपूर्ण फैसला समय को देखते हुए मुख्य मंत्री जी ने लिया है इसके लिए मुख्य मंत्री बधाई के पात्र हैं।

इसके साथ-साथ, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, गांव और देहात का बच्चा जब एग्जाम देने के लिए जाता है तो उसके पास पैसे की दिक्कत होती है और मुख्य मंत्री ने एग्जाम देने के लिए फ्री में रोडवेज की सुविधा दी है और किराया माफ किया गया है, इसके लिए भी मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि स्पोर्ट्स को भी ध्यान में रखा गया है और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में मुख्य मंत्री जी ने तीन दिन पहले ही घोषणा की है और स्पोर्ट्स के बच्चों को भर्ती किया है जिन्होंने मैडल हासिल किये हैं या राजस्थान का नाम किया है। जो बच्चे आगे बढ़े हैं उनके लिए सीधे तौर पर नौकरियों में भर्ती की गई है और ग्रेड फर्स्ट, सैकण्ड और थर्ड में। यह भी तय किया गया है कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ब्लाक लेवल पर मेजर ध्यानचन्द जो हाकी के बहुत बड़े खिलाड़ी इस देश के थे, उनके नाम से स्टेडियम बनाने की भी घोषणा की है, यह अपने आपमें बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है।

माननीय सभापति महोदय, डिजिटल यूनिवर्सिटी का सपना लम्बे समय तक सरकार देख रही थी और मुख्य मंत्री जी ने डिजिटल यूनिवर्सिटी पर जो अपनी घोषणा की है, यह ऐतिहासिक फैसला है और राजस्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं मुख्य मंत्री जी को आपके माध्यम से धन्यवाद देना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई के मामले में, राजस्थान की जनता खेती पर डिपेंड है और खासकर राजस्थान के ज्यादातर जिलों का मुख्य धन्धा है वह खेती पर है और उनकी जीवनचर्या, उनकी आर्थिक स्थिति खेती पर आधारित है। अगर पानी होगा तो खेती हो पाएगी। पिछली जो सरकार थी 2013 से 2018 के बीच में, उसके काफी साथी इस सदन में बैठे हैं, उस समय आये दिन पानी के लिए धरना-प्रदर्शन गंगानगर के अन्दर होता था और गंगासिंह चौक पर लगातार किसान आंदोलन कर रहे थे कभी भाखड़ा के पानी के लिए, कभी गंग कैनाल के पानी के लिए। मुख्य मंत्री जी ने सबका ध्यान रखते हुए और चुनाव में हमने वादा भी किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने

(श्री जगदीश चन्द्र)

के बाद में हम गंग कैनाल के पानी का स्तर, भाखड़ा के पानी का स्तर और इंदिरा गांधी कैनाल के पानी का स्तर है उसमें पंजाब से हमारा शेयर बनता है वह निश्चित तौर पर लेकर आएंगे और उसकी री-लाइनिंग के लिए 3200 करोड़ का प्रावधान पिछले बजट में किया गया था। यह ऐतिहासिक फैसला राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने लिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं कि इस साल बजट के अन्दर 378 करोड़ रुपये की लागत से 49 किलोमीटर लम्बाई में इंदिरा गांधी फीडर व मुख्य नहर वितरिकाओं एवं माइनर को दुबारा से रिपेयर करने के लिए पैसे की घोषणा की है और मुख्य मंत्री जी का इस बात के धन्यवाद है।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान फीडर, सरहिन्द फीडर की री-लाइनिंग के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया गया है। 3200 करोड़ का पिछली बार प्रावधान किया गया था, 250 करोड़ का अबकी बार प्रावधान किया है और मुख्य मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। राजस्थान की जनता हमेशा-हमेशा के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत की ऋणी रहेगी जिसने किसान की पीड़ा को समझा और किसान की रोजी-रोटी की व्यवस्था करने में महत्वूपर्ण योगदान दिया है सिंचाई के पानी को लाने के लिए, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के सैकण्ड फेज के लिए 2016 में 1658 करोड़ 81 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की थी.....

(18.00 बजे)

लेकिन केन्द्र सरकार ने 2016 में पैसा नहीं दिया और जो हमारा काम था रीलाइनिंग का, उसे पैंडिंग करना पड़ा, उसको छोड़ना पड़ा। इस बार वापस मुख्य मंत्री जी ने दुबारा से उसको रिव्यू किया है और दुबारा से हमने उसका काम स्टार्ट किया है।

(18.01 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

तीन लिफ्ट योजनाएं हमारी हैं- चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल और करणी सिंह योजना, तीनों लिफ्ट योजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, ताकि तीन जो लिफ्ट परियाजनाएं हैं, हम उनको कामयाब कर सकें, राजगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर इन जिलों में पानी दे सकें। माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहता हूं। खाजूवाला,

(श्री जगदीश चन्द्र)
बीकानेर में 135 करोड़ का दुबारा से नहर को रिपेयर करने का काम किया जाना है, उसके लिए प्रावधान किया गया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सिंचाई की जो योजनाएं हैं, जो ईस्टर्न कैनाल की, हमारे पूर्व वक्ताओं ने चर्चा की थी जिसमें 35 हजार करोड़ रुपया लगेगा, केन्द्र सरकार से बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी केन्द्र सरकार को इस बात की चिंता है, अगर ईस्टर्न कैनाल परियोजना पूरी हो गई तो इसका क्रेडिट राजस्थान के मुख्य मंत्री को जाएगा, दिल्ली का पैसा बेकार चला जाएगा, इस मानसिकता के आधार पर वे इसको नेशनल परियोजना नहीं डिक्लेयर कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान में अभूतपूर्व काम हुए हैं, 660 मेगावाट की छबड़ा में और 660 मेगावाट की क्रिटिकल सुपर थर्मल प्लांट की आठवीं इकाई सूरतगढ़ में हमने शुरू की है। राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमने बिजली के दो यूनिट 660-660 के चालू कर दिये हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, बार-बार ये लोग कह रहे हैं कि बिजली के दाम कांग्रेस सरकार ने बढ़ा दिये हैं, याद करो 2013 से 2018 के बीच में राजस्थान में कितनी यूनिट बिजली पैदा हुई, जरा इस बात की भी चर्चा करनी चाहिए, अपने साथियों से भी निवेदन करना चाह रहा हूं। वे देखें, हमने कितनी बिजली पैदा की है। जब-जब कांग्रेस की सरकार रही है, बिजली की क्षेत्र में हमने अभूतपूर्व विकास किया है और राजस्थान को आत्मनिर्भर बनाने का हमने प्रयास किया है बिजली के क्षेत्र में।

माननीय सभापति महोदय, पवन ऊर्जा, सोलर ऊर्जा, ग्रीन कोरिडोर की स्थापना किये जाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं, इसके साथ-साथ प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की बात करते हैं अक्सर लोग, बार-बार विपक्ष के लोग कहते हैं कि राजस्थान में कानून व्यवस्था ठीक नहीं है। जबसे हमारी सरकार बनी, दो सालों में पहली बार मुख्य मंत्री जी ने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस के अधिकारी हैं, एसपी लेवल पर इंश्योर किया गया कि प्रत्येक एफआईआर को दर्ज किया जाए, लेकिन जनरल परसेप्शन यह था कि ज्यादा एफआईआर दर्ज होने पर क्राइम बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक फरियादी की बात सुनी जाएगी और एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके साथ-साथ राजस्थान के सभी पुलिस स्टेशनों के अंदर हमने

(श्री जगदीश चन्द्र)
स्वागत द्वार भी बनाये हैं ताकि फरियादी बैठकर अपनी बात कर सके, काउंसलिंग भी स्वागत कक्ष में बैठकर कर सके, यह काम भी हमारी सरकार ने किया है।

मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं राजस्थान सरकार ने पुलिस के जो हमारे साथी हैं, मकान की बड़ी दिक्कत होती थी उनको, राजस्थान पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन का जो हमने गठन किया था, उसको नया रूप देने के लिए राजस्थान सरकार ने उसका दुबारा से गठन किया है और उसकी ताकत को ज्यादा बढ़ाया है ताकि हमारे जितने भी पुलिस के कर्मचारी हैं, जो जगह-जगह पोस्टेड होते हैं, उनको रहने में दिक्कत नहीं हो, ताकि आराम से अपनी ड्यूटी कर सकें अपने बच्चों के साथ, यह व्यवस्था भी राजस्थान सरकार ने की है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं, जेलों का जो बुनियादी ढांचा था, वह सब आपके सामने हैं, किस तरीके से राजस्थान की जेलों की स्थिति थी। हमारे मुख्य मंत्री जी के बनने के बाद जेलों के बारे में दुबारा से विचार किया गया, दुबारा बैरक्स को ठीक करने की कोशिश की गई है। उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, हमने चालीस खुले बंदीगृह बनाये हैं कैदियों के लिए, 240 आवासों का निर्माण भी हमने किया है, 26 कारबारों का निर्माण किया और प्रत्येक जेल के अंदर एम्बुलेंस की व्यवस्था भी राजस्थान की सरकार करने जा रही है, इसके लिए मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाह रहा हूं।

राजस्थान सरकार की भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टोलरेंस की नीति है। यही राजस्थान सरकार है, जिसने एसीडी के माध्यम से, आप रोजाना दो महीने से अखबारों में पढ़ रहे हैं, कितने भ्रष्ट अफसरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कितने लोगों को जेल में डाला गया है लेकिन इसके साथ-साथ, आज विपक्ष के साथी नहीं हैं, मैं चर्चा कर रहा हूं, कल भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मुख्य मंत्री शांताकुमार जी ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उस आत्मकथा में देश के उपराष्ट्रपति पर 200 करोड़ रुपये का इल्जाम लगाया, 200 करोड़ रुपये का। उन्होंने कहा मुझे मंत्री पद से इसलिए हटा दिया गया कि जब मैं आरडी मिनिस्टर था, दिल्ली के अंदर 200 करोड़ रुपये का भ्रष्टाचार था, इसलिए मुझे इस्तीफा देना पड़ा और दिल्ली के एक बहुत बड़े मंत्री ने मुझे कहा कि आप चुप हो जाइये, इसलिए मैं चुप हो गया। आज मुझे इस बात का पछतावा है कि मैंने भ्रष्टाचार का साथ दिया और आज मेरी स्थिति यह हो गई है और

(श्री जगदीश चन्द्र)

मुझे किसी दूसरे प्रकोष्ठ में डाल दिया गया। यह बीजेपी के पूर्व मुख्य मंत्री का स्टेटमेंट, जिस शांताकुमार कमेटी, जिसको एफसीआई भंग करने के लिए बनाया गया था, उस मुख्य मंत्री का स्टेटमेंट है। कल के अख़बार के अंदर, उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है लेकिन राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुखिया ने भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए हर चीज की व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि जीरो टोलरेंस रखेंगे राजस्थान के अंदर, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हम नहीं होने देंगे, माननीय मुख्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं।

हमने शासन की दृष्टि से, पहली बार राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने हमारी जो लोक-कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, उनकी आडिटिंग करने के लिए और अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने के लिए एक परफोर्मेंस आडिट अथोरिटी का गठन करने की घोषणा की है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, पहली जो हम लोगों की सरकार थी। प्रशासन गांवों के संग, प्रशासन शहरों के संग, जिसके तहत जिन लोगों के पास पट्टे नहीं थे, हमने करीब-करीब 5 लाख पट्टे दिये थे। वापस 2 अक्टूबर को दुबारा से ये दोनों अभियान शुरू कर रहे हैं, जिन लोगों के पास पट्टे नहीं हैं, जो कब्जाधारी बैठे हैं काफी समय से, जिनको दिक्कत होती है, राजस्थान सरकार की मंशा है, मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है कि हम प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग अभियान शुरू करके उन लोगों को पट्टा देंगे और उनकी परमानेंट स्थायी आवास की व्यवस्था करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए पिछले दो-तीन महीने लॉकडाउन था, वकीलों की वकालत भी नहीं चल रही थी, नये वकीलों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी, राजस्थान सरकार ने 10 करोड़ की व्यवस्था की है, बार काउंसिल आफ राजस्थान के लिए, 10 करोड़ की व्यवस्था करना, मैं सारे वकील साथियों की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी का धन्यवाद करना चाह रहा हूं कि पहली दफा वकीलों के बारे में भी चर्चा की गई, क्योंकि जो नये वकील होते हैं, उन्हें वकालत में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, उनको ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री जी ने ये 10 करोड़ की व्यवस्था की है, मुख्य मंत्री जी इसके लिए बधाई के पात्र हैं।

माननीय सभापति महोदय, शहरी क्षेत्र के अंदर 5 लाख जो स्ट्रीट वेंडर थे, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना के माध्यम से 50 हजार रुपये तक का

(श्री जगदीश चन्द्र)

ब्याज मुक्त ऋण देना स्वीकार किया गया है और दूसरी तरफ केन्द्र सरकार जो 10 हजार रुपये का ऋण देती है स्ट्रीट वेंडर को और उससे भी ब्याज लेती है। ये फर्क है केन्द्र सरकार और राजस्थान की सरकार में। एक तो संवेदनशील सरकार, एक गरीबों की सरकार और एक पूंजीपतियों की सरकार, दोनों में ये फर्क है। कहां तो राजस्थान की सरकार ब्याज मुक्त ऋण दे रही है 50 हजार रुपये का।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): वहीं केन्द्र सरकार 10 हजार रुपये का दे रही है, उस पर भी ब्याज ले रही है। यह फर्क है राजस्थान की सरकार में। नरेगा के माध्यम से जहां 100 दिन का हम लोग काम देते थे।

श्री सभापति: दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): एक मिनट, हमारे घोषणा पत्र में भी, अक्सर हम चर्चा करते थे कि कांग्रेस की सरकार बनाओ, लोगों ने कांग्रेस पर विश्वास किया, अशोक गहलोत मुख्य मंत्री पर विश्वास किया, आज वह सपना साकार हो गया कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने 200 दिन काम करने की नरेगा में जो घोषणा की, मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाह रहा हूं सभापति महोदय, राजस्थान के नौजवानों के लिए 50 हजार युवा वालंटियर्स का चयन करने की भी मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। यह ऐतिहासिक फैसला है, राजीव गांधी युवा कोर ग्रुप बनाया गया है, 2500 युवाओं की भर्ती हम लोग करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट लूंगा साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से पिछली सरकार बार-बार टैक्स की बात कर रही है कि आपके पास रेवेन्यू नहीं है, कहां से काम होंगे, कहां से अपनी घोषणाएं पूरी करोगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब पिछली सरकार थी, वसुन्धरा जी की राजस्थान में, किसानों की 2500 डिग्गी की स्वीकृति थी, बिना स्वीकृति के फाइनेंसियली और 5700 डिग्गी जाते-जाते बना दी गईं, जिनका पेमेंट आज हमने किया है, 60:40 के रेशो से केन्द्र सरकार का पैसा बकाया है, अभी तक केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया। वह लायबिलिटी राजस्थान सरकार के ऊपर पड़ गई, उसका भुगतान भी हम लोग कर रहे हैं।

(श्री जगदीश चन्द्र)

हमारी जो पर्यटन की नीति है, राजस्थान में जो टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट बहुत बड़ा सोर्स आफ इनकम है राजस्थान की सरकार का।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): हमने 500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है ताकि हमारे पर्यटन का ढांचा दुबारा से ठीक हो, दुबारा से टूरिस्ट लोग यहां आएं।

माननीय सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा फैसला मुख्य मंत्री जी ने किया है 50 लाख रुपये तक का फ्लैट, एक नोर्मल, एक मिडल क्लास का व्यक्ति लेता है, जिस पर ड्यूटी 6 परसेंट है, जिसे 4 परसेंट की गई है, इसलिए मुख्य मंत्री जी का मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूं। इसके साथ-साथ अफोर्डेबल हाउस की ईडब्ल्यूएस की स्कीम है 1 परसेंट को 0.50 परसेंट, 2 को 1 परसेंट किया गया है और 10 परसेंट डीएलसी दर की घोषणा भी माननीय मुख्य मंत्री जी ने की है।

माननीय सभापति महोदय, आखिरी बात करके अपनी बात खतम करूंगा। जिंसों के ऊपर आढ़त सवा दो रुपये थी उसको घटाकर 1.75 रुपये कर दिया गया है। सरकार की तरफ से सरकार कोई आढ़त नहीं दे रही है किसी व्यापारी को। यह आढ़त लोकल मैनेजमेंट है किसान का। मैं सरकार से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से, कृपया इस पर पुन: विचार करें। गंगानगर, हनुमानगढ़ के जो व्यापारी हैं उनकी रोजी-रोटी का यह एकमात्र सोर्स है। वह सारे के सारे उजड़ जाएंगे। एक तरफ तो केंद्र सरकार मंडी खतम कर रही है। वह मंडी खतम करने की कोशिश कर रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करके और इसका कोई न कोई समाधान निकालें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती रमीला खड़िया।

श्रीमती रमीला खड़िया (कुशलगढ़): सभापति महोदय, मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में दो बड़े-बड़े पुल मिले हैं, उसके लिए बजट में हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। मेरा कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल गरीब और पिछड़ा इलाका है तो हमारे पोटलिया में एक पुल दिया। करोड़ों की सौगात में एक हमारे पाडला को वसुनी से जोड़ने वाला पुल दिया, उसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं।

(श्रीमती रमीला खड़िया)

सभापति महोदय, इसी तरह से मेरे विधान सभा क्षेत्र कुशलगढ़ में कलिंजरा से मध्य प्रदेश की सीमा तक जोड़ने वाला स्टेट हाईवे दिया है, उसके लिए मैं मेरी ओर से और कुशलगढ़ की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं कि हमारे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र का विशेष करके ध्यान रखा। मेरे यहां सज्जनगढ़ में जो एक टीएसपी एरिया है उसमें छात्रावास खोलने की घोषणा की, उसके लिए भी मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और जिस तरह से मेरे सज्जनगढ़ क्षेत्र में कसारवाडी बैल्ट में पीएचसी से सीएचसी खोलने की घोषणा की, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी कुशलगढ़ की जनता की ओर से।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरे कुशलगढ़ विधान सभा क्षेत्र की बात रखना चाहती हूं। विशेष करके मेरे विधान सभा क्षेत्र में घाटा क्षेत्र एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां करीब 25 पंचायतें हैं। वहां आज भी पीने का पानी नहीं है। पहाड़ी एरिया है और जंगल है। उस जंगल में पैंथर, टाइगर आदि जानवर निकलकर आते हैं। पानी नहीं मिलने के कारण घरों तक पहुंच जाते हैं। पहले भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घट गई हैं। मैं विशेष करके आपके माध्यम से मेरी बात रखना चाहती हूं कि एनीकट तालाब, ऐसे ज्यादा ज्यादा मेरे घाटा क्षेत्र में बांध बनें तो जो बरसात का पानी रुकेगा उससे भूजल स्तर ऊपर आएगा तो हमारे हैंडपंप में पानी आएगा, कुओं में पानी आएगा।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक क्षेत्र है ग्राम पंचायत बगासिया में एक हथियादिली करके गांव है। पिछली बार भी सदन में मैंने इस बात को रखा था। उसकी करीब 500 की आबादी है। इस गांव में न तो बिजली है और न हैंडपंप है, मात्र एक हैंडपंप चलता है। एक महीने पहले मैंने उस क्षेत्र का दौरा किया था तो वह हैंडपंप बंद पड़ा था। मैंने वहीं बैठकर अधिकारियों को बुलाकर उस हैंडपंप को ठीक करवाया तो मात्र 500 की आबादी में एक हैंडपंप है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से कहना चाहती हूं कि वहां वन क्षेत्र पड़ता है। वहां छोटा एनिकट बने या छोटे-छोटे जो भी तालाब आदि बने तो उनका पानी जीव-जंतु और वहां की 500 की आबादी को भी पीने का पानी मिलेगा।

मेरा एक और निवेदन है कि हथियादिली में लाइट नहीं है। मैंने पिछली बार भी सदन में यह बात रखी थी तो सौर ऊर्जा के माध्यम से उनके घरों तक उजास हुआ था पर घटिया सामग्री लेने से कहीं-कहीं घरों में आज

(श्रीमती रमीला खड़िया)

बिजली नहीं है। वहां मध्य प्रदेश की सीमा पर लाइट के खंभे और लाइट वहां पहुंची हुई है। इधर से मोकमपुरा के बुरीपाड़ा में पोल और लाइट पहुंची हुई है। 40 पोल पड़ रहे हैं तो सरकार के माध्यम से उन लोगों तक बिजली पहुंचे और उनके घर में उजास हो।

सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मेरी बात रखना चाहती हूं कि मेरे घाटा क्षेत्र में एक ऐसा क्षेत्र है गानवन, वहां न तो बिजली है न सड़क है। वहां लोगों को आज भी जाने-आने में काफी समस्या का सामना करना पड़ता है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि छोटे-छोटे तालाब बनें और जहां बिजली नहीं है वहां बिजली पहुंचे और जहां सड़क नहीं है वहां सड़क बनाएं।

मैं आपके माध्यम से यह बात मेरी रखना चाहती हूं कि मैं जिस क्षेत्र से आती हूं वह क्षेत्र बिलकुल टीएसपी एरिया है और इस एरिया में एक महीने पहले यहां के कुछ लोगों पर काम पर जाते समय एक डम्पर चढ़ने से उनकी मौत हो चुकी है। वह लोग मेरे क्षेत्र के थे तो ज्यादा से ज्यादा यहां के लोगों को काम मिले जो 200 दिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने किए हैं उसको ज्यादा से ज्यादा लागू करें और यहां के लोगों को रोजगार मिले ताकि यह लोग दूसरे राज्यों में गुजरात में, मध्य प्रदेश में काम के लिए जाएं नहीं, उनको भटकना नहीं पड़े और उनको काम वहीं मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देती हूं। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री बलजीत यादव।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने की अनुमति दी। सभापति महोदय, काफी वर्षों से जब थोड़ी समझ आई तो कोई भी सरकार हो जब बजट रखती थी सदन में, चाहे मुख्य मंत्री हो, चाहे प्रधान मंत्री हो तो हमेशा ऐसा लगता था कि पब्लिक को खुश करने के लिए, सिर्फ चुनाव के वक्त ऐसा लगता था कि सरकार को जनता की चिंता है, वह एक चुनावी बजट होता था। जिस प्रकार से बजट आते रहे हैं पिछली सरकारों के और अपने चुनावी बजट बोलूंगा, चार साल को छोड़ दीजिए लास्ट चुनावी बजट भी अगर देखें पिछली सरकारों के और अगर उनके बजट से तुलना की जाए राजस्थान सरकार के इस बजट की तो मैं यह कहना चाहूंगा कि किसी भी सरकार का चुनावी बजट भी इस सरकार के बजट से कंपेयर करने के लायक ही नहीं है। इतना अच्छा बजट, जैसे बजट आ रहे थे उस हिसाब से माननीय अशोक गहलोत साहब जी ने दिया। चाहे स्कूल की

(श्री बलजीत यादव)

बात हो, चाहे कालेज खोलने की बात हो, चाहे अस्पताल खोलने की बात हो, चाहे नगरपालिका बनाने की बात हो, चाहे तहसील बनाने की बात हो, चाहे उप तहसील बनाने की बात हो, मैं समझता हूं माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र में जो भी घोषणा करने के लिए दिया, मोस्टली उन्होंने उसको पूरा किया। पिछले बजट में भी जो असंभव सी चीजें लगती थीं कि इतना कुछ नहीं मिलेगा, वह भी मिला। माननीय सदस्यों को इस बजट में लगता था कि यह चीजें अब नहीं मिलेंगी, वह भी मिलीं। राजस्थान में अभी कोई चुनाव नहीं है, इन सबको देखते हुए जहां एक पूरा साल कोरोना में चला गया जिसमें पूरा देश जाम रहा, विभिन्न चुनावों के कारण आचार संहिता में सब कुछ जाम रहा, इन सबके बावजूद मैं तो इतना-सा कह सकता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में सिर्फ एक टूटी हुई कुंड रोड है, उसके लिए बजट वगैरह सब दे रखे हैं, सिर्फ कंपनी की लापरवाही से नहीं बन रही है। अगर उसको बना दिया जाए तो पब्लिक बोलती है कि 50 साल में मेरी विधान सभा में जितने विकास के काम नहीं हुए, उतने 2 साल में हुए हैं, यह आम जनता बोलती है। सभापति महोदय, इन सब के लिए मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि जो भी बजट में घोषणा हुई है, इन सब घोषणाओं को जमीन पर उतारने के लिए बहुत अच्छी मोन्टिरिंग की जरूरत है और यह सारी की सारी घोषणाएं अगर जमीन पर उतर जाएं तो राजस्थान में बहुत ही अच्छा संदेश जाएगा और जनता को इससे राहत भी मिलेगी।

सभापति महोदय, इन सबके बावजूद जैसा मैंने पहले कहा, देश आजाद हुआ, तब से अब तक चाहे केंद्र की सरकार रही हो, चाहे किसी भी राज्य की सरकार रही हो, उनके काम और उनके बजट से तुलना करें तो आपके बजट को सबसे बैस्ट बजट मैं कहूंगा लेकिन फिर भी मेरे कुछ सुझाव हैं, कुछ मेरी डिमांड हैं जो मैं रखना चाहूंगा।

सभापति महोदय, कोरोना को आए हुए एक साल हो गया, उस एक साल में स्कूल में बच्चों ने एडमिशन लिया तो बहुत से तो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट क्लास में एडमिशन लिया। उन्होंने आज तक स्कूल को ही नहीं देखा, वह आए और कहा कि एक बार स्कूल तो दिखा दो, क्लास रूम तो दिखा दो और उनके पैरेंट्स को 60 से लेकर 80-80 हजार तक की फीस देनी पड़ रही है, जबकि एक भी दिन बच्चा स्कूल में नहीं गया। मैंने पिछली बार भी सदन में इस बात को रखा था कि जब बच्चे स्कूल गए ही नहीं तो फीस किस बात की। स्कूल के मालिकों ने ऑनलाइन पढ़ाई का एक ऐसा नाटक-सा

(श्री बलजीत यादव)

रच दिया कि ऑनलाइन स्टडी करा रहे हैं। सभापति महोदय, फर्स्ट क्लास का बच्चा कौन सी ऑनलाइन क्लास अटेंड करता है। गांव में रहने वाला बच्चा जहां नेट नहीं आता है, मोबाइल नहीं है, वह कौन सी ऑनलाइन क्लास को अटेंड करता है और मैं तो कहता हूं कि शहर का बच्चा भी ऑनलाइन क्लास को ठीक से अटेंड नहीं करता है। स्कूलों में जो एक क्लास में 10-10 सैक्शन थे, जहां एक सब्जेक्ट को 10 टीचर पढ़ाते थे, ऑनलाइन में उन 10 सैक्शनों को एक ही टीचर ने पढ़ाया, यानी कि 9 टीचर का बेनिफिट स्कूल को हुआ। लेकिन स्कूल के मालिक ने अभिभावकों को यह बेनिफिट देना उचित नहीं समझा। सभापति महोदय, अभिभावक हाई कोर्ट गए कि ट्यूशन फीस 75 परसेंट ले ली जाए। स्कूल मालिकों ने सारे खर्चों को जोड़कर ट्यूशन फीस में उसको कन्वर्ट कर दिया, ऊपर से 10 से 20 परसेंट फीस में वृद्धि भी कर दी। इसके बाद अभिभावक सुप्रीम कोर्ट गए। इनके पास बड़े-बड़े वकील हैं, अभिभावक सुप्रीम कोर्ट के महंगे वकील की फीस नहीं उठा सकता, वह अपना पक्ष ठीक से नहीं रख पाए और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि सौ परसेंट ट्यूशन फीस दे दी जाए। सभापति महोदय, इस बात पर मेरी गहरी आपत्ति है और मैं सरकारों की घोर लापरवाही मानता हूं। हिन्दुस्तान के किसी भी सरकार ने इस बात की चिंता नहीं की कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार जाए, अभिभावक के हितों की सरकार पैरवी करे और सरकार कानून बनाए, बिल लाए क्योंकि बिना कानून, बिना बिल कोई भी सरकार किसी स्कूल मालिक को आदेश नहीं दे सकती कि वह फीस न ले। सरकार को चाहिए था कि ऐसा बिल ला कर कानून बनाए कि जब बच्चा स्कूल में गया ही नहीं तो फीस किस बात की। बच्चा कोचिंग गया नहीं और कोचिंग वाले फीस ले रहे हैं।

सभापति महोदय, एमबीबीएस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए सवा से डेढ़-डेढ़ लाख रुपये एक साल की फीस ली, एक भी दिन कोचिंग सेंटर वालों ने पढ़ाया नहीं और जिसने कोरोना से पहले आफर दिया कि जल्दी फीस दो तो 5000 की छूट देंगे। गरीब मिडल क्लास ने पूरी फीस जमा करा दी कि मेरे को 5000 की बचत हो जाएगी, उसकी पूरी फीस जब्त हो गई। अब ऐसा भी नहीं है कि यह फीस ले ली तो अगले साल में हम इसको छूट दे देंगे, उसको कोई छूट नहीं दी जा रही है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार बिल लाए, सरकार कानून बनाए और स्कूलों की इस मनमर्जी को रोके।

सभापति महोदय, अभी वर्तमान में बहुत से कोचिंग सेंटर यह ऑफर दे रहे हैं, बड़े-बड़े एड दे रहे हैं कि अगर आप आनलाइन क्लास लेंगे तो 75

(श्री बलजीत यादव)

परसेंट फीस आपकी माफ कर दी जाएगी जो आफलाइन में फीस ली जा रही है। यानी कि यह इस बात को प्रमाणित करता है कि आनलाइन पढ़ाई करने में उनके खर्चों में 75 परसेंट कमी आई है तभी तो यह आफर दे रहे हैं। इसलिए सरकार को चाहिए कि उनके लिए कानून लाए। सभापति महोदय, वैसे ही गरीब, किसान, मजदूर का बेटा परेशान है, गरीब किसान परेशान है। वह कोचिंग सेंटरों में जाता है, पहले कोई भर्ती नहीं निकलेगी, अगर भर्ती निकल गई तो एग्जाम के लिए संघर्ष करो। एग्जाम हो गया तो रिजल्ट नहीं आ रहा है। रिजल्ट आ गया तो जोइनिंग नहीं मिल रही है। पहले भर्तियां निकाली जाती हैं कितनी और फिर उनको घटा दिया जाता है, यानी पहले उसको सब्जबाग दिखाओ, पढ़ा-लिखा, सलेक्शन होगा, फिर उसको घटा दिया। वह कभी इस एग्जाम की तैयारी करता है, कभी उस एग्जाम की तैयारी करता है, लेकिन वह 8 से 10-10 साल तक भटकता रहता है। मकान का किराया देता रहता है, कोचिंग सेंटर्स को फीस देता रहता है, लेकिन उसकी नौकरी लगने का नाम ही नहीं, उसकी परेशानी कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसलिए इन सबके बावजूद इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि सारी चीजों की जरूरत है लेकिन जो पढ़ लिखकर भी परेशान है, पढ़ने लिखने के बावजूद भी वह अपने आपको ठगा-सा महसूस कर रहा है। वह डिग्री को लेकर के फिरता है कि मेरा होगा तो क्या होगा, उसको पता नहीं। किसान, मजदूर कर्जा ला लाकर कोचिंग सेंटरों की फीस देता है, स्कूलों की फीस देता है कि उसका बच्चा पढ़ेगा लिखेगा, बड़ा व्यक्ति बन जाएगा और उसके घर में जो गरीबी है, कमजोरी है और यह जो मजबूरियां हैं, वह सारी खतम हो जाएगी, उसकी पीड़ा खतम हो जाएगी लेकिन सभापति महोदय, मिडल क्लास और गरीब बुजुर्ग आदमी इंतजार करते-करते दम तोड़ देता है कि यह खुशी उसके घर में कब आयेगी लेकिन खुशी है जो उसके घर में जाने का नाम ही नहीं ले रही है। देश आजाद हुए 72 साल हो गए लेकिन आज तक वह उस खुशी के लिए तरस रहा है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार इस प्रकार का कोई प्रयास करे जिससे कि वास्तव में गरीब और मिडल क्लास को फायदा मिले, उसकी पीड़ा कम हो।

सभापति महोदय, सरकार भर्ती कैलेण्डर जारी करे कि इस डेट को यह भर्ती निकलेगी, इस डेट को एग्जाम होगा और इस डेट को रिजल्ट आएगा

(श्री बलजीत यादव)

और फिर इसको जोइनिंग दे दी जाएगी और जब एक बार भर्ती की सीट निकाल दे तो उसमें से एक भी सीट कम न करे। कम करने के कारण यह जो एएनएम, जीएनएम हैं यह बच्चे 2013 से भटक रहे हैं कि हमारी भर्तियां कम कर दी हैं। अब उनकी उम्र हो गयी है, किसी की शादी हो गयी, उनके बच्चे हो गये और जोइनिंग नहीं मिल रही है। वे एग्जाम दें, ओवरएज हो गयी हैं, उनकी पढ़ाई छूट गयी है, वे अब पढ़ नहीं सकती हैं। अब कहते हैं दोबारा एग्जाम दे लो तो यह व्यावहारिक नहीं है। सरकार ने अभी कमेटी बनायी है। मैं चाहता हूं कि उनकी समस्याओं का समाधान हो। इसी प्रकार से पंचायत सहायक हैं, उनका नहीं हो रहा है और बहुत-सी हैं, फार्मासिस्ट हैं, उनका नहीं हो रहा है। एस.आई. 2016 है, उनका नहीं हो रहा है। इसी प्रकार अनेक भर्तियां हैं, जो विसंगतियों के कारण अटकी हुई हैं। सरकार ने जो कमेटी बनायी है, वह स्वागत योग्य कदम है। मैं चाहता हूं कि उनका समाधान करे, जिससे आप सबको दुआ मिले और उनके घर में भी खुशियां आएं। यह मैं आपसे मांग करता हूं।

सभापति महोदय, मैंने पहले भी मांग की कि हिन्दुस्तान का किसान बहुत परेशान है। बिजली के रेट बढ़ गये हैं। खाद-बीज के रेट बढ़ गये हैं और कृषि के उपकरण हैं, उन पर इतना टैक्स बढ़ गया है। इतने महंगे हो गये हैं और उनकी जो फसल है, उसको एमएसपी पर नहीं खरीदा जा रहा है। इसलिए मैंने सरकार से मांग की कि चाहे सरकार और चीजों पर बजट घटा दे, लेकिन हिन्दुस्तान का किसान, राजस्थान का किसान, इस देश की रीढ़ है। अगर रीढ़ मजबूत नहीं होगी तो भला शरीर कैसे स्वस्थ रह सकता है, इसलिए उस किसान को मजबूत करने के लिए, उसको राहत देने के लिए राजस्थान की सरकार किसान को खेती के लिए मुफ्त में बिजली दे और जो गरीब है, जिसके दो सौ-ढाई सौ-तीन सौ यूनिट बिजली के आते हैं, उस गरीब की बिजली के बिल सरकार माफ करे, चाहे किसी भी फंड से बजट को काटे, लेकिन इनको राहत दे, जिससे वास्तव में उनके घर में खुशियां आएंगी। इस बात की मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, किसान की फसल को एमएसपी पर खरीदा जाए, सम्पूर्ण फसल को खरीदा जाए, इस बात की भी मैं मांग करता हूं। इस बात की भी मैं मांग करता हूं कि डीजल पर टैक्स कम करके किसान को कम कीमत पर, कम मूल्य पर सरकार डीजल उपलब्ध कराये।

(श्री बलजीत यादव)

सभापति महोदय, मैं इसके बाद एक और मांग रखना चाहता हूं कि ये जो पुरानी पेंशन स्कीम थी, उसकी मांग राजस्थान के कर्मचारी कर रहे हैं कि हमारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू की जाए। 2004 से नयी पेंशन स्कीम लागू कर दी, उसमें यह होता है कि 10 परसेंट कर्मचारी का कटता है, 10 परसेंट राज्य सरकार देती है और जब वह रिटायर होता है तो 60 परसेंट सरकार उसको दे देती है और 40 परसेंट रख लेती है। एनएसडीएल उस 40 परसेंट को शेयर मार्केट में लगायेगी। सभापति महोदय, उसका 2004 से कटना चालू हो गया। इसमें लग रहा है कि इस महीने का कटा, ये 40 परसेंट शेयर मार्केट पर डाल देना। वह डाल रहा है और जब होता है तो उसका 60 परसेंट है, वह भी नहीं मिलता है। सभापति महोदय, हिन्दुस्तान में ऐसे-ऐसे डाकू हो रहे हैं, कोई विजय माल्या लूटकर भाग रहा है, कोई नीरव मोदी लेकर भाग गया। पता नहीं, कैसे-कैसे नटवरलाल हो रहे हैं। ये बड़े-बड़े पूंजीपति, अंबानी, अडानी हैं, इन्होंने सरकारों को जेब में रख लिया है। वह एनएसडीएल निर्धारित करती है कि कर्मचारियों का यह पैसा कौनसी कंपनी के कौनसे शेयर मार्केट में लगाया जाएगा। क्या उनको मैनेज करना इनके लिए मुश्किल काम है? इसलिए जो किसान का बेटा है, जो सरकारी कर्मचारी है, उसकी मेहनत की कमाई को भी ये लूट-लूटकर ले जा रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करें। सरकार पर वर्तमान में कोई भार नहीं आयेगा, क्योंकि अभी तो कोई रिटायर नहीं होने वाला है और आपको हर साल 2 हजार करोड़ रुपये देने पड़ रहे हैं, वे 2 हजार करोड़ रुपये नहीं देने पड़ेंगे। अभी तो कुछ कर्मचारी, जो पैराटीचर्स, जिनकी उम्र ज्यादा थी, वे रिटायर हुए हैं, उनको पेंशन मिल रही है। किसी को एक हजार मिल रही है, किसी को पांच सौ रुपये मिल रही है, किसी को 1200, किसी को 1500 रुपये मिल रही है। इसलिए सरकार सहानुभूति रखे। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल की सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम रख रखी है, उसी प्रकार से राजस्थान की सरकार से भी मांग करता हूं कि सरकार पुरानी पेंशन स्कीम को वापस लागू करे।

जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं। पहले मैंने कहा कि अभ्यर्थी को दस-दस एग्जाम देने पड़ते हैं। उनकी इतनी भारी-भरकम फीस है कि जेट की फीस 2800 रुपये है, विद्युत विभाग में जो अभी इंजीनियरों की निकली, उसमें 1800 रुपये फीस है और नीट की फीस ने तो रिकार्ड तोड़ दिये, 5 हजार रुपये से भी ज्यादा उसके फार्म की फीस है। इतनी भारी-भरकम फीस, गरीब का बेटा

(श्री बलजीत यादव)

कैसे देगा? उसको कम किया जाए। जब प्रतियोगी परीक्षा देने जाए, जब उसके पास आई कार्ड हो कि परीक्षा देने जा रहा है तो मैं मांग करता हूं कि राजस्थान की रोडवेज में उसका किराया फ्री किया जाएगा। वह अपनी एग्जाम का कार्ड दिखाए और उसे फ्री में जाने दिया जाए। यह मैं सरकार से मांग करता हूं।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि देखिए आपने मेरे बहरोड़ को बहुत दिया, लेकिन फिर भी मेरा बहरोड़ एक जिला बनने की सारी की सारी जो भी क्षमताएं हैं, जो मापदंड हैं, उनको पूरा करता है और वर्षों से वहां की पुरानी मांग है। मेरे बहरोड़ को जिला बनाया जाए। मेरे बहरोड़ में जिला अस्पताल बनाया जाए, इस बात की भी मैं मांग करता हूं और इसके साथ ही दूसरी मांग मैं सरकार से करना चाहता हूं कि देखिए, मेरा जो विधान सभा क्षेत्र है, वह हरियाणा से लगता है और मेरे अलावा अनेक यहां पर माननीय सदस्य हैं, जिनकी सीमाएं सीमावर्ती प्रदेशों से लगती हैं। वहां की बच्चियां शादी होकर जब यहां राजस्थान में आ जाती हैं तो उनके जाति प्रमाण-पत्र नहीं बनाये जाते हैं। हवाला दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई निर्णय हो गया था कि एक जगह ही लाभ दे सकते हैं। सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि मुझे कई बार हैरानी और आश्चर्य होता है कि छोटी-सी प्रोब्लम है। अगर आप उसको दूर कर दें तो बहुत बड़ी राहत जनता को मिल सकती है। उसमें सिर्फ इतना करना है, सुप्रीम कोर्ट ने यह इसलिए दिया कि हमने कोई नियम नहीं बना रखा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहत नहीं मिली। सरकार सिर्फ इतना-सा कर दे कि एक बिल लेकर आये या केबिनेट निर्णय कर दे। केबिनेट निर्णय करके उसको नियम में डाल दे। फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं रोकेंगे, उसको राहत मिलेगी। उसमें आप उससे एफिडेविट ले लें कि एक जगह ही वह ओबीसी है या एससी-एसटी है या जो भी दूसरे लाभ हैं, वे उसको मिल जाएं तो एक जगह से ही लाभ लेंगी। राजस्थान से लेंगी तो यहां से दे देंगे। किसी को नहीं लेना होगा तो नहीं देगा, उससे उनको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र में यह हो रहा है कि बहुत-सी तो शादियां टूट गयीं, क्योंकि आजकल सब जागरूक हैं। हर बच्ची चाहती है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो। अगर उसको पता लगता है कि राजस्थान में तो उसको नौकरी नहीं मिलेगी तो वह सोचती है कि हरियाणा में तो नौकरी करूंगी और राजस्थान में जाकर मेरा परिवार रहेगा तो यह कैसे सम्भव हो पायेगा तो

(श्री बलजीत यादव)

इससे रिश्ते टूट रहे हैं, इसलिए ये छोटी-मोटी सी परेशानियां हैं। इन परेशानियों को सरकार को दूर करना चाहिए।

सभापति महोदय, किसी को भी कहो, कई तो हमारे साथी कह देंगे। सभापति महोदय, बहुत से थर्ड ग्रेड टीचर जो टीएसपी एरिया में कार्यरत हैं। सभी सरकारों ने बैन लगा रखा है कि वहां से आप आ नहीं सकते कि ये यहीं रहेंगे। मैंने पहले भी मांग की कि ये थर्ड ग्रेड टीचर हैं, इनके मां-बाप बीमार हो गये, मां-बाप बूढ़े हो गये, किसी के बच्चे बड़े हो गये, किसी को बच्चों की शादी करनी है। उसके घर में इतनी परेशानियां हैं, उसको जैसे जेल करके बांध दिया कि आप तो यहीं रहेंगे, आप यहां से नहीं जाएंगे। मैंने कई बार कहा है और आज भी मैं मांग करता हूं। पहली बात तो सरकार टीएसपी एरिया में जो रिक्त पद हैं, उन्हें भर्ती करके वहां के लोगों से भरें ताकि वहां के लोगों को राहत मिल सके। फिर भी अगर क्षमता नहीं, अगर आप इतना नहीं कर सकते हो, कुछ समय लेना चाहते हो तो आप कम से कम यह तो कर सकते हो कि जो लोग यहां वर्षों से रह रहे हैं, उनको कह दें कि आप दो-तीन साल वहां जाकर आ जाएं। इनको कह दो कि आप इतने साल यहां पर रह लिए, आप वहां चले जाओ। सभापति महोदय, जो कैदी होता है, उसको भी छूट मिल जाती है कि आप इतने साल कैद में रह लिए, अब आप खुली जेल में जा सकते हैं। उन्होंने कौनसा गुनाह कर दिया। उनकी नौकरी लगी हुई है, उनको बांधकर रख दिया कि आप यहां से नहीं जा सकते। दूसरी जगह से ट्रांसफर होता है, वे अपने घर चले जाते हैं। अपने बच्चों के पास चले जाते हैं। उनका क्या गुनाह है? क्या किसी व्यक्ति के लिए अलग-अलग कानून है? एक व्यक्ति को ट्रांसफर की सुविधा मिलती है अपने घर जाने की। उसके लिए आप आनलाइन आवेदन मांगते हो तो क्या वह कोई देश का दुश्मन है? आप उससे आवेदन क्यों नहीं मांगते हो? लेकिन यह तो हर कोई कह देता कि यह तो ततैये का छत्ता है थर्ड ग्रेड। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो क्यों मंत्री बनते हो? अगर क्षमता नहीं है तो मत बना करो। फिर सरकारें बनती ही क्यों हैं? जोखिम नहीं उठा सकते हो तो फिर आपका क्या काम है? क्या सिर्फ मौज करने का काम है? सरकार का काम वैलफेयर करने का होता है, जोखिम उठाकर गरीब आदमी को राहत देने का। हम समाज सेवा के लिए आये हैं, कोई मजे करने के लिए नहीं आये हैं कि इसमें परेशानी होगी तो ये काम नहीं करेंगे। इसमें परेशानी कम है तो यह काम कर देंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि

(श्री बलजीत यादव)

ऐसी चीजों को खोलें। किसी-किसी जगह हो जाता है, कोई ट्रांसफर है, कोई सैकण्ड ग्रेड का है। उनकी निकाल दी, आवेदन ले लिए, अब होने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोग कपड़े फाड़ रहे हैं, साहब, हो नहीं रहे हैं। कई हो जाते हैं, कई नहीं हो रहे हैं। मैं यह चाहता हूं कि ट्रांसपेरेंसी हो। ये जो ट्रांसफर वगैरह हैं इसमें कर्मचारियों के प्रति सरकार को सहानुभूति रखनी चाहिए कि ठीक है, यह आदमी वास्तव में पीड़ित है। सभापति महोदय, बहुत से कैंसर के पेशेंट हैं। उनको कैंसर है और उनके ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। कहां जाकर रोये, कोई सुनने वाला ही नहीं है। अब तो यह कर दिया कि कहीं डेपुटेशन भी जिले में नहीं करते। किसी की टांग कट गयी तो डेपुटेशन भी नहीं कर सकता, जिले वाला भी। नहीं, आपका भी नहीं करेंगे, टांग कट गयी तो कटी रहे, मरना है तो मर जा, हम तो नहीं करेंगे। ये छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं, इन्हीं से सरकार कोई भी हो, उसकी छोटी-छोटी चीजों से छवि खराब होती है। आप बड़ा-बड़ा काम कर रहे हो। पहले वालों ने यह सब किया तो जनता ने उनको लात मारकर भगा दिया, उनको साइड में बैठा दिया।

मैं मांग करता हूं कि आपको सरकार में बैठाया है, हम सबको यहां जिता कर भेजा है तो हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरें। हम सबको किसान ने, मजदूर ने, जो मेहनतकश हैं, उन्होंने बहुत ही आशाओं के साथ जिताया है और हमारे जैसों को तो निर्दलीय जो पार्टियों को हराकर जिताकर भेजा है तो बहुत ज्यादा हमसे अपेक्षा रखते हैं। मैं यह मानता हूं कि हम इस विधान सभा में जो बात रखें, उसको सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए और इस परिपाटी को तोड़ना चाहिए कि विपक्ष कहे या कोई दूसरा कहे तो हम उस बात को गंभीरता से नहीं लेंगे और कोई हमारा आदमी कहे तो हम गंभीरता से लेंगे।

सभापति महोदय, मैंने पहले भी मांग की और आज भी मांग कर रहा हूं कि राजस्थान का किसान हमारा पानी से बहुत परेशान है। हमारा बहुत सा क्षेत्र डार्क जोन में है। मैंने पहले भी कहा कि सड़कों पर बजट दे रहे हैं, दूसरी चीजों पर बजट दे रहे हैं। आप नदियों का पानी जो बरसात के दिनों में व्यर्थ बह जाता है, अगर उस पानी को ही लाया जाए, हमारे यहां चम्बल भी खतरे के निशान से बहती है बारिश के दिनों में। यमुना का पानी है, खतरे के निशान से यमुना बहती है। हरियाणा के अंदर पंजाब वाले पानी छोड़ देते हैं नहरों में तो पानी लोगों के खेतों में भर जाता है और वहां जो कोई एमएलए

(श्री बलजीत यादव)

का चुनाव लड़ता है, वह यह कहता है कि मैं आपके खेत में यह पानी नहीं आने दूंगा, आपकी फसल खराब नहीं होने दूंगा। मैं इसको रोकूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो वहां पर बाढ़ आ रही है। बिहार में देखते हैं कि लोग मर रहे हैं। उस बाढ़ से राहत के लिए कोष दिया जाता है और दूसरी तरफ राजस्थान का किसान प्यासा मर रहा है, राजस्थान की जनता प्यासी मर रही है। मैंने पहले भी कहा कि हिन्दुस्तान की सरकार हो, चाहे राज्य की सरकार हो, एक बार भगवान के लिए कुछ समय के लिए और चीजों पर बजट रोककर, एक बार इस किसान के पानी के लिए आप बजट दे दें और किसान के खेत तक इस पानी को पहुंचा दें, फिर इस देश की तरक्की किसान ही कर देगा। जो किसान के बेटे हैं, बेरोजगार हैं, उनको आप रोजगार दे दो, किसान की फसल को खरीद लो, किसान को सस्ते दाम पर डीजल दे दो, किसान को बिजली मुफ्त दे दो, गरीब को बिजली मुफ्त दे दो तो जब वह खुशहाल हो जाएगा, किसान खुशहाल हो जाएगा, मजदूर खुशहाल हो जाएगा तो देश अपने आप ही खुशहाल हो जाएगा। पता नहीं, मैं समझता हूं कि देश को खुश करने का मतलब सरकारें क्या समझती है? देश जो बना है, वह यहां पर रहने वाले लोगों से बना है। अगर वहां के लोग खुश नहीं हैं, अगर वहां के लोग संतुष्ट नहीं हैं तो वह देश कैसे खुशहाल हो सकता है? सिर्फ झूठे नारे लगाने से, झूठी बातें करने से कोई देश खुश नहीं हो सकता। किसान पड़े हैं। अलग-अलग बोर्डर पर पड़े हैं।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, मैं दो मिनट में कर रहा हूं। बच्चे उनके बैठे हैं। महिलाएं वहां पर बैठी हैं। विनती कर रहे हैं कि साहब ये जो तीन बिल लाई है केन्द्र सरकार, इससे हम बर्बाद हो जाएंगे, हमारी मंडियां बर्बाद हो जाएंगी। प्रधान मंत्री जी इन तीनों बिलों को वापस ले लो। प्रधान मंत्री जी को इतना अहंकार हो गया है कि मैं जो बिल ले आया भला उसका विरोध किसी ने क्यों कर दिया। उस अहंकार में वहां कीलें लगा दी जाती हैं, वहां ऐसे-ऐसे बेरिकेड बना दिए जाते हैं, वहां ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान की सेना अटैक करने आने वाली हो, उससे ज्यादा वहां पर सुरक्षा के इंतजाम किये जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, किसी भी राजा का विनाश आ जाता है तब वह इस प्रकार का एक्ट करता है कि मैं जनता की मांग को नहीं सुनूंगा। मेरा करना है जो कर

(श्री बलजीत यादव)

लीजिए। चाणक्य ने भी कहा है कि अगर वास्तव में जनता विरोध में आने लगे, जब वास्तव में राजा को लगे सड़क पर जनता उतरने लगी है तो उस अहंकारी राजा को तुरंत उनकी समस्याओं को ध्यान में रखकर समाधान करना चाहिए वरना जनता उसको उठाकर कुर्सी से मोदा पटक देगी। यह उस राजा को ध्यान रखना चाहिए। मैं सदन से कहना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी को भी यह अहंकार नहीं रखना चाहिए। ये जनता उठाकर ऐसा पटक देगी कि वह कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और वही लोग जो आज मोदी-मोदी कर रहे हैं, जो आज जयकारे लगा रहे हैं, वही उनको गाली देते हुए नजर आएंगे कि इस मोदी के कारण हम बर्बाद हो गये। सब कुछ लुट गए, जनता की गालियां खा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, भाड़े के टट्टू रख रखे हैं। सोशल मीडिया पर रख रखे हैं। वह मोदी-मोदी करते हैं, वह बड़ाई करते हैं, मैं कहता हूं ऐसे ही चाटुकार और कुछ चाटुकार होते हैं वही उसको मरवाते हैं, वही उसको बर्बाद करवाते हैं। यही हश्र आप देखना केन्द्र सरकार का होने वाला है। इसलिए मैं तो मांग करता हूं कि नरेन्द्र मोदी को हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए देश के किसानों से कि मुझसे गलती हो गयी, मेरी मति भ्रष्ट हो गयी थी, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गयी थी इसलिए मैं अहंकार में आ गया था और मैं माफी मांगता हूं। इन बिलों को वापस लेता हूं और एमएसपी पर पूरी फसलों को खरीदे।

सभापति महोदय, डीजल-पैट्रोल पर जो दुनिया भर का टैक्स लगा रखा है, जो डीजल-पैट्रोल 30-32 रुपये में मिलता है, उसको आप 90 से 100 रुपये में बेच रहे हैं। आपके बाप का राज है क्या कि लूटेंगे, खाएंगे। खुद 15-15 लाख के सूट पहनोगे...

श्री सभापति: समाप्त कीजिए। माननीय सदस्य, सहयोग कीजिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): जो किसान है, उसके तन पर कपड़ा नहीं है, मजदूर के तन पर कपड़ा नहीं है। आप घूम रहे हैं। 36 तरह के व्यंजन खा रहे हैं। वह सूखी रोटी खा रहा है। किसान ने अगर पिज्जा खा लिया तो उसको सोशल मीडिया पर चलाते हो कि पिज्जा क्यों खा लिया?

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): आपको ही अधिकार है पिज्जा खाने का, आपको ही अधिकार है कूलर में सोने का, आपको ही अधिकार है एसी में रहने का, आपको ही अधिकार है पेंट-शर्ट पहनने का। आपके बाप-दादा ही लेकर आए थे क्या प्रोपर्टी? आप कहते हैं कि मैं चाय बेचने वाला था। मैं पूछना चाहता हूं नरेन्द्र मोदी जी, कितने चाय बेचने वाले 15-15 लाख का सूट पहनते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): जो किसान है, वह कल भी फटी धोती में था, आज भी फटी धोती में है। फिर कहां से आप जनता के हितैषी हो गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त कीजिए। विराजिए प्लीज।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): आपने मूर्ख बनाया। जनता की भावनाओं को भड़काया और वहां बैठ गये। इस बात का आपको पाप लगेगा और मैं तो कहता हूं कि इसी जिन्दगी में रहते-रहते आपको सज़ा भुगत कर जानी पड़ेगी। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय।

श्री सभापति: विराजिए। श्री हाकम अली।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं। हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा कोरोना काल जैसी विपरीत परिस्थिति होने के पश्चात् भी एक शानदार बजट पेश किया गया जो सम्पूर्ण राज्य के सर्वांगीण विकास की आधारशिला तैयार करता है। इस बजट के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के कल्याण की योजनाओं की एक महत्वपूर्ण रूपरेखा तैयार की गयी है।

सभापति महोदय, हमारी सरकार की सोच है कि राज्य के किसानों, व्यापारियों, उद्यमियों, युवाओं, महिलाओं, मजदूरों व वंचित वर्ग आदि सभी तबकों को साथ लेकर प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम एवं खुशहाल बना सके, इसी आशा और विश्वास के साथ हमारे मुख्य मंत्री जी ने इस बजट को जनता को समर्पित किया है। निश्चित रूप से यह बजट राजस्थान के सर्वांगीण विकास में चार चांद लगाने का काम करेगा। राज्य को चहुंमुखी विकास की ओर अग्रसर करने वाले इस बजट के लिए मैं मुख्य मंत्री महोदय जी का आपके माध्यम से शुक्रिया अदा करता हूं और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय, अभी हम सबने देखा कि पूरे विश्व में कोरोना जैसी

(श्री हाकम अली खां)

महामारी ने तबाही मचाई थी और हम सब ने इस महामारी के दौरान बहुत से अपनों को खोया है जिनकी क्षतिपूर्ति किसी भी स्थिति में नहीं हो सकती है। ऐसी ही महामारी से निपटने के लिए राज्य की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए। इन सभी विपरीत परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मुख्य मंत्री महोदय जी द्वारा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित अन्य लाभकारी, कल्याणकारी घोषणाएं की गयी हैं जिनकी जितनी प्रशंसा की जाए, कम है। सड़क दुर्घटनाओं में जीवन बचाने के लिए 'जीवन रक्षा योजना' के तहत जीवन बचाने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपये एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। इससे लोग बेफिक्र होकर सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्ति का वीडियो बनाने की बजाय उसको अस्पताल तक पहुंचाकर उसका जीवन बचाने का प्रयास करेंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के धानुका अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय बनाने की घोषणा की है। इससे मेरे क्षेत्रवासियों में काफी उत्साह का माहौल है। मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र के लोगों को चिकित्सा सुविधाओं के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़े। चूंकि मैं खुद भी एक आम परिवार से आता हूं तो क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को बखूबी समझ सकता हूं। इसलिए मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए धानुका अस्पताल को उप जिला चिकित्सालय में परिवर्तित किया।

सभापति महोदय जी, हर विधान सभा क्षेत्र में मॉडल सीएचसी बनाया जाना भी चिकित्सा के क्षेत्र में एक अच्छा कदम है। 100 करोड़ रुपये की लागत से 'निरोगी राजस्थान प्रबंध कोष' का गठन किया जाना चिकित्सा विभाग के लिए एक सराहनीय कार्य है।

सभापति महोदय जी, हमारी सरकार द्वारा आगामी वर्ष में 3500 करोड़ रुपये की लागत से 'यूनिवर्सल हैल्थ कवरेज योजना' लागू करने के साथ-साथ राज्य के प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपये तक का चिकित्सा बीमा सुविधा उपलब्ध कराया जाना चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक सराहनीय पहल है। चिकित्सा बीमा की सुविधा उपलब्ध होने पर गरीब परिवार के लोग अपना व अपने परिवार के लोगों का इलाज सही समय पर करवाकर अपनों की जिन्दगी बचा सकेंगे। राज्य के बाकी बचे 25 जिला मुख्यालयों में भी चरणबद्ध रूप से

(श्री हाकम अली खां)
नर्सिंग महाविद्यालय खोलना एवं सभी 7 संभागीय मुख्यालयों में चरणबद्ध रूप से पब्लिक हैल्थ कालेज स्थापित किया जाना चिकित्सा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित होगा। इससे एक गरीब परिवार का बच्चा भी अपने नजदीक की उच्च शिक्षा ग्रहण करके अपने सपने को पूरा कर सकेगा। इसके साथ ही हम सभी कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के विकराल रूप से सबक ले चुके हैं कि किसी भी विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए राज्य की चिकित्सा व्यवस्था का ढांचा कितना सुदृढ़ होना चाहिए। इस सोच के साथ हम सबको एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। इस सराहनीय कदम के लिए मैं मुख्य मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो हमारा राज्य शिक्षा में हमेशा अव्वल रहा है और हमारे राज्य के बच्चों ने भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में विभिन्न क्षेत्रों में राजस्थान का नाम रोशन किया है।

सभापति महोदय जी, हमारे जन-जन के प्रिय मुख्य मंत्री महोदय जी द्वारा राज्य के 5000 की आबादी वाले गांवों में 1200 महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खोले जाने से हर वर्ग का बच्चा अपने घर के नजदीक, बेझिझक अंग्रेजी शिक्षा ग्रहण कर सकेगा। आज का युग ही शिक्षा का युग है, तो फिर हमारे मुख्य मंत्री जी और शिक्षा मंत्री जी कैसे अपनी जनता को इतनी महत्वपूर्ण सौगात देना भूल सकते हैं। अंग्रेज़ी शिक्षा को आम परिवार के बच्चे तक पहुंचाने के साथ-साथ, कृषि के प्रति विद्यार्थियों में रुचि जगाने के लिए 600 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय खोलना भी एक सराहनीय कदम है। इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी व शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय जी, शिक्षा के क्षेत्र में नये आयाम स्थापित करने और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 3500 से अधिक क्लासरूम, लैब, लाइब्रेरी बनाना, 37400 आंगनबाड़ी केन्द्र, अंग्रेजी स्कूलों में फर्नीचर उपलब्ध करवाने के साथ-साथ शिक्षा को नई दिशा प्रदान करने के लिए 50 सरकारी स्कूल और खोलना व 100 स्कूलों को क्रमोन्नत करना अपने आपमें एक साहसिक कदम है। ऐसे साहसिक कार्य ही शिक्षा मंत्री जी की शिक्षा के प्रति रुचि और उनके सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सभापति महोदय जी, बड़े दु:ख की बात है कि हमारे चार साथी अब

(श्री हाकम अली खां)

हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी याद हमारे बीच में हमेशा बनी रहे, ऐसी सोच के साथ हमारे मुख्य मंत्री जी एवं शिक्षा मंत्री द्वारा दिवंगत विधायकों के क्षेत्र में उनके नाम से कन्या कालेज खोलने की घोषणा करना, यह मुख्य मंत्री जी की सबको साथ लेकर चलने वाली सोच को दर्शाता है। इनमें राजसमंद में किरण माहेश्वरी कन्या कालेज, गजेंद्र सिंह कन्या कालेज भिंडर, सुजानगढ़ में मास्टर भंवरलाल कन्या कालेज, गंगापुर में कैलाश त्रिवेदी कन्या कालेज खोल कर मुख्य मंत्री महोदय और शिक्षा मंत्री द्वारा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का संदेश पूरे राज्य की जनता को दिया गया है। ऐसे उच्च विचार रखने वाली सोच के लिए मैं शिक्षा मंत्री जी व मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय जी, मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रदेश में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन टाइम वैरिफिकेशन की सुविधा उपलब्ध करवाये जाने के लिए एक सराहनीय कदम उठाया है। इससे बार-बार वैरिफिकेशन के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेगे। इसके साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को राजस्थान रोडवेज बसों में नि:शुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराया जाना भी बेरोजगार छात्र-छात्राओं के लिए एक राहत भरा और सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय जी, युवाओं के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए मेजर ध्यानचंद स्टेडियम योजना शुरू करने के साथ-साथ राज्य के प्रत्येक ब्लाक में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया जाना भी सरकार का एक सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय जी, जैसा कि सभी को पता है हमारी सरकार ने किसानों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को हमेशा बखूबी निभाया है। किसानों को सुविधा देने के लिए कृषि उपभोक्ताओं को बिल अब एक महीने की बजाय दो महीने से भेजे जाएंगे, जिससे उनको हर महीने भरे जाने वाले बिल से छुटकारा मिलेगा।

इसके साथ ही 50 हजार किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराने जैसी घोषणा किसानों के लिए बहुत अच्छी है, जिससे किसानों को बिजली बिल भरने से मुक्ति मिलेगी।

सरकार द्वारा कृषि मंडियों का आधुनीकरण एक सराहनीय कदम है। इससे मंडियों में हो रही धांधली से छुटकारा मिलेगा और इसका सीधा फायदा किसानों को होगा और किसानों के कार्य समय पर पूर्ण हो सकेंगे।

(श्री हाकम अली खां)

सभापति महोदय जी, हमारी सरकार ने किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष से कृषि बजट अलग से प्रस्तुत किए जाने का जो निर्णय लिया है, यह निश्चित रूप से आने वाले समय में किसान भाइयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय साबित होगा। इस बजट में किसानों को 16 हजार करोड़ के ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराए जाएंगे। इस योजना के तहत 6 लाख किसानों को जोड़ा जाना भी किसानों के लिए फायदेमंद साबित होगा।

सभापति महोदय जी, आगामी 3 वर्षों में 1000 किसान सेवा केन्द्र बनाया जाना भी किसानों के लिए एक अच्छा कदम है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों में रहने वाले किसान भी किसान सेवा केन्द्र के माध्यम से समस्त जानकारियां आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

सभापति महोदय जी, मनरेगा के माध्यम से भी हमारे मुख्य मंत्री जी ने सहरिया जनजाति और विशेष योग्यजन श्रमिकों को 100 दिन की बजाय 200 दिन का रोजगार दिये जाने पर बल दिया है जो कमजोर तबक़े को आर्थिक संबल प्रदान करने का काम करेगी। ये गरीब तबक़े और मजदूर के लिए बहुत ही सराहनीय कदम मुख्य मंत्री जी द्वारा लाया गया है इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं।

सभापति महोदय जी, राज्य की गौशालाओं व पशुपालकों को उनके घर ही आपातकालीन पशु चिकित्सा उपलबध करवाने क लिए 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर 102-मोबाइल वेटरिनरी सेवा शुरुआत करना पशुपालकों के लिए एक राहत भरा कदम है, जिस पर 48 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। पशु चिकित्सा सेवाओं को सुदृढ़ एवं आधुनिक बनाने हेतु प्रत्येक पशु चिकित्सालय में राजस्थान पशु चिकित्सा रिलीफ सोसाइटी का गठन किया जाना भी एक सराहनीय कदम है।

सभापति महोदय जी, भाजपा शासन में बंद की गई ग्रामीण बस सेवा नये वाहनों के साथ फिर से शुरू की जाएगी। ग्रामीण बस सेवा के माध्यम से दूर-दराज के क्षेत्रों का शहरी क्षेत्र तक आवागमन आसानी से हो सकेगा। इससे गांवों और ढाणियों के लोगों का आपस में जुड़ाव होगा और एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन सुगम तरीके से हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्र के लिए यह सुविधा फिर से चालू करने के लिए मैं परिवहन मंत्री जी व मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

(श्री हाकम अली खां)

सभापति महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदय जी को सड़कों के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपये की लागत से सड़कें रिपेयरिंग, नई बनाने की घोषणा की। महोदय, सड़कों की मुख्य जरूरत थी।

सभापति महोदय जी, अब मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान संविदाकर्मियों की ओर दिलाना चाहूंगा कि आपने इनकी समस्या का समाधान करने के लिए जो कमेटी गठित की उसके लिए धन्यवाद। संविदाकर्मियों में पंचायत सहायक, मदरसा पैराटीचर्स, एनआरएचएम एवं जो भी संविदाकर्मी कर्मचारी कार्यरत हैं, उनको या तो नियमित किया जाए या फिर उनका मानदेय बढ़ाया जाए, जिससे इनके परिवार का पालन-पोषण करने किसी तरह की कठिनाई नहीं हो।

महोदय जी, अब मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर की ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि फतेहपुर शहर में बरसात के मौसम में शहर के पानी की निकासी का कोई प्रावधान नहीं है, जिससे 4 महीने फतेहपुर की जनता को बहुत परेशानी होती है। इसकी डीपीआर बनाई हुई है। अत सदन के माध्यम से बताना चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी बजट का रिप्लाई दे, उस टाइम इसको शामिल किया जाए।

सभापति जी, मैं मुख्य मंत्री जी का ध्यान फतेहपुर में नेचर पार्क बनाने के लिए दिलाना चाहूंगा कि फतेहपुर में वन विभाग की भूमि पर भेड़ ऊन फार्म चल रहा था, अब उस भूमि को भेड़ ऊन फार्म ने खाली कर दिया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस भूमि पर वन विभाग एवं राज्य सरकार और नरेगा के माध्यम से नेचर पार्क बनाया जा सकता है, जिससे फतेहपुर की जनता को बहुत लाभ होगा।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री जी का ध्यान बिजली की ओर दिलाना चाहूंगा कि आपने किसानों को 50 हजार कृषि कनेक्शन देने की घोषणा की, जो कि स्वागत योग्य है। महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री का ध्यान घरेलू उपभोक्ताओं की ओर दिलाना चाहूंगा..

श्री सभापति: जल्दी समाप्त कीजिए, माननीय सदस्य।

श्री हाकम अली खां (फतेहपुर): एक मिनट। पिछले दिनों कोरोना काल में लॉकडाउन हो गया था, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। उस छह महीने में घरेलू उपभोक्ताओं पर बिजली का बिल नहीं भर पाने की वजह से

(श्री हाकम अली खां)

बहुत भार हो गया। अतः मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि उन उपभोक्ताओं का जुर्माना माफ करके एवं बिल को किश्तों में जमा कराने की घोषणा करें।

महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री व चिकित्सा मंत्री जी का ध्यान यूनानी चिकित्सा पद्धति की ओर दिलाना चाहूंगा। पिछली सरकार, वर्ष 2013 में विज्ञप्ति जारी हुई, यूनानी चिकित्सकों के 308 पद स्वीकृत किए थे, गत सरकार ने 108 पदों की कटौती कर दी, उन पदों को पुनः सृजित किया जाए। राजस्थान के प्रत्येक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर यूनानी चिकित्सा अधिकारी का पद स्वीकृत किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 03 मार्च 2021 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.58 बजे बुधवार, दिनांक 03 मार्च 2021 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि की कार्ययोजना

125. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में कार्यरत आशा सहयोगिनियों को प्रतिमाह मात्र 2700/- रुपये मानदेय का भुगतान किया जा रहा है?

(2) क्या सरकार न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उक्त का मासिक भुगतान 2700/- रुपये से अधिक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना व कब तक तथा नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। आशा सहयोगिनियों को समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग द्वारा प्रतिमाह 2700/- रुपये का एक मुश्त भुगतान किया जा रहा है।

(2) आशा सहयोगिनी को मानदेय समेकित बाल विकास सेवाएं की ओर से प्रतिमाह नियत राशि 2700/- रुपये दिनांक 01.08.2019 से भुगतान किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से कार्य आधारित भुगतान (परफोर्मेंस बेस्ड इन्सेंटिव) किया जाता है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि बजट की उपलब्धता पर कर दिया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता

126. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने शिक्षित बेरोजगारों को 3500 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है? तहसीलवार व जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने, रोजगारपरक प्रशिक्षण देने व उनके कार्य कौशल में अभिवृद्धि कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोई कार्ययोजना बना रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अन्तर्गत सभी बेरोजगारों को 3500/- रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जाता अपितु योजनान्तर्गत पात्र महिला, ट्रांसजेण्डर व विशेष योग्यजन आशार्थियों को 3500/- रुपये प्रतिमाह तथा पुरूष आशार्थियों को 3000/- रुपये प्रतिमाह दिये जाने का प्रावधान है। योजना प्रारम्भ (फरवरी, 2019) से 31 दिसम्बर 2020 तक उक्त योजनान्तर्गत लाभार्थियों की कुल संख्या 249433 है जिनमें से 3500/- रुपये प्रतिमाह प्राप्त करने वाले (महिला + विशेष योग्यजन + ट्रांसजेण्डर) लाभार्थियों की संख्या 105267 है। 3500/- रुपये प्रतिमाह प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का तहसीलवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) बेरोजगारों को रोजगार से जोड़ने, रोजगारपरक प्रशिक्षण देने व उनके कार्य कौशल में अभिवृद्धि कर उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग निरन्तर प्रयासरत है। विभाग द्वारा आयोजित कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता शिविरों/रोजगार सहायता शिविरों में बेरोजगार आशार्थियों तथा नियोजकों को एक मंच पर लाया जाता है जिससे नियोजक अपनी आवश्यकतानुसार योग्य उम्मीदवार का चयन कर सके। कौशल प्रशिक्षण के इच्छुक आशार्थियों का चयन प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं द्वारा किया जाता है। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा कौशल प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं के माध्यम से रोजगार परक कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। कोरोना काल में ये शिविर वर्चुअल/डिजिटल/ऑनलाइन आयोजित किये गये हैं। विभाग द्वारा संचालित कैरियर सेंटरों/जिला रोजगार कार्यालयों के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को रोजगार संबंधी मार्गदर्शन व कैरियर काउंसलिंग भी की जा रही है। तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) विभाग द्वारा आई टी आई में उद्योग आधारित प्रशिक्षण द्वारा कौशल प्रदान कर युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रमिक कार्डधारी परिवार के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान

127. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) वर्तमान में प्रदेश में कुल कितने मजदूरों को श्रमिक कार्ड जारी किये गये हैं तथा कितने आवेदन लम्बित हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री वासुदेव देवनानी)

(2) प्रदेश में वर्ष 2019 व 2020 में उक्त में से कितने श्रमिक कार्ड जारी हुए? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्ष 2019 व 2020 में कितने श्रमिक कार्डधारियों व उनके परिवार के सदस्यों को किस-किस प्रकार के लाभ व सहायता उपलब्ध कराई गई तथा कुल कितनी राशि का सहयोग किया गया? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त अवधि में श्रमिक कार्डधारी परिवार के विद्यार्थियों को देय छात्रवृत्ति राशि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में कुल 25,89,326 मजदूरों को श्रमिक कार्ड जारी किये गये हैं। 1,62,951 आवेदन हिताधिकारी द्वारा पंजीयन अंशदान राशि जमा न करने के कारण लम्बित हैं तथा 7,22,874 आवेदन आक्षेपपूर्ति हेतु हिताधिकारियों के स्तर पर एवं 1,27,988 आवेदन विभागीय स्तर पर लम्बित हैं। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) प्रदेश में वर्ष 2019 में 2,17,163 व 2020 में 2,02,999 श्रमिक कार्ड जारी हुए। वर्षवार विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) वर्ष 2019 में 1,83,954 व 2020 में 1,13,407 श्रमिक कार्डधारियों व उनके परिवार के सदस्यों को मण्डल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं से कुल रुपये 584.91 करोड़ का सहयोग किया गया। योजनावार व जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(4) उक्त अवधि में कुल 1,34,363 श्रमिक कार्डधारी परिवार के विद्यार्थियों को रुपये 270.09 करोड़ देय छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया गया है। विवरण परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

होम गार्डों को स्थायी करने की कार्ययोजना

128. श्री बलजीत यादव (बहरोड़): क्या गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में होम गार्डों को वर्तमान में कितना मानदेय दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बलजीत यादव)

(2) क्या सरकार उक्त होम गार्डों को स्थायी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में राजस्थान होम गार्ड्स जवानों को पुलिस कांस्टेबल के समान ड्यूटी करने व वाहन चालक का कार्य करने पर (रु. 693/- दैनिक डयूटी भत्ता एवं इनके अतिरिक्त अन्य ड्यूटियों हेतु रु. 590/- प्रति दिवस की दर से दैनिक ड्यूटी भत्ता देय है।

(2) जी नहीं। होम गार्ड अधिनियम 1963 की धारा 2 के अन्तर्गत स्वयंसेवी सगंठन के रूप में होम गार्ड्स का गठन किया गया है। राजस्थान गृह रक्षा नियम 1962 के अन्तर्गत गृह रक्षा स्वयंसेवक (होम गार्ड) को 5 वर्ष के लिये नामांकन किया जाकर सदस्यता प्रदान की जाती है। इन नियमों में होम गार्ड स्वयंसेवकों को स्थायी नियुक्ति दिये जाने का प्रावधान नहीं हैं।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

खाजूवाला में डिग्गियों की अनुदान राशि का भुगतान

124. श्री गोविन्द राम (खाजूवाला): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में विभाग की योजना के अन्तर्गत किसानों द्वारा बनाई गई डिग्गियों की अनुदान राशि का शीघ्र भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2018-19 में निर्मित डिग्गियों में से 510 डिग्गियों की राशि रुपये 12 करोड़ 42 लाख का भुगतान किया जाना शेष है। उक्त भुगतान केन्द्र सरकार से बजट अभाव में लम्बित है। लम्बित अनुदान भुगतान भारत सरकार से बजट उपलब्धता के आधार पर प्राथमिकता से कर दिया जायेगा।

खींवसर में कृषि विभाग में रिक्त पद

125. श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में कृषि विभाग में कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं एवं कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर में कृषि विभाग के अधीन सहायक कृषि अधिकारी के 4 पद एवं कृषि पर्यवेक्षक के 23 पद स्वीकृत हैं। इनमें से सहायक कृषि अधिकारी के 3 पद एवं कृषि पर्यवेक्षक के 15 पद रिक्त हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। कृषि विभाग के गैर अनुसूचित क्षेत्र में सहायक कृषि अधिकारी के 157 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा संशोधित विज्ञप्ति दिनांक 11.12.2020 को एवं कृषि पर्यवेक्षक के 842 रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा विज्ञप्ति दिनांक

(कृषि मंत्री)

05.02.2021 को जारी की जाकर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण होने पर सहायक कृषि अधिकारी एवं कृषि पर्यवेक्षक के रिक्त पदों पर नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन की कार्यवाही की जा सकेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

खानपुर में पशु उपकेन्द्रों का भवन निर्माण

126. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में पशु उपकेन्द्र कहां-कहां संचालित हैं?

(2) वर्तमान में कितने पशु उपकेन्द्रों पर भवन निर्माण नहीं हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार शेष रहे केन्द्रों के भवन निर्माण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह सही है कि खानपुर चिकित्सालय का भवन भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का नया भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खानपुर में संचालित पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र खानपुर के 08 पशु चिकित्सा उपकेन्द्रों के राजकीय विभागीय भवन उपलब्ध हैं। शेष 24 निम्नलिखित पशु चिकित्सा उपकेन्द्र ग्राम पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाये गये भवन में संचालित हैं।

क्र.सं.	**उपकेन्द्र का स्थान**	**क्र.सं.**	**उपकेन्द्र का स्थान**
1.	जोलपा	5.	शिवनगर ढाणी
2.	डोबडा	6.	गाडरवाडा नूरजी
3.	भगवानपुरा	7.	खंडी
4.	सोजपुर	8.	मरायता

(पशुपालन मंत्री)

क्र.सं.	उपकेन्द्र का स्थान	क्र.सं.	उपकेन्द्र का स्थान
9.	पखराना	17.	पनवासा
10.	आकोदिया	18.	रिझोन
11.	मुण्डला	19.	गोवर्धन पुरा
12.	बडाय	20.	गागरोन
13.	आगरिया	21.	किशनपुरा
14.	पाटलिया कुल्मी	22.	मालनवासा
15.	देवनगर	23.	अकावद खुर्द
16.	गरवाडा	24.	लायफल

(3) जी हां। भवन निर्माण विभाग के नाम भूस्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार प्राथमिकता से कराये जाते हैं।

(4) जी नहीं। पशु चिकित्सालय खानपुर का भवन मरम्मत योग्य है। भवन मरम्मत का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने की कार्ययोजना

127. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में बहुउद्देशीय चिकित्सालय एवं उपकेन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनों के भवन उपलब्ध हैं एवं कितने भवनविहीन हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त भवनविहीन पशु चिकित्सालय एवं पशु उपकेन्द्रों का भवन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या सरकार पशु चिकित्सा हेतु उक्त विधान सभा क्षेत्र के बड़े गांव खानवास, थूमड़ी, महेश्वरा खुर्द एवं प्यारीवास में पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दौसा में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र दौसा में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं में से कुल 13 संस्थाओं हेतु राजकीय/विभागीय भवन उपलब्ध हैं तथा शेष 24 पशु चिकित्सा संस्थाएं ग्राम पंचायत के स्तर से उपलब्ध करवाये गये भवन में संचालित हैं।

(3) जी हां। विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज प्राप्त होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार राजकीय भवन निर्माण कार्य प्राथमिकता से कराये जाते हैं।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र दौसा के ग्राम खानवास में पशु चिकित्सा केन्द्र पूर्व से ही स्वीकृत है।

पशु चिकित्सा उपकेन्द्र आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार स्वीकृत किये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

डेगाना में नये पशु चिकित्सालय खोलने की कार्ययोजना

128. श्री विजयपाल मिर्धा (डेगाना): क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में किस श्रेणी के कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां पर तथा कब से संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नये पशु चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के अधिकतर पशु उपकेन्द्रों के भवन नहीं हैं? यदि हां, तो कहां-कहां पर? उक्त उपकेन्द्रों को भवन निर्माण की स्वीकृतियां कब तक जारी कर दी जाएंगी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र डेगाना में वर्तमान में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(पशुपालन मंत्री)

(2) जी हां। पशु चिकित्सा संस्थाएं आवश्यकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता अनुसार स्वीकृत की जाती हैं।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र डेगाना की अधिकतर पशु चिकित्सा संस्थाएं विभागीय राजकीय भवन में संचालित नहीं हैं। इनके लिए ग्राम पंचायत स्तर से भवन की व्यवस्था की गई है। इस विधान सभा क्षेत्र की स्वीकृत पशु चिकित्सा संस्थाओं के भवनों का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

भवन विहीन पशु चिकित्सा संस्थाओं के विभाग के नाम भू-स्वामित्व के दस्तावेज एवं वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर राजकीय भवन निर्माण कार्य करवाये जाते हैं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर जिले में अवैध खनन रोकने की कार्ययोजना

129. श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि बारां क्वेरी लेवर को-आपरेटिव सोसायटी बारां भड़कोल तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर को आबंटित खनन क्षेत्र वन क्षेत्र में आने के कारण बंद होने के उपरान्त भी सरकार द्वारा उक्त अवधि का डेडरेन्ट वसूला गया है? यदि हां, तो किस नियम के तहत? क्या सरकार उक्त अवधि का वसूला गया डेडरेन्ट समिति को पुन: लौटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए उक्त समिति को पूर्व में आबंटित खनन क्षेत्र पुन: आबंटित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में खनन कार्य बंद हैं? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) वर्तमान में राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार खनन क्षेत्रों का आबंटन नीलामी के माध्यम से ही किया जा सकता है जिसमें समिति द्वारा भी भाग लिया जा सकता है।

(खान मंत्री)

(3) जी हां। उक्त खनन पट्टा क्षेत्र में दिनांक 25.11.2002 से खनन कार्य बन्द है। समय-समय पर आकस्मिक चैकिंग के दौरान क्षेत्र में अवैध खनन नहीं पाया गया।

खनन आबंटन घोटाले के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

130. श्री रफीक खान (आदर्श नगर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2013 से 2018 की अवधि के दौरान खान आबंटन घोटाला उजागर हुआ है? यदि हां, तो कितने हजार करोड़ का? उक्त घोटाले में दोषी पाये गये किन-किन भारतीय प्रशासनिक सेवा, राजस्थान प्रशासनिक सेवा एवं माइनिंग इंजीनियर्स के विरुद्ध तत्कालीन सरकार एवं लोकायुक्त द्वारा जांच की कार्यवाही की गई? वर्षवार की गई जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घोटाले में दोषी पाये जाने के उपरान्त भी अधिकांश अधिकारियों एवं इंजीनियर्स के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने, कोर्ट में चालान पेश करने, चार्जशीट देकर विभागीय कार्यवाही करने के बजाय इन्हें पुन: फील्ड पोस्टिंग दी गई है? यदि हां, तो किन-किन को एवं क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण की पुन: जांच करवाकर दोषी अधिकारियों, अभियंताओं के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने एवं इन्हें फील्ड पोस्टिंग से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(स्थगित)

अरावली पर्वत श्रृंखला में अवैध खनन पर रोक की कार्ययोजना

131. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला अलवर में स्थित पहाड़ियां अरावली पर्वत श्रृंखला में आती हैं? यदि हां, तो उक्त पहाड़ियां किस-किस पंचायत में स्थित हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय MOEF की गाइड लाइन के अनुसार जिला अलवर में स्थित उक्त पहाड़ियों से हो रहे खनन व

(श्री संजय शर्मा)

थ्रेसर वैध है? यदि हां, तो निर्णय व MOEF की गाइड लाइन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त जिले में स्थित पहाड़ियों से हो रहे अवैध खनन को रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। प्रदेश के जिन जिलों से अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरती है, उनमें अलवर जिला भी सम्मिलित है। विभाग द्वारा भूतल से 100 मीटर व इससे ऊंची पहाड़ी तथा उसके ढलान को अरावली हिल्स माना गया है। तद्नुसार अलवर जिले की अरावली हिल्स में अवस्थित खनिज बहुल पंचायतों का विधान सभा क्षेत्रवार विवरण परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित याचिका सं. 202/95 में आई.ए. सं. 1310 के निर्णय दिनांक 08.04.2005 के अनुसार एवं MOEF की गाइडलाइन दिनांक 14.09.2006 एवं उसमें समय-समय पर हुए संशोधनानुसार की पालना में अलवर जिले में अनुमोदित खनन योजना/स्कीम, पर्यावरण अनुमति, कन्सेन्ट टू आपरेट आदि अनुमतियां प्राप्त कर खनन पट्टे वैध रूप से संचालित किये जाते हैं। अलवर जिले में 62 स्टोन क्रेशर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से कन्सेन्ट टू आपरेट प्राप्त कर चल रहे हैं। इसी प्रकार जिले में खननपट्टों के अन्दर स्थित क्रेशर भी राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण मंडल से वांछित सहमतियां (कन्सेन्ट टू आपरेट इत्यादि) प्राप्त कर वैध रूप से संचालित किये जाते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.04.2005 एवं MOEF की गाइडलाइन दिनांक 14.09.2006 की प्रति क्रमश: परिशिष्ट-2 व 3 पर उपलब्ध है ।

(3) जी हां। अलवर जिले में स्थित पहाड़ियों से हो रहे अवैध खनन को रोकने हेतु समय-समय पर राजस्व, खान, वन एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एवं खान विभाग के स्तर से कार्यवाही की जाती रही है। खान विभाग द्वारा विगत 5 वर्षों में अवैध खनन, निर्गमन व भण्डारण के विरुद्ध वर्षवार की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-4 पर उपलब्ध है।

(विवरण एवं प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

डिफाल्टर किसानों को पुन: फसली ऋण सुविधा देने की कार्ययोजना

132. श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि सहकारी समितियों के ऐसे किसान जो डिफाल्टर हैं, उन्हें फसली ऋण सुविधा देने का प्रावधान है? विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराड़ा, झल्लारा, सेमारी व जयसमंद पंचायत समिति क्षेत्र के वर्ष 2018 से 2020 तक के कितने ऐसे डिफाल्टर किसान हैं जिन्हें पूर्व में दी जा रही राशि रुपये 5000/- से कम राशि वाले किसानों को ऋण सुविधा देकर उनकी राशि समायोजित कर लाभ दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वर्तमान में लघु व सीमान्त काश्तकार जिनकी डिफाल्टर राशि 5000/- रुपये से कम है, उन्हें उक्त सुविधा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो उसके लिए क्या कार्ययोजना तैयार की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिनांक 16.04.2020 से ऐसे अवधिपार ऋणियों को नियमानुसार पुनः ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है जिनकी अवधिपार राशि रुपये 5000/- से कम थी तथा उनकी यह राशि ऋण माफी योजना, 2018 अथवा 2019 में माफ होने से उनकी ओर कोई राशि बकाया नहीं रही।

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के सराडा, झल्लारा, सेमारी व जयसमंद पंचायत समिति क्षेत्र में उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक द्वारा वर्ष 2018 से 2020 तक राशि रुपये 5000/- से कम के अवधिपार ऋण माफी से लाभान्वित किसानों को दिये गये ऋण की विगत निम्नानुसार हैः-

क्र. सं.	विधान सभा क्षेत्र	पंचायत समिति	राशि रु. 5000/- से कम अवधिपार वाले किसान जिनको पुनः ऋण दे दिया गया	
			सदस्य संख्या	राशि (रुपये लाखों में)
1	सलूम्बर	झल्लारा	0	0.00
2		सराड़ा	102	9.60
3		सेमारी	3	0.75
4		जयसमंद	5	1.10
योग			**110**	**11.45**

(सहकारिता मंत्री)

(2) राज्य के केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा दिनांक 16.04.2020 से ऐसे अवधिपार ऋणियों को नियमानुसार पुनः ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है जिनकी अवधिपार राशि रुपये 5000/- से कम थी तथा उनकी यह राशि ऋण माफी योजना, 2018 अथवा 2019 में माफ होने से उनकी ओर कोई राशि बकाया नहीं रही।

किसानों का बीमा करने वाली कम्पनी के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें

133. श्री रमेश चन्द मीना (सपोटरा): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि किसानों का बीमा करने में गंभीर अनियमितता एवं सैकड़ों किसानों का क्लेम अटकने के कारण सरकार द्वारा एक बीमा कम्पनी को जनवरी, 2020 से दिसम्बर, 2020 के मध्य ब्लैक लिस्ट किया गया था? यदि हां, तो किस कम्पनी को एवं क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि किसानों का बीमा करने के लिए पुन: इसी कम्पनी के ग्रुप की दूसरी कम्पनी को उक्त काम दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि ब्लैक लिस्ट करने के दो माह पश्चात् से भी कम अवधि में ब्लैक लिस्ट कम्पनी को बहाल कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नही। राज्य सरकार द्वारा किसी बीमा कम्पनी को जनवरी 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया था।

(2) वर्ष 2018-19 मे राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना क्रियान्वित करने वाली मै. श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी से दावों के निष्पादन में विलम्ब होने के कारण प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लि. के पत्र दिनांक 14.08.2020 से केन्द्रीय सहकारी बैंकों को मै. श्रीराम

(सहकारिता मंत्री)
जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को अग्रिम आदेशों तक कोई अन्य बीमा कार्य नहीं दिये जाने हेतु लिखा गया था। उक्त कम्पनी द्वारा दावों के निष्पादन की गति में सुधार के दृष्टिगत प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक द्वारा पत्र दिनांक 05.10.2020 से मै. श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी को कार्य दिये जाने पर रोक को हटाया गया। किसानों का जीवन बीमा करने हेतु आई.आर.डी.ए. में पंजीकृत कम्पनी मै. श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी को वर्ष 2020-21 में बीमा कार्य नियमानुसार दिया गया है। यह दोनों अलग कम्पनियां हैं।

(3) मै. श्रीराम जनरल इन्श्योरेन्स कम्पनी द्वारा दावों के निष्पादन की गति में सुधार के दृष्टिगत बैंक के पत्र दिनांक 05.10.2020 से केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा कम्पनी को कार्य दिये जाने पर लगाई गई रोक हटाई गई। बैंक द्वारा किसी भी बीमा कम्पनी को ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया।

(4) जी नहीं। उक्त प्रकरण में जांच प्रस्तावित नही है।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्तों को ग्रेच्युटी का लाभ

134. श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को ग्रेच्युटी नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा ग्रेच्युटी नहीं देने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार सेवानिवृत्त अधिकारियों व कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ कब तक देने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) निगम के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों का माह अगस्त-2016 से उनके सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान बकाया है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा माह जुलाई-2016 के बाद सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को केवल ग्रेच्युटी राशि का भुगतान निम्न स्थितियों में ही किया जा रहा है:-

(परिवहन मंत्री)

1. सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के पुत्र/पुत्री के विवाह होने पर।

2. सेवानिवृत्त अधिकरियों/कर्मचारियों के स्वयं व परिवारजनों की गंभीर बीमारी होने की दशा में मेडिकल व्यय की सीमा तक अथवा ग्रेच्युटी राशि की सीमा तक, जो भी कम हो।

(2) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की रोकड़ तरलता की स्थिति अनुकूल नहीं होने के कारण सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों को अगस्त-2016 से (सामान्य परिस्थिति में) ग्रेच्युटी राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

(3) राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की रोकड तरलता की स्थिति अनुकूल होने पर सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को ग्रेच्युटी राशि का भुगतान किया जा सकेगा।

शहीद के परिजनों को देय सुविधाएं

135. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महवा): क्या सैनिक कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) प्रदेश में सरकार द्वारा शहीद के परिजनों को क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र महवा के शहीद परिजनों को सरकार द्वारा क्या-क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रदेश में शहीद के परिजनों को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं का विवरण परिशिष्ट-क पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र महवा के शहीद परिजनों को सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं की सूची परिशिष्ट-ख पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

माण्डलगढ़ के आंगनबाड़ी केन्द्रों में रिक्त पद

136. श्री गोपाल लाल शर्मा (माण्डलगढ़): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में वर्तमान में कितने आंगनबाड़ी

(श्री गोपाल लाल शर्मा)

केन्द्र स्वीकृत हैं एवं कितने आंगनबाड़ी केन्द्र वर्तमान में सरकारी भवनों में चल रहे हैं व कितने निजी भवनों में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में कितने सहायक पद, कार्यकर्ता पद, आशा सहयोगिनी पद स्वीकृत हैं? केन्द्रवार, ग्रामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार रिक्त पद को कब तक भरने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ में 2 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: माण्डलगढ़ एवं कोटड़ी संचालित है। परियोजना माण्डलगढ़ के अन्तर्गत 242 मुख्य आंगनबाड़ी केन्द्र, 51 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र एवं परियोजना कोटड़ी में 71 मुख्य एवं 9 मिनी आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत हैं।

परियोजना माण्डलगढ़ में 269 केन्द्र सरकारी भवनों में, 22 केन्द्र किराये के भवनों में एवं 2 केन्द्र वर्तमान में असंचालित हैं तथा परियोजना कोटड़ी में 77 केन्द्र सरकारी भवनों में तथा 3 केन्द्र किराये के भवनों में संचालित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी कार्यकर्ता, सहायिका तथा आशा सहयोगिनी के स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	**परियोजना**	**स्वीकृत पद**			
		आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	**मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता**	**आंगनबाड़ी सहायिका**	**आशा सहयोगिनी**
1	माण्डलगढ़	242	51	242	242
2	कोटड़ी	71	9	71	71
	योग-	**313**	**60**	**313**	**313**

केन्द्रवार एवं ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(3) रिक्त पदों को उपनिदेशक द्वारा जिला स्तर पर समय-समय पर विज्ञप्ति जारी कर भरा जाता है, जो कि एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

निवाई में भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्र

137. श्री प्रशान्त बैरवा (निवाई): क्या महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के ऐसे कौनसे पंचायत मुख्यालय हैं जिनमें आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित नहीं हैं? पंचायतवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार वंचित राजस्व गांवों में आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्वीकृत आंगनबाड़ी केन्द्रों में से कितने केन्द्र आज भी भवनविहीन हैं अथवा जर्जर हैं? ग्राम पंचायतवार केन्द्रों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार भवनविहीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण एवं जर्जर भवनों की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई के अंतर्गत 2 बाल विकास परियोजनाएं क्रमश: निवाई एवं टोंक ग्रामीण संचालित हैं। उक्त दोनों परियोजनाओं में सभी ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत एवं संचालित है।

(2) प्रदेश में नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र खोलने पर भारत सरकार द्वारा रोक है। भारत सरकार के स्तर पर नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृति प्रदान किये जाने की स्थिति में भारत सरकार के निर्देशानुसार नवीन आंगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत करने सम्बन्धी अग्रिम कार्यवाही की जाती है।

(3) विधान सभा क्षेत्र निवाई में स्वीकृत 371 आंगनबाड़ी केन्द्रों में सें विभागीय/सरकारी/सामुदायिक भवनों के उपलब्ध नहीं होने के कारण 36 आंगनबाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में संचालित किये जा रहे हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

विधान सभा क्षेत्र निवाई में 39 आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन मरम्मत योग्य हैं, जिनका विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(4) आंगनबाड़ी केन्द्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय/ स्थानीय निकाय/राजस्व विभाग से नि:शुल्क भूमि आबंटन हो जाने पर

(राज्य मंत्री, महिला एवं बाल विकास)

विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है।

मरम्मत योग्य आंगनबाड़ी केन्द्रों की मरम्मत कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के अनुसार करवाया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

सरमथुरा में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने की कार्ययोजना

138. श्री खिलाड़ी लाल बैरवा (बसेड़ी): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

क्या सरकार सरमथुरा में नया औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट वर्ष 2018-19 के बिन्दु संख्या 117.01.0 के द्वारा जिन 08 स्थानों पर नई राजकीय आईटीआई खोले जाने की घोषणा की गई थी उनमें सरमथुरा भी सम्मिलित है। परिशिष्ट-1

राज्य सरकार द्वारा उक्त 08 स्थानों पर नई राजकीय आईटीआई खोले जाने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। परिशिष्ट-2

जिला कलेक्टर धौलपुर द्वारा राजकीय आई.टी.आई. सरमथुरा (धौलपुर) हेतु तहसील सरमथुरा की आराजी खसरा नं. 413 में से 2.27 हैक्टेयर भूमि का आबंटन किया जा चुका है। परिशिष्ट-3

निर्माण एजेन्सी से भवन निर्माण हेतु तकमीना प्राप्त किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। शीघ्र ही वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर इस संस्थान के भवन निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

ओसियां में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगार

139. सुश्री दिव्या मदेरणा (ओसियां): क्या कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या रोजगार कार्यालय जोधपुर में पंजीकृत शिक्षित बेरोजगारों को

(सुश्री दिव्या मदेरणा)

नियमित रूप से रोजगार भत्तों का भुगतान किया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र ओसियां में कितने बेरोजगार भत्तों के आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा प्राप्त आवेदनों में से कितने आवेदन पत्र स्वीकृत किये जा चुके हैं तथा कितने आवेदन स्वीकृति हेतु लंबित चल रहे हैं? 1 जुलाई, 2019 से 31 दिसम्बर, 2020 तक का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त लंबित आवेदन पत्रों का निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा? आवेदन पत्रों के निस्तारण में विलम्ब होने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, जोधपुर में पंजीकृत सभी शिक्षित बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया जा रहा है अपितु उक्त पंजीकृत बेरोजगार युवाओं में से मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अन्तर्गत पात्रताधारी स्नातक शैक्षणिक योग्यताधारी बेरोजगार आशार्थियों को ही सम्पूर्ण प्रदेश हेतु निर्धारित अधिकतम 1 लाख 60 हजार लाभार्थियों की सीमा तक नियमानुसार नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जा रहा है।

(2) उप क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, जोधपुर में विधान सभा क्षेत्र ओसियां के 31 दिसम्बर, 2020 तक मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2019 के अन्तर्गत 3433 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 1871 आवेदनों की जांच उपरान्त भत्ता स्वीकृत कर दिया गया है तथा 1 लाख 60 हजार की अधिकतम लाभार्थियों की सीमा निर्धारित होने के कारण जांच में सही पाये जाने के उपरान्त भी 1562 आवेदन भत्ता स्वीकृति हेतु लंबित चल रहे हैं।

(3) वर्तमान में इस योजना में अधिकतम लाभार्थियों की सीमा 1 लाख 60 हजार निर्धारित है। विभिन्न कारणों से बेरोजगारी भत्ता बन्द किये जाने पर नये आशार्थियों को वरीयता क्रम में ऊपर आने पर भत्ता प्राप्त कर रहे लाभार्थियों तथा उक्त अधिकतम सीमा के अन्तर तक बेरोजगारी भत्ता स्वीकृत कर दिया जाता है। यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

योजनान्तर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा तक आवेदन पत्रों के निस्तारण में कोई विलम्ब नहीं हो रहा है।

गोटन की जे के व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत श्रमिक

140. श्रीमती इन्दिरा देवी (मेड़ता): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र मेड़ता के गांव गोटन स्थित लीजधारक जे के व्हाइट सीमेंट फैक्ट्री के अधीन खनन क्षेत्र में श्रमिकों द्वारा खनन करवाया जाता है? यदि हां, तो कार्यरत श्रमिकों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव गोटन स्थित लीजधारक उक्त फैक्ट्री के अधीन खनन क्षेत्र में कार्यरत खनन श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाए हुए हैं? यदि हां, तो प्रत्येक कार्यरत खनन श्रमिक के श्रमिक कार्ड का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त लीजधारक फैक्ट्री के अधीन खनन क्षेत्र में कार्यरत श्रमिक कार्ड रहित खनन श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाए जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। खनन पट्टेधारी जे.के. व्हाइट सीमेंट वर्क्स (जे.के. सीमेन्ट लि.) द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना अनुसार खनन पट्टे में कार्यरत 47 श्रमिकों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(2) उक्त लीजधारक के खनन क्षेत्र में कार्यरत 17 श्रमिकों के श्रमिक कार्ड बनाये गए हैं। विवरण परिशिष्ट-2 पर उपलब्ध है।

(3) जी हां । श्रमिक कार्ड भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा बनाये जाते हैं। शेष 30 श्रमिकों के कार्ड बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

धौलपुर जिले में श्रमिक कार्ड धारकों को देय सुविधाएं

141. श्रीमती शोभारानी कुशवाह (धौलपुर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

जिला धौलपुर में अब तक कितने श्रमिक कार्ड बनाये जा चुके हैं? 1 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक उक्त जिले में कितने श्रमिक कार्ड धारकों को शुभशक्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना, दुर्घटना मृत्यु योजना,

(श्रीमती शोभारानी कुशवाह)

सामान्य मृत्यु योजना और श्रमिक कार्ड धारक व भवन निर्माण योजना के तहत सरकार द्वारा क्या-क्या सहायता राशि प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

धौलपुर जिले में अब तक कुल 59298 श्रमिक कार्ड बनाये जा चुके हैं तथा 01 जनवरी, 2019 से धौलपुर जिले में 4261 श्रमिक कार्ड धारकों को भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल के अन्तर्गत शुभशक्ति योजना, छात्रवृत्ति योजना, दुर्घटना मृत्यु योजना, सामान्य मृत्यु योजना एवं अन्य योजनाओं में रुपये 28.45 करोड़ सहायता राशि लाभान्वितों को प्रदान की गई है। 01 जनवरी, 2019 से 31 जनवरी, 2021 तक का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

पुष्कर में श्रमिक कार्डधारियों को देय सुविधाएं

142. श्री सुरेश सिंह रावत (पुष्कर): क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में वर्तमान में कितने श्रमिक कार्ड बने हुए हैं? संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्डधारियों को सरकार द्वारा जनवरी, 2019 से अब तक क्या-क्या सुविधाएं दी गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त कार्डधारियों के नाम, पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र पुष्कर में वर्तमान में कुल 19,222 हिताधिकारियों का पंजीयन किया गया है। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मण्डल में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के कल्याण हेतु 13 कल्याणकारी योजनाओं से पात्रतानुसार लाभ दिया जाता है। जनवरी, 2019 से अब तक 1581 हिताधिकारियों को लाभान्वित किया गया। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) हिताधिकारियों के नाम, पते सहित सूची परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण व सूची पुस्तकालय में रखे गये)